गुरूवार, 4 दिसंबर 1980

13 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 13, गुरुवार, 4 दिसम्बर, 1980/13 अग्रहायण, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 246, 249, 251, 252, 255, 256 और 258	...	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 245, 247, 248, 250, 254, 257, 259 से 264 और 144	...	23—159
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2393 से 2426, 2428-2457 और 2459 से 2559		
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	...	160—161
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	—162
लोक लेखा समिति के विवरण	...	—163
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	...	164—180
तमिलनाडु में हरिजन परिवारों को अभी भी बंधक बनाये जाते रहने का समाचार		
श्री धनिक लाल मंडल	...	164 180
श्री योगेन्द्र मकवाना	...	164—180
श्री राम विलास पासवान	...	171—174
श्री हरिकेश बहादुर	...	175—177
श्री जगपाल सिंह	...	178—179
समिति के लिए निर्वाचन	...	—181
केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड		
राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक—पुर:स्थापित	...	181—213
राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के बारे में विवरण	...	—213
श्री जैल सिंह	...	—214

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला में दूर-संचार सुविधाएं		
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम	...	—215
(दो) राजस्थान में डाक-तार सेवायें		
श्री नवलकिशोर शर्मा	...	—216
(तीन) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यकरण के बारे में		
श्री चन्द्रजीत यादव	...	—216
(चार) पश्चिम बंगाल में लच्छी के धागे की कमी		
श्री सत्यगोपाल मिश्र	....	—217
(पांच) केरल में और अधिक रेल लाइनों तथा एक रेल डिब्बा कारखाना की आवश्यकता		
प्रो० पी० जे० कुरियन	...	—218
(छः) कच्चे काजू के आयात में बिचौलियों को हटाना		
श्री पी० के० कोडियन	...	—219
(सात) कुछ और जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करना		
श्री सूरज भान	...	219—220
(आठ) गोरखपुर स्थित भारतीय उर्वरक निगम की उर्वरक फैक्टरी का आधुनिकीकरण		
श्री महावीर प्रसाद	...	220—221
सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक	...	221—
विचार किये जाने का प्रस्ताव		
श्री सूर्यनारायण सिंह	...	221—22[illegible]
श्रीमती कृष्णा साही	...	222—22[illegible]
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	...	224—22[illegible]
श्री जेवियर अराकल	...	2[illegible]5—[illegible]2[illegible]
श्री मूलचन्द डागा	...	228—23[illegible]
श्री रामावतार शास्त्री	...	231—2[illegible]

विषय	पृष्ठ
श्री नवल किशोर शर्मा	234—235
श्री रामसिंह यादव	235— 238
श्री भीष्म नारायण सिंह	238 —241
खंड 2 से 13 और I	241—242
पास किये जाने का प्रस्ताव	241—242
श्री भीष्म नारायण सिंह	
जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक	
विचार किये जाने का प्रस्ताव	242 --243
श्री प्रणव मुखर्जी	

लोक सभा

गुरुवार, 4 दिसम्बर, 1980/13 अग्रहायण, 1902 (शक)
लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

*246 **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके पुनर्गठन का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले सम्भाविल परिवर्तन क्या हैं ;

(ग) रेलवे बोर्ड के सदस्यों के कितने स्थान अभी रिक्त हैं ;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड उस कार्य को नहीं कर पा रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उटता ।

(ग) एक ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सत्यनारायण जाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है, क्या वह अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है ? इसी संदर्भ में मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि अभी बड़ौदा, इटारसी और फतियाबाद व गौतम पुरा में जो डकेतियां हुई हैं, क्या इन सारी घटनाओं का रेलवे बोर्ड के निरीक्षण से संबंध नहीं है ? इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि रेलवे बोर्ड काम नहीं कर रहा है ।

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष जी, यह बात गलत है कि रेलवे बोर्ड अपने कर्तव्य का पालन सम्पूर्ण तरीके से नहीं कर रहा है और इटारसी की घटनाओं का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री सत्यनारायण जाटिया : एक तरफ रेलवे मिनिस्टर यह कह रहे हैं कि रेलवे बोर्ड और रेलवे मिनिस्ट्री काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनायें डकेतियां और लूट हो रही है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या रेलवे बोर्ड और रेलवे मिनिस्टर का यह कर्तव्य नहीं है कि वे इन सारी घटनाओं को सजग होकर देखें कि आगे इस प्रकार की दुर्घटना न हों ?

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है, इसका मतलब यह कि जो लोग पहले थे, वे हट गए हैं और नए लोग आए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, परन्तु आदमी बदल गए हैं। दूसरी बात यह है कि बोर्ड का काम पहले से चुस्त हो रहा है। मैं आपको इस प्रोग्रेस के बारे में बताता हूं। पिछले साल नवम्बर और अक्टूबर के महीने में लोडिंग 950 वैगन्स प्रति दिन होता था, लेकिन इस साल 1980 में नवम्बर के महीने में 600-800 1700—1800 वैगन्स प्रतिदिन अधिक लोडिंग हो रहा है, क्योंकि इसी से अरनिंग होता है। अगर यह इम्प्रूव कर जाए तो रेलवे की इकानोमी अच्छी हो जाएगी। जो रेलवे बोर्ड बना है, उसने काम शुरू किया है और कुछ नए कामों को लिया गया है। जैसे "ओन-यूअर-ओन" एक स्कीम को चलाया गया है। इसके मायने यह हैं कि पंचुयेलिटी के मामले में जहां-जहां गड़बड़ियां हैं, वहां एक अफसर और एक इन्सपैक्टर यात्रा पर चल जाते हैं और देखते हैं कि जहां-जहां पर गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं।

जहां तक ट्रेन्ज के लेट होने का सवाल है, अभी दो-तीन दिन पहले जो गुडस ट्रेन के कुछ डिब्बों का डिरलमेंन्ट हो गया था, उसके कारण कलकत्ता और तिनसुखियां से आने वाली गाड़ियां 10, 5 या 7 घन्टे लेट हुई।

श्रीमति विद्यावति चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, अभी आप ने हाल ही में रेलवे बोर्ड में परिवर्तन किया है, उसका गठन नये सिरे से किया है—इसको कितने दिन हो गए हैं ?

आज रेलों में प्रति दिन जो दुर्घटनायें हो रही हैं, रोज डकेतियां और चोरियां हो रही हैं इन को रोकने के लिये आप के नव-गठित बोर्ड ने कौन से कदम उठाये हैं ? अभी आप ने बताया कि आप के अफसर और इंस्पेक्टर रेल में सफर करते हैं क्या उनके सफर करने से इस तरह की घटनायें दूर हो जाती हैं ? क्या आपने इनके कारणों की जांच की है और यदि की है तो उनको दूर करने के लिये कौन से कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तो वे नये आये हैं, काम शुरू ही किया है।

श्री केदार पांडे : मैंने ता० 14 को इस मंत्रालय का चार्ज लिया है। उसके बाद हमने कुछ रिफार्म्ज लाने की कोशिश की है, कुछ रेडिकल चेन्जेज किये हैं तथा कुछ साइकालोजिकल चेन्ज भी हुआ है। उनके अन्दर कुछ एन्थयूजिअज्म आया है। मैं अपने रेल कर्मचारियों में पूरा विश्वास करता हूं कि वे ठीक तरह से काम करेंगे और वे कर भी रहे हैं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैंने मंत्री जी से पूछा था कि आपने जो पुनर्गठन किया है, वह कब हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : पिछले दिनों ही हुआ है।

श्री केदार पांडे : ता० 14 को किया है।

श्री रामावतार शास्त्री : रेलवे बोर्ड में परिवर्तन करने से स्थिति में सुधार हो रहा है, ऐसा मंत्री जी का दावा है। लेकिन स्वयं इन्होंने कहा है.....।

अध्यक्ष महोदय : आप कन्टेस्ट करते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : जी हां कन्टेस्ट करता हूं। अभी उन्होंने स्वयं कहा है कि 30 नवम्बर और पहली दिसम्बर को गाड़ियां बहुत लेट आई, साढ़े चौदह घन्टे तक विलम्ब से आई। यह केवल उसी दिन की बात नहीं है। समय पर आने में कोई सुधार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस दिन यानि ता० 30 नवम्बर को डिरेलमेन्ट हुआ, 3 या 4 बोगियां गिरीं, उसके दूसरे दिन 1 या 2 बजे तक ठीक हुआ, इतने विलम्ब का कारण क्या है, क्यों इतना विलम्ब हुआ ? 3 या 4 बोगियों को ठीक करने में इतना समय क्यों लगा ?

श्री केदार पांडे : मैंने पहले ही कहा है—गुड्स ट्रेन के डिरेलमेन्ट की वजह से यह स्थिति पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट हुई। उसके बाद से ऐसी बात नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे वर्तमान रेलवे बोर्ड के विषय में कुछ नहीं कहना है। अध्यक्ष और सदस्यों को अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। अतः मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। परन्तु यह तथ्य है कि इस सभा में तथा बाहर कई बार रेलवे बोर्ड के कार्यकरण की कड़ी आलोचना की गई है। यह प्रशासन पर भारी बोझ है। मैं इस पहलू पर अब माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रेलवे अभिसमय समिति (1977) ने संसद को प्रस्तुत की गई अपनी चौथी रिपोर्ट में कहा था कि चूंकि रेलवे बोर्ड अत्यधिक केन्द्रीकृत निकाय है अतः यह केन्द्र से कुशलता से कार्य नहीं कर सकता। अतः उन्होंने महा प्रबन्धकों, क्षेत्रीय रेलों के संगठनों और रेलवे बोर्ड के कार्यालयों को अधिकार प्रत्यायोजित करने की सिफारिश की थी। उन्होंने आगे कहा उन्हें आधुनिक तकनीक लागू करनी चाहिए और प्रक्रिया तथा अन्य चीजों का सरलीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि वास्तविक लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता। ये लाभ अभी प्राप्त किए जाने है। इन सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए मैं मंत्री

महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे न केवल कुछ पदों को भरने और बदलने के लिए बल्कि सम्पूर्ण रेल बोर्ड को पुनर्गठित करने के लिए कारगर कदम उठाएंगे ।

श्री केदार पांडे : यह तथ्य है कि रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में बनाया गया था और यह बोर्ड उसी अधिनियम के अधीन गठित किया गया था । यह उस समय की बात है जबकि भारत पराधीन था । उसमें कोई संदेह नहीं । हमारे पास रेलवे अधिनियम 1890 भी है और यह अधिनियम भी पराधीन भारत में पारित किया गया था । हम इन अधिनियमों को पूर्णतया बदलने पर विचार कर रहे है । हम प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक अन्डरटेकिंग रेलवे है और वह बराबर घाटे में जा रही है । जो प्रश्न पूछा गया है, वह यह है :

"क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसके पुनर्गठन का निर्णय लिया है ?"

उत्तर है : 'नहीं ।'

यह आपका आन्सर है । यहाँ आप क्या उत्तर दे रहे हैं और आपका लिखित उत्तर क्या है। जो उत्तर आपने दिया है उसको आप पढ़िये । आज सारा हिन्दुस्तान कह रहा है कि उसे रेलवे के कारण असंतोष है और जनता में आक्रोश है । पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी ने भी इसके बारे में अपनी फाइंडिंग्स दी हैं । आपको इसके बारे में क्या कहना है ।

श्री केदार पांडे : उसका क्लैरीफिकेशन हमने किया है । यह पूछा गया था कि क्या हम स्ट्रक्चर चेन्ज कर रहे हैं ? इसलिए हमने कहा 'नो' लेकिन परसोनेल को चेन्ज कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय : श्री तारिक अनुवर- अनुपस्थित । अगला प्रश्न ।
श्री नीलालोहिथादसन नाडार-अनुपस्थित ।

श्री सत्यनारायण जटिया : दूसरा सप्लीमेंटरी पूछने का मौका हमें नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये, आप पीछे रह गए है अगला प्रश्न । श्री जी०एस० रेड्डी अनुपस्थित । श्रीमती गीता मुकर्जी ।

श्री सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, दूसरा सप्लीमेंटरी हमें पूछने दीजिए । मेरे साथ न्याय कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत आगे निकल गया हूं ।

श्री सत्यनारायण जटिया : मुझे दूसरा पूरक प्रश्न पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइये । मैं तीसरे प्रश्न पर पहुच गया हूं ।

लोगों की चिकित्सीय देख-रेख के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई योजना

*249. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने वर्ष 2000 तक लोगों की चिकित्सीय देख-रेख के लिये कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने योजना स्वीकार कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से एक अध्ययन दल गठित किया था। इस दल ने "सभी के लिए स्वास्थ्य: एक बैकल्पिक नीति" नामक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) इस अध्ययन दल की सिफारिशों का एक सारांश एक विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) : स्वास्थ्य क्षेत्र की मुख्य सिफारिशों को तत्संबंधी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाना है।

विवरण

स्वास्थ्य सभी के लिए : एक बैकल्पिक नीति-पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा भारतीय समाजशास्त्र अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट की सिफारिशों का सारांश।

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य सन, 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करना होना चाहिये। इसका अर्थ सभी नागरिकों को विशेषकर महिलाओं, बच्चों तथा गरीबों और कम सुविधाप्राप्त लोगों को उत्तम तथा अपेक्षित स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति सुलभ करना है। इसका उद्देश्य मृत्युदर और रुग्णतादर को काफी हद तक कम करना तथा शिशु मृत्यु दर को 120 से कम करके 60 अथवा उससे कम करना तथा समग्र मृत्यु दर को 15 से घटाकर 9करना भी है।

2. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम चलाना जरूरी तो है परन्तु यथेष्ट नहीं। स्वास्थ्य का कार्य केवल चिकित्सा परिचर्या ही नहीं अपितु समाज का समग्र विकास सांस्कृतिक आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक करना है। इसलिए अगले 20 वर्षों में ये तीन कार्यक्रम- (1) एकीकृत समग्र विकास, जिसमें परिवार नियोजन शामिल है, (2) पौषणिक पर्यावरण तथा स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार तथा (3) पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था, चलाने होंगे।

3. एकीकृत विकास, में जो कार्यक्रम शामिल होने चाहिये वे हैं— (1) सन, 2000 तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का दूना करना; (2) पूर्ण रोजगार जिसमें प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति को उचित मजदूरी पर कार्य देने की गारन्टी शामिल है; (3) स्त्रियों के स्तर में सुधार; (4) प्रोढ़ शिक्षा जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा और व्यवसायिक दक्षता पर बल देना शामिल है; (5) 1991 तक सभी बच्चों के लिए सर्वमान्य प्रारम्भिक शिक्षा; (1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण; (7) लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकृत तथा सहभागिता (पार्टीसिपेटरी) सरकार बनाना; (8) ग्रामीण विद्युतिकरण: (9) आवासीय तथा गन्दी बस्तियों की सफाई में सुधार करना तथा (10) गरीबों और कम सुविधाओं वाले वर्गों को संगठित करना।

4, एन०आर०आर० को 1.67 से घटाकर 1.00 करने तथा जन्म दर को 33 से घटाकर 21 करने के उद्देश्य से एक समग्र जनसंख्या नीति बनाने तथा उसे लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्थापित करना।

5. अनाज की अधिक पैदावार कर पोषण में सुधार करना, तैयार फसल के नुकसान को कम करना, भण्डार करने और वितरण करने की उचित व्यवस्था करना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाकर तथा काम के बदले अनाज के कार्यक्रम चलाकर गरीबों की क्रय क्षमता बढ़ाना। लोह की कमी तथा अनीमिया अथवा विटामिन 'ए' और आयोडीन की कमी से पैदा होने वाली बीमारियों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त जिन लक्ष्य वर्गों का, जो खतरनाक स्थिति में है, सावधानी से पता लगाया है उनके लिये पूरक आहार कार्यक्रम चलाए जाने चाहियें।

6. सभी नगरीय तथा देहाती इलाकों को विशेष पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिये। सभी ऐसे नगरीय क्षेत्रों में मल निपटान उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिये जहां मल आदि को साथ-साथ एकत्र कर उसे खाद के रूप में परिणित करने के व्यापक कार्यक्रम चलाये जाने होंगे। इसी प्रकार देहाती इलाकों में सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिये एक तीन कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये। जल और वायु प्रदूषण को रोकने तथा औद्योगीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिये तत्काल उपाय करने होंगे।

7. स्वास्थ्य शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग तथा समग्र स्वास्थ्य परिचर्या का आवश्यक अंग बनाया जाना चाहिये।

8. वह बर्तमान विदेशी श्रेष्ठ वर्ग प्रधान, नगरोन्मुखी, केन्द्रीकृत तथा नौकरशाही पद्धति, जो उपचारी पहलुओं पर अधिक बल देती है, को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के वैकल्पिक माडल में बदल देना चाहिये। यह वैकल्पिक माडल समाज में लोकप्रिय है, सभी को एक समान पर्याप्त, कुशल रेफरल सेवायें प्रदान करता है और यह स्वास्थ्य संवर्धक, रोग निवारक और उपचारी पहलुओं को जोड़ता है।

9. प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिये। दाईयों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये और उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। माताओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देना प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिये।

10. जिन रोगों का उन्मूलन करना अथवा कम से कम कारगर ढंग से नियन्त्रित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिये वे हैं अतिसार रोग, टेटनस, डिफथीरिया, हाइड्रोफोबिया, पोलियो, क्षयरोग, गिनी-वार्म, मलेरिया, फाइलेरिया तथा कुष्ठ रोग।

11. लोगों और सेवाओं के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए जन स्वास्थ्य रक्षक जैसे कर्मचारियों का एक नया वर्ग तैयार किया जाना चाहिये। स्वास्थ्य कार्मिकों के सभी वर्गों को निरन्तर सेवाकालीन शिक्षा देने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को एक आयुर्विज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा आयोग स्थापित करना चाहिये।

12. एक स्पष्ट औषध नीति तथा उसे लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय औषध एजेंसी बनाने की आवश्यकता है।

13. दवा के सामाजिक पहलुओं के अनुसंधान तथा विशेकर इक्नामिक्स आफ हैल्थ को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

14. जिला तथा निचले स्तर पर स्वायत्तशासी निकायों को प्रदत्त विशाल शक्तियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र तथा राज्य सरकारों की भूमिका की फिर से व्याख्या की जानी चाहिये। स्वैच्छिक संगठनों को अधिक प्रोत्साहन तथा सहायता मिलनी चाहिये।

15, स्वास्थ्य सेवाओं की कुल लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि की जानी चाहिये और स्वास्थ्य संबंधी खर्च को प्रतिवर्ष 8 से 9 प्रतिवर्ष बढ़ाया जाना चाहिए और सन, 2000 तक जी०एन० पी० की लगभग 6 प्रतिशत तक पहुंचनी चाहिये।

16. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा बनाने का अभी उचित समय नहीं है और यथासमय स्थिति की जांच की जानी चाहिये।

17. इसकी सफलता के लिए सभी प्रस्तावित कार्यक्रम इस बात पर निर्भर करेंगे कि इसको जन आन्दोलन का रूप देने में हमारी क्षमता कितनी है तथा इसके लिए कार्य करनें वाले करोड़ों युवा पुरुषों और स्त्रियों का दर्जा क्या है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अध्ययन दल ने कहा था कि "यह वर्तमान विदेशी श्रेष्ठ वर्ग प्रधान, नगरोन्मुखी, केन्द्रीकृत तथा नौकरशाही पद्धति जो रोगोपचार संबंधी पहलुओं पर अधिक बल देती है और इसके आमूल परिवर्तन के लिए कहा था तथा विशेषरूप से नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अपनाने की सिफारिश की थी। क्या मंत्री महोदय, हमें बताएंगे कि क्या सरकार उपयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की योजना बना रही है और (ख).....।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित में प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। मौखिक अनुपूरक प्रश्नों में आप केवल एक प्रश्न पूछ सकती हैं। मैं अनुपूरक प्रश्न के लिए आप को दूसरा अवसर दूंगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : माननीय सदस्या को यह जानना चाहिए कि...।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्यों ?

श्री बी० शंकरानन्द : क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से इस अध्ययन दल को गठित किया था। यह सरकार द्वारा गठित नहीं किया गया था। उन्होंने सरकार से कई सिफारिशें की हैं। हमें लगभग एक महीना पहले औद्योगिक रूप से ये सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। सरकार विभिन्न सिफारिशों की जांच कर रही है। अध्ययन दल ने स्वास्थ्य मंत्रालय से असंबद्ध कई विषयों पर सिफारिशें की हैं। परन्तु जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सिफारिशों का संबंध है मैं यही कह सकता हूं कि सभी प्रमुख सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और हम उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या एक सदस्य को जानने का अधिकार नहीं है, डा० स्वामी ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने उस अधिकार का दावा नहीं किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : साम्यवादियों की जानकारी प्रायः कम होती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपको उनकी टिप्पणी कार्यवाही वृतान्त से निकाल देनी चाहिए। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि सरकार विभिन्न सिफारिशों पर विचार कर रही है, क्या मंत्री महोदय हमें बताएंगे कि चूंकि उपचारात्मक पहलू पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए सरकार की गावों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की क्या योजना है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार का संबंध केवल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास और निरोधात्मक पहलू तक सीमित है। और जहां तक हमारा

संबंध है हम उस बात का ध्यान रखेंगे कि विकास और निरोधात्मक पहलूओं से संबंधित सभी कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता मिले।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पीने के पानी के बारे में ?

श्री बी० शंकरानन्द : वह निरोधात्मक और विकास पहलू के अन्तर्गत आता है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री महोदय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों का अभाव है और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवहारिक दृष्टि से उपेक्षित है। क्या सरकार का डिप्लोमा पाठयक्रम आरम्भ करने का विचार है ताकि ग्रामीण विद्यार्थी डिप्लोमा पाठयक्रम कर सकें ? यदि आप डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करते हैं तो ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों को डाक्टर मिल जांएगे। क्या सरकार का विचार देश में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी के स्वास्थ्य के लिए वचन बद्ध है। कम से कम अपनी जनता को 2000 ईस्वी तक बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवद्ध है। इस संबंध में हम उपचारात्मक की बजाए निरोधात्मक पहलू पर अधिक बल दे रहे है। हम 70% से अधिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों पर करेंगे। जहां तक दूसरे भाग का सवाल है, हम इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है।

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या सरकार को जानकारी है कि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में राष्ट्रपिता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शारीरिक दृष्टि से पीड़ित रोगी समाज में नैतिक दृष्टि से पतित व्यक्तियों की उपस्थिति का परिणाम है।

क्या यह तथ्य नहीं है कि 73-74 की तुलना में जहां कुष्ट रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है वहीं उपचार और निरोधक उपायों में कभी आई है और व्यय भी कम किया गया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने धन राशि में कटौती कर दी है।

श्री निहार रंजन लास्कर : छठी पंच वर्षीय योजना में हम संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने पर अधिक बल दे रहे है। (व्यवधान) कुष्ठ रोग उनमें से एक है। (व्यवधान)।

कैंसर अनुसन्धान संस्थान

*251 **श्री छोटूभाई गामित** : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कैंसर अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित करने की कोई योजना है जैसा कि आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथिक विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में स्थापित किये गये संस्थानों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

श्री छीतूभाई गामित : अध्यक्ष महोदय, केंसर एक ऐसा रोग है, जिससे कोई आदमी बच नहीं सकता, क्योंकि इस रोग को मिटाने के लिए अभी तक कोई अच्छा उपाय या मेडीसन मिली नहीं है । इसलिए हमारे देश में दिन प्रति दिन कई लोग केंसर से मर रहे हैं और केंसर का जो रोग है वह भी बढ़ता जा रहा है मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में केंसर से कितने लोग पीड़ित है और उनमें से हर साल कितने लोगों की मृत्यू होती है? इस रोग की गंभीरता को देखते हुए छटी पंचवर्षीय योजना में किन-किन जगहों पर कितने केंसर के हास्पिटल खोले जायेंगे, उनका ब्यौरा देने का कष्ट करें ।

श्री निहार रंजन लास्कर : आर्युवेदिक यूनानी तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में केंसर पर अनुसंधान के बारे में सरकार के पास कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है । फिर भी सी०सी०आर०ए०एस० के अंतर्गत अनुसंधान करने के लिए प्रथन केंसर अनुसधान एकक है । यही मैं कह सकता हूं । प्रश्न के परवर्ती भाग के बारे में अलग से एक प्रश्न कर सकते है । **(व्यवधान)** ।

श्री छीतूभाई गामित : अध्यक्ष महोदय, आज जो लोग केंसर से पीड़ित हैं जो जंगल में रहने वाले है, जहां वैद्यों द्वारा आर्युवेदिक इलाज करते हैं वे इलाज कर रहे हैं और संस्कृत के ग्रन्थों में भी केंसर के इलाज के बारे में इस रोग को मिटाने के उपाय दिए गए हैं, ऐसा मेंने पढ़ा है । तो क्या भारत सरकार की ओर से इस पर विचार करने के लिए कोई विशेषज्ञों का स्टडी-ग्रुप बनाए जाने का विचार है या नहीं, इसके बारे में ब्यौरे देने की कृपा करें ।

श्री निहार रंजन लास्कर : यद्यपि यह इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता फिर भी मैं माननीय सदस्य महोदय को बता सकता हूं कि एलोपेथी की चिकित्सा पद्दति में हमारे यहां तीन क्षेत्रीय केंसर अनुसंधान केन्द्र हैं, चितरंजन केंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता, इंस्टीच्यूट आफ रोटरी केंसर कांशिल तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इनके अतिरिक्त छटी पंचवर्षीय योजना में सरकार छ : क्षेत्रीय केंसर अनुसंधान केन्द्र और स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : महोदय, बड़ी संख्या में लोग केंसर के कारण मृत्य के शिकार हो रहे है और यह बीमारी हर साल अधिक से अधिक जानें लेती जा रही है तथा मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं—क्योंकि उनके विभाग में एलोपेथी, होम्योपेथी और आयुर्वेदिक

विभिन्न अनुभाग हैं और सभी इस सम्बन्ध में अनुसंधान कर रहे हैं तथा वे इन सभी अनुभागों को समन्वित करने के बारे में विचार कर रहे हैं ताकि इस बड़ी प्राण हन्ता बीमारी का इलाज खोजा जा सके ।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं कहूंगा कि हमारे पास इस तरह का कोई कार्य क्रम नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है कि मद्रास में दो इकाइयां हैं । केंसर अनुसंधान के निकास के लिए हम काड़ंसिल के माध्यम से इन इकाइयों को कुछ सहायता दे रहे हैं । (व्यवधान)।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, यह सच है कि आयुर्वेद सिद्ध होम्योपैथी और यूनानी के लिए अलग-अलग केन्द्रीय अनुसंधान परिषदें हैं और वे अपने-अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य कर रही हैं। विभिन्न परिषदों के बीच समन्वय के सम्बन्ध में सदस्य महोदय की चिन्ता को मैं समझ सकता हूं और यह बिल्कुल वांछनीय है ।

डा० कृपा सिन्धु भोई : केंसर की यह बीमरी केंसरजन द्वारा पैदा होती है और अभी तक विश्व को इस केंसरजन के बारे में जानकारी नहीं है । भारत आयुर्वेदिक तथा होम्योपेथी चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है और भारत में एलोपेथी के क्षेत्र में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है । परन्तु भारत सरकार तथा राज्य सरकारें अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पीछे हैं । जहां तक अनुसंधान एवं व्यापक शोध का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर सकता हूं कि वे आयुर्वेद एवं होम्योपेथी को, जिसमें भारत आगे है, और ज्यादा महत्व प्रदान करें ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य महोदय, के अनुरोध पर विचार किया जाएगा ।

आचार्य भगवान देव : मंत्री जी ने बताया है कि सरकार केंसर की बीमारी दूर करने सम्बन्धी छः केन्द्र खोलने जा रही है । आयुर्वेद की एक ही यूनिवर्सिटी है और वह जामनगर में है । वहां पर भी केन्द्र खोलने का सरकार ने निश्चय किया है ? योग की दृष्टि से भी एक केन्द्र दिल्ली में या देश के किसी अन्य स्थान पर खोलने का सरकार का विचार है ?

श्री निहार रन्जन लास्कर : इस सुझाव पर विचार किया जाएगा ।

उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

*252. **श्री ए० सी० दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कम से कम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान उड़ीसा में कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में जयपुर उपमण्डल में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोले जाने का विचार है और जिनका उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव है उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शन्करानन्द) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

श्री ए० सी० दास : मंत्री महोदय को मालूम होगा कि उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है । वहां बहुत ज्यादा जंगली इलाका है और फ्लड एफेक्टिड एरियाज बहुत हैं । इस एरिया में आप देखें कि पच्चीस-पच्चीस और तीस-तीस मील तक कोई आने जाने के लिये रास्ता तक नहीं होता है, सड़क तक नहीं होती हैं । वहां जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है । इसका जब तक प्रबन्ध नहीं किया जाता है तब तक हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है । जहां पर आदमी जा नहीं सकता है, जहां जाने के लिए कोई रास्ता या सड़क तक नहीं है, रोड तक नहीं है, वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेंटर खुलने की भी कुछ उम्मीद की जा सकती है ।

श्री निहार रन्जन लास्कर : प्रश्न का भाग (क) खास तौर पर बर्ष 1980-81 के लिए है और हमने बताया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु छटी पंचवर्षीय योजना में हमने विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों के लिए 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुझाव दिया है । ऐसा पहले नहीं किया गया था ।

श्री ए० सी० दास : ट्राइबल एरिया में आप खोलने के लिए तो तैयार हैं । लेकिन जहां कोई रास्ता तक नहीं है, जहां कोई सड़क तक नहीं जाती है और जहां जाने के लिए कोई तैयार भी नहीं होता है, वहां के लिए भी कुछ आप करने के लिए तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पहले रास्ता तलाश करो फिर जाओ ।

श्री निहार रंजन लास्कर : हमने विशेष तौर पर कहा है- उड़ीसा राज्य के मामले में छठी योजना में प्रस्ताव किया गया है —हमने आदि वासी क्षेत्रों के लिए 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और गैर आदिवासी क्षेत्रों के लिए 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुझाव दिया है । क्षेत्रों का चयन राज्य सरकारें करेंगी, केन्द्र को क्षेत्रों का चयन नहीं करना है ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मंत्री महोदय ने बताया कि वर्ष 1980-81 के लिए उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की कोई योजना नहीं है । मैं समझता हूं यह एक ऐसा मामला है जिस पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए । 1980-81 में राज्य सरकार भी अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने जा रही हैं । आप कहते है, कि कोई योजना नहीं है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या उड़ीसा सरकार की ओर से वहां व्याप्त कठिनाइयों के कारण ऐसा कोई सुझाव आया है. क्या ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति दो हजार की जनसंख्या के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर वर्ती वर्षों में ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हैं और क्या वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सिद्धान्तों को परिवर्तित करें ?

श्री निहार रंजन लास्कर : 1980-81 में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री शिव प्रसाद साहू : अभी मंत्री जी ने आंकडा पेश किया है कि हर दो हजार की आबादी पर एक प्राईमरी हेल्थ सेंटर खोलेंगे । यह आंकड़ा कागज पर तो बहुत सुन्दर दिखता है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उडीसा में फूलबनी, भवानी, पटना, कोरापुट वगैरह के जो इलाके हैं और जहां सैकड़ों नहीं हजारों लोग मलेरिया तथा दूसरी बीमारियों से मरते हैं । वहां इतनी आबादी के पीछे एक केन्द्र नहीं खोला गया है । वहां बसने वाले कंदू जाति के तथा दूसरी जातियों के जो आदिवासी हैं उनकी दशा बहुत दयनीय है, दर्दनाक है । जंगली इलाकों में वहां रहने वाले जो भाई हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, प्लेटू के इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या आप कोई स्पेशल व्यवस्था करेंगे या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह वही बार-बार दोहराया गया प्रश्न है । इसका उत्तर वही वैसा ही है ।

खड़गपुर का रेलवे क्षेत्र

*255. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर (दक्षिण पूर्व रेलवे) के रेलवे क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफरशरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) खड़गपुर के रेलवे क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचनाएं हैं जिनमें 13,274 यूनिट आवासीय क्वार्टरों की एक पर्याप्त रूप से विकसित कालोनी है जिनमें जल और बिजली सप्लाई, सड़कों, बाजारों, अस्पतालों और शैक्षिक सुविधाओं (परवर्ती में रेलवे द्वारा प्रबंधित 29 और गैर-रेलवे द्वारा प्रबंधित 35 स्कूल शामिल हैं) का जालतंत्र शामिल है । पिछले 10 वर्षों के दौरान 378 यूनिट नये क्वार्टरों का निर्माण किया गया है । इसके अतिरिक्त, 56 नये क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया जा रहा है :-

1) जल सप्लाई बढ़ाना और पुरानी जल पाइप लाइनों का बदलाव ।

2) 800 क्वार्टरों में नलकों की व्यवस्था ।

3) 1000 क्वार्टरों में पंखों की व्यवस्था ।

4) नये क्वार्टरों का निर्माण ।

5) केन्द्रीय विद्यालय और कालेज शिक्षा की व्यवस्था । स्कूली सुविधाएं बढ़ाना ।

6) नालियों में सुधार ।

7) नये बाजार का विकास ।

8) 185 क्वार्टरों में सुधार ।

यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न रेलवे कालोनियों में (खड़गपुर सहित) मकानों में सुधार लाने/उन्हें बढ़ाने तथा अन्य सुविधाओं का विकास करना तथा उनकी मरम्मत और अनुरक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है । इस प्रकार धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनको बढ़ाया जाएगा, इनमें सुधार किया जाएगा और इन्हें विकसित किया जाएगा ।

श्री सत्य गोपाल मिश्र : खड़गपुर रेलवे क्षेत्र की जलनिकास व्यवस्था जितनी अच्छी होनी चाहिए, उतनी नहीं है । सार्वजनिक सड़क व्यवस्था की स्थिति भी वैसी ही है । मैं समझता हूं, खड़गपुर क्षेत्र में समुचित जलनिकासी और सार्वजनिक सड़क व्यवस्था की व्यापक योजना बनाने के लिए रेलवे अधिकारियों और स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों के बीच कुछ समन्वय होना चाहिए क्योंकि नालियों और सार्वजनिक सड़कों का पहला भाग रेलवे अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाएगा और इनका उत्तरवर्त्ती भाग नगरपालिका— अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाएगा । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार खड़गपुर रेलवे क्षेत्र में एक व्यापक नालियों की व्यवस्था तथा सार्वजनिक सड़क व्यवस्था कायम करने के लिए स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों से परामर्श करेगी ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : खड़गपुर एक रेलवे कालोनी है । खड़गपुर क्षेत्र में सारी सम्पत्ति कमीवेश रेलवे की है । मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस क्षेत्र का दौरा किया था । हमने एक साथ रेलवे अधिकारियों तथा नगरपालिका अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था । हमने सुझाव दिया था कि— क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक योजना होनी चाहिए । और इस बात की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए कि रेलवे किस चीज की देख भाल कर सकती है और नगरपालिका अधिकारी किन चीजों की जिम्मेदारी ले सकते है, उनका रख रखाव कर सकते हैं और देख भाल कर सकते हैं । मैं समझता हूं वे यही कहते हैं ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों को तेलगू भाषा का प्रयोग करना होता है । मैं जानना चाहता हूं कि तेलगू को एक माध्यम के रूप में कायम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वहां पहले से ही तेलगू भाषा का एक स्कूल है और वह अच्छा कार्य कर रहा है ।

आस्ट्रेलिया के उच्च आयुक्त की गोपनीय रिपोर्ट

*256. श्री चित्त बसु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के समाचार पत्रों में हाल में ही एक ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें भारत स्थित आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त द्वारा भारत सरकार के कार्यकरण के बारे में इस आशय की टिप्पणी की गई बताई गई है कि कुछ क्षेत्रों में यहां पर सैनिक शासन की संभावना व्यक्त की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) 6 नवम्बर, 1980 को एक आस्ट्रेलियाई दैनिक समाचार पत्र 'द एज' में स्वतंत्र पत्रकार श्री लोरी ओक्स का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें 3 अक्तूबर, 1980 को नई दिल्ली स्थित आस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त श्री गार्डन नोयल उपटोन द्वारा अपने विदेश कार्यालय को भेजी गई रिपोर्ट से उदाहरण दिए गए है, (जिनके बारे में श्री ओक्स को स्पष्टतया पता चल गया था) जिसमें श्री उपटोन ने प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा पदभार संभालने के बाद उनके काम के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां की थीं और सेना द्वारा उनकी सरकार का तख्ता उलट देने की संभावना को बात कही थी । राजनयिकों के लिए अपनी-अपनी सरकारों को उस देश की बर्तमान स्थिति के बारे में अपने विचारों के संबंध में लिखना एक सामान्य बात है, जहां वे प्रत्यायित हैं और इन विचारों को गोपनीय समझा जाता है । कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने आस्ट्रेलियाई विदेश कार्यालय के अधिकारियों मे सम्पर्क स्थापित किया है। उन्होंने 'द एज' के सम्पादक को यह बताने के लिए एक पत्र लिखा है कि श्री उपटोन का यह मूल्यांकन सही नहीं है । 17 नवम्बर, 1980 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय को केनबरा स्थित विदेश विभाग द्वारा सूचित किया गया कि आस्ट्रेलियाई सरकार भारत और आस्ट्रेलिया के संबंधों को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझती है और वह हाल ही की घटनाओं पर बड़ी चिंतित है । उसने इस लेख के कारण विशेषतौर पर श्रीमती इन्दिरागांधी को होने वाली परेशानी के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हुए एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है । इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्चायुक्त ने भारत की समस्याओं के बारे में, जैसा कि वह अनुभव करते हैं, अपनी वास्तविक चिंता प्रकट की है और आस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक सुनिश्चित रूप में संबंधों के विकसित होने की आकांक्षा व्यक्त की है । उन्होंने बताया है कि उसी पत्रकार ने इस चुराई हुई रिपोर्ट पर टीका करते हुए कहा था कि आस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त श्रीमती गांधी का समुचित सम्मान नहीं करते अथवा "उनके मन में उनके (श्रीमती गांधी) के प्रति सम्मान का अभाव है"। उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकार किसी और कार्रवाई की जरूरत नहीं समझती ।

श्री चित्त बसु : मंत्री महोदय के उत्तर से वह स्पष्ट है कि आस्ट्रेलियाई राजनयिक द्वारा इस तरह का मूल्यांकन किया गया है। इस उत्तर में उन्होंने कहा है :

"कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने आस्ट्रेलियाई विदेश कार्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया है। उन्होंने 'द एज' के सम्पादक को यह बताने के लिए एक पत्र लिखा है कि श्री उपटोन के मूल्यांकन सही नहीं है।"

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि हमारे देश की वास्तविक राजनीतिक स्थिति के बारे में आस्ट्रेलियाई जनता को अवगत कराने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं? क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि हमारे विदेश मंत्रालय का प्रचार विभाग विदेशों में संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है?

श्री पी०वी० नरसिंह राव : इस बात का प्रश्न से कोई वास्ता नहीं है। प्रश्न, उच्चायुक्त द्वारा भेजे गए कथित समाचार के सम्बन्ध में है। हमारे उच्चायुक्त ने आस्ट्रेलियाई विदेश विभाग से पूछा और उन्होंने कहा हां, यह सच है। केवल इसी सीमित प्रयोजन से हमारे उच्चायुक्त ने उनके विदेश विभाग से सम्पर्क स्थापित किया। जहां तक उस समाचारपत्र का, जिसमें यह बात प्रकाशित हुई थी, सम्बन्ध है, उसने यह कहते हुए एक प्रत्युत्तर भेजा कि आस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त पर जो आरोप लगाया गया था, वह गलत था। हमारे उच्चायुक्त ने अपने भेजे हुए विवरण का सारांश बताया।

सामान्य प्रचार के सम्बन्ध में, जो विदेशों में स्थित हमारे कार्यालय भारतीय सरकार और इसकी नीतियों और कार्यक्रमों से सम्बन्धित मामलों में करते हैं। मेरे पास काफी सामग्री है। हमारे विदेश स्थित अनेक कार्यालय अपने स्वयं के प्रकाशन निकालते हैं। माननीय सदस्यों को मैं सारा विवरण दे सकता हूं। वास्तव में अपने मंत्रालय की सलाहकार समिति में मैंने ये सभी विवरण दे दिए हैं। यदि सदस्यगण चाहते हैं तो मैं वे सभी विवरण, समाचार पत्रों आदि के नाम सदन के सभा पटल पर रख सकता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया नोट कर लीजिए, हम यही चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : क्या यह सच है कि भारत सरकार का वह तरीका, जिसमें वह आज कार्य कर रही है। शासक दल में बढ़ती हुई आंतरिक लड़ाई, जनता को दिए वायदों को पूरा न किया जाना और सत्ता का एकीकरण···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते जिसका इस प्रश्न से सम्बन्ध न हो।

श्री चित्त बसु : मुझे प्रश्न बनाने दीजिए। आप प्रश्न का पूर्वानुमान नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूर्वानुमान नहीं कर रहा हूं। जो कुछ आपने कहा है, मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री चित्त बसु : पहले आप वास्तविक प्रश्न को सुनिए और तत्पश्चात आप इस बात का निर्णय कीजिए कि यह प्रश्न से सम्बन्धित या उपयुक्त है अथवा नहीं। मेरी आपसे शिकायत यह है कि मेरे द्वारा प्रश्न बनाए जाने से पूर्व ही आप आपत्ति करना शुरू कर देते हैं·· (व्यवधान) क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि जिस तरीके से आज सरकार कार्य कर रही है, शासक दल में बढ़ती आंतरिक लड़ाई··।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न के साथ किस तरह सम्बन्ध है।

श्री चित्त बसु : वायदों को पूरा न करने के कारण और दमनकारी उपायों द्वारा सत्ता का समेकन और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में आम गिरावट, यह उत्पन्न कर सकती है··· (व्यवधान) इससे विदेशी उच्चाधिकारियों के दिमाग में एक धारणा पैदा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्री चित्त बसु : यदि स्थिति ऐसी है तो सरकार क्या सुधारात्मक उपाय कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती। मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चित्त बसु : श्री उपटोन ने एक मूल्यांकन किया और उससे अपनी सरकार को अवगत कराने का श्री उपटोन को अधिकार था। मेरी आशंका यह है कि जब तक सरकार प्रभावशाली तरीके से काम नहीं करती तो भारत में दूसरे राजनयिकों की भी वैसी ही धारणा हो सकती हैं। क्या यह सच नही है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री चित्त बसु : यह आप कैसे कह सकते हैं कि यह प्रश्न उठता ही नहीं। मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं कि आप इस निकर्ष पर कैसे पहुंचे कि मुख्य प्रश्न में से यह प्रश्न नहीं बनता।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री चित्त बसु : केवल यही टिप्पणी आपको करनी है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सारा विवाद उस बारे में है जिसका मंत्री महोदय ने इस देश में सैनिक शासन के एक संकेत के रूप में वर्णन किया है। मैं नहीं जानता कि ठीक-ठीक शब्द क्या हैं, क्योंकि उन्होंने "संकेत कर रहे" शब्द कहा था। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मुझे उस बारे में, ठीक-ठीक बताएं, जो कुछ उच्चायुक्त ने कहा।

मेरा विचार है कि सारा मामला चुपचाप कुट नीति से लिया गया होता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ही इस बात को भारतीय प्रेस की जानकारी दी कि इस तरह का एक समाचार एक अनजाने समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है और उसके बाद ही यह समाचार हमारे देश के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था और उससे यह विवाद पैदा हुआ। क्या यह और ज्यादा वेहतर नहीं रहा होता कि आप चुपचाप आस्ट्रेलियाई सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत करते। यदि आप भारत आट्रेलियाई सम्बन्धों को सर्वोच्च महत्व का समझते हैं, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के माध्यम से भारतीय प्रेस को जानकारी देने की इस प्रक्रिया की अपेक्षा क्या आस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा खेद प्रकट करना वेहतर नही होता ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है श्री अपटन ने कहा था :

"श्रीमती इंदिरा गांधी के अलावा कोई प्रभावी विकल्प न होने के कारण"

हुआ यह है कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह वेतुकी टिप्पणी हैं।

श्री पी० वी० नरसिह राव : यह कहा गया है : "श्रीमती इन्दिरा गांधी के अलावा कोई प्रभावी विकल्प न होने के कारण सेना द्वारा शासन की बाग डोर संभालने की संभावना पर कहीं-कहीं खुलेरूप से चर्चा की जा रही थी यद्यपि उन्होंने (श्री अपटन ने स्वयं) महसूस किया कि सेना नेतृत्व की वर्तमान पीढ़ी इसकी बडी विरोधी है। यह इस सन्दर्भ में था कि श्री अपटन ने यह मत व्यक्त करने का साहस किया कि इस संभावना का (अर्थात सेना द्वारा शासन की बाग डोर संभालने का) भविष्य में खण्डन नहीं किया जा सकता है।"

यह उनके कहने का ढंग है। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है उस पर कार्यवाही चुपचाप हो गई थी। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, हमारे उच्चायुक्त विदेश कार्य कार्यालय चुपचाप गए और उन्होंने शांतिपूर्वक पूछा कि क्या यह सही है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से रहस्योदघाटन होने के आधार पर है—रहस्योदघाटन सही हो सकता है। रहस्योदघाटन गलत हो सकता है। इसलिए समाचारपत्र में जो प्रकाशित हुआ है उसकी वास्तविकता की जांच करने से पूर्व कुछ भी कहना उचित नहीं है और न उचित होगा। उन्हें बताया गया था कि यह सही था। उसके बाद उन्होंने उसी प्रकार चुपचाप समाचार-पत्र को एक पत्र लिखा जिसमें उस पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट से इंकार किया गया। यहां यह बिल्कुल संभव है कि कुछ पत्रकारों ने हमारे सवांद दाता से पूछा था, इसलिए वे इसे छुपा नही सके थे। रास्ते से हट कर उनके जाने का कोई प्रश्न नहीं है। अन्यथा भी, मामले को स्पष्ट करना आवश्यक है जबकि ऐसी बात प्रकाशित हो चुकी है और विवाद का विषय बन चुका है। इस संबंध में मैं यह भी कह सकता हू कि आस्ट्रेलिया

में स्थानीय विवाद के परिणाम स्वरूप यह सब कुछ हुआ। हमें उसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है परन्तु मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि विवाद के संबंध में रिपोर्ट भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है। इसलिये यह सीधे रहस्योदघाटन अथवा उच्चायुक्त के प्रतिवेदन का परिणाम नहीं था अपितु उस देश के भीतर चल रहे विवाद का कभी इस पर प्रभाव था। इसलिए इस संदर्भ में इसके उल्लेख करने में हमारे संवाददाता की ओर से कोई गलती नहीं थी क्योंकि इसमें छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि इस कथित भेद खुल जाने के प्रकाशन के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इस सभा के एक माननीय सदस्य ने इस मूल्यांकन या भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का पूरा-समर्थन किया था। क्या यह सच है कि भारत में कुछ विदेशी राष्ट्रिक देश में कुछ प्रतिक्रियावादी तथा फासिस्ट तत्वों के साथ मिले हुये है और अस्थिरता पैदा करने में लगे हुये हैं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमान, इसका उत्तर मंत्री महोदय को देना पड़ेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : श्री वाजपेयी के वक्तव्य के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। वे उन सब बातों से सहमत है जो श्री उपटन ने कही हैं। इसलिये कोई भी अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता था। मुझे कुछ नहीं कहना है।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि श्री वाजपेयी ने उस मूल्यांकन के समर्थन में एक वक्तव्य जारी किया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने कहा कि श्री वाजपेयी रिपोर्ट के विषय से स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट के सारे विषय से सहमत हो चुके है। कोई भी अपना निष्कर्ष निकाल सकता था।

श्री चन्द्रजीत यादव : किसी भी प्रकार से यह संतोष की बात है कि आस्ट्रेलिया की सरकार ने खेद व्यक्त किया है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय भी यह बात कहने में सही थे कि कोई संवाद दाता राजनयिक अपने अधिकार से अपना मूल्यांकन भेज सकता है। परन्तु गम्भीर बात यह है। कि वहां यह रिपोर्ट किस प्रकार प्रकाशित हो गई, एक राजनयिक की रिपोर्ट का पता कैसे लगा। यह कैसे संभव है? क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए आस्ट्रेलिया सरकार के साथ मामले पर कार्यवाही की कि क्या वे इस बात की जांच

करेंगे कि क्या आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय में किसी की ओर से भारत की छवि बिगाड़ने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट के उद्घाटन का जान बूझ कर कोई प्रयास किया गया था ।

दूसरी बात यह है, मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने रिपोर्ट का वह भाग पढ़ने के बाद यह कहा है: मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की राष्ट्रीय आन्दोलन की एक लम्बी परम्परा है जिसको इस सारी अवधि में जनता का सहयोग प्राप्त रहा है। मै यह कह सकता हूं कि सभी कठनाइयों के बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र की जड़े मजबूत हो रही हैं और इसलिए किसी प्रकार के सैनिक शासन का खतरा नहीं है । मंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिए था कि उन्हे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे खेद है कि इसकी गलत व्याख्या की गई है । मैं श्री अपटन का उत्तर नहीं दे रहा था । मैंने केवल उदाहरण के रूप में वह कहा जो उन्होंने लिखा है क्योंकि माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि उस विशेष मामले के संबंध में क्या लिखा था मैंने ठीक वही कहा है जो उदाहरण के बीच लिखा था यदि यह उन्हें उत्तर देने का प्रश्न है तो मैं निश्चय ही उन्हें एक-एक बात का उत्तर दे सकता है । मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे उच्चायुक्त ने पहले ही उत्तर दे दिए हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपके उच्चायुक्त ने ऐसा किया है, परन्तु आप तो राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत में प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि यह श्री अपटन के कथन पर टिप्पणी करने का सवाल है तो मैं इसका खण्डन करता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह गलत सूचना, गलत गणना और गलत आंकलन पर आधारित था । वास्तव में ऐसा ही है, परन्तु बात यह है कि प्रश्न किसी और से संबंधित है मैंने पूछे गए प्रश्न तक ही अपने आपको सीमित रखा है ।

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए प्रश्न का जहां तक संबंध है, इसी प्रश्न पर हमारे उच्चायुक्त ने दोबारा पूछताछ की और उन्हें सुनिश्चित तौर पर बताया गया कि यह रहस्योदघाटन जानबूझ कर नहीं किया गया और उनका विदेश कार्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं है ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि जो रिपोर्ट आस्ट्रेलियन एम्बैसेडर ने भेजी है, जिस आधार पर उन्होंने असेस्मेंट किया है उसके बारे में क्या सरकार के प्रतिनिधि ने उनसे बातचीत की है ? क्या यह बात सच है कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश में एप्वाइन्ट न होने के कारण शायद —।

अध्यक्ष महोदय : मि० घोष ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मेरी पहली बात का जवाब भी नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं कुछ भी नहीं है। मि० घोष ।

श्री निरेन घोष : आपने कहा कि पूछ-ताछ करने पर आपको बताया गया कि आस्ट्रेलियन सरकार ने बताया है कि यह रहस्योद्घाटन जानबूझ कर नहीं किया गया है । क्या आप इस उत्तर से सन्तुष्ट हैं ? यह कैसे हो सकता है ? क्या आस्ट्रेलियन सरकार ने इस विषय में कोई जाँच की है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उन्होंने पहले ही जबाब दे दिया है ।

श्री निरेन घोष : क्या आपका विचार है कि इस विशाल बहुराष्ट्रीय देश में सेना सरकार पर कब्जा कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर वे पहले ही दे चुके हैं ।

श्री जमीलुर्रहमान : स्पीकर साहब आपने मुझे सप्लीमेंटरी पूछने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं ?

अखबारों में यह बात बार-बार आ चुकी है कि हमारे देश के राज दूसरे मुल्कों में जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज तो नहीं है ।

श्री जमीलुर्रहमान : यह मामला बहुत अहम है । यह हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है । तो मैं आपकी मार्फत यह अर्ज कर रहा था कि हमारे मुल्क के बारे में यह बात जानते हुए कि भारतीय लोगों के बहुमत ने श्रीमती गाँधी को वोट देकर उनमें विश्वास व्यक्त किया है । (व्यवधान)

यह मामला बहुत अहम है । बहुत से बाहरी एजेन्ट हमारे मुल्क में डी-स्टैबिलाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं । इसलिए मैं बहुत साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो हमारे मुल्क के मामले में मदाखलत करते हैं, इसको मैं अपने मुल्क में अन्दरूनी मदाखलत समझता हूं, क्या ऐसे लोगों को नान-ग्रेटा डिक्लेयर करके वापिस भेजा जाएगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

रेलवे अधिनियम का संशोधन

*258. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिनियम, 1980 में आमूल-चूल संशोधन करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका कोई पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ग) सरकार का सदन में तथा कानून कब पेश करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय रेल अधिनियम को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से उसमें संशोधन किया जा रहा है ।

(ग) वर्तमान भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन के लिए समीक्षा पूरी होते ही रेलवे बिल का मसौदा संसद् में पेश कर दिया जायेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको शिष्टाचार के लिए धन्यवाद देता हूं। इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि 'भारतीय रेल अधिनियम का, आज की स्थिति के सन्दर्भ में लाने के लिए, संशोधन किया जा रहा है ।'

आज 90 साल हो गए हैं उस एक्ट को···।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद आप उनका कर रहे हैं या मेरा कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्डियनरेलवेज एक्ट को रिवाइज करने का इरादा कब शुरू हुआ ? रेलवे ने उसका ड्राफ्ट बिल तो बना दिया, उसे ला-मिनिस्ट्री में कब भेजा गया और आप उसे सदन में कब रखने वाले हैं या आपका इरादा ऐसा ही है ? कदम बढ़ नहीं रहे हैं, कदम रुके क्यों हुए हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, हम भी इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता समझते हैं और इस मामले में जो ड्राफ्ट है, वह ला-मिनिस्ट्री और कैबिनेट को समरी के साथ व होम मिनिस्ट्री को भी भेज दिया जायेगा और इसमें परिवर्तन अवश्य होकर रहेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । संशोधन करने का काम कब शुरू किया है व कितने साल आपको लग गए हैं और आपने कौन सी तारीख को ला-मिनिस्ट्री को भेजा है और उसकी एप्रुवल कब आई और इसको आप से कब सदन में पेश करने के लिए कहा गया ?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष जी, हम सदन में पहले ही बता चुके हैं कि ड्राफ्ट बिल तैयारी में है और जैसे ही वह तैयार होगा···।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पूछना चाहता हूं कि कब शुरू किया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : शुरू और अन्त करने की बात अलग है, एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए, वह हो जायेगा ।···(व्यवधान)···।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अपने जबाव में कहा है कि रेलवे अधिनियम, 1890 में आमूलचूल संशोधन की आवश्यकता है और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से संशोधन किया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कौन-कौन से मूद्दे हैं बुनियादी परिवर्तन करने के लिए जिन में आप परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

श्री केदार पांडे : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही सवाल में कह दिया था कि इन्डियन रेलवे एक्ट 1890 में संशोधन की जरूरत है और इस में बहुत सी कार्यवाही हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह अगले बजट सैशन में आ सकता है। उसमें हमारे उद्देश्य हैं :

1. व्यवस्थाओं को अधिक युक्तिसंगत और सुबोधगम्य बनाना ;
2. परिवर्तन करना—जो परिवर्तित स्थितियों और नीतियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हैं ;
3. न्यायिक निर्णयों के कारण उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करना ;
4. ऐसे भागों को हटाना जो अप्रयुक्त अथवा अनावश्यक हो गए हैं ;
5. जहां संभव हों प्रणालियों को आसान बनाना और गति प्रदान करना ; और
6. जहां आवश्यक हों, महत्वपूर्ण परिवर्तन करना जो रेल की कार्य-प्रणाली को दक्ष बनाने में मदद देंगे।

इस तरह से बहुत से उद्देश्य हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जब भारत गुलाम था, उस वक्त का यह एक्ट है, इतने साल इसको हो गये हैं। हम यह जरूर महसूस करते हैं कि इसमें परिवर्तन और सुधार की जरूरत है और शीघ्र करेंगे।

— ———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दक्षिण पूर्व रेलवे को वैगन दिया जाना

*245. श्री हरिहर सोरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास अपने वैगनों के बेड़े में मार्च, 1981 तक 11,500 अतिरिक्त वैगन शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे, विशेषकर बांसपानी रेलवे को कुछ अधिक वैगन देने का प्रस्ताव है ताकि वहां बड़ी मात्रा में जमा हो गए लौह अयस्क, मैंगनीज तथा अन्य खनिजों की ढुलाई में तेजी लाई जा सके ; और

(ग) किस माह अथवा तारीख तक इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) 1980-81 के अन्तिम बजट में यह व्यवस्था की गयी है कि इस वर्ष चौपहियों के हिसाब से 13,000 माल-डिब्बे खरीदे जायें।

(ख) और (ग) इस समय दक्षिण-पूर्व रेलवे को आबंटित किये गये माल-डिब्बों की चौपहियों के हिसाब से संख्या 92937 है, जिससे कि वह रेलवे बांसपानी से लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और अन्य खनिज पदार्थों सहित माल यातायात की ढुलाई संबंधी अपनी वचनबद्धताओं को पूरा कर सके। माल-डिब्बा बेड़े में वृद्धि होने के साथ-साथ, दक्षिण-पूर्व रेलवे तथा अन्य क्षेत्रीय रेलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, दक्षिण-पूर्व रेलवे को भी माल-डिब्बे आबंटित किए जायेंगे। चालू वित्त वर्ष के दौरान, बांसपानी से लौह-अयस्क का लदान संतोषजनक रहा है। प्रतिदिन औसतन 794 माल-डिब्बों में लौह अयस्क का लदान हुआ जबकि मांग प्रतिदिन 629 माल-डिब्बों के लिए की गयी थी। मैंगनीज अयस्क के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अप्रैल से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान 5200 माल-डिब्बों (चौपहियों) में लदान किया गया और अक्तूबर, 1980 के अन्त में केवल 400 मांग-पत्र बकाया थे।

भारतीय मालवाहक जहाज वृन्दा-3

*247. **श्री तारीक अनवर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1980 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय मालवाहक जहाज 'वृन्दा-३' अब कबाड़ बनकर रह गया है और इसके अधिकतर पुर्जे चुरा लिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस जहाज की कीमत क्या थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार को इस समाचार के प्रकाशित होने की जानकारी है।

वृन्द-3 मलाबार पहाड़ियों से दूर पश्चिमी तट पर 23 जुलाई, 1978 को जमीन में लग गया था। इसके मालिक बम्बई मैरीन इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रायवेट लिमिटेड ने इसे समुद्र में ही छाड़ दिया है। खुले में पड़े रहने और इस्तेमाल न किए जाने के कारण इसमें जंग लग गई और यह बेकार हो गया है। पता लगा है कि इसके मालिक और पुलिस ने इस पर चौकसी रखी है। यह भी पता चला है कि इसके मलिकों ने पुलिस में इसके किसी भी भाग के चोरी हो जाने की कोई शिकायत नहीं दर्ज की है। इस जहाज की लागत 25.46 लाख रुपये बताई जाती है।

ईरान और इराक से देश प्रत्यावर्तित भारतीयों का पुनर्वास

*248. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान-इराक युद्ध के परिणाम-स्वरूप मध्य पूर्व से 31 अक्तूबर, 1980 तक कितने भारतीयों को वापिस लौटाना पड़ा ;

(ख) क्या सरकार की भारत में उनके पुनर्वास की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इनके लिए कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) बताया जाता है कि 31 अक्तूबर, 1980 तक करीब 10,000 भारतीय भारत लौट आए हैं ।

(ख) और (ग) इनमें से अधिकांश लोग या तो निजी अथवा सरकारी क्षेत्र के विभिन्न भारतीय उद्यमों में काम करने वाले लोग हैं अथवा विदेशी निर्माण कम्पनियों में काम करने वाले लोग । इनमें से अधिकांश को यह उम्मीद है कि लड़ाई खत्म हो जाने पर ये लोग अपने काम पर लौट आएंगे ।

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए केन्द्रीय सहायता

*250. **श्री राम लाल राही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान की राज्य में स्थापना करने का निर्णय किया है उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है ।

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार को यह सलाह देने का विचार है कि संस्थान के लिए जमीन आदि की उपलब्धता को देखते हुये इसकी स्थापना सीतापुर में की जानी चाहिए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने के लिए वित्तीय सहायता के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीयों का श्रीलंका से पुनः आव्रजन

*254. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका में भारत मूल के हजारों लोगों को नियोजकों तथा श्रीलंका के बैंकों द्वारा अपनी बचत राशियों के न्यायपूर्ण ढंग से भारत में भेजने से वंचित किया जा रहा है, जो भारत में उनके वापस आने में एक रुकावट है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में उनके पुनः आव्रजन से पूर्व उनकी बचत तथा आस्तियों को उन्हें दिलाने में सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत प्रत्यावर्तन की प्रतीक्षा करने वाले लोगों को आम तौर से भविष्य निधि, उपदान आदि की अदायगी में विलम्ब की बजह से मजबूरन श्रीलंका में ही रुकना पड़ता है। सरकार ने यह मामला कोलम्बो स्थित अपने उच्चायोग की मार्फत, श्रीलंका के अधिकारियों के साथ उठाया है जिन्होंने हमें इस मामले में समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

अपने प्रत्यावर्तन के समय भारतीय नागरिक अधिक से अधिक 75,000 श्रीलंका के रुपये भारत के लिए स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरणीय आस्तियों का मूल्य भारतीय रुपयों में आंकते समय श्रीलंका की सरकार उसमें 65 प्रतिशत जोड़ देती है। श्रीलंका के 75,000 रुपए की इस रकम से ऊपर की आस्तियों को, जिन्हें श्रीलंका से रवाना होने के समय स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, वहीं के बैंकों में निरुद्ध खातों में जमा करा दिया जाता है। जिन मामलों में श्रीलंका विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिकारियों ने ऐसी सारी आस्तियों के अन्तरण की अनुमति नहीं दी है उनमें भारतीय उच्चायोग प्रत्यावर्तितों की सभी निधियों को इन निरुद्ध खातों से अन्तरित कराने के लिए मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठा कर उनकी सहायता करते हैं। 1978 में, श्रीलंका सरकार ने व्यक्तिगत निरुद्ध खातों से 1,00,000 श्रीलंका रुपयों तक भारत भेजने की अनुमति दे दी थी। सेन्ट्रल बैंक आफ, सीलोन ने घोषणा की थी कि ऐसे निरुद्ध खातों में से अधिकतम श्रीलंका एक लाख रुपयों तक सेन्ट्रल बैंक की पूर्वानुमति के बिना ही प्राधिकृत व्यापारियों की मार्फत भारत भेजने की अनुमति होगी। उच्चायोग ने इस रियायत के बारे में अब भारत में रह रहे उन सभी निरुद्ध खाताधारियों को सूचित कर दिया था जिनके नाम और विवरण उसके पास उपलब्ध थे। उन तीन भारतीय बैंकों से भी श्रीलंका सरकार के इस निर्णय के बारे में भारत में रहने वाले खाताधारियों को सूचित करने के लिये कहा गया था जिनमें ऐसे अधिकांश निरुद्ध खाते हैं।

पालघाट डिवीजन में रद्द रेल गाडियां

*257. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालघाट डिवीजन में बार-बार और बिना किसी पूर्व-सूचना के रेल गाडियां रद्द कर दी जाती हैं, जिससे यात्रा करने वाली जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितनी रेल गाडियां रद्द की गई हैं और उनमें से कितनी रेल गाडियां पुनः चला दी गई हैं, और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जःफरशरीफ) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान, पालघाट मंडल सहित दक्षिण रेलवे पर, कोयले की अस्थायी कमी और अन्य परिचालनिक कारणों से, कुछ सवारी गाड़ियां समय-समय पर रद्द करनी पड़ीं।

(ख) नवम्बर, 1979 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान, कोयले की कमी तथा अन्य कारणों से पालघाट मंडल पर रद्द की गयी सवारीगाड़ियों की संख्या दिन-प्रतिदिन अलग-अलग थी और किसी एक दिन यह संख्या अधिक से अधिक 29 थी। 29.11.1980 को 18 गाड़ियां रद्द थीं।

(ग) दक्षिण रेलवे पर अब कोयला इकट्ठा कर लिया गया है। 30.11.1980 को रेलवे के पास लगभग 4 दिन के लिए कोयले का भंडार था।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा घटिया स्तर के पूर्जों की खरीद

*259. **श्री आर० वाई० धोरपाडे** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के लिए 1977-78, 1978-79, और 1979-80 के दौरान खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जों की कुल राशि कितनी है और इनमें से प्रत्येक वर्ष में त्रुटिपूर्ण और घटिया स्तर के पुर्जों पर कितनी राशि व्यय की गयी ;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसें टूट-फूट गयीं और कितनी बसों को परिचलन से हटा लिया गया और खराब पुर्जों के कारण दिल्ली परिवहन निगम को कितने राजस्व की हानि हुई ; और

(ग) क्या पुर्जों की किस्म का पता लगाने के लिए तथा आगे रोकथाम के उपाय करने के लिए कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम द्वारा खरीदे गये स्पेयर पुर्जों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च हुई, इस सम्बन्ध में ब्यौरा इस प्रकार है :

1977-78	354.72 लाख रुपये
1978-79	330.73 लाख रुपये
1997-80	381.45 लाख रुपये

इनमें से जो पुर्जे मियाद से पहले खराब हो गए उनकी अनुमानित लागत इनकी कार्यशीलता के आधार पर निम्नलिखित है :—

1977-78	3.11 लाख रुपए
1978-79	3.65 लाख रुपये
1979-80	5.65 लाख रुपये

(ख) निम्नकोटि के पुर्जों के प्रयोग के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान बसें कितनी बार खराब हुई और कितनी बसें हटा ली गई, इनका अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है। इसी प्रकार, दिल्ली परिवहन निगम को इस कारण जो राजस्व की हानि हुई उसका अनुमान लगाना संभव नहीं।

(ग) बसों की विफलता के संबंध में किए गए विभागीय जांच अध्ययन से पता चला है कि खराब किस्म के पुर्जे होने के कारण, पुर्जे समय से पहले बेकार हो गए। यह स्पेयर पुर्जे थे आयल सील, बेयरिंग, फेन बेल्ट, क्लच प्लेट तथा क्लच के पुर्जे इत्यादि, सामग्री की किस्म की जांच के लिए, निर्माताओं/ सप्लाई कर्ताओं से प्राप्त सैंपलों की प्रयोगशाला में आकस्मिक जांच करवाने की पद्धति प्रारंभ की गई है, यदि ये सैंपल चेसिस निर्माताओं/राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के सधों द्वारा निर्धारित की गई विशिष्टियों के अनुकूल नहीं पाए जाते तो ऐसी सामग्री की आगे की खरीद रोक दी जाती है। सामग्री की प्रारम्भिक जांच को भी कड़ा कर दिया गया है जिससे कि निम्नकोटि की सामग्री के स्वीकार किए जाने का मौका ही न आने पाए। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि खरीद केवल जाने माने एवं विश्वसनीय स्रोतों से ही की जाय।

परादीप पत्तन में दूसरा सामान्य माल घाट

*260. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री के० प्रधानी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री परादीप पत्तन में दूसरा सामान्य माल घाट के बारे में 13 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 391 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ निर्माण सामग्री के अभाव के कारण परादीप पत्तन में दूसरे सामान्य माल घाट का निर्माण आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन सी सामग्री उपलब्ध नहीं है, और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या निर्माण कार्य में इस विलम्ब के कारण 1982 तक कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख आगे बढ़ायी जाएगी और निर्माण लागत में और वृद्धि हो जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री : (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। काम हो रहा है लेकिन इस रूप में प्रगति होने में अच्छी किस्म के इस्पात और सीमेंट की सप्लाई कम होने के कारण कुछ रुकावट हुई है। उक्त निर्माण सामग्री प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) जी. नहीं।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा और प्राइवेट बसें लगाया जाना

*261 **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री के० ए० राजन : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो विशेषज्ञ दलों की विपरीत सिफारिशों के बावजूद दिल्ली परिवहन निगम की योजना और प्राइवेट बसें लगाने की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कितनी बसें लगायी जा रही हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 1977 में जो जांच समिति नियुक्त की गई थी और जिसके अध्यक्ष श्री श्याम चरण गुप्त थे उसने और टाटा परामर्शी सेवा ने अपनी रिपोर्ट में अन्य सुझावों के अलावा यह सुझाव भी दिया था कि प्राइवेट आपरेटरों द्वारा चलाई जाने वाली बसों की प्रथा को निश्चित कार्यक्रम बनाकर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इन्हे तत्काल या अचानक बन्द कर देने का सुझाव नहीं दिया गया था। इस समय 551 बसें प्रायवेट आपरेटरों की हैं और इनकी संख्या में 250 की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें 50 बसें ऐसी होगी जो पुरानी चल रही बसों के स्थान पर चलाई जायेंगी जिनकी अधिकतम संख्या सरकार ने 1000 अनुमोदित कर रखी है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के ड्राइवर

*262 **श्री एच० एन० नन्जेगौडा :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों के ड्राइवर बसों को स्टापों पर नहीं रोकते हैं बल्कि उसे बस स्टाप के आगे-पीछे रोकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बस ड्राइवरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस तरह की शिकायतें दिल्ली परिवहन निगम को और सरकार को भी मिली है।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिये गये हैं कि भारी यातायात वाले बस स्टापों पर पुलिस और यातायात पर्यवेक्षी कर्मचारियों को तैनात करने के लिए उचित प्रबन्ध करें। इसके अतिरिक्त निश्चित शिकायतें प्राप्त होने और अचानक जांच करने पर दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है।

देश में जनसंख्या पर नियंत्रण रखने संबंधी नीति

*263. **श्री जो० वाई० कृष्णन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की जनसंख्या को नियंत्रण में रखने संबंधी नीति क्या है और पिछली सरकार की नीति से इसमें क्या भिन्नता है ; और

(ख) क्या सरकार परिवार-कल्याण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई अनुभव कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार की नीति है कि प्रेरणा और शिक्षा के माध्यम से इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए लोगों की स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा परिवार नियोजन की सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने तथा स्वैच्छिक आधार पर इन सेवाओं को अपनाने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए । पिछली सरकार ने गलत प्रचार करके इस कार्यक्रम को बड़ा धक्का पहुंचाया और इस कार्यक्रम को सही दिशा निर्देश नहीं दिए ।

(ख) सरकार के सामने सबसे बड़ी कठनाई यह है कि पिछली सरकार ने प्रतिकूल, गलत प्रचार करके लोगों के मन में इस कार्यक्रम के बारे में भ्रान्तियां और गलतफहमियां पैदा कीं । इससे इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता को जो नुकसान पहुंचा है उसे पूरा करने के लिए फिर से प्रयास किये जानें हैं । वर्तमान सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाये हैं और यह कहा जा सकता है कि अब लोगों के मन में भ्रांतियां और गलतफहमियां काफी कम हो गई हैं और इस कार्यक्रम में प्रगति शुरू हो गई है ।

मंडपम और पम्बन के बीच पुल

*264. **श्री रामविलास पासवान** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामेश्वरम के निकट मंडपम और पम्बन के बीच पुल का निर्माण कब से चल रहा है;

(ख) पुल कब तक तैयार हो जायेगा ;

(ग) इस पुल पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) पुल पर निर्माण कार्य रोक दिये जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 17-11-1974 से ।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने जिसकी देखरेख में इस परियोजना पर निर्माण कार्य हो रहा है, बता है कि यह पुल जिस तारीख से बनना शुरू हुआ था, उस तारीख से लगभग चार साल की अवधि में बनकर तैयार हो जाएगा ।

(ग) आरम्भ में, 1972 में पुल और पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए 532.87 लाख रु० का एक अनुमान स्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार ने पुल और पहुंच मार्गों के टेंडर में स्वीकृत मूल लागत और कुछ अन्य तबदीलियों को ध्यान में रखते हुए 815.83 लाख रु० का एक संशोधित अनुमान सितम्बर 1978 में भेजा था। मंत्रालय में इस अनुमान की जांच की गयी और उसमें कुछ त्रुटियां पाई गयीं। इसलिए यह अनुमान राज्य सरकार को वापस लौटा दिया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे इस अनुमान में आवश्यक संशोधन करके मंत्रालय को भिजवाएं। लेकिन, अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने हाल ही में बताया है कि पुल के निर्माण पर उपरोक्त पिछली बार के संशोधित अनुमान से लगभग 300 लाख रु० अधिक खर्च होंगे। जब इसकी लागत का ब्यौरेवार अनुमान मंत्रालय में प्राप्त हो जाएगा, तब भारत सरकार इसकी जांच करेगी।

(घ) करार की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों ने सारा काम 16.11.1978 को पूरा कर देना था। लेकिन काम इतनी धीमी गति से हुआ कि 16.11.1978 तक सिर्फ 32% काम पूरा हुआ। बाद में यह खबर दी गयी कि भंबन क्षेत्र में 24.11.1978 को एक तूफान आया था जिससे ठेकेदारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और कुछ अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। ठेकेदारों ने अब दावा किया है कि उक्त तूफान के कारण उन्हें जो क्षति पहुंची, उसका उन्हें मूल लागत के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और जो काम बाकी बचा है, उसे पूरा करने के लिए उन्हें बढ़ी हुई मौजूदा दरों के हिसाब से भुगतान किया जाए। राज्य सरकार इनके दावों की जांच कर रही है। राज्य सरकार पर बराबर जोर दिया जा रहा है कि वह बाकी बचे काम को शीघ्र पूरा कराने के लिए व्यवस्था करें।

रेल विद्युतीकरण कार्यक्रम

*144. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत, रेल विभाग का विचार अगले पांच वर्षों में 5000 से 10,000 कि० मी० तक अतिरिक्त रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त परियोजना पर काम कब आरम्भ होने की संभावना है ; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) रेलें अपने अधिक घनत्व वाले मार्गों के बिजलीकरण की गति बढ़ाने के बारे में विचार कर रही हैं। अनन्तिम योजनाओं के अनुसार रेलें छठी योजना (1980-85) में लगभग 2900 किलोमीटर में बिजली की व्यवस्था करने और सातवीं योजना में पूरा करने के लिए अन्य

3200 किलोमीटर में काम शुरू करने के बारे में विचार कर रही हैं। इस पर अनुमानत: 450 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। बहरहाल, वास्तव में कितने किलोमीटर में बिजली लगेगी, यह छठी योजना अवधि में धन के आवंटन और योजना आयोग द्वारा इसके अनुमोदन पर निर्भर करता है।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे द्वारा नियुक्त नैमित्तिक श्रमिक

2393. **श्री एन० के० इजवलकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा उक्त रेलवे जोन के सबसे बड़े माल-टर्मिनल स्थल शालीमार पर माल और पार्सलों की ढुलाई की विभागीय व्यवस्था के अधीन सीधे भर्ती किए गए स्थायी नैमित्तिक श्रमिकों ने जून, 1980 के तीसरे सप्ताह के दौरान हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या थे ;

(ग) हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं आदि से लदे हुए तथा आने वाले कुल कितने ाल-डिब्बे माल तथा 'बयू० टी० एस०' और 'स्माल्स' सामान चढ़ाने के लिए कितने खाली डिब्बे अवरुद्ध हो गए तथा रेलवे को कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत रेलवे पर्यवेक्षण कर्मचारियों की मिली भगत से कतिपय सरदारों द्वारा अवांछनीय भुगतान प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन का काम करने वाले श्रमिकों के नियुक्ति सम्बन्धी आंकड़ों में हेरा फेरी की जा रही थी/है ; और

(ङ) यदि हां, तो श्रमिकों को सरदारों के माध्यम से भुगतान करने की बजाय उन्हें नियमानुसार सीधे ही अलग-अलग भुगतान क्यों नहीं किया जाता ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) शालीमार में सम्हलाई के काम की व्यवस्था भूतपूर्व श्रमिक सरदारों के माध्यम से दिहाड़ी पर श्रमिकों की नियुक्ति करके की जा रही है। दिहाड़ी पर काम करने वाले इन श्रमिकों ने 19.6.1980 को यह मांग करते हुए हड़ताल कर दी थी कि सरदारों से सप्लाई किये गये श्रमिकों के नाम वाले मीमो लेने की बजाय उनकी हाजरी का रजिस्टर माल गोदाम के पर्यवेक्षकों के पास रहने की व्यवस्था ही जारी रखी जाये। सरदारों को एक बैठक में बुलाया गया था और स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी। 20.6.1980 की सुबह से काम फिर शुरू हो गया था।

(ग) कुल 337 माल-डिब्बे लगाये गये थे। हड़ताल के कारण रुके टी० आर० यानों की संख्या 76 थी और इस प्रकार 76 माल डिब्बा दिनों की हानि हुई थी।

(घ) और (ङ) सरदारों से श्रमिकों की मांग दिन-प्रतिदिन के काम की मात्रा के आधार पर की जाती है। अवांछनीय भुगतान के लिए कोई हेरा-फेरी नहीं की जाती। एक टेंडरदाता द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के कारण सम्हलाई ठेकेदार की

नियुक्ति में विलम्ब की प्रत्याशा को देखते हुए ही सरदारों के माध्यम से दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों की नियुक्ति करने का विनिश्चय किया गया था।

किशनगढ़ स्टेशन पर लिंक-एक्सप्रैस का रुकना

2394. **आचार्य भगवान देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर 'लिंक-एक्सप्रैस' का 'स्टापेज' बनाने सम्बन्धी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार का विचार किशनगढ़ पर इस गाड़ी का 'स्टापेज' बनाने का है, क्योंकि अलवर पर 'लिंक-एक्सप्रैस' का स्टाप बनाया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जब कभी 501/502 पिंक सिटी एक्सप्रैस के साथ मिलाकर अजमेर और जयपुर के बीच प्रस्तावित लिंक एक्सप्रैस चलायी जायेगी, तो जयपुर और अजमेर के बीच उसके बिना रुके चलने की सम्भावना है क्योंकि प्रधानत: यह गाड़ी दिल्ली-जयपुर और अजमेर के बीच के यात्रियों के लिए होगी। इस लिंक एक्सप्रैस को किशनगढ़ तथा अन्य स्टेशनों पर ठहराने की व्यवस्था करने की मांग की गई है, लेकिन अन्तर नगरीय थ्रू यात्रियों के व्यापक हित में इसकी व्यवस्था करना वांछनीय नहीं समझा जाता है।

हजीरा में शिपयार्ड

2395. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में सूरत के समीप हजीरा में एक शिपयार्ड की स्थापना करने का निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि निर्माण कार्य में वहां किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या बाधाएं हैं और कार्य में कब तक प्रगति शुरू हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होते।

नकली औषधियों का इस्तेमाल, उत्पादन और वितरण

2396. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत में नकली औषधियों के उत्पादन और वितरण के खिलाफ 1979-80 के दौरान क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नकली औषधियों के इस्तेमाल से कितने लोगों की मृत्यु हुई ; और

(ग) कितने औषधि-विक्रेताओं, डाक्टरों और औषधि-निर्माताओं के खिलाफ मुकदमें दायर किए गए थे और कितनों को एक वर्ष से अधिक कैद की सजा मिली ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई-गोवा लाईन पर जहाजों के किराये में वृद्धि करने का प्रस्ताव

2397. **श्री बाबूसाहिब परुलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई-गोवा लाइन पर 'मुगल-लाइन' द्वारा चलाए जा रहे जहाजों का किराया बढ़ाने का है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या गत पांच वर्षों में किराये में कोई वृद्धि की गई थी और यदि हां, तो वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संचालकों ने कुछ यात्रियों को जहाज में चढ़ने के उपरान्त फालतू किराए की रसीदें जारी की थीं और क्या 'मुगल-लाइन' ने यह धनराशि अब तक हिसाब में जमा नहीं करवाई है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार बम्बई गोवा लाईन पर 'मुगल लाईन' ने फालतू-किराया रसीदों के माध्यम से कुल कितनी धनराशि प्राप्त की ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बम्बई और गोआ के बीच कोंकण पैसेंजर सर्विस में भाड़े में वृद्धि करने के बारे में मुगल लाइन लिमिटेड के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) प्रथम श्रेणी के भाड़े में फरवरी, 1978 से 4.88% की कुछ थोड़ी वृद्धि की गई है ।

(ग) जी हां । इस प्रकार जो भी धनराशि वसूल हुई है वह कम्पनी के खाते में चढ़ायी गई है ।

(घ)	1977-78	—	87,681.05 रुपये
	1978-79	—	1,29,260.60 रुपये
	1979-80	—	1,01,498.10 रुपये

एयरकंडीशन कोच इनचार्ज

2398. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो रेल कर्मचारी 'एयर कंडीशन कोच इनचार्ज' के रूप में काम करते हैं उनके वेतन-मानों को नहीं बढ़ाया गया है जबकि उसी संवर्ग में अन्य पदों का दर्जा बढ़ाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह असंगति कब दूर किए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किये जाने के कारण वेतन-मानों में उत्पन्न विसंगतियों पर विचार करने के लिए गठित विसंगति समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा वातानुकूलयान परिचर (वातानुकूल यान इन्चार्ज पद जैसी कोई कोटि नहीं है) के संशोधित वेतन-मान में सुधार करके 200-250 रुपये से 210-270 रुपये कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रोलिंग-स्टाक, व्हील, एक्सल तथा टायरों की खरीद

2399. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में रोलिंग स्टाक के लिए वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 (30 सितम्बर, 1980 तक) के दौरान (एक) व्हीलों, (दो) एक्सलों और तीन टायरों की पृथक-पृथक, भारत में तथा विदेशों से कितनी मात्रा में खरीद की गई ;

(ख) इनकी खरीद किन-किन पार्टियों से की गई और प्रत्येक मामले में कितनी मात्रा में और किन मूल्यों पर खरीद की गई ;

(ग) क्या इनकी खरीद रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए विश्वव्यापी टेंडरों के आधार पर की गयी थीं अथवा बातचीत के माध्यम से ; और

(घ) इन वस्तुओं की चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में देश में तथा विदेशों से कितनी मात्रा में खरीद किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) जितने पहियों, टायरों और धुरों की खरीद की गयी/किये जाने की संभावना है :

वर्ष	भारत में			विदेश में		
	पहिया	टायर	धुरे	पहिया	टायर	धुरे
1978-79	10,755	18,924	11,192	11,533	32,546	3,781
1979-80	9,604	19,814	8,729	42,056	73,485	18,437
1980-81 (30 सितम्बर 1980 तक)	3,317	7,189	4,108	13,516	23,360	11,964
चालू वित्तीय वर्ष की बाकी अवधि में जितनी खरीद किये जाने की संभावना है,	3,317	7,189	4,108	17,848	53,952	5,003

(ख) ठेकेबार माल और मूल्य के बारे में सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) विदेशों से पहियों, टायरों और घूरों की खरीद विश्व व्यापी टेंडरों के आधार पर की गयी है और तकनीकी दृष्टि से न्यूनतम स्वीकार्य प्रस्ताव के आधार पर ठेके दिये जाते हैं। ये खरीद इगलेंड, जापान, इटली, पौलंड, हंगारी, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, आस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूमानिया आदि विभिन्न देशों से की गई है ।

इन्दारा तथा विलधारा रोड स्टेशनों के बीच त्रिवेणी एक्सप्रेस का लूटा जाना

2400. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेणी एक्सप्रेस गाड़ी गोरखपुर से बाराणसी आते हुए इन्दारा तथा विलधारा स्टेशनों के बीच लूट ली गई थी ;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप जान तथा माल की कितनी हानि हुई ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले से सम्बद्ध तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) इसमें कोई जन-हानि नहीं हुई थी। यात्रियों से 1959 रुपए नकद, 16 कलाई घड़ियां और सोने की एक अंगूठी के लूटे जाने की रिपोर्ट की गयी है। लूटी गयी सारी सम्पत्ति बरामद कर ली गयी है।

संसदीय सौंध स्थित चिकित्सालय में एक्सरे मशीन

2401. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसदीय सौंध चिकित्सालय में रखी गई एक्सरे मशीन लगभग 30 वर्ष पुरानी है और अप्रचलित हो गई है ;

(ख) क्या सरकार के एक्सरे सलाहकार ने अपनी सिफारिश में कहा था कि वहां 500 एम०ए० नामक मशीन लगाई जानी चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जनवरी, 1976 में इस मशीन में 100 एम०ए० की एक नई नली लगाई गई थी। इस प्रकार यह मशीन अप्रचलित नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

रोलिंग स्टाक के लिए व्हील सेटों की खरीद

2402. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के 'रोलिंग स्टाक' के लिए 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 (30 सितम्बर, 1980 तक) के दौरान पृथक-पृथक कितनी मात्रा में व्हील सेट देश में खरीदे गये और कितनी मात्रा में आयात किए गए ;

(ख) इनकी खरीद किन पार्टियों से की गई और क्या ये विश्वव्यापी टेंडरों के आधार पर थी अथवा बातचीत से तय किए गए मूल्यों के आधार पर थी प्रत्येक मामले में मात्रा और मूल्य बताये जायें ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान कितनी मात्रा में खरीद किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) खरीदे गये/खरीदे जाने वाले पहिया सेटों की मात्रा :—

वर्ष	स्वदेशी स्रोतों से खरीदे गये	आयात से खरीद
1978-79	14,226	9,440
1979-80	13,835	6,974
1980-81		
सितम्बर, 1980 तक	4,981	3,800
अक्तूबर, 1980 से मार्च, 1981 तक संभावित खरीद	4,540	21,080 (बचनबद्धता दी जा चुकी है)

(ख) देशी खरीद मैसर्स दुर्गापुर स्टील प्लांट और मैसर्स टाटा आयरन एन्ड स्टील कंपनी से की गयी है और कीमतें संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित की गयी है जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की गई हैं। आयात के संबन्ध में, ये विश्व निविदा से खरीदे जाते हैं और सुपुर्दगी आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी रूप से स्वीकार्य निम्नतम पेशकश के आधार पर आर्डर दिये जाते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, पौलेंड, यू०के०, रूमानिया, इटली और हंगरी से फर्मों द्वारा ठेके प्राप्त किये गये हैं।

जिन पार्टियों से यह खरीद की गयी थी, उनकी खरीद के मूल्य/मात्रा के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में तकनीकी प्रशिक्षुओं को खपाना

2403. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे द्वारा प्रशिक्षित तकनीकी प्रशिक्षुओं के अनुरोध पर उन्हें रेलवे के नियमित रिक्त स्थानों में खपाने के बारे मे कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अप्रेंटिसों को उनका प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर रेलों द्वारा नियुक्ति देने का कोई दायित्व नहीं है। वहरहाल, यह निर्णय किया गया है

कि कुशल कारीगरों की 25% रिक्तियां अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम प्रशिक्षुओं का पाठ्यक्रम पूरा करने वालों में से सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी ।

उत्तरी रेलवे में बाड़मेर-मुनाबाव गाड़ी का प्रतिदिन चलाया जाना

2404. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे जोन में बाड़मेर-मुनाबाव गाड़ी रविवार के दिन नहीं चलती ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) रेल विभाग इस कठिनाई को कब तक दूर कर देगा ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) बाडमेर-मुनाबाव खंड पर बहुत कम यातायात होने के कारण केवल एक जोड़ी मिली-जुली गाड़ियां अर्थात् । बी०एम०/2 बी०एम० चल रही हैं । जो इस खंड के वर्तमान यात्री यातायात को सम्भालने के लिए पर्याप्त हैं । यह मिली-जुड़ी गाड़ी रविवार को नहीं चलती क्योंकि रविवार छुट्टी का दिन है और उस दिन यातायात इतना कम होता है कि इस गाड़ी को चलाने का औचित्य नहीं है ।

दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण के बारे में टाटा सलाहकार सेवा की सिफारिशें

2405. **श्री भीकू राम जैन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित टाटा सलाहकार सेवा और एक जांच समिति ने दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण के बारे में विस्तार से जांच की थी तथा अपनी सिफारिशें पेश की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज और जांच समिति ने जो-जो सिफारिशें की हैं और जो-जो निर्णय किए हैं, उनकी संक्षिप्त रूपरेखा अनुबन्ध I और अनुबन्ध II में दी गयी है ।

(ग) टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट में जो-जो निर्णय और सिफारिशें की हैं, उन पर दिल्ली परिवहन निगम विचार कर रहा है। जांच समिति को रिपोर्ट पर दिल्ली परिवहन निगम द्वारा की गई कार्यवाई का उल्लेख अनुबन्ध II की सिफारिशों के साथ-साथ किया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1513/ 80)

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब हालत

2406. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत के कारण सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाल ही में लम्बी दूरी की विभिन्न बसों से यात्रा करने वाले लोग बड़ी संख्या में मारे गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं ; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात के योग्य रखा गया है। पिछले मानसून के दिनों में लगातार वर्षा होने से कुछ भाग काफी दूर-दूर तक क्षतिग्रस्त हो गये थे लेकिन इनकी मरम्मत कर दी गई है और इन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि होने और इनसे भारी संख्या में व्यक्तियों के हताहत होने की कोई सूचना राज्य सरकार से नहीं प्राप्त हुई है।

रेल डिब्बों में बिजली की व्यवस्था

2407. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विशेष रूप से शाखा लाइनों में लगभग सभी यात्री गाड़ियों में हर डिब्बे में बिजली की रोशनी की व्यवस्था नहीं रहती जिसके कारण न केवल यात्रियों को भारी असुविधा रहती है अपितु गलत काम करने वालों को भी अवसर मिलते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 89-अप पैसेन्जर गाड़ी को 3 नवम्बर, 1980 को यात्रियों ने इसी आधार पर कुमारधुबी पर रोके रखा और जिसके कारण राजधानी एक्सप्रेस को भी रुकना पड़ा; और

(ग) यदि हां, तो रेल प्रशासन द्वारा सभी डिब्बों में बिजली की व्यवस्था के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डाक, एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों के सभी डिब्बों में रोशनी का पबन्ध सामान्य संतोषजनक बनाये रखा जाता है। फिर भी, कुछ रेलों की शाखा लाइन गाड़ियों में असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार चोरियों/गाड़ियों से बत्ती उपस्कर की हानि के कारण गाड़ी बत्ती व्यवस्था कभी-कभी असंतोषजनक हो जाती है।

(ख) और (ग) जी हां। शाखा लाइनों की गाड़ियों में रोशनी की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वर्तमान व्यवस्था को उत्तरोत्तर मि०-आन-जनरेशन व्यवस्था में बदला जा रहा है, जोकि संतोषजनक सिद्ध हुई है। डी० सी० गाड़ी प्रकाश डायानुमों को भी ब्रशरहित विकल्प से बदला जा रहा है जोकि बनावट में अधिक कड़े और उठाईगीरी के लिए कम प्राप्त है।

रोग फैलने को रोकने में स्वास्थ्य शिक्षा के योगदान के बारे में अध्ययन

2408. **श्री सूरजभान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो गत दो दशकों से कार्य कर रहा है ;

(ख) क्या इस संस्थान से रोग फैलने को काफी हद तक रोकने के संदर्भ में स्वास्थ्य शिक्षा के योगदान के बारे में कोई अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देने के महत्व को सब जानते और समझते हैं। इससे वे अच्छे स्वास्थ्य के नियमों, जैसे आस पड़ोस की सफाई, निजी स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छ पीने के पानी का उपयोग और खान-पान की अच्छी आदतों का पालन कर स्वास्थ्य अच्छा रख सकते है तथा रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। इसी बात पर केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो भी जोर देता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने कुछ अध्ययन किए हैं जिनसे पता चलता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के परिणाम स्वरूप लोगों ने बीमारियों की रोक-थाम के लिए स्वास्थ्य के आम प्रचलित नियमों का पालन किया है। लेकिन ऐसा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा से रूग्णता के पैटर्न या बीमारियों की घटनाओं में कोई परिवर्तन होता है।

दिल्ली परिवहन निगम बस रूट संख्या 260

2409. **श्री चन्द्रपाल शैलनी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की यमुना विहार कालोनी से रूट संख्या 260 पर प्रातः और सायं बस सेवा आरम्भ की गयी है ;

(ख) क्या प्रातः और सायंकालीन बसों में यात्रियों की उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या को देखते हुए इस सेवा को नियमित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह सर्विस जैसी कि 9.10.1980 से शुरू की गयी थी, नियमित कर दी गयी है ।

पुनर्गठित रेल लेखा विभाग

2410. **श्री टी० एम० सावन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल लेखा विभाग का महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के ढंग पर पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे के लेखा विभाग में सुपरवाइजरी पदों पर कर्मचारी लगाने के लिए सलेक्शन ग्रेड लागू किया गया है ; और

(ग) क्या 40 अंकों वाले रोस्टरों के अनुसार सलेक्शन ग्रेड में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रेल कर्मचारियों के लिए सामान्य आरक्षण नीति लागू होगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे लेखा विभाग के ग्रुप 'ग' के संवर्ग को लेखा परीक्षा विभाग की व्यवस्था के अनुसार पुर्नगठित किया गया है ।

(ख) 330-560 रुपये के वेतनमान में ग्रेड-I के लिपिकों के लिए 425-700 रुपये का प्रवरण ग्रेड लागू किया गया है और 500-900 रुपये के वेतनमान में अनुभाग अधिकारियों (लेखा)/स्टेशन-लेखा निरीक्षकों/भंडार लेखा निरीक्षकों के लिए 775-1000 रुपये का प्रवरण ग्रेड लागू किया गया है ।

(ग) जी हां ।

पायलेट बोट

2411. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और विशाखापत्तनम के अतिरिक्त भारत के आठ अन्य प्रमुख बन्दरगाहों पर आने वाले जहाजों का मार्गनिर्देशन करने के लिए पायलेट बोट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या बम्बई बन्दरगाह की ऐसी 25 बोटों में से चार बोट 25 वर्ष पुरानी है और उन्हें संचालन के लिए सुरक्षित नहीं समझा गया है ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बम्बई, टूटीकोरिन और मंगलौर के अतिरिक्त और किसी भी बड़े पत्तन पर पायलेट नावों की कोई कमी नहीं है।

(ख) बम्बई पत्तन में उपलब्ध 4 पायलेट नावों में से दो क्रमशः 25/30 वर्ष पुरानी है। तीस वर्ष पुराना लांच जनवरी, 1980 से काम नहीं कर रहा है और इसके इंजन को बदला जाना है। 25 वर्ष पुराने लांच भी अकसर खराब हो जाता है।

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए नीचे लिखे उपाय अपनाये जा रहे हैं :—

(1) बम्बई : तीन फाइवर ग्लास लांचों के लिए आर्डर दिया गया है इसके अलावा दो और पायलट लाचों के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(2) टूटीकोरिन : एक पायलट लांच के लिए आर्डर दिया गया है। आशा है कि यह अगस्त, 1981 तक मिल जायगी।

(3) न्यू मंगलौर पोर्ट : एक पायलट लांच के लिए आर्डर दिया गया है। आशा है कि यह अप्रैल, 1981 तक मिल जायगा।

गुजरात में मीटर गेज पर रेल सेवा

2412. श्री दिग्विजय सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में थान और छोटाइल के बीच मीटर गेज लाइन पर वैकल्पिक सुझावों पर विचार होने तक रेल सेवा जारी रखने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र को मीटर गेज से ब्राडगेज में बदलने अथवा इस क्षेत्र को छोटाइल से बढ़ा कर विंचेहिया तक ले जाने के बारे में सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन सुझावों पर ब्यौरेवार विचार किये जाने तक इस क्षेत्र को जारी रखने का है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हाँ।

(ग) कोयले की कमी और गाड़ियों का पूरा उपयोग न हो पाने के कारण इस खंड पर गाड़ियां बंद कर दी गयी थीं। यह एक अलाभकारी शाखा लाइन खंड है जिस पर प्रति वर्ष भारी हानि उठानी पड़ती है और इस खंड से जो प्रतिफल मिलता है, उससे पूंजी पर ब्याज की बात तो दूर, संचालन व्यय का मामूली सा अंश भी पूरा नहीं हो पाता। इन परिस्थितियों में, इस खंड पर गाड़ियों को फिर से चलाना सम्भव नहीं होगा।

इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने या इसे बीनछीया तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संसाधनों की कठिन स्थिति के कारण इस प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

रायगढ़ में रेलवे की भूमि

2413. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे प्राधिकरण को रायगढ़ स्थित रेलवे की भूमि को रायगढ़ नगर पालिका के लिए खाली करने के लिए रायगढ़ नगर पालिका से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे भूमि को नगर पालिका खाली करने के लिए, जोकि प्राधिकरण ने मान लिया है, प्राधिकरण ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेल प्रशासन द्वारा रेलवे की भूमि खाली कराने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

सरोजनी नगर -1 की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में दवाओं का अभाव तथा अन्य कठिनाईयां

2414. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजनी नगर-1 स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय में नियुक्त किये गए चिकित्सकों को मरीजों की स्वास्थ्य परीक्षा करने के लिए आवश्यक यंत्र तथा उपकरण आदि सुलभ नहीं किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मरीजों को अधिकांश दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जिससे उन्हें काफी कठिनाइयां होती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो औषधालय को दवाओं आदि की आपूर्ति किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कोटा रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

2415. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा (राजस्थान) के सिटी रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था ;

(ग) क्या पुल के निर्माण की अवधि में किसी उप-मार्ग का निर्माण नहीं किया गया था ;

(घ) क्या यह सच है कि इस निर्माण कार्य के कारण प्रत्येक वाहन को अनावधिक रूप से 15-20 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि अतिरिक्त दूरी तय करने के परिणाम स्वरूप डीजल और पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है, जो राष्ट्रीय हानि है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, कोटा स्टेशन पर मौजूदा समपार संख्या 107 के बदले ।

(ख) राज्य लोक निर्माण विभाग ने 1977 में ऊपरी सड़क पुल के पहुंचमार्गों का कार्य प्रारम्भ किया था और पुल की बनावट में रेलवे के हिस्से का कार्य अप्रैल, 1979 में प्रारम्भ किया गया था

(ग) ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिये किसी बाई-पास सड़क का निर्माण नहीं किया गया था क्योंकि, 1977 में जब पहुंच मार्गों पर कार्य प्रारम्भ किया गया था, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बन्द कर दी गयी थी।

(घ) और (ङ) सड़क यातायात द्वारा समपार सं० 106 और 105 को उपयोग किया जाना होगा जो समपार सं० 107 के दोनों ओर लगभग 3 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर दूर हैं। इससे मार्ग कुछ चक्करदार हो जायेगा।

रेल कर्मचारियों को आवास सुविधाएं

2416. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन, नागदा, रतलाम, इन्दौर और मऊ में श्रेणी -1 श्रेणी-2 श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई आवास सुविधाओं का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है और उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें आवास सुविधाएं नहीं दी गई हैं ; और

(ग) क्या उक्त 'क' भाग में उल्लिखित उन कर्मचारियों को जिन्हें रेल विभाग द्वारा आवास सुविधाएं उपलब्ध नहीं की गई है को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

स्टेशन का नाम	कोटि-वार कर्मचारियों की संख्या			
श्रेणी	1	2	3	4
उज्जैन	2	1	975	1131
नागदा	—	—	81	316
रतलाम	39	21	2558	2352
इन्दौर	1	—	224	202
मऊ	2	2	798	882

(ख) स्टेशन का नाम	जिन कर्मचारियों को क्वार्टर दिए गए हैं, उनकी कुल सं०				जिन कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिए गए हैं, उनकी सं०			
श्रेणी	1	2	3	4	1	2	3	4
उज्जैन	2	1	205	383	--	—	770	748
नागदा	—	—	24	90	—	—	57	226
रतलाम	31	14	705	1487	8	7	853	865
इन्दोर	1	—	28	133	—	—	96	69
मऊ	1	2	157	597	1	—	641	285

(ग) जी हां । इस समय उज्जैन और रतलाम में श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के लिए 20 यूनिट क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है । भविष्य में और अधिक क्वार्टरों का निर्माण धन की उपलब्धता तथा इस संबन्ध में विभिन्न स्टेशनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

लेखा विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वरीयता सूचीयां

2417. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वरीयता सूचियां लेखा विभाग तथा रोकड़ और भुगतान विभागों में तैयार की गई हैं ;

(ख) क्या इन विभागों की वरीयता सूचियों को तैयार करने में कोई आधारभूत अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) लेखा विभाग में वरिष्ठता सूची तैयार करने का कार्य विकेन्द्रीकृत है, जबकि रोकड़ तथा वेतन विभाग में, रोकड़ और वेतन विभाग अपेक्षाकृत छोटा विभाग होने के कारण, इसका केन्द्रीयकरण कर दिया गया है ।

पाकिस्तान को काश्मीर के मामले में चीन का समर्थन

2418. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी समय पूर्व से चीनी सरकार काश्मीर विवाद के प्रश्न पर पाकिस्तान के दावे का पूर्ण समर्थन करते हुए भारत पाक के मामलों में काफी हस्तक्षेप कर रही

है और इसके कारण पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर शिमला समझौते के विपरीत वक्तव्य दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर और विशेष रूप से भारत द्वारा दोनों देशों के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के प्रयासों को देखते हुए सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार इस बात को जानती है कि चीन ने विभिन्न अवसरों पर काश्मीर पर पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। लेकिन हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष और भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री श्री डेंग जियोपिंग ने 21 जून, 1980 को एक भारतीय पत्रकार के साथ हुई एक भेंटवार्ता में बताते हैं यह कहा था कि काश्मीर का सवाल सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का सवाल है।

पाकिस्तान ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जब कभी भी काश्मीर के सवाल को उठाया है, तब ही भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से जोर देते हुए यह बात कही है कि उनकी यह कार्यवाही शिमला समझौते में विवाद के प्रश्नों को द्विपक्षीय आधार पर और शांतिपूर्वक निपटाने के सिद्धांतों का उल्लंघन है। सरकार ने उनसे यह भी कहा है कि काश्मीर के सवाल को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में भी बाधा पहुंच सकती है।

अलीपुरद्वार जंक्शन

2419. श्री पीयूष तिरकी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीपुरद्वार जंक्शन में कम से कम अपेक्षित स्तर की स्वच्छता बनाये रखने के लिए जंक्शन की मरम्मत तथा सफेदी किया जाना आवश्यक है ;

(ख) क्या जक्शन का फर्नीचर तथा बर्तन टूट-फूट गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जब तक सम्पूर्ण मरम्मत तथा वस्तुओं के बदले जाने के लिए कुछ तात्कालिक उपाय नहीं किये जाते हैं तब तक वर्तमान स्थिति में कम से कम अपेक्षित स्तर की स्वच्छता को बनाये रखना असम्भव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस जंक्शन की पूर्व स्वच्छता तथा सौन्दर्यकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अलीपुरद्वार जंक्शन के स्टेशन की इमारत अच्छी हालत में है। सामान्य सफेदी और रंग-रोगन किया जा रहा है जिसमें छोटी-मोटी मरम्मतें भी शामिल हैं।

(ख) इस स्टेशन पर उपलब्ध फर्नीचर और बर्तन सामान्यतः अच्छी हालत में हैं। जब कभी अपेक्षित होता है फटी-पुरानी मदों को बदल दिया जाता है।

(ग) इस स्टेशन पर न्यूनतम सफाई बनाये रखने में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं की जा रही है। सामान्य वार्षिक अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार इस पर ध्यान दिया जाता है।

(घ) सफेदी, रंगीन सफेदी और रंग-रोगन का कार्य हो रहा है। अग्रभाग और प्लेटफार्मों आदि को बेहतर आकृति देने के लिए रंग की योजना की युक्ति निकाली गयी है।

दानापुर में सेन्ट्रल स्कूल

2420. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न रेलवे वर्कर्स यूनियन की दानापुर ब्रांच ने अपने मांग-पत्र के अन्य मांगों के साथ-साथ दानापुर (खगोल) में सेन्ट्रल स्कूल खोलने की माँग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मांग पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पूर्व रेलवे प्रशासन को इस प्रकार का एक अभ्यावेदन मिला है और उस पर विचार किया जा रहा है।

वैगनों के लिये मांग

2421. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैगनों के लिये कुल कितनी मांग है और गत तीन वर्षों के दौरान कितने वैगन आंवटित किये गये ;

(ख) कितने वैगनों को उनके आवंटी उपयोग में नहीं ला सके, अथवा उन्होंने उन्हें लादने में विलम्ब किया तथा इस प्रकार आवंटन रद्द होने और/अथवा उनके लदान में बिलम्ब होने से कुल कितने घण्टे वैगन रुके रहे ; और

(ग) विद्युत (लोकोमोटिव) उपलब्ध न होने के कारण कितने वैगन यार्डों में बिलम्बित हुये और इस प्रकार कितने वैगन घंटे नष्ट हुये ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिदिन औसतन प्रारम्भिक लदान और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया मांगों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती।

विवरण

दैनिक औसत प्रारम्भिक लदान और वर्ष के अन्तिम दिन बकाया मांगों की संख्या का विवरण

(चौपहियों के हिसाब से)

वर्ष	बड़ी लाइन		मीटर लाइन	
	लदान	वर्ष के अंतिम दिन बकाया मांग पत्र	लदान	वर्ष के अंतिम दिन बकाया मांग-पत्र
1978-79	23931	252388	5388	134289
1979-80	23130	176112	5044	73887
1980-81 (अप्रैल से अक्तूबर)	22124	165854 (31-10-80 को)	4483	72477 (31-10-80 को)

राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित स्थानान्तरण

2422. **श्री जी० एम० बनातवाला :**
श्री एन० के० शेजवलकर :
श्री सतीश अग्रवाल :
डा० बसन्तकुमार पंडित : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अथवा प्रधान मंत्री को इस आशय की शिकायतें की गई हैं कि राजनैतिक उद्देश्यों से वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जा रहे हैं तथा इसके फलस्वरूप उनको हतोत्साह किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे स्थानान्तरणों की संख्या कितनी है तथा तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वनस्पति, मैदा और सरसों के तेल में मिलावट से सम्बन्धित अदालती मामलों को वापस लिया जाना

2423. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के वनस्पति मिल के एक उद्योगपति सहित बड़े व्यापारियों के विरुद्ध मिलावट से सम्बन्धित लगभग 9 मामलों को अदालतों से वापिस लेने के अनुदेश दिए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के एक मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली प्रशासन द्वारा मैदे के सम्बन्ध में एक मामला वापस लेने की दलील रद्द कर दी थी और प्रशासन के इरादों पर संदेह व्यक्त किया था, सरसों के तेल के एक अन्य मामले में, न्यायाधीश ने प्रयोगशाला के एक उच्च अधिकारी की भर्त्सना की थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य क्या हैं और लोकहित मे क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली प्रशासन ने जनवरी, 1980 से छः अदालती मामलों को वापस लिया है। दिल्ली के वनस्पति मिल के किसी भी उद्योगपति पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।

(ख) मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली प्रशासन द्वारा मैदे के सम्बन्ध में एक मामला वापस लेने की दलील तो रद्द कर दी थी किन्तु उन्होंने प्रशासन के इरादों पर संदेह व्यक्त नहीं किया था। सरसों के तेल के मिलावट के एक मामले में न्यायाधीश ने दिल्ली की खाद्य प्रयोगशाला के कार्य की कुछ भर्त्सना की थी।

(ग) टी०बी० एसोसियेशन आफ इण्डिया से सम्बन्धित मुकदमे में दिल्ली प्रशासन ने नवम्बर, 1978 में इस आधार पर मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया था कि सम्बन्धित पार्टी खाद्य पदार्थ बेचती थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता और इसलिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। परन्तु इसे जनवरी 1980 में अमल में लाया गया था। अन्य चार मामलों में दिल्ली प्रशासन ने ये मामले इस आधार पर वापस लेने का निर्णय लिया था कि 1978 और 1979 में मुकदमा वैध आधार पर नहीं चलाया गया था। एक मामले में दिल्ली प्रशासन ने न्याय के हित में मुकदमा वापस लेना चाहा, परन्तु न्यायालय ने इसे नहीं माना और मुकदमा वापस लेने की अनुमति नहीं दी।

दिल्ली प्रशासन ने उस मामले को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को भेज दिया है जिसमें खाद्य प्रयोगशाला के कार्य की भर्त्सना की गई है।

दक्षिण रेलवे का अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी ब्रांच स्टाफ संघ

2424. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी ब्रांच स्टाफ संघ, दक्षिण रेलवे मंडल से दिनांक 26 अक्तूबर, 1980 का ज्ञापन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उनके कष्ट कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) बहुत से अभ्यावेदन थे, जो इस प्रकार हैं—कार्मिक शाखा में कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने के लिए मानदण्ड में संशोधन करना, सभी भारतीय रेलों पर समान मानदंड, कर्मचारियों की पदोन्नति की सम्भावनाएं बढ़ाना तथा क्लर्कों और हैड क्लर्कों के पदनाम बदलना आदि ।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी साधन से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर यथावत विचार किया जाता है और उनपर यथा-आवश्यक कार्रवाई की जाती है । कार्मिक शाखा के कर्मचारियों सहित सभी कोटियों के कर्मचारियों की मांगों पर सामूहिक सौदाकारी तंत्र-स्थाई वार्ता-तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से तथा अनौपचारिक विचार-विमर्श के माध्यम से भी विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है ।

लखनऊ और इलाहाबाद मंडलों को हानि

2425. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ और इलाहाबाद मंडल भारी हानि में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे को जनवरी, 1980 से अब तक इन मंडलों पर 1979 में इसी अवधि में हुई हानि के मुकाबले, कितनी अनुमानित हानि हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगा लिया है ;

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आमदनी और खर्च तथा हानि से सम्बन्धित सूचना का संकलन रेलवे-वार किया जाता है, मंडल-वार नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

कुष्ठ रोग, हाथीपांव तथा अन्य रोगों का उन्मूलन

2426. **श्री पी० राम गोपाल नायडू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन क्षेत्रों के नाम क्या है जहां कुष्ठ रोग, हाथीपांव, स्त्रीरोग फ्लोरोसिस रोग पाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके उन्मूलन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां। कुष्ठ, हाथीपांव, गिनी वार्म तथा फ्लूरोसिस के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

कुष्ठ : यह रोग लगभग सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में फैला हुआ है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुष्ठ की घटनायें होती हैं बनका पता लगा लिया गया है तथा उनमें कुष्ठ की व्यापकता दर विवरण में दी गई है। आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडू, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी नामक राज्यों के इलाकों में इस रोग की अधिक घटनायें होती हैं।

हाथी पांब : यह एक पुराना रोग है जो मानविक फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है। अनुमान है कि 23 करोड़ 60 लाख लोग फाइलेरिया की स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश, विहार, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल की अधिकतर जन-संख्या को यह रोग हो जाने का खतरा बना रहता है। इस समस्या की व्यापकता का पता लगाने के लिए, स्थानिकमारी वाले राज्यों के कतिपय जिलों का सर्वेक्षण अभी किया जाना है।

गिनी कृमि : राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के जिला चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तथा संघ शासित क्षेत्र गोवा में इसका संक्रमण होने की सूचना मिली है।

फ्लूरोसिस : बताया गया है कि आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान तथा तमिलनाडु के अनेक जिलों में यह एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है।

(ख) **कुष्ठ** : इस रोग पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। जिन इलाकों में कुष्ठ होने का खतरा बना रहता है उन इलाकों में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया जाता है। यह सर्वेक्षण कार्य कुष्ठ नियन्त्रण एककों, शहरी कुष्ठ केन्द्रों तथा एस० ई० टी० केन्द्रों के चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्यकर्ता करते हैं तथा रोगियों को इलाज, कुष्ठ रोधी औषधियों एवं चिकित्सीय सेवायें और प्रयोगशाला एवं अस्पताल में भरती होने की सुविधायें मुफ्त दी जाती है।

फाइलेरिया : इस रोग को स्थानिकमारी वाले शहरी इलाकों में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रप कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन व्यक्तियों का पता लगाया जाता है जिनके रक्त में फाइलेरिया के रोगाणु हों तथा फाइलेरिया रोधी औषधियों से उनका इलाज किया जाता है। वेक्टर वाहकों को कम करने के लिये इस रोग की स्थानिकमारीता

से अत्यधिक मात्रा में प्रभावित शहरी इलका में लार्वा नाशक उपाय भी किये जाते हैं। हाथ-गांव आदि अंगों का हाथीपांवकरण जैसी इस रोग की अति व्यापकता की स्थिति में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।

एक देहाती फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कार्यविधि तैयार करने के लिए, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश तथा गुजरात के चयन किये गये देहाती क्षेत्रों में तीन प्रयोगात्मक परियोजनायें चलायी जा रही है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के तत्वावधान में लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक प्रयोगात्मक परियोजना पूरी की जा चुकी है तथा हाल ही में इसे संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी में भी आरम्भ किया गया है और इसके अधीन खाने के सामान्य नमक में डाइथाइल-कार्बामाजाइन (डी०ई०सी०) मिलाकर इस क्षेत्र के सभी लोगों द्वारा आम इस्तेमाल के लिये जारी किया जाता है ताकि फाइलेरिया की घटनाओं को कम किया जा सके। अब तक के निष्कर्ष उत्साहवर्धक है।

गिनी कृमि : गिनी कृमि रोग के उन्मूलन के लिए एक योजना तैयार करने का विचार है। इसमें भाग लेने वाले स्थानिकमारी वाले राज्यों, केन्द्रीय जन स्वास्थ पर्यावर्णिक इन्जीनियरिंग संगठन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार को एक टास्क-फोर्स (दल) की बैठक 20 तथा 21 नवम्बर, 1980 को हुई। यह फैसला किया गया कि गिनी कृमि के उन्मूलन के लिए प्रयास करने हेतु यथोचित आयोजन के लिए संबंधित राज्य आगामी दो महीनों में पहले प्रस्तुत की गई सूचना को शुद्धता का पता लगायें।

फ्लूरोसिस : राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तथा एडवान्सड सेन्टर फार फ्लूरोसिस, उदयपुर में फ्लूरोसिस विषयक अध्ययन किया जा रहा है। स्थानिकमारी से प्रभावित जनसंख्या के लिये फ्लोराइड युक्त पानी, एक पी० पी० एम० से अधिक नहीं, की उपलब्धता अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त, पौषणिक पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करना भी जरूरी हो सकता है।

विवरण

भारत में अनुमानतः कुष्ठ रोग का प्रकोप कितना है तथा इसकी स्थानिकमारी की स्थिति कैसी है इसके बारे में राज्यवार विवरण :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लाखों में)	1971 की जनगणना को निरूपित अनुमानित रोगी (लाखों में)	प्रति हजार पर कुष्ठ से ग्रस्त रोगियों की संख्या
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	435.03	6.28	14.45
2. असम	146.25	0.12	0.82
3. बिहार	563.53	3.39	6.02
4. गुजरात	266.98	0.54	2.02
5. हरियाणा	100.37	0.01	0.10
6. हिमाचल प्रदेश	34.60	0.15	4.34
7. जम्मू व कश्मीर	46.17	0.05	1.08
8. कर्नाटक	292.99	1.74	5.94
9. केरल	213.47	0.75	3.51
10. मध्य प्रदेश	416.54	0.32	0.77
11. महाराष्ट्र	504.12	2.80	5.55
12. मणिपुर	10.73	0 06	5.59
13. मेघालय	10.12	0.06	5.93
14. नागालैंड	5.16	00·5	9 69
15. उड़ीसा	219.45	2.37	10.80
16. पंजाब	135.51	0.02	0.15
17. राजस्थान	257.66	0.10	0.39
18. सिक्किम	2.09	0.0016	7.66
19. तमिलनाडु	411.99	7.83	19.01
20 त्रिपुरा	15.56	0.10	6.43
21. उत्तर प्रदेश	883.41	1.63	1.90

1	2	3	4
22. पश्चिम बंगाल	443.12	3.80	8.58
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1.15	0.01	8.70
24. अरूणाचल प्रदेश	4.68	0.01	2.14
25. चण्डीगढ़	2.57	—	—
26. दादर तथा नगर हवेली	0.74	0.001	1.35
27. दिल्ली	40.66	0.01	0.25
28. गोआ, दमण व दीव	8'58	0.05	5.83
29. लक्षद्वीप	0.32	0 01	31.25
30. मिजोरम	3.32	0.01	3.01
31. पांडिचेरी	4.72	0.19	40.25
भारत	5481.59	32.527	5 93

देश में नये मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव

2428. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो प्रत्येक कालेज के लिये, राज्यवार कितनी सीटें आवंटित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने कालेज खोले गये और प्रत्येक कालेज में राज्यवार, कुल कितनी सीटें उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नये मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कोई नया मेडिकल कालेज नहीं खोला है ।

कायमकुलम-एत्लेपी लाइन

2429. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे में कायमकुलम एत्लेपी रेलवे लाइन के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) इस लाइन का सर्वेक्षण शुरू किये जाने तथा उसके पूरा हो जाने के बाद ही कोई निर्णय ले पाना सम्भव होगा ।

बेशमपुर-फुलबेन लाइन

2430. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की परिवर्तित नीति को ध्यान में रखते हुए, बेशमपुर, फूलबेन लाइन का पुनः सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार से उस राज्य में रेल लाइन में बिछाने अथवा उन्हें बड़ी लाइन में बदलने की मांग प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य बिभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार से निम्नलिखित बड़ी लाइनों के लिए मांग प्राप्त हुई है । इन लाइनों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति भी नीचे दी गयी है :—

1. **इस समय निर्माणाधीन जखपुरा-देतारी लाइन का बांसपानी तक विस्तार ।**

1981-82 के दौरान देतारी-बांसपानी लाइन (143 कि०मी०) का प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर योजना आयोग के परामर्श से सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।

2, तालचेर-साम्बलपुर नयी बड़ी लाइन

तालचेर-साम्बलपुर सर्वेक्षण (160 कि०मी०) के यातायात और इन्जीनियरी भाग का क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है और इंजीनियरी भाग के परियोजना अनुमान को रेलवे द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट दिसम्बर, 1980 में रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

3. रुपसा-वागरीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलाव तथा उसका विस्तार

रुपसा-वागरीपोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन (90 कि० मी०) में बदलने और गुरु-महिसानी या चाकुलिया या किसी अन्य उपयुक्त स्थान तक (44 कि० मी०) उसका विस्तार करने के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट शीघ्र ही रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

4. कोरापुट-रायगादा नयी लाइन

उड़ीसा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कोरापुट-पार्वतीपुरम/सालूर (130 कि०मी०) के बीच एक नयी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए नवम्बर, 1978 में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गयी थी। अगस्त 1979 में, उड़ीसा सरकार के पुनः अनुरोध पर इस सर्वेक्षण का कार्य-क्षेत्र कोरापुट से रायगादा तक (170 किलोमीटर) रेलवे लाइन बिछाने के लिए बढ़ा दिया गया है जिसके लिए 6 लाख रुपये की और स्वीकृति दी गयी है। यह सर्वेक्षण कार्य इस समय मैसर्स रेल इन्डिया टेक्निकल एवं इकानामिक सर्विसेस द्वारा किया जा रहा है। इस संयुक्त-सर्वेक्षण का उद्देश्य कुल लागत तथा इस क्षेत्र में बाक्साइट भंडारों सहित प्राकृतिक संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग करने की दृष्टि से अनुकूलतम संरेखण चुनना है और इसकी दिसम्बर 1980 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

5. फूलबनी के रास्ते खोर्धा रोड से बोलांगीर तक नयी रेलवे लाइन

इस रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह लाइन लगभग 288 कि०मी० लम्बी होगी और इस पर लगभग 52 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

यूगोस्लाव शिपयार्ड द्वारा मालवाहक जहाज देने से इन्कार

2431. श्री के० टी० कोसलराम :

श्री नन्दकिशोर शर्मा :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाव शिपयार्ड ने भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा 103 लाख डालर प्रति माल वाहक जहाज की दर पर आर्डर दिए गए चार जहाज देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तों का उल्लघंन किए जाने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बात के लिए कोशिश जारी है कि कोई ऐसा हल निकल आए जो दोनों को स्वीकार हो ।

मशीनीकृत जल पोत

2432. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1979 को भारत में पंजीकृत जल पोतों की संख्या कितनी थी ;

(ख) उनमें से मशीनीकृत जलपोतों की संख्या कितनी थी ;

(ग) जलपोतों द्वारा वर्ष के दौरान अनुमानत: कितने माल की ढुलाई की गई ;

(घ) क्या देश में मशीनीकृत जलपोतों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

नौहवन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 14,333 ।

(ख) 2,520 ।

(ग) इन मालपोतों ने 1979 के कैलेंडर वर्ष में 8,14,475 टन माल ढोया । इसमें से 6,02,804 टन माल भारतीय तट के किनारे-किनारे और 2,11,671 टन माल विदेशी व्यापार अर्थात् भारत/पश्चिमी एशिया खाड़ी और श्रीलंका क्षेत्रों में ढोया था ।

(घ) और (ङ) मौजूदा माल पोतों को मशीनयुक्त करने और नये मशीनयुक्त मालपोतों का निर्माण करने के लिए उधार देने की एक स्कीम पहले से ही चल रही है । इस स्कीम के तहत मालपोतों के मालिकों को उधार के रूप में देने के लिए तटवर्ती राज्य सरकारों को ऐसे ऋण दिए जाते हैं जो वापस करने होते हैं ।

पश्चिम रेलवे की बड़ी लाईन पर गाड़ियों में अत्यधिक भीड़

2433. **श्री अजीत सिंह दात्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की बड़ी लाइन पर चलने वाली (एक) गुजरात क्वीन (9 डाउन, 10 अप), (दो) वीरमगाम पैसेंजर (41 डाउन, 42 अप), (तीन) साबरमती एक्सप्रैस (165 डाउन, 166 अप), (चार) गुजरात एक्सप्रैस (11 डाउन, 12 अप), (पांच) सौराष्ट्र एक्सप्रैस (12 डाउन, 13 अप) और (छः) पैसेंजर गाड़ी (47 डाउन, 48 अप) में सदैव अत्यधिक भीड़ रहती है जिसके परिणामस्वरूप इन गाड़ियों में चलने वाले यात्रियों को बहुत असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन गाड़ियों में अत्यधिक भीड़ को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, कुछ खंडों पर इन गाड़ियों में भीड़-भाड़ होती है।

(ख) और (ग) टर्मिनल स्टेशनों तथा मार्गवर्ती स्टेशनों पर लम्बी गाड़ियां खड़ी करने की क्षमता की कमी, मध्यवर्ती स्टेशनों पर शंटिंग की कठिनाइयों और कुछ गाड़ियों में अतिरिक्त क्षमता की कमी के कारण फिलहाल इन गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, इस मार्ग के यात्रियों की आवश्यकताओं का पता लगाने तथा पूरे खंड पर और अधिक टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

कलिंग एक्सप्रैस

2434. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काफी समय पूर्व पश्चिम उड़ीसा के लोगों से कलिंग एक्सप्रैस को सप्ताह में तीन बार चलने वाली गाड़ी के रूप में बदले जाने के कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों को राजधानी के लिए रेल की दैनिक सेवाएं उपलब्ध हो सकें ;

(ख) क्या सरकार को उत्कल और कलिंग एक्सप्रैस दोनों ही गाड़ियों के यात्रा समय को कम किये जाने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है और प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) मार्गवर्ती खंडों, विशेष रूप से अनूपपुर और बिलासपुर के बीच के इकहरी लाइन खंड पर लाइन क्षमता की कठिनाई के कारण 143/144 कालिंगा एक्सप्रैस को सप्ताह में अधिक बार चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है । 77/78 उत्कल एक्सप्रैस और 143/144 कालिंगा एक्सप्रैस को जब से चलाया गया है, तब से इनके चालन समय में क्रमशः लगभग 4'-30", 4'-25", 1-'45" और 3-'50" की कमी की गई है । इन गाड़ियों के चालन समय में और कमी तभी की जा सकती है जब मार्गवर्ती कुछ स्टेशनों पर इन गाड़ियों को ठहराना बन्द कर दिया जाए जो कि वांछनीय नहीं है क्योंकि मौजूदा रेल उपयोगकर्ता इसका विरोध करेंगे ।

अन्य देशों में भारतीयों के साथ किया गया व्यवहार

2435. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बर्मा, श्रीलंका और खाड़ी के देशों में कितने भारतीय रह रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन देशों में भारतीयों के साथ उचित और मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपाय करने का है ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां । इन देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या इस प्रकार है :

बर्मा	80,000
श्री लंका	1,09,000
बहरीन	39,800
इराक	10,250
कुवैत	80,000
ओमान	80,000—85,000
कातार	25,000—30,000
संयुक्त अरब अमीरात	2,50,000

(ख) और (ग) सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है जिसके आधार पर यह कहा

जा सके कि श्रीलंका और बर्मा में भारतीयों के साथ उचित और मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा है। खाड़ी के देशों में मौजूदा आप्रवासन विनियमों के कड़ाई से लागू करने/पालन करने के कारण भारतीय कुछ कठिनाइयों का अनुभव करते रहे हैं। यद्यपि खाड़ी के देशों की कुछ सरकारों द्वारा उठाए गए कदम न तो भेदभावपूर्ण हैं और न वे किसी समुदाय के विरुद्ध हैं, तब भी खाड़ी के देशों में सम्बन्धित सरकारों के पास विशेष दूतों को भेजने सहित सभी प्रयास किए गए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि भारतीय राष्ट्रिकों को होने वाली कठिनाइयों के प्रति मानवीय तथा सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाएं। संबद्ध सरकारों ने इन समस्याओं पर ध्यान दिया है और भारतीय प्रवासियोंको अपनी रिहाइश/प्रतिभूत्व को विनियमित करने के लिए अधिक समय की अनुमति दी है जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

प्राकृतिक रक्त के लिये विकल्प

2436. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिन्थेटिक रक्त (एस०आई० एन० ब्लड) की हाल की जांच की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार प्राकृतिक रक्त के विकल्प के रूप में बड़े पैमाने पर इसका निर्माण करने का है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार भी अत्यधिक विकसित देशों में भी रक्त की कमी को पूरा करने के लिए सिन्थेटिक रक्त का उपयोग अभी प्रयोगात्मक स्थिति में है और इस समय इस पर लागत भी अधिक आती है। इस समय जबकि हम जैविक उत्पादों के सम्बन्ध में जानकारी का विकास करने में लगे हुए हैं, हम रक्त के स्थान पर सिन्थेटिक रक्त को इस्तेमाल करने की बात सोच भी नहीं सकते।

चालू वर्ष के दौरान दुर्घटनाओं से हुई मौतें और नुकसान

2437. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान यांत्रिकी खराबियों से कितनी दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) कितनी दुर्घटनाएं चौकीदार रहित रेलवे फाटकों पर हुईं ;

(ग) कितनी दुर्घटनाएं कर्मचारियों की लापरवाही से हुई; और

(घ) बढ़ती हुई संख्या में दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पिछले एक वर्ष के दौरान अर्थात् 1-11-79 से 31-10-80 तक की अवधि में यांत्रिक उपस्कर की खराबी के कारण 146 और रेल कर्मचारियों की गलती के कारण 456 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) नवम्बर, 1979 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि में बिना चौकीदार वाले समपारों पर 60 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं।

(घ) चूंकि दुर्घटनाओं के लिए रेलवे कर्मचारियों की असफलता सबसे बड़ा कारण है, इसलिए गाड़ी संचलन से सम्बन्धित कर्मचारियों में संरक्षा सम्बन्धी चेतना पैदा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए, कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या ऐसे लाघव उपाय न अपनायें जो दुर्घटना का कारण बनें, रेलों के संरक्षा संगठनों को निरन्तर अभियान चलाने के निदेश दिये गये हैं।

गाड़ियों की जांच तथा सवारी व माल डिब्बा डिपुओं में मौके पर जांच के काम को गहन कर दिया गया है तथा रेल-पथ के उचित अनुरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय तत्वों पर निर्भरता को कम करने के लिए पहियों, धुरों तथा रेल की पटरियों, धुरा काउन्टरों, रेल-पथ परिपथन आदि के पराश्रव्य दोष संसूचकों जैसे परिष्कृत साधन उत्तरोत्तर शुरू किये जा रहे हैं।

दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा तत्काल निवारक कार्रवाई करने की दृष्टि से रेलों पर उच्च स्तरीय कार्य दलों का भी गठन किया गया है।

मध्य रेलवे की रेलगाड़ियों का सही समय पर आना जाना

2438. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के उप नगरों में चलने वाली मध्य रेलवे की रेलगाड़ियों में रेंकों की संख्या बढ़ाने और उनके सही समय पर आने की स्थिति में सुधार की निरन्तर मांग की जा रही है ;

(ख) बम्बई के उप नगरों में मध्य रेलवे पर गत छः महीनों के दौरान रेलगाड़ियों के देर से चलने और रद्द कर दिये जाने के कारण क्रुद्ध यात्रियों द्वारा रेलगाड़ियों और अन्य रेलवे सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्रमशः कितनी घटनायें हुई हैं और उनसे कितनी हानि हुई है ; और

(ग) स्थिति में सुधार और भविष्य में होने वाली हानियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां । पिछले 6 महीनों में उपनगरीय गाड़ियों के देर से चलने के कारण दैनिक यात्रियों द्वारा रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने/की तोड़-फोड़ करने के तीन मामले हुए हैं । क्षति की लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन रिपोर्ट मिली है कि इनमें मामूली क्षति हुई है क्योंकि केवल मोटरमैन और गार्ड के केबिन के सामने के शीशों को ही क्षति पहुंची थी ।

(ग) इस समय उपयोग में लाये जा रहे गतायु सवारी डिब्बों के बदलाव और परिवर्द्धन लेखे में बिजली गाड़ी के डिब्बों की खरीद के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है । इसके अलावा, काम में लाये जा रहे वर्तमान सवारी डिब्बों के अनुरक्षण के प्रयासों में भी तेजी लायी जा रही है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में "टायफायड" का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

2439. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में "टायफाइड" का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा के किन-किन जिलों को लाया गया है और उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) राज्य सरकार के सहयोग से उक्त रोग का मुकाबला करने के लिए कौन-कौन सी केन्द्रीय योजनाएं बनाई गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रोग प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979 से प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को टाइफाइड-रोधी टीके लगाने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को रोग प्रतिरक्षण के लिए भारत सरकार टाइफाइड वैक्सीन सप्लाई करती है । निर्माण और आवास मंत्रालय ने शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराने तथा मानव मल-मूत्र के निपटान के लिए एक योजना आरम्भ की है ।

सियालदह-राणाघाट-लालगोला स्टेशन पर सवारी गाड़ियों का समय अनुसार चलना

2440. **श्री त्रिदीव चौधरी** : क्या रेल मन्त्री सियालदह-राणाघाट-लालगोला स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के देर से चलने के बारे में 7 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे के सियालदह मंडल के अन्तर्ग सियालदह-राणाघाट-लालगोला स्टेशन पर सवारी गाड़ियों की समय की पावन्दी में सुधार करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सियालदह-राणाघाट-लालगोला खंड पर यात्री गाड़ियों के समय-पालन पर निगाह रखी जा रही है। परिहार्य रूकोनियों के मामले में उत्तरदायी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। बदमाशों द्वारा अधिक बार खतरे की जंजीर खींचने और होज-पाइपों को अलग किए जाने पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार के साथ भी सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

परमानू के लिए रेल लाइन

2441. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र, परमानू के किस तारीख तक रेल लाइन से जोड़ दिया जायेगा ; और

(ख) यह काम कब आरम्भ होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कालका से परवानू तक एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए इन्जीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद ही कोई विनिश्चय किया जा सकता है। साथ ही, रेलवे लाइन के निर्माण का निश्चय तभी किया जा सकता है जब संसाधन उपलब्ध हों और योजना आयोग इसके लिए स्वीकृति दे दे।

पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में रेल संचार

2442. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में रेल संचार सुविधाओं के विस्तार और सुधार के बारे में संसद् की लोक लेखा समिति की सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार इस प्रगति से संतुष्ट है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1975-76 के लिए लोक लेखा समिति की 191वीं रिपोर्ट (पैरा 1.11 और 1.14) में निर्दिष्ट सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, देश में योजना प्राथमिकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से एक व्यापक राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने के लिए योजना आयोग द्वारा अप्रेल 1978 में एक राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति का गठन किया गया था । राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा गठित छः कार्य-दलों में से एक कार्य-दल को विकासात्मक और अलाभप्रद लाइनों सहित जिनका मात्र वित्तीय धारणा के अनुसार औचित्य नहीं बनता, नयी लाइनों के निर्माण की नीति का गहन विश्लेषण करने तथा उनके लिए मानदंड का सुझाव देने को कहा गया था । कार्य-दलों की रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप दिया था और 1980 में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है । राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की स्वीकृत सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में नयी लाइनों के निर्माण पर उचित विचार किया जायेगा ।

गोरखपुर में कर्मचारियों के लिए आवास

2143. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय में भूमि का कुल क्षेत्र कितना है जहां अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं ;

(ख) विभिन्न प्रकार के आवास के लिए कितने भू-क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है और कितने व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराया गया है ; और

(ग) विभागाध्यक्ष के बंगले के लिए उपयोग की जा रही भूमि का विशिष्ट ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) गोरखपुर में 799 एकड़ भूमि में अधिकारियों और कर्मचारियों के मकान बने हुए हैं ।

	(ख) कर्मचारी क्वार्टरों का क्षेत्रफल	ट्रांजिट विश्राम गृह का क्षेत्रफल	अधिकारियों के बंगलों का क्षेत्रफल
	117 एकड़	60 एकड़	176 एकड़
जिन कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिए आवास की व्यवस्था की गयी है ।	4838	730	204

(ग) विभागाध्यक्षों के 20 बंगले 85 एकड़ भूमि में बने हुए हैं। विभागाध्यक्षों के बंगलों के 40 प्रतिशत क्षेत्र का ही उनके द्वारा वास्तव में उपयोग किया जा रहा है जिसमें बंगला और साथ का लान और बगीचा शामिल है। बाकी के क्षेत्र की भूमि में पुराने पेड़ और नये पौधे लगे हुए हैं।

अम्बागुदा-लानीगढ़ रेलवे लाइन

2444. **श्री रामबिहारी बहेरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बागुदा-लानीगढ़ रोड़ रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। लांजीगढ़ रोड से अम्बागुडा तक (199.5 कि०मी०) प्रस्तावित लाइन के लिए 1965-66 में लागत एवं व्यावहारिकता सर्वेक्षण किया गया था और इस लाइन पर उस समय की दरों के हिसाब से 16.31 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान लगाया गया था। यह अनुमान लगाया गया था कि नयी लाइन पर प्रस्तावित निवेश से लाइन के चालू होने के बाद छठे वर्ष में प्रतिफल 3.3% होगा। परियोजना लाइन द्वारा सेवित क्षेत्र में इस्पात कारखाना अथवा अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए कोई पक्का वचन नहीं दिया गया था और साधनों की तंगी को देखते हुए नयी लाइन के निर्माण की मंजूरी नहीं दी गयी थी।

(ख) और (ग) अम्बागुडा से लांजीगढ़ तक फिर से सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर हाल ही में विचार किया गया था। उड़ीसा में कोरापुट के निकट कामनझोडी में 8 लाख टन की क्षमता वाले प्रस्तावित एलुमिना कारखाने की संस्थापना के संदर्भ में कोरापुट-सालूर/पार्वतीपुरम/रायगडा के लिए मेसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज द्वारा एक प्रारिम्भक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके दिसम्बर, 1980 तक पूरा हो जाने की संभावना है इस समय जो सर्वेक्षण-कार्य प्रगति पर है, वह मौजूदा कोटबलासा-किरन्दुल लाइन पर उपयुक्त स्टेशन को जोड़ने तथा दूसरी ओर रायपुर विजयानगरम रेल सम्पर्क को जोड़ने वाली नयी लाइन के लिए है और उस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगा जिसका माननीय सदस्य ने प्रश्न में उल्लेख किया है।

मलेरिया और टाइफाइड के कारण मौतें

2445. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सितम्बर, 1980 तक मलेरिया और टायफाइड रोगों के कारण कितने व्यक्ति मरे ; और

(ख) आगे होने वाली मौतों की रोकथाम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) प्राप्त हुई सूचना के अनुसार जनवरी से सितम्बर 1980 तक देश में मलेरिया और टायफाइड रोगों के कारण जितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनकी संख्या क्रमशः 73 और 348 है ।

(ख) मलेरिया के मामले में अधिकांश मौतें पी० फाल्सीपरम किस्म के मलेरिया के प्रकोप के कारण होती है । इस प्रकार के मलेरिया के प्रकोप की रोकथाम के लिए समग्र राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के एक अंग के रूप में पी० फाल्सीपरम रोकथाम का एक विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ।

जहां तक टायफाइड का सम्बन्ध है, 1979 में विस्तारित टीका कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए टायफाइड-रोधी टीका कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । भारत सरकार टीका लगाने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को वैक्सीन सप्लाई करती है । आवास और निर्माण मंत्रालय ने शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल प्रदान करने और मानव मल के बेहतर निपटान की एक योजना आरम्भ की है ।

जयपुर तथा श्रीगंगानगर के बीच अधिक गाड़ियां

2446. **श्री दौलतराम सारण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर और श्रीगंगानगर के बीच प्रतिदिन कितनी गाड़ियां चलती है ;

(ख) क्या यातायात की आवश्यकता और लोगों की सुविधा को देखते हुए इस रूट पर और अधिक गाड़ियां चलाने की आवश्यकता है; और

(ग) श्रीगंगानगर एक्सप्रेस गाड़ी के लिए कितने सवारी डिब्बे मंजूर किए गए हैं तथा इसके साथ प्रतिदिन कितने प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के डिब्बे जोड़े जाते हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जयपुर और श्रीगंगानगर के बीच 211 (11)/212 (12) एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं जो जयपुर और श्रीगंगानगर के बीच यात्रियों की यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं । इन स्थानों के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाना इस समय न तो वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है और न ही परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक है ।

(ग) 211 (11) /212(12) एक्सप्रेस में 12 सवारी डिब्बे होते हैं जिनमें जोधपुर और श्रीगंगानगर के बीच एक 2-टियर थ्रू शयन-यान सहित पहले दर्जे का एक, दूसरे दर्जे के दो शयन-यान, दूसरे दर्जे के 6 सामान्य डिब्बे, दूसरे दर्जे के दो सामान एवं ब्रेक यान, एक पार्सल यान होता है। सामान्यतया उपर्युक्त एक्सप्रेस गाड़ी में 13 डिब्बे होते हैं जिनमें श्रीगंगानगर से जोधपुर के लिए एक स्लिप यान भी शामिल है।

मधूमेह रोग को रोकने वाली औषधियां

2447. **श्री सतीश अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानियों ने 'टिशू-कल्चर' के रूप में जाने जानी वाली तकनीक का प्रयोग करके एक मेडिकल प्लांट से मधुमेह रोग को रोकने वाली औषधि प्राप्त की है ;

(ख) क्या इस औषधि का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) क्या सरकार की इस औषधि का, जो हमारे देश में मधुमेह रोगियों को बहुत सहायता करेगी, व्यापक उत्पादन करने की कोई योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

देश में जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के उपाय

2448. **श्री चित्त महाटा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की लिंगवार, वर्तमान जनसंख्या कितनी है ; और

(ख) सन् 2050 तक भारत की लिंगवार जनसंख्या कितनी हो जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारत के महा पंजीयक की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या प्रौजेक्शन की विशेषज्ञ समिति के अनुमान के अनुसार पहली अक्तूबर 1980 को भारत की लिंगवार जनसंख्या इस प्रकार है :—

पुरुष	3450 लाख
महिलायें	3220 लाख
कुल	6670 लाख

(ख) कोई सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

मुगलसराय रेलवे उपरिपुल

2449. **श्री जैनुल बशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्रांडट्रंक रोड पर मुगलसराय उपरिपुल बहुत ही जर्जर हो चुका है और यातायात का वर्तमान भार वहन करने के लिए बहुत छोटा है ;

(ख) क्या उक्त पुल के पुनः निर्माण के लिए रेल मंत्रालय से सलाह मशविरा किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पुल के पुनः निर्माण का काम सम्भवतः कब तक शुरू हो जायेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मुगलसराय में ऊपरी सड़क पुल की मौजूदा हालत देखते हुए उसके तुरन्त पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है। पुल को चौड़ा करने और उसमें सुधार लाने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है, बशर्ते कि सड़क प्राधिकरण (जहाजरानी एवं परिवहन मन्त्रालय) द्वारा प्रस्ताव उसे प्रायोजित किया जाये तथा उसकी समस्त लागत को वहन करने का वचन दिया जाये।

सड़क प्राधिकरण से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया के अधिक मामले होना

2450. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया के मामलों की संख्या बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार गरीबों के जीवन की रक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग की रोक-थाम के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर 1976 में स्वीकृत की गई राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की संशोधित कार्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया रोधी अभियान पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण) में निःशुल्क दवाइयों के वितरण और प्रयोग शाला सुविधाओं की व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी क्षेत्रों में कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के लिए भी प्रावधान किया गया है जहां प्रति वर्ष (ए०पी०आई०) प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो से अधिक व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होते हैं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (नगरीय) में कीटनाशी दवाईयों के छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें केवल लार्वानाशी कार्य किए जाते हैं।

संशोधित कार्य योजना के अन्तर्गत जो प्रयास किए गए हैं उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे दिए अनुसार मलेरिया के प्रकोप में कमी होने का पता चला है :—

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया की घटनाएं
1976	62,13,857
1977	43,80,719
1978	35.29,522
1979	27,53,217

चिकित्सीय आक्सीजन की कमी

2451. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में अन्धाधुंध ढंग से बिजली की कटौती के कारण चिकित्सीय आक्सीजन की कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन आक्सीजन संयंत्र के उत्पादन पर इन तीन महीनों में काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ;

(ग) अब नवम्बर, से आगे के महीनों की स्थिति क्या है ;

(घ) क्या चिकित्सा-आक्सीजन की कमी के कारण देश में अस्पतालों में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने तथा आक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) रसायन और उर्वरक विभाग ने बतलाया है कि गत तीन महीनों के दौरान उन्हें चिकित्सीय आक्सीजन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

हांग-कांग के नये नियमों का भारतीयों पर प्रभाव

2452. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांग-कांग सरकार द्वारा हाल ही में नए उत्प्रवास नियम बनाये गए हैं जिनसे हांग-कांग में रह रहे कई भारतीयों पर दुष्प्रभाव पड़ता है ;

(ख) हांग-कांग में रह रहे भारतीयों तथा उनके वहां पर चलाये जा रहे व्यापार की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं कि हांग-कांग में रह रहे भारतीय मूल के उत्प्रवासियों पर बुरा असर न पड़े ;

(घ) क्या हांग-कांग से भारतीयों के निष्कासित किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) हाल ही में हांग-कांग की सरकार ने नये विनियम बनाये हैं जिनके अनुसार हांग-कांग में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास वैध पहचान प्रलेख हमेशा साथ हो ।

(ख) और (ग) हांग-कांग स्थित हमारा कमीशन स्थानीय प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाये हुए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये विनियम बिना किसी भेद-भाव के एक समान सभी देशों के राष्ट्रिकों पर लागू किये जाएंगे और मानवीय पहलुओं पर यथोचित रूप से विचार किया जायेगा ।

(घ) और (ङ) अभी तक किसी भी भारतीय पासपोर्टधारी को उद्वासित नहीं किया गया है ।

रेलवे की भूमि पर अस्थायी मकान

2453. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई में रेलवे की भूमि पर बहुत से अस्थायी मकान हटमेंट्स है ;

(ख) यदि हां, तो इन अस्थायी मकानों को नियमित करने तथा मूल नागरिक सुविधाएं देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या बिना पर्याप्त नोटिस दिये और वैकल्पिक प्लाट और प्रतिपूर्ति की व्यवस्था किये बिना इन अस्थायी मकानों को गिराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे की भूमि पर झोपड़ियां अनधिकृत रूप से बनायी गयी हैं जिन्हें नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि रेलवे को अपने विकास और भावी विस्तार कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता होती है।

लेकिन, उस भूमि पर जो रेलवे द्वारा तुरन्त उपयोग के लिए अपेक्षित नहीं है, राज्य सरकार अपनी लागत पर रेलवे की सहमति से और अपने भावी उपयोग के लिए ऐसे क्षेत्रों की निकासी के सम्बन्ध में रेलों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना झोपड़-पट्टी कालोनियों में न्यूनतम मूल सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।

(ग) और (घ) इन झोपड़ियों को बिना सूचना दिये गिराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार ऐसी भूमि के झोपड़-पट्टी परिवारों को स्थानांतरित करेगी जिसकी रेलवे को तुरन्त आवश्यकता है और वैकल्पिक स्थानों में उनका पुनर्वास करेगी। फिर भी, केन्द्र सरकार अक्तूबर, 1976 की जनगणना के अनुसार झोपड़ी निवासियों के वैकल्पिक स्थानों में पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार की सहमत दर पर अनुदान का भुगतान करेगी।

शौचालयों तथा सवारी डिब्बों का असंतोषजनक अनुरक्षण

2454. **श्री राम अवध** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अधिकतर गाड़ियों में शौचालयों तथा सवारी डिब्बों का अनुरक्षण बहुत असंतोषजनक है ;

(ख) क्या ऐसे अनुरक्षण के कारण यात्रियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। यात्री गाड़ियों के सभी रेकों की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल, धुलाई और सफाई के लिए प्रमुख और गौण अनुरक्षण हेतु तथा सवारी डिब्बों के निवारक अनुरक्षण के लिए क्रमशः प्रारम्भिक और टर्मिनल स्टेशन नामित हैं। सभी सवारी डिब्बों के शौचालयों को अन्दर से धोया जाता है, स्टेनलेस स्टील की खुड्डी और वाश बेसिनों को अच्छी तरह से मांजा जाता है अन्य सभी फिटिंग को साफ और टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा, गाड़ी के चलने से पहले उन्हें धुलाई लाइनों और प्लेट फार्मों पर कीटाणुहीन किया जाता है और उनमें फिनायल छिड़की जाती है। पानी भरने वाले रास्ते के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नियमित रूप से और बुलाये जाने पर शौचालयों की मुफ्त सफाई की व्यवस्था की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्याध्यक्ष समिति

2455. **श्री चतुर्भुज :**

प्रो० मधु दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा नीति सम्बन्धी राज्याध्यक्ष समिति के विचार में ऊर्जा को बचाने के लिये समूचे रेल परिवहन को बिजली से चलाना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सिफारिश का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्याध्यक्ष समिति ने ऊर्जा नीति पर नहीं बल्कि पावर के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी है। रेल परिवहन का विद्युतीकरण करने के बारे में समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोल-इन्डिया द्वारा रेल-विभाग को कोयले की सप्लाई

2456. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान, महीने-वार विभिन्न रेल को कोल-इन्डिया द्वारा कोयले की कितनी-कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान, महीने-वार प्रत्येक रेलवे की कोयले की कितनी-कितनी मांग थी ;

(ग) गत दो वर्षों की अवधि के दौरान, कोयले की अनुपलब्धता के कारण कितनी-कितनी और कौन-कौन सी माल तथा सवारी गाड़ियों को रद्द किया गया और कितने समय के लिए रद्द किया गया ; और

(घ) कोयले की कम सप्लाई के कारण उक्त अवधि के दौरान रद्द की गई इन गाड़ियों के डिब्बों का क्या उपयोग किया गया और किस सीमा तक किया गया ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नवम्बर, 1978 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में रेल इंजन कोयले की औसत मासिक प्राप्तियां तथा आवश्यकताएं :—

(बड़ी लाइन के चौपहिया माल डिब्बों के हिसाब से)

क्षेत्रीय रेलवे	प्राप्तियां	आवश्यकता
मध्य	7163	7200
पूर्व	6548	6600
उत्तर	7410	8850
पूर्वोत्तर	3741	4200
पूर्वोत्तर सीमा	1744	1800
दक्षिण	3392	3600
दक्षिण मध्य	4365	4500
दक्षिण पूर्व	3930	4050
पश्चिम	5335	6000

(ग) कोयले की कमी तथा अन्य कारणों से पिछले दो वर्षों के दौरान रद्द की गयी गाड़ियों की संख्या दिन प्रति दिन बदलती रही है। 31-12-79 की स्थिति के अनुसार कोयले की कमी के कारण 181 जोड़ी गाड़िया रद्द थीं।

(घ) इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अपेक्षाकृत कम महत्व वाली तथा कम दूरी की गाड़ियां ही रद्द की जायें। अन्य गाड़ियों के साथ समेकित रेक सम्बन्धों द्वारा-इन सेवाओं की काफी हद तक व्यवस्था कर दी जाती है और इस तरह अन्य गाड़ियों को चलाने के लिए इन सवारी डिब्बों का उपयोग किया जाता है। माल डिब्बों को सामान्य पूल में रखा जाता है। और इस तरह माल यातायात के समग्र ढांचे में इस का निरन्तर उपयोग होता रहता है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों को, जोकि इस समय आकाशवाणी भवन के रास्ते एक तरफा मार्ग पर चलती हैं, पटेल चौक के मार्ग से चलाना

2457. **श्री भीखाभाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सचिवालय जाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसें छोटा मार्ग पकड़कर, आकाशवाणी भवन से ही मुड़ जाती हैं और पटेल चौक, गुरुद्वारा बंगला साहिब आदि वाला सामान्य मार्ग नहीं अपनाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके फलस्वरूप बाबा खड़गसिंह मार्ग के निवासी, विशेषतया महिलाएं बिलिंगडन अस्पात के रोगी तथा उक्त गुरुद्वारा जाने वाले भक्तजनों को बहुत असुविधा हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम को यह आदेश देने का है कि वह केन्द्रीय सचिवालय जाने वाली बसों को पटेल चौक, गुरुद्वारा बंगला-साहिब आदि के मार्ग से गुजारे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) संसद सौध के पास तालकटोरा मार्ग का भाग 1975 में जब से चौराहे से होकर गुजरने वाले भारी यातायात के लिए बन्द किया गया तब से रेडक्रास रोड से नार्थ ब्लाक की ओर आने वाली बसें संसद सौध और आकाशवाणी के भवन के बीच निर्मित सड़क से होकर चलाई जाती है । तथापि, केन्द्रीय सचिवालय से कृषि भवन की ओर आने वाली बसें पंडित पन्त मार्ग, अशोक रोड और संसद मार्ग होकर जाती है । इस क्षेत्र में भारी यातायात से बचने के लिए एक ओर के यातायात की व्यवस्था की गई थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) चूंकि ये बसें जिनका रास्ता बदला गया है, कभी पटेल चौक, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अशोक रोड से होकर पहले कभी नहीं चलती थीं । इसलिए इनको 'पुराने रास्ते' पर फिर से चलाने का प्रश्न नहीं होता ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 4

2459. **श्री आर० एस० भाने** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 4 पर कार्य की प्रगति किस चरण पर है; और

(ख) यह काम स्वीकृत योजना और प्राक्कलनों के अनुसार कब तक पूरा किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर सड़क को सुधारने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत के अनेक निर्माण कार्यों में काम विभिन्न चरणों में पूरा हो रहा है । महत्वपूर्ण चालू निर्माण कार्यों और इनके पूरे होने की संभावित तारीख का विवरण संलग्न है । इन निर्माण कार्यों में बोरघाट सड़क को जो पुणे को मुम्बई की तरफ एक छोटा सा डाइवर्जन है, फिर से बिछाने का काम और पवाना नदी पर पुल का निर्माण कार्य भी शामिल है ।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर जो कार्य प्रगति में है उनकी सूची ।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	पूरा किए जाने की संभावित तारीख
1	2	3
	बंगलौर-पुणे खंड	
1.	उपखंड सात को उन्नत करना (किलोमीटर 730-715)	6/81
2.	उपखंड छ: को उन्नत करना (किलोमीटर 744-730)	6/81
3.	उपखंड आठ को उन्नत करना (किलोमीटर 715-699)	3/81
4.	उपखंड नौ को उन्नत करना (किलोमीटर 699-684)	3/81
5.	उपखंड दस को उन्नत करना (किलोमीटर 682-669)	3/81
6.	उपखंड ग्यारह को उन्नत करना (किलोमीटर 669-657)	3/81
7.	उपखंड चौदह को उन्नत करना (किलोमीटर 635-632)	6/81
8.	उपखंड पन्द्रह को उन्नत करना (किलोमीटर 622-605)	5/81
	II-पूणे बम्बई खंड	
9.	बम्बई पुणे सड़क पर कामशेट उपमार्ग एम 84 (किलोमीटर 82/7-48/0)	6/81
10.	वल्वान और बरनामपुर उपमार्ग (एम०74/0-75/0)	6/81

1	2	3
11.	राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचमार्गों का सुधार तथा मजबूत करना (एम०84/0-89/0)	3/81
12.	राष्ट्रीय राजमार्ग पर बम्बई-पुणे सड़क को फिर से बनाना और मजबूत करना (एम०34/0-40/3)	6/81
13.	राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर बम्बई-पुणे सड़क पर पुणी शहर के बाहर शार्ट वेस्टरली डाइवर्जन का निर्माण	3/82
14.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर बम्बई-पुणे सड़क पर एम०63/7 से 68/7 के बीच लोअर-बरोाट-रीच का पुनः सरेखन।	3/84
15.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर निचले बोरघाट के पुनः सरेखन पर 4 पुलियो (वायडाक्ट) का निर्माण।	3/84
16.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर वैस्टरली डाईवर्जन पर पवाना नदी के ऊपर पुल।	12/82

वियतनाम, कम्पूचिया और लाओस को दी गई सहायता

2460. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा 1979-80 और 1980-81 के दौरान इन्डोचीन के प्रत्येक देशों (अर्थात् वियतनाम, कम्पूचिया और लाओस) को ऋण, औद्योगिक और परिवहन उपकरण, खाद्यान्न, चिकित्सा सामान, पशुधन तकनीकी जानकारी और तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में दी गई सहायता की मात्रा स्वरूप क्या है :

(ख) क्या इन देशों की सरकारों ने भारत सरकार से अन्य कोई विशिष्ट अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वे अनुरोध पूरे किये जायेंगे ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) भारत द्वारा 1979-80 और 1980-81 के दौरान हिन्द-चीन के इन तीन देशों को दी गई सहायता इस प्रकार है :-

वियतनाम

1. 1977 में भारत 100,000 टन गेहूं या 70,000 टन गेहूं का आटा उधार देने पर सहमत हुआ था। 1978 में भारत 300,000 टन गेहूं उधार देने पर सहमत हुआ था।

(70000 टन आटे और 300,000 टन गेहूं का मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये है)। 1977-80 के दौरान आटा और गेहूं भेजने का क्रम जारी रहा।

2. सितम्बर, 1977 में भारत सरकार ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत वियतनाम में लगभग एक करोड़ छयासी लाख रुपये की लागत से एक चावल अनुसंधान संस्थान और भैंस प्रजनन केन्द्र स्थापित करने का वचन दिया। अगस्त, 1978 में 500 मुर्राह भैंसें भैंस प्रजनन केन्द्र के लिए वियतनाम भेजी गई। इन केन्द्रों का काम सम्भालने के लिए जनवरी, 1980 में 10 वियतनामी विद्यार्थी हमारे कृषि/डेरी अनुसंधान संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत आए। जल्दी ही दो भारतीय वैज्ञानिक वियतनाम जायेंगे जो इन दोनों संस्थानों में परियोजना प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। भैंस प्रजनन केन्द्र के लिए अन्य वस्तुओं के अलावा कुछ दवाइयां और जमा हुआ बीर्य भी भेजा जाएगा।

3. 1978-80 के दौरान लगभग 35.5 करोड़ रुपये मूल्य का रेलवे चल स्टाफ (वेगन, सवारी गाड़ी के डिब्बे और फालतू पूर्जे, वैगन और कोच बोगियां), और लगभग 2 5 करोड़ रु० का सूती धागा और 1000 भैंसें वियतनाम भेजी गई। इन सभी मदों/वस्तुओं की कीमत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिए गए 30 करोड़ रु० के ऋण से और सरकार से सरकार को दिए गए 10 करोड़ के उस ऋण से चुकाई गई जिस पर फरवरी, 1978 में वियतनाम के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के समय सहमति हुई थी।

4. नवम्बर, 1979 में लगभग 3 लाख मीटर कपड़ा और साइकलों के कतिपय पुर्जे भारत द्वारा वियतनाम को उधार में दिए गए।

5. वियतनामी विद्यार्थियों को हमारे संस्थानों में फोटो-विश्लेषण, औषध अनुसंधान और विज्ञान के अन्य विषयों में प्रशिक्षण सुविधाएं दी जा रही हैं 1981 के लिए भी हमने फिल्म निर्माण, कृषि, इन्जीनियरी, अंग्रेजी और हिन्दी भाषा तथा अन्य विषयों के लिए वियतनामी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना मान लिया है।

6. 1980-81 के लिए औषध अनुसन्धान, वाइरस विज्ञान, दवाइयां और अन्य औद्योगिकीय विषयों के भारतीय विशेषज्ञों की वियतनाम यात्राओं की व्यवस्था की जा रही है।

7. अप्रैल, 1980 में वियतनाम के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान हमने सरकार से सरकार के आधार पर 5 करोड़ रुपये का और ऋण देना स्वीकार किया। भारतीय औद्योगिकीय विकास बैंक ने भी 15 करोड़ रुपये का वाणिज्यिक ऋण देना स्वीकार किया है। समझा जाता है कि इन दोनों ऋणों में से वियतनाम रेलवे चल स्टाक, टक्सटाइल मशीनरी और दूसरे पुर्जे और हल्के उद्योगों के लिए हिस्से पुर्जे तथा बिजली उद्योग के लिए उपस्कर और दूसरी सामग्री भी खरीदेगा।

वियतनाम को 50,000 टन चावल उधार देने पर भी सहमति हो गई है।

कम्पूचिया

भारत सरकार ने कम्पूचिया जनगणराज्य को लगभग 2-5 लाख रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री और दवाइयां उपहार स्वरूप दी हैं। साथ ही लगभग 84 लाख रुपये की लागत से 3000 टन चावल, लगभग 5.50 लाख रुपये की लागत से 100 टन बीज का धान और लगभग 2.58 लाख रुपये की लागत से लेखन सामग्री (पेंसिलें, नोट बुक और कागज) द्विपक्षीय आधार पर दिए हैं। इनके अलावा भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ बाल आपाती कोष के माध्यम से कम्पूचिया जनगणराज्य को लगभग 2,000 टन चावल उपहार स्वरूप दिए है।

लाओस

1979-80 के दौरान 22-23 टन दवाइयां, रुई की 68 गाठें, 39 चर्खे और उनसे सम्बन्धित औजार लाओस भेजे गए,। हम लाओस को 100 भैंसे उपहार में दे रहे हैं और आशा है कि इन्हें जल्दी ही भेज दिया जाएगा। कतिपय घास बीज और चारा काटने की मशीने आदि भी भेजी जाएंगी। लाओस के पांच छात्रों को भैंसों के रख-रखाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लाओस लौटते समय वे भैंसों को साथ ले जाएंगे। लाओस वासियों को भैंसों के रख-रखाव में सहायता देने के लिए कुछ भारतीय पशु विशेषज्ञ भी लाओस जाएंगे।

(ख) जी हां।

(ग) वियतनाम, लाओस और कम्पूचिया से प्राप्त और अधिक औद्योगिक/तकनीकी/वित्तीय सहायता के लिए अनुरोधों पर सरकार विचार कर रही है। सरकार इन्डो-चीन के देशों के अपने आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता देने के लिए इच्छुक है। भारत सरकार अपने प्रोतों और आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सभी संभव सहायता देने का प्रयास जारी रखेगी।

भारतीय तलकर्षण निगम के तलकर्षक और पोत

2461. **श्री राम जेठमलानी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तलकर्षण निगम के तलकर्षकों और पोतों के कम उपयोग से सम्बन्धित प्रतिवेदनों की जांच की है ; और

(ख) इस तलकर्षण निगम के प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) ड्रैजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के ड्रेजरों के कम उपयोग किए जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

एक ड्रैजर, वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण, आदि के लिए लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवर्ष अधिक से अधिक लगभग 250 दिन काम के लिए उपलब्ध होता है। 1979-80 में ड्रैजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के 8 ड्रैजरों के उपयोग किये जाने की औसत अवधि 212 दिन है। यह औसत इस तथ्य के बावजूद थी कि मांग न होने के कारण एक ड्रैजर ने केवल 89 दिन ही कार्य किया। ड्रैजरों का औसत कार्य संतोषजनक समझा गया है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं होता।

नौवहन और बन्दरगाहों के विकास के लिए मंजूर धनराशि

2462. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नौवहन और बंदरगाहों के विकास के लिए गत 9 महीनों में 265 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) सरकार ने जहाज खरीदने के लिए फरवरी, 1980 और अक्तूबर, 1980 के बीच 3782.29 लाख रुपए का रुपया ऋण और विदेशों से जहाज खरीदने की नयी योजना के अधीन 3782.29 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। सरकार ने जनवरी, 1980 से बड़े पत्तनों पर विभिन्न योजनाओं के लिए 77.33 करोड़ रुपये के कार्य भी स्वीकृत किए हैं।

(ख) ब्यौरा अधुबंध 'क', 'ख' और 'ग' में दिया गया है।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1514/80)

येल्हेन्का में रेल के पहिये बनाने वाली एकक

2463. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या येल्हेन्का में रेल के पहिये और एक्सिल बनाने वाली एक एकक की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी का प्रयोग किये जाने के लिए किसी देश के साथ उससे सहयोग लेने के लिए सरकार ने समझौता किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी हां।

(ख) पहियों के निर्माण के लिए 10 अप्रैल, 1974 को मेसर्स एमस्टेड इण्डस्ट्रीज इंक, अमरीका के साथ एक सहयोग करार किया गया है।

(ग) करार के अनुसार मेसर्स एमस्टेड कारखाने की पहिया यूनिट की स्थापना के लिए पूर्ण तकनीकी जानकारी देंगे। पहियों का निर्माण तलवर्ती दबाव ढलाई प्रणाली द्वारा किया जायेगा। पहिया एवं धुरा संयत्र में 1000 पहियों की पहली खेप का निर्माण सन्तोषजनक ढंग से पूरा हो जाने 7½ वर्ष बाद यह सहयोग समाप्त हो जाएगा। सरकार को प्रकटीकरण शुल्क के रूप में 50,000 अमरीकी डालर की राशि का भुगतान तथा सहयोग करार की अवधि के दौरान उत्पाद (जिसमें 1000 पहियों की पहली खेप शामिल नहीं है) के शुद्ध बिक्री मूल्य पर 5% की दर के हिसाब से रायल्टी देनी होगी।

उप-नगरीय रेलवे पास

2464. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उप-नगरीय रेलवे पासों की दरों में वृद्धि के भार को कर्मचारियों पर स्थानान्तरित करने के लिए कोई कानून बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कानून कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण समाज में अस्वस्थता का बदलता स्वरूप

2465. **श्री आर० एल० भाटिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन वर्षों में ग्रामीण समाज में अस्वस्थता का स्वरूप तेजी से बदलता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1977-78 और 1978-79 में आयु, लिंग और व्यवसाय के अनुसार विभिन्न राज्यों में अस्वस्थता के प्रमुख कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) समस्त ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के संबंध में हर वर्ष अस्वस्थता का जो पैटर्न एकत्र किया जाता है, हाल ही के वर्षों में उसमें कोई सुस्पष्ट परिवर्तन दिखलाई नहीं देता।

(ख) और (ग) संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर अस्वस्थता के पैटर्न का हर वर्ष अध्ययन किया जाता है। 1972, 1974 और 1976 वर्षों के दौरान अलग अलग राज्यों में अस्वस्थता के मुख्य मुख्य कारणों का एक विवरण संलग्न है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1972, 1974 और 1976 के दौरान चुनिंदा राज्यों की जिन संस्थाओं ने रोगियों का इलाज किया, उनकी प्रतिशतता का वितरण (आई. पी. डी. और ओ. पी. डी.)

राज्य	1972				1974				1976			
	आई. एण्ड एफ.	एन. पी.	एम. डी.	सगर्भता और प्रसवोत्तकाल की जटिलतायें	आई. एण्ड एफ.	एन. पी.	एम. डी.	सगर्भता और प्रसवोत्तकाल की जटिलतायें	आई. एण्ड एफ.	एन. पी.	एम. डी.	सगर्भता और प्रसवोत्तकाल की जटिलतायें
आन्ध्र प्रदेश	17.6	0.2	0.3	1.5	23.8	0.1	0.3	1.5	22.9	1.2	0.4	1.2
आसाम	26 4	0.3	0.2	1.3	36.1	0.1	0.06	1.3	34.6	2.8	0 1	0.01
हरियाणा	6.9	0.5	0·3	1.7	15.4	0.1	0.4	1.7	2 7	0·2	0.4	0.2
मध्य प्रदेश	16.6	0.5	0.1	0.9	25.1	0.6	0.02	0.9	22 6	0.4	0.1	0.4
उड़ीसा	22.6	0.6	0.2	1.6	15.6	0.2	0.14	1.6	22.6	0.4	0.1	0.4
पंजाब	7.9	02	0.4	1.4	15.9	0.1	0.7	1.4	17 9	0.2	0.8	0.2
राजस्थान	12.7	0.2	0.4	1.2	12.1	0.1	0.4	1.2	13 1	0.1	0 3	0 1
तमिलनाडु	0.7	0.1	0.03	1.3	19.8	0.01	0.03	1.3	4.1	0 03	0 02	0.03
औसत	13.9	0.33	0.24	1.36	20.5	0.16	0.25	1.40	17.6	0.70	0 28	0.32

नोट

आई.. एण्ड एफ.—संक्रमी और परजीवी रोग

एन. पी.— अर्बुद

एम. डी.—मानसिक दोष

"ह्यूज प्रोडक्शन लास ड्यू टू क्योरेबल ब्लाइंडनेस" शीर्षक से समाचार

2466. श्री आर० एल० भाटिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अक्तूबर, 1980 के "इन्डियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "ह्यूज प्रोडक्शन लास ड्यू टू क्योरेबल ब्लाइंडनेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक के अनुसार चिकित्सा योग्य अंधेपन के प्रत्येक रोगी से राष्ट्र को पूंजीगत लागत के रूप में 10,000 रुपये की हानि होती है ;

(ग) क्या देश में इन रोगों के आर्थिक प्रभाव को आंकने के लिये उनके मंत्रालय ने हैजे, मलेरिया तथा अन्य संक्रामक रोगों जैसे अन्य राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिये इस प्रकार का कोई अध्ययन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में योजना में नियत की गई भारी राशि को देखते हुए देश में सभी प्रमुख संक्रामक रोगों के सम्बन्ध में भी इस प्रकार के अध्ययन कराने की कोई योजना है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) जिस व्यक्ति के अंधेपन का इलाज किया जा सकता हो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से राष्ट्र को पूंजीगत लागत के रूप में कितनी हानि होती है इसका पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) इस समय जितने भी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनमें से केवल राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में मंत्रालय ने इस रोग के आर्थिक प्रभाव जानने के लिए एक अध्ययन किया है। 1972 में किये गये इस अध्ययन के अनुसार इस कार्यक्रम को चलाने से 1959 से 1965 के दौरान देश में अनुमानत: 46 लाख 10 हजार से 93 लाख 50 हजार के बीच श्रम-दिन बचाये गये।

(ङ) और (च) काफी मात्रा में पैसे की आवश्यकता तथा व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए प्रमुख संचारी रोगों के कारण क्या-क्या आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं इस तथ्य को जानने के लिए इस प्रकार के दीर्घ-कालिक अध्ययन करने की इस समय कोई योजना नहीं है।

नीलांचल एक्सप्रेस को रद्द किया जाना

2467. **श्री हरिहर सोरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 175/176 नीलाचल एक्सप्रेस को 1-4-1980 से 1-10-80 के दौरान कई बार रद्द किया गया है ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान किन-किन तारीखों को इसे रद्द किया गया और इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस गाड़ी के इस प्रकार रद्द किये जाने को रोकने के लिये उनके मन्त्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 1-4-80 से 1-10-80 तक की अवधि में पुरी से चलने वाली 175 अप नीलाचल एक्सप्रेस को चार अवसरों पर और नई दिल्ली से चलने वाली 176 डाउन नीलाचल एक्सप्रेस को 6 अवसरों पर रद्द किया गया।

पुरी से चलने वाली गाड़ी को 6-5-80 को जन आन्दोलन के कारण और 12-8-80, 15-8-80 और 21-9-80 को बाढ़, लाइनों में टूट-फूट और भारी वर्षा के कारण रद्द किया गया। नयी दिल्ली से चलने वाली 176 डाउन 8-5-80 को जन आन्दोलन के कारण, 12-8-80 14-8-80 और 28-8-80 को लाइनों में टूट-फूट के कारण और 21-9-80 और 23-9-80 को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा हड़ताल के कारण रद्द की गयी।

इस तरह ये कारण रेलों के नियंत्रण से बाहर थे।

नियमों की कथित बहुलता तथा मैट्रो-रेलवेज कलकत्ता के निष्पादन में बिलम्ब

2468. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में मैट्रो रेलवे के निष्पादन तथा निर्माण कार्य में अब तक सैक्शन-वार क्या प्रगति की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि नियमों की बहुलता के कारण परियोजना कार्यक्रम के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब हो गया है ;

(ग) परियोजना की निष्पादन एजेंसियों को और क्या सहयोग दिया जा रहा है ;

(घ) क्या प्रगति इसके कुछ ही अनुभागों में विलम्ब से चल रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और निर्माण करने वाली फर्मों को सहायता दिए जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मैट्रो रेलवे कलकत्ता में निर्माण-कार्यों की खण्ड-वार प्रगति नीचे दी गई है :—

खंड सं०	प्रतिशत प्रगति	
1	2	3
1	कार्य पूरा हो चुका है	
2	बक्से और पाइल	93%
	डायाफ्राम दीवार	100%
3 क	डायाफ्राम दीवार	100%
	बक्से	35%
4 क	डायाफ्राम दीवार	100%
	बक्से	41%
4 ख	सुरंग बनाना	5%
10 (एस्प्लेनेड)	डायाफ्राम दीवार और बक्सा	34%
(पार्क स्ट्रीट)	,,	84%
11	डायाफ्राम दीवार और बक्सा	59%
12	डायाफ्राम दीवार और बक्सा	92%
13 क	डायाफ्राम दीवार	95%
	बक्से	27%
13 ख	डायाफ्राम दीवार	93%
	बक्से	11%
13 ग	डायाफ्राम दीवार	96%
	बक्से	2%
14 क	डायाफ्राम दीवार	43%
	बक्से	1%
14 ख	डायाफ्राम दीवार	54%
	बक्से	6%

1	2	3
14 ग	डायाफ्राम दीवार	95%
	बक्से	6%
15 क I	डायाफ्राम दीवार	96.5%
15 क II	,,	90.3%
	बक्से	5%
15 ख	डायाफ्राम दीवार	95%
	बक्से	20%
15 ग	डायाफ्राम दीवार	100%
	बक्से	14%
16 क	डायाफ्राम दीवार	97%
	बक्से	12%
16 ख	डायाफ्राम दीवार और बक्से	60%
17 क	डायाफ्राम दीवार	60%
17 ख	बक्से और पाइल	95%

इस काम को आरम्भ करने के लिए ठेका खंड 5, 6 क, 6 ख, 7 और 8 डायाफ्राम दीवार और डेक के निर्माण के लिए भी ठेके दे दिये गये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) निर्माण-कार्य की प्रगति पर निरन्तर निगाह रखी जाती है और जहां कहीं आवश्यकता होती है आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) कुछ ठेका खंडों में धीमी प्रगति के कारण हैं—भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, कानून और व्यवस्था की स्थिति, इस्पाती सामान की अनुपलब्धता और बिजली में कटौती आदि। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के सहयोग से उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

धनबाद स्टेशन

2469 **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे प्रशासन ने धनबाद स्टेशन की निम्नलिखित समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है (एक) 4

डाउन मेल गाड़ी द्वारा नष्टवान वस्तुओं सहित अधिक पार्सलों की ढुलाई (दो) अपर्याप्त स्थान होने के कारण धनबाद पार्सल कार्यालय में काम करने लायक स्थिति का न होना (तीन) अप दिशा में निकासी सुविधा न होने के कारण बाहर जाने वाले माल का अधिक समय तक रुके रहना और (चार) बुकिंग और आरक्षण काउन्टरों की अपर्याप्त संख्या ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (1) 4 डाउन मेल गाड़ी द्वारा अधिक पार्सल परेषणों की ढुलाई के कुछ मामले हैं और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाये गए हैं ।

(2) एक नया पार्सल कार्यालय, जिसमें पर्याप्त स्थान होग, निर्माणाधीन है ।

(3) पिछले तीन महीनों में कोई भी निर्गामी परेषण नहीं रोका गया था । लेकिन सुपर पार्सल एक्सप्रेस गाड़ियों के अनियमित चालन के कारण, जो अब नियमित रूप से चल रही हैं, बिगत में कुछेक अवसरों पर कुछ पैकेजों को 3/4 दिन तक रोकना पड़ा ।

(4) इस समय धनबाद स्टेशन पर 10 बुकिंग खिड़कियां तथा 3 आरक्षण खिड़कियां हैं । त्यौहारों और भीड़ के समय 2 अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां खोल दी जाती हैं । आरक्षण कार्यालय, में आरक्षण खिड़कियों के विस्तार और ढांचे में परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है तथा निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर एक अतिरिक्त आरक्षण खिड़की की व्यवस्था कर दी जायेगी । यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए ये सुविधायें पर्याप्त समझी गयी है । स्थिति की फिर पुनरीक्षा की जायेगी तथा यातायात का औचित्य पाये जाने पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जायेगी

तीर्थराज पुस्करजी में रेलवे-आउट-एजेंसी का खोला जाना

2470. **आचार्य भगवान देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीर्थराज पुस्करजी की जनता ने वहां एक 'रेलवे-आउट-एजेंसी' की स्थापना करने के लिए सरकार से पुन: अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार का बिचार वहां पुन: एक 'रेलवे-आउट-एजेंसी' की स्थापना करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) : जी हां ।

(ख) और (ग) पश्चिम रेलवे प्रशासन ने राजस्थान राज्य परिवहन निगम तथा अन्य गैर-सरकारी प्रचालकों से आउट-एजेंसी को फिर से खोलने के प्रस्ताव की संभावना की खोज-बीन की

थी किन्तु आउट-एजेंसी खोलने में किसी ने रुचि नहीं दिखायी। जैसे ही कोई उपयुक्त पार्टी इस कार्य को शुरू करने को मिल जायेगी, इस आउट-एजेंसी को खोलने के बारे में विचार किया जायेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण पूर्व रेलवे प्राधिकरण

2471. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे प्राधिकरण ने उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में नगर-पालिका तथा अधिसूचित क्षेत्र परिषद् के करों की बकाया राशि अदा कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने रायगड़ तथा जेपुर नगरपालिका तथा कोरापुट अधिसूचित क्षेत्र परिषद् को किस वर्ष से कर देना आरम्भ किया है और करों की कितनी राशि बकाया पड़ी है ; और

(ग) रेलवे प्राधिकरण द्वारा करों की अदायगी कब नियमित की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1977-78 के अन्त तक कोरापुट जिले की रायगाडा नगरपालिका को कर का भुगतान कर दिया गया है। नगर पालिका द्वारा मांग-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण 1978-79 और 1980-81 के करों का भुगतान नहीं किया गया है। कोरापुट अधिसूचित क्षेत्र परिषद् को 1979-80 तक के सेवा प्रभारों का भुगतान कर दिया गया है।

(ख) रायगाडा नगर पालिका को मद्रास स्थानीय बोर्ड अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत, संविधान लागू होने से पहले की दरों के हिसाब से, करों का भुगतान दिया जाता है। लेकिन इस आधार पर किये गये भुगतान को उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने देय राशि के लिए अपेक्षित मांग-पत्र नहीं दिया है। कोरापुट अधिसूचित क्षेत्र परिषद् सेवा प्रभारों की पात्र है और देय भुगतान 1967-68 से किये जा रहे हैं। रेलवे रिकार्डों के अनुसार जैपुर नगर पालिका की कुछ भी देय नहीं है।

(ग) रायगाडा नगर पालिका जैसे स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में, जो राज्यों के पुनर्गठन से पहले एक राज्य के भाग थे और इसके बाद दूसरे राज्य को अन्तरित कर दिए गए थे, नगर पालिका करों के भुगतान से सम्बन्धित पूरे मामले पर वित्त मन्त्रालय, जो कि इस मामले में अन्तिम अथारिटी है, के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है। निर्णय ले लिए जाने पर रायगाडा नगर पालिका के दावे का निपटारा कर दिया जायेगा।

नागदा जंक्शन में पेय जल की सप्लाई

2472. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागदा जंक्शन में पेयजल की सप्लाई के लिए प्रबन्ध किए गए हैं और क्या सरकार का विचार पेय जल की सप्लाई के लिए कोई योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि नागदा में यात्रियों को बिना छना हुआ नदी का पानी सप्लाई किया जा रहा है ; और

(ग) नागदा जंक्शन में शुद्ध भोजन, ताजा फलों और खाद्य पदार्थों तथा पेयों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या प्रत्येक प्लेटफार्म पर शुद्ध पेय और चाय के स्टाल हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नागदा स्टेशन पर चम्बल नदी के तट पर स्थित कुएं से पेय जल की सप्लाई करने की व्यवस्था पहले से मौजूद है। यद्यपि यह जल छना हुआ नहीं है परन्तु यह साफ है और इसे उपयुक्त क्लोरीनीकरण के बाद ही पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। बहरहाल, नागदा नगर पालिका से पेय जल की सप्लाई प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जो उज्जैन के आयुक्त के विचाराधीन है।

(ग) प्लेटफार्म नं० 1 और 2 पर चाय और अल्पाहार के तीन स्टाल हैं। इसके अलावा, नागदा स्टेशन पर 9 वेंडिंग ट्रालियां हैं जिनमें तीन मिठाई और नमकीन की ट्रालियां, दो चाय/दूध की ट्रालियां, एक फल की ट्राली, एक दूध तथा मावे की ट्राली, एक खिलौनों की ट्राली और एक पान-बीड़ी की ट्राली शामिल हैं। अल्पाहार स्टाल केवल लेटफार्म नं० 1 और 2 पर ही मौजूद है लेकिन 9 वेंडिंग ट्रालियां सभी प्लेटफार्मों पर बारी-बारी से घूमती हैं।

तीन पहियों वाले स्कूटरों और मैटाडोर वाहनों में सुधार

2473. **श्री छोटूभाई गामित : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए तीन पहियों वाले स्कूटरों और मैटाडोर वाहनों में कुछ परिवर्तन करके इनमें सुधार करने के लिए हाल ही में कोई उपाय किए गए है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार को कहां तक सफलता मिली है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अनुसंधान और विकास कार्यों के आधार पर निर्माता अपनी-अपनी वस्तुओं में सुधार करते हैं। इन्होंने सरकार को हाल ही में किसी सुधार के होने की कोई सूचना नहीं दी है।

तीन पहियों वाले स्कूटरों के बारे में दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि सवारी की सुरक्षा के लिए प्रत्येक आटोरिक्शा में दाहिनी तरफ एक स्थायी दरवाजा लगा दिया जाय जिसकी ऊंचाई स्कूटर में बैठी हुई सवारी की कमर की ऊंचाई तक हो या क्रोमियन प्लेट की एक के ऊपर एक छड़े लगा दी जांय। इसके लिए एक अधिसूचना का मसौदा 29-10-80 को जारी किया गया है जिसमें इस संबंध में लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं।

त्रिपुरा में बंगलादेश राइफल्स द्वारा गोलाबारी किया जाना

2474. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में हाल ही में बंगलादेश राइफल्स द्वारा सीमा पार से अकारण ही गोलाबारी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या बंगलादेश सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां ! 6 नवम्बर 1980 को कोई 10-15 बंगलादेशी राष्ट्रिक बेलूनिया के पास स्थित मुहुरी चार नामक स्थान पर घुस आए और उन्होंने भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा बोई गई फसल काटने की कोशिश की। सीमा-सुरक्षा बल ने जब उन्हें ललकारा तो वे बंगलादेशी राष्ट्रिक बंगलादेश में वापस भाग गए। इसके तुरन्त बाद बंगलादेश राइफल्स ने हमारे गश्ती दल पर 10 गोलियां चलाई और आत्मरक्षा में हमारे गश्तीदल ने भी 3 गोलियां चलाई।

(ग) और (घ) इस वारदात के बारे में भारत सरकार ने बंगलादेश की सरकार से विरोध प्रकट किया है। इस क्षेत्र में स्थिति और सामान्य बनाने के उद्देश्य से सीमा-सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल्स के बीच 11 और 18 नवम्बर को फ्लैग मीटिंग हुई है। 6 नवम्बर, 1980 के बाद गोली चलने की कोई खबर नहीं आई है।

रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए सुविधायें

2475. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर, विशेषतः ब्रान्च लाइनों पर यात्रियों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता और उनके रख-रखाव का स्थल पर जाकर निरीक्षण करने के लिए एक पेनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सुझाव के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) नामित स्टेशनों, मुख्य लाइन और शाखा लाइन खंडों पर और गाड़ियों में सुविधाओं के निरीक्षण और उन्हें बनाये रखने के काम के लिए, रेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक क्षेत्रिय रेलवे के लिए तीन-तीन रेलवे अधिकारियों के दल मनोनीत किये गये हैं।

इन दलों को निरीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम अलाट किये गये थे और उन्होंने अपने निरीक्षणों की रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें पेय जल की अपर्याप्त सप्लाई, प्रतीक्षा गृहों में हवा आने-जाने की समुचित व्यवस्था के अभाव, प्रतीक्षालयों में पंखों की अपर्याप्त संख्या, प्लेटफार्मों और स्नान गृहों से लापता टोंटियां, प्रतीक्षालयी/प्रतीक्षा गृहों में गन्दगी, विश्रामालयों में चद्दर सप्लाई न किये जाने, सफाई की कमी, टिकट खिड़कियों की संख्या पर्याप्त न होने, प्रतीक्षा गृहो/विश्रामालयों में टूटा हुआ फर्नीचर होने, नीची सतह वाले प्लेटफार्मों की सतह उंची करने, प्लेटफार्मों पर शेडों के विस्तार, अतिरिक्त बुकिंग कांउटरों की व्यवस्था करने, आरक्षण चार्टों के प्रदर्शन, हैंड-पाइपों की व्यवस्था, प्लेटफार्मों की सतह को फिर से बिछाने, आदि के बारे में उल्लेख किया गया है।

इन दलों ने छोटे-मोटे नुक्सों/खराबियों को मौके पर ही ठीक करवा दिया। जो नुक्स खराबियां शीघ्र ठीक नहीं करायी जा सकीं, उन्हें ठीक कराने के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू करने के लिए रेल प्रशासनों को कहा गया है। संसाधनों के उपलब्ध होने पर, प्रमुख कार्य कार्यक्रमबद्ध आधार पर किये जायेंगे। ये निरीक्षण अभी भी किये जा रहे हैं।

रेलवे द्वारा सामान की ढुलाई की स्थिति में सुधार किया जाना

2476. **श्री वी०वी० देसाई :** **श्री जगपाल सिंह :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : **श्री के०पी० सिंहदेव :**
श्री रामविलास पासवान :
श्री वी० कृष्ण चन्द्र एस० देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा वैगनों की मांग को कब तक पूरी तरह से पूर्ण कर दिया जायेगा और सामान की ढुलाई की स्थिति में सुधार कब तक किया जायेगा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों का कार्य निष्पादन समग्र रूप से केवल उनकी अपनी कार्य कुशलता पर निर्भर नहीं रहता है बल्कि अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में कार्य कुशलता के सामान्य स्तर तथा देश की आर्थिक स्थिति, कानून और व्यवस्था की स्थिति आदि पर भी निर्भर रहता है। कार्य की सामान्य परिस्थितियों के

अन्तर्गत, रेलें दिन प्रतिदिन की मांगों को पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाई की प्रत्याशा नहीं करती हैं। नवम्बर, 1980 के महीने में कार्य निष्पादन में सुधार आया है क्योंकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में प्रतिदिन 600 अधिक माल डिब्बों का लदान किया जा रहा है।

(ख) रेलों तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर भी दिन प्रतिदिन के आधार पर ढुलाई की निकटता से निगरानी रखकर कार्य निष्पादन में सुधार लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। माल डिब्बों के लदान फेरों में सुधार लाने के लिए विभिन्न एजेंसियों से भी समन्वय बनाये रखा जाता है। कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों की भी सहायता ली जा रही है। कर्मचारी आन्दोलनों के बारे में उपयुक्त रूप से कार्रवाई की जाती है। माल डिब्बों की वर्तमान संख्या में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त माल डिब्बे खरीदने के अलावा खराब माल डिब्बों की मरम्मत को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनकी संख्या कम करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

चीन के विदेश मंत्री द्वारा भारत की यात्रा

2477. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के विदेश मंत्री के भारत के दौरे के सम्बन्ध में चीन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी नई तारीख की सूचना दी गई है ;

(ग) क्या हाल ही तक चीनी भारत के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करने के इच्छुक नहीं रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या चीन पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र तथा गोलाबारूद सप्लाई कर रहा है जिसे पाकिस्तान भारत के विरुद्ध उपयोग करेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में चीन से कोई विरोध प्रकट किया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) चीनी नेताओं द्वारा हाल ही में भारतीय संवाददाताओं को दिये गए प्रेस साक्षात्कारों से ऐसे सुझाव के संकेत नहीं मिलते हैं।

(घ) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ङ) पाकिस्तान को हथियार दिये जाने के बारे में भारत सरकार के विरोध से चीन सरकार पूरी तरह से अवगत है। चीन सरकार का कहना यह है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली

सहायता भारत के विरुद्ध नहीं है और उन्हें आशा है कि भारत और पाकिस्तान तथा भारत-चीन के सम्बन्धों में सुधार होगा।

भारत-अमरीकी द्विपक्षीय वार्ता

2478. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है और क्या निर्णय लिए गए हैं ;

(ग) क्या अमरीका के नए राष्ट्रपति के आने के बाद पिछली सरकार द्वारा किए गए निर्णय का पुनरीक्षण किया जा सकता है ;

(घ) यदि हां, तो दो देशों के बीच पहले किए गए करारों में क्या परिवर्तन किए गए हैं ;

(ङ) क्या अमरीका की नई सरकार का भारत सम्बन्धी नीति पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) जैसा कि ऐसे अवसरों पर सामान्यतः होता है, इस बातचीत में भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों और द्विपक्षीय सम्बन्धों पर विचार-विमर्श हुआ। अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों पक्षों ने पूर्व-पश्चिम के सम्बन्धों, पूर्वी एशिया की स्थिति, दक्षिण-पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा उत्तर-दक्षिणी संवाद, निःशस्त्रीकरण की सम्भावनाओं आदि के विषय में भी विचार-विनिमय किया जिन द्विपक्षीय मामलों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें भारत-अमरीका के बीच व्यापार सम्बन्धों और सतत नाभिकीय सहयोग की सम्भावनाएं भी शामिल है। आधिकारिक स्तर पर ऐसी बातचीत का उद्देश्य मुख्यतः परस्पर विचारों का आदान-प्रदान होता है न कि किसी मामले के सम्बन्ध में किसी खास निर्णय पर पहुंचना।

(ग) अमरीका के नए राष्ट्रपति ने अभी अपना कार्य-भार नहीं सम्भाला है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

ईसाई संगठनों द्वारा चलाई जा रही चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं

2479. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ईसाई संगठनों द्वारा कुल कितनी चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थायें चलाई जा रही है ;

(ख) ये कितने प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करती है ; और

(ग) इनमें से कितनी पिछड़े क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्र में स्थित है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथाशीर्घ रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 का एक उपमार्ग बनाने का प्रस्ताव

2480. **श्री रामलाल राही** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर सीतापुर शहर के बाहर उपमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और क्या उसके लिए वित्तीय सहायता की मांग भी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना हे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हाँ। चूंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग का बाईपास है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है।

(ख) इस बाईपास के लिए जमीन प्राप्त करने के लिए 6.44 लाख रुपये मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी निर्माण कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना में शरू करने का प्रस्ताव है जो वित्तीय स्थिति और इस बात पर निर्भर है कि देश में यातायात की आवश्यकता के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य के लिए इसे कितनी प्राथमिकता मिलती है।

सूरत उद्योगों द्वारा कोयले के वैगनों की मांग

2481. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरत गुजरात में उद्योगों के लिए हर महीने मांगी गई कोयले के वैगनों की संख्या कितनी है और इस कार्य के लिए स्वीकृत कोयले के वैगनों की संख्या कितनी है ;

(ख) स्वीकृत कोयले के वैगनों में से जनवरी, 1980 से सितम्बर, 1980 तक सप्लाई किए गए कोयला वैगनों की मासिक संख्या का विवरण क्या है ; और

(ग) किन कारणों से अपेक्षित कोयले के वैगनों की पूर्ति नहीं की गई और स्वीकृत सभी कोयला वैगनों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी और तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

बसों द्वारा वायु का प्रदूषण

2482. श्री छोटू भाई वासिव : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और बम्बई जैसे महानगरीय शहरों में चलने वाली बसें चलते समय धुआं बाहर छोड़ती हैं जो न केवल यातायात के लिए असुविधा उत्पन्न करता है अपितु स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है ; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को डीजल गाड़ियों से धुआं निकलने की मात्रा के बारे में भारतीय मानक संस्थान के मानक सूचित कर दिए हैं और उनसे मोटर गाड़ी नियमों में उचित संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बसों से अधिक धुआं निकलने से स्वास्थ्य और यातायात का खतरा दूर हो जाए।

वायु दूषण का बचाव और नियंत्रण विषयक विधेयक भी लोक सभा में 24.11.80 को पेश किया गया है।

दिल्ली में यह अब दिल्ली परिवहन निगम द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि सड़क पर कोई ऐसी बस नहीं चलाई जाय जिसमें से अधिक धुआं निकलता हो। हर स्तर पर जैसे कि शेड से बस को निकालते समय या जब बस सड़क पर चल रही हो, नियमित रूप से जांच की जाती है। दिल्ली पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि जब भी उसे किसी बस में से अधिक धुआं निकलता दिखाई दे तब वह उस बस का चालान कर दे।

दक्षिण-पूर्व रेलवे की समय सारणी

2483. श्री नारायण चौबे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे अधिकारी समय-सारणियों को नियमित रूप से छपवाते और प्रकाशित करवाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979 और 1980 की समय-सारणियां कौन से प्रेस में छपवाई गई थीं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) उन मुद्रणालयों के नाम जहां वर्ष 1979 और 1980 की दक्षिण पूर्व रेलवे की समय सारणियाँ मुद्रित हुईं, इस प्रकार हैं :—

समय सारणी की भाषा	अप्रैल, 79 अंक	अक्तूबर, 79 अंक	अप्रैल और नवम्बर, 80 अंक
अंग्रेजी	द०पू० रेलवे, मुद्रणालय खड़गपुर	मे० डी० एन० प्रैस, कलकत्ता	साउथ प्वाइंट प्रिंटर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता
अंग्रेजी (पाकेट)	,,	द. पू. रेलवे मुद्रणालय, खड़गपुर	द० पू० रेलवे मुद्रणालय, खड़गपुर
बंगला	,,	मे. यूरेका प्रिंटर्स (प्रा.) लि., कलकत्ता	मे० यूरेका प्रिंटर्स (प्रा०) लि० कलकत्ता
बंगला (पाकेट)	,,	,,	,,
हिन्दी	मे. शारदा प्रेस, बरहामपुर गंजाम	मे० शारदा प्रेस बरहामपुर, गंजाम	साउथ प्वांइट प्रिंटर्स (प्रा.) लि., कलकत्ता
उड़िया	,,	,,	,,
तेलगु	,,	,,	,,

मेडिकल कालेजों में विदेशी छात्रों को प्रवेश

2474. **श्री के० राममूर्ति** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए सरकार को किन-किन देशों के कितने विदेशी छात्रों ने आवेदन-पत्र दिये थे ; और

(ख) हमारे देश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने वाले ऐसे विदेशी छात्रों के नाम क्या हैं और अर्हकारी परीक्षा में इन छात्रों ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे और उन्हें किन-किन मेडिकल कालेजों में प्रवेश मिला था ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए भारत सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने वाले विदेशी छात्रों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रवेश दिया जाता है। अपने खर्च से पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की योजना का प्रशासन विदेश मंत्रालय चलाता है और वित्त मंत्रालय कोलम्बो योजना तथा विशेष राष्ट्र मंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम का काम देखने वाला मुख्य मंत्रालय है। शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति तथा अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का काम देखता है। ये सभी कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से चलाए जाते हैं।

चूंकि इनमें से एक योजना के अन्तर्गत स्थानों के आवंटन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और विदेशी छात्रों को प्रवेश देने से सम्बद्ध ब्यौरा विभिन्न स्रोतों और मेडिकल कालेजों से अभी एकत्र करना है, अतः अपेक्षित सूचना संकलित होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विभाजित करना

2485. **श्री आर० एस० भाने :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 66,000 जनसंख्या के लिए गठित वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दो भागों में विभाजित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इतना अधिक स्टाफ नहीं है कि वे विभाजित होने पर बिना किसी हानि के कार्य कर सकें। अपितु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। यह भी विचार है कि गैर आदिवासी इलाकों की हर 50,000 की आबादी और आदिवासी एवं पर्वतीय इलाकों की हर 20,000 की आबादी के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, जबकि इस समय 80,000 से 1,00,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रखा गया है और, अस्थाई तौर पर सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि आदिवासी इलाके के उस औषधालय/उप केन्द्र में, जहां डाक्टर न हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक डाक्टर तैनात किया जाए।

काश्मीर जनवादी गणतंत्र बनाने के लिए चीन का प्रयास

2486. **श्री चित्त बसु :**

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 के "स्टेट्समेन" (दिल्ली संस्करण) में "अधिकृत" काश्मीर के साथ जम्मू और काश्मीर का विलय करके काश्मीर जनवादी गणतंत्र बनाने के लिए चीन ने कथित प्रयास के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इस आशय की खबरें सरकार ने अखबारों में देखी हैं लेकिन सरकार के पास इन खबरों की पुष्टि करने का कोई आधार नहीं है। बहरहाल चीन के उप-विदेश मंत्री श्री हैन नियांग लौंग ने हाल ही में पीकिंग की यात्रा पर जाने वाले यू० एन० आई० के एक संवाददाता से बात करते हुए इन खबरों को निराधार और बेहुदा बताया था। इस मामले में सरकार सतर्क रहती है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 के लिए बिटुमन की कम सप्लाई

2487. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिटुमन की कम सप्लाई के कारण पालघाट डिवीजन में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 में काम रोक दिया गया है ;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम बिटुमन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस वस्तु की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : बिटुमन की कम सप्लाई होने के कारण पालघाट डिवीजन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर काम के रुक जाने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तथापि, बरसात के मौसम में आमतौर पर बिटुमन का कोई काम नहीं होता है और यह हर साल होता है। जहां तक बिटुमन की सप्लाई का संबंध है, पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा केरल राज्य को 1980-81 में देश में उपलब्ध कुल बिटुमन और पिछले तीन वर्षों में उक्त राज्य को बिटुमन की बिक्री के आधार पर 37,000 मीट्रिक टन बिटुमन नियत किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, केरल राज्य को अप्रैल-सितम्बर, 1980 के दौरान लगभग 16,000 मीट्रिक टन बिटुमन भेजा जा चुका है। पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय विभिन्न राज्यों को बिटुमन का कोटा नियत करता व बिटुमन देता है और बाद में राज्य सरकार अपने-अपने सीमा-क्षेत्रों में इसे स्वतः वितरित करती है। केरल राज्य के बारे में हम केरल सरकार के लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव से यह अनुरोध कर चुके हैं कि वह 1980-81 के वर्ष के लिए इस राज्य के 37,000 मीट्रिक टन के कोटे में से राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आवश्यक बिटुमन अर्थात 11,000 मीट्रिक टन बिटुमन की जरूरत को पूरा करें।

(ख) और (ग) तेल कम्पनियों द्वारा विभिन्न राज्यों को तेल की सप्लाई अनेक बातों पर निर्भर करती है। तथापि, जब कभी किसी राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा तेल की सप्लाई में

कमी की कोई विशिष्ट समस्या बताई जाती है तब पेट्रोलियम मंत्रालय से इस बारे में लिखा पढ़ी की जाती है जो पेट्रोलियम की चीजों से मुख्य रूप से सम्बन्धित हैं।

राजस्थान नहर परियोजना के लिए रेक

2488. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 में राजस्थान नहर परियोजना और कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क्स के लिए केवल 9 रेंक सप्लाई किये गये थे जबकि 96 रेकों की मांग थी और इसके परिणामस्वरूप राजस्थान सरकार को इस वर्ष में 8 करोड़ रुपये की धनराशि वापस करनी पड़ी; और

(ख) राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के लिये चालू वर्ष में कितने रेंक मांगे हैं और उनमें से अब तक कितने रेक उपलब्ध कराये गये हैं और शेष कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार और रेलों के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकार ने यह बताया था कि प्रतिमाह कोयले के तीन रेकों से राजस्थान नहर तथा नहर क्षेत्र विकास परियोजनाओं की वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी। अप्रैल 80 और अक्तूबर 80 के बीच उन्हें 14 रेंक दिए गए हैं। बंगाल-बिहार क्षेत्रों में कोयले की समग्र ढुलाई में सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इन दोनों परियोजनाओं को भी लाभ पहुंचेगा। राजस्थान सरकार द्वारा धनराशि अभ्यर्पित किये जाने के सम्बन्ध में रेलों को कोई जानकारी नहीं हैं।

क्षय रोग और अन्धापन से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या

2489. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संतुलित भोजन के अभाव में देश में क्षयरोग और अन्धापन से कितने लोग ग्रस्त हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन रोगों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) (1) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा 1972 में श्रीनगर, दिल्ली, वाराणसी, कटक, इन्दौर, अहमदाबाद तथा मदुरै में किए गए अध्ययन के अनुसार अनुमान है कि देश में 90 लाख

दृष्टिहीन व्यक्तियों में से लगभग 2% अर्थात् 1,80,000 व्यक्ति हमारे देश में पौषणिक कमी के कारण दृष्टि खो चुके हैं।

(2) संतुलित आहार न मिलने के कारण देश में क्षयरोग से पीड़ित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन, यह सर्वथा सत्य है कि क्षय रोग कुपोषित को अधिक होता है।

(ख) और (ग) (1) दृष्टिहीनता के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) दृष्टि विकार और दृष्टि-हीनता पर काबू पाने के लिए 1976 से पूरे देश में राष्ट्रीय स्वस्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दृष्टिहीनता को रोकने के उपायों में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, मोनाइल यूनिटों की स्थापना कर आंखों के इलाज की अस्थायी सुविधायें प्रदान करना तथा सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं की तीन टीयर वाली पद्धति में आंखों की देख-भाल के लिए स्थायी आधार-भूत ढाँचा तैयार करना शामिल है।

(2) बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाले कुपोषणक दृष्टिहीनता को रोकने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से स्कूल जाने की आयु से कम आयु वाले बच्चों को विटामिन "ए" देने का एक कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है।

(3) क्षयरोग की रोकथाम करने तथा उस पर नियंत्रण करने के लिए 1962 से देश भर में एक राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर क्षयरोगियों का पता लगाने तथा उनका उपचार करने तथा शिशुओं को बी०सी०जी० का टीका लगाने के कार्य किए जा रहे हैं।

परादीप बंदरगाह न्यास के सचिव के विरुद्ध शिकायत

2490. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परादीप बंदरगाह न्यास के सचिव के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाई की गई अथवा की जानी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये शिकायतें कुछ एक व्यक्तियों को पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी देने पर विचार करने के लिए उनसे धनराशि लेने, यात्रा भत्ता स्वीकृत करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट के नियमों का उल्लंघन

करने, कल्याण कोष से अनुचित धन राशि देने और कुछ व्यक्तियों को अनुचित कारणों से दुबारा नौकरी पर रखने आदि की तथाकथित घटनाओं से सम्बन्धित है ।

(ग) परादीप पत्तन के अध्यक्ष इन शिकायतों की जांच कर रहे हैं और वह आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

परादीप बन्दरगाह पर लौह अयस्क का लदान

2491. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप बन्दरगाह पर रिक्लेमर के न होने के कारण लौह अयस्क का लदान रुका हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो परादीप बन्दरगाह के लिए रिक्लेमर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मौजूदा बकेट ह्वील रिक्लेमरी में से एक को बदलने के लिए खनन और संबद्ध मशीनरी निगम के द्वारा जनवरी, 1978 में एक बकेट ह्वील रिक्लेमर के लिए आर्डर दिया गया था । इन नए बकेट ह्वील रिक्लेमर की सप्लाई में देर हो गई है और इस कारण परादीप पत्तन से कच्चे लोहे के निर्यात में कुछ रुकावट आ गई है ।

पत्तन प्रशासन इस मामले में खनन और संबद्ध मशीनरी निगम के साथ लिखा पढ़ी कर रहा है जिससे कि बकेट ह्वील रिक्लेमर की शीघ्र डिलीवरी हो सके ।

परिवार नियोजन के लिएदीर्घावधि योजना

2492. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री के० ए० राजन :

श्री पी० एम० सईद :

श्री एम० जी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले कम से कम 50 वर्षों के लिए परिवार नियोजन की कोई दीर्घावधि योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं । वैसे पहले से ही जनसख्या की एक नीति बनी हुई है जिसके अनुसार प्रेरणा और शिक्षा के माध्यम से तथा परिवार नियोजन की सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने तथा स्वैच्छिक आधार पर उन्हें अपनाने के लिए पात्र दम्पत्तियों में छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने के प्रचार पर जोर दिया जाता है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास बोर्ड

2493. **श्री रामजेठमलानी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास बोर्ड का वर्तमान कार्यकाल कब समाप्त होगा ;

(ख) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के आगामी गठन के लिए सदस्यों का मनोनयन में किन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण किया जायेगा, ; और

(ग) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास बोर्ड का गठन और इसके सदस्यों की संख्या क्या है ?

नौहवन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 31-3-1981 को ।

(ख) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 में पत्तन न्यास बोर्डों के गठन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

गठन

1. श्री आर० श्रीनिवासन,
   अध्यक्ष ।

2. श्री टी० आर० प्रसाद,
   उपाध्यक्ष ।

3. प्रधान अधिकारी समुद्री वाणिज्य विभाग, मद्रास,
   (समुद्री वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधि)

4. सीमा शुल्क उप समाहर्त्ता, विशाखापत्तनम
   (सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनधि,

5. डिवीजनल सुपरिन्टैंडेंट, दक्षिण पूर्वी रेलवे, वालटेयर
(भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि)

6. फ्लेग आफिसर कमांडिग-इन-चीफ, ईस्ट, विशाखापत्तनम ।
(सेना का प्रतिनिधि)

7. कलक्टर, विशाखापत्तनम ।
(आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)

8. विशेष अधिकारी, नगर निगम, विशाखापत्तनम ।
(विशाखापत्तनम नगर परिषद् का प्रतिनिधि)

9. श्री एम० वी० भद्रम,) पत्तन में काम करने वाले श्रमिकों के
10. श्री बी० धर्मराज) प्रतिनिधि।

11. विकास सलाहकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय ।
(नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधि)

12 महा प्रबंधक एम०एम०टी०सी०, विशाखापत्तनम ।
(भारतीय खनिज धातु व्यापार निगम का प्रतिनिधि)

13. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम ।
(हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का प्रतिनिधि)

14. श्री आई० एस० राजू ।
(विशाखापत्तनम चैम्बर आफ कामर्स, बिशाखापत्तनम का प्रतिनिधि)

15. श्री सी०वी०सीतारामस्वामी,
(फैडरेशन आफ आंध्र प्रदेश चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री, हैदराबाद का प्रतिनिधि)

16. श्री के०सी० माथुर
(इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि)

ग्राम्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना

2494. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य स्वास्थ्य कार्यकत्ता योजना (ग्रामीण स्वास्थ्य योजना) अब भी क्रियान्वित की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से गांव आ चुके हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार अब तक 153612 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और इतने ही गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है ।

मारीशस के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा

2495. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1980 में मारीशस के प्रधान मंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने इस देश की यात्रा की थी और उन्होंने प्रधान मंत्री से वार्ता की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री पी०बी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां । प्रधान मंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने 27 अक्तूबर से 2 नवम्बर 1980 तक भारत की यात्रा की थी ।

उनकी इस यात्रा से हमारी प्रधानमंत्री के साथ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लाभप्रद विचार विनिमय का अवसर मिला । द्विपक्षीय सम्बन्धों को और मजबूत करने के उद्देश्य से उनके सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श किया गया ।

ब्रिटेन में भारतीय नाटक-मण्डली के साथ दुर्व्यवहार

2496. **श्री एम० एम० कृष्ण** :
श्री पी० के० कोडियन :
श्रीमती संयोगिता राणे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने भारत से वहां आई घासीराम कोतवाल नाटक-मण्डली के साथ गत अक्तूबर में , लन्दन हवाई अड्डे पर ब्रिटिश सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यहार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० बी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) लन्दन स्थित भारत के हाई-कमीशन ने वहां की यात्रा पर गई नाटक-मंडली के साथ किये गये दुर्व्यवहार के मामले को ब्रिटिश विदेश कार्यालय के साथ उठाया है । ब्रिटिश सरकार ने बताया है कि उसने इस बात की पूरी जांच की है कि किन परिस्थितियों में नाटक-मंडली की तलाशी ली गई । बताया जाता है कि ब्रिटिश सीमाशुल्क विभाग ने तलाशी लेने का निर्णय इसलिए लिया था कि उसे ऐसे प्रमाण मिले

थे कि इससे पहले अन्य पक्ष इस प्रकार की मंडलियों का उपयोग संभवतः उनकी जानकारी के बिना यूनाइटेड किंगडम में दवाओं की तस्करी के लिए करते रहे हैं। लेकिन इस मामले में उनके सामान में कोई निषिद्ध वस्तु नहीं मिली है। ब्रिटिन विदेश कार्यालय का दावा है कि यह तलाशी बहुत ही शिष्टता पूर्ण ढंग से और जहां तक संभव था कम से कम समय में ली गई। ब्रिटिश विदेश कार्यालय ने इन घटनाओं में हुई असुविधाओं के लिए खेद प्रकट किया है, यद्यपि इस प्रकार की पूर्ण तलाशी सामान्य सीमा शुल्क नियंत्रण प्रक्रिया के अन्तर्गत अपरिहार्य है।

देश के निर्यात- माल को ढोने में भारतीय नौवहन की स्थिति

2497. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल ढोने की प्रबल अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्दिता के कारण भारतीय नौवहन जहाजरानी कम्पनी संबंधी शर्तों पर देश के निर्यातमाल को ढोने में विदेशी जहाजरानी कम्पनियों से शनैः शनैः पिछड़ रहा है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए किन्हीं मार्गोपायों पर विचार किया है ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारी समुदाय ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक देश का निर्यात व्यापार का कम से कम 40 प्रतिशत इसके अपने जहाजों के द्वारा किया जाना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी-बड़ी जहाजी कम्पनियों की आचरण नियमावली के बारे में एक अभिसमय को अपनाया है। भारतीय जहाजों का अंश 1977-78 में बढ़ कर 35.4 प्रतिशत हो गया जो 1976-77 में 32.1 प्रतिशत था। 1978-79 में इसमें कमी होती देखी गई। इसका एक कारण यह है कि जो विदेशी कम्पनियां अभिसमय की भागीदार नहीं है वे इस क्षेत्र में कम से कम भाड़े पर माल ढोने के लिए तैयार रहती है और देश में जहाजों से माल भेजने वालों को किसी भी जहाजी कम्पनी का चुनाव करने पर कोई रुकावट नहीं है। सरकार इस बात के लिए चौकसी रखे हुए है कि विदेशों को माल निर्यात करने में भारतीय जहाजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो।

धर्म का प्रचार करने के लिये अबु-धाबी में भारतीयों का गिरफ्तार किया जाना

2498. **श्री सत्यनारायण जाटिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या धर्म का प्रचार करने के लिए अबु-धाबी में नौ भारतीय राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये थे :

(ख) यदि हां, तो जब्त की गई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्हें धर्म का प्रचार करने के लिए दंड दिया गया था ;

(घ) क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत में एक मंदिर की मरम्मत के लिए अनधिकृत रूप से चंदा एकत्र करने वाले नौ भारतीय नागरिकों को आबू-धाबी की पुलिस ने 6 जून, 1980 को गिरफ्तार किया था ।

(ख) आबू-धाबी की पुलिस को उनके बक्से में से 2800 डी० एन० (लगभग 6000 रुपए भी मिले थे । बाद में यह राशी उन्हें वापस कर दी गई ।

(ग) उन्हें 14 अक्तूबर, 1980 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और बाद में 4 अकतूबर, 1980 को अपील न्यायालय द्वारा निर्दोष ठहराया गया था ।

(घ) और (ङ) जब उनके विरुद्ध मामला चल रहा था तब आबूधाबी स्थित भारत का राजदूतावास उनसे सम्पर्क बनाए हुआ था ।

पायलट नावों की कमी

2499. **श्री के० एल० राजन :**

श्रीमति संयोगिता राणे : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े बन्दरगाहों पर पायलट नावों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे एवं कारण क्या है ; और

(ग) समस्या से निपटने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बम्बई, टूटीकोरिन और मंगलौर पत्तनों के अतिरिक्त किसी भी बड़े पत्तन पर पायलट नावों की कोई कमी नहीं है ।

(ख) और (ग) : **बम्बई पत्तन ।**

यहां 7 पायलट नावों की जरूरत की अपेक्षा केवल 4 पायलट नावें उपलब्ध हैं । पत्तन ने तीन फाइबर ग्लास लांचों के लिए आर्डर दिया है । इसके अलावा दो और पायलट लांचों के लिए आर्डर दिये जाने का विचार किया जा रहा है ।

टूटीकोरिन पत्तन

यहां फरवरी, 1979 में जो लांच मंगाया गया था वह संतोषप्रद रीति से काम नहीं कर रहा है। एक और लांच के लिए आर्डर दिया गया है। आशा है कि अगस्त, 1981 तक मिल जाएगा।

मंगलौर पत्तन

यहां 1970 में एक लांच के लिए आर्डर दिया गया है। लेकिन यह अभी तक नही प्राप्त हुआ है। इसकी डिलीवरी तारीख दिसम्बर, 1980 का अन्त रखी गई है। इसके अलावा एक पायलट लांच के लिए आर्डर दिया गया है। आशा है कि यह अगस्त, 1981 तक प्राप्त हो जाएगा।

प्रमुख रेल दुर्घटनाओं के कारण

2500. श्री चिंतामणि जेना :

श्री पी० एम० सईद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 1979-80 (इस वर्ष सितम्बर तक) के दौरान हुई आठ प्रमुख रेल दुर्घटनाओं में सात दुर्घटनाएं या तो रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अथवा सिगनलिंग उपकरण के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण हुई है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में रेलवे सुरक्षा आयोग के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 1979-80 में रेल सुरक्षा आयुक्त ने 28 दुर्घटनाओं के बारे में जांच की है। अप्रैल से सितम्बर, 1980 तक की अवधि में रेल संरक्षा आयुक्तों द्वारा 14 और दुर्घटनाओं के बारे में जांच की गयी है। इन 43 दुर्घटनाओं में टक्कर लगने की 19, पटरी से उतरने की 13, समपारों पर सड़क यातायात से गाड़ियों के टकराने की 4, गाड़ियों में आग लगने की 3 और विविध किस्म की 4 दुर्घटनाएं शामिल हैं। निष्कर्षों के अनुसार, जिनमें रेल संरक्षा आयुक्तों के अनन्तिम निष्कर्ष भी शामिल हैं, इन दुर्घटनाओं के कारण इस प्रकार हैं :—

रेल कर्मचारियों की गलती	35
रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती	6
जोड़	41

दो मामलों में अभी जांच की जा रही है।

कलकत्ता की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना

2501. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत रेल योजना को ध्यान में रखते हुए रेल-विभाग ने कलकत्ता में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने संबंधी लागत में आंशिक-सहायता देने के लिए सहमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय का विचार मद्रास को भी समान वित्तीय सहायता प्रदान करने का है, जहां द्रुतगामी ट्रांजिट प्रणाली कार्यान्वित की जानी है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सड़क को चौड़ा करने आदि हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से 1.59 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान के लिए अनुरोध मिला है। ये काम, राज्य सरकार के मतानुसार यातायात के विशाखन के लिए आवश्यक समझे जाते हैं ताकि केन्द्रीय व्यापार स्थल में दैनिक यात्रियों की असुविधा को कम किया जा सके। महाप्रबन्धक, मैट्रो रेलवे कलकत्ता के साथ विचार-विमर्श से इस मामले की अभी जांच की जा रही है।

(ख) मद्रास को इस प्रकार की वित्तीय सहायता दिये जाने के प्रश्न पर मद्रास नगर के लिए द्रुत पारवहन प्रणाली के सरकार द्वारा मंजूरी दिये जाने के बाद उचित समय पर विचार किया जायेगा।

हड़ताली डाक्टरों के काफी समय पहले से चले आ रहे मसलों को सुलझाने के लिए कदम उठाना

2502. **श्री एन० के० शेजवलकर :**

श्री के० पी० सिंह देव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के हड़ताली जूनियर डाक्टरों के साथ कोई समझौता किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों द्वारा की गई मांगों तथा सरकार द्वारा मान ली गई मांगों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) शेष मसलों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या डाक्टरों ने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की हड़तालों का जिससे कि बीमार जनता को अत्यधिक कठिनाइयां होती हैं, सहारा बार-बार नहीं लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 5 जुलाई, 1980 तक हड़ताल पर रहे दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की मांगों, उनके साथ हुए समझौते की शर्तों तथा समझौते के अन्तर्गत विभिन्न निर्णयों को लागू करने के संबंध में वर्तमान स्थिति का एक विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—1515/80)

(घ) जी नहीं।

क्षय रोग की रोकथाम में बी० सी० जी० का निष्प्रभावी होना

2503. श्री एन० के० शेजवलकर :

श्री सतीश अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने क्षय रोग को जो पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत अधिक फैला हुआ है, प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है जिससे यह पता चला हो कि क्षय रोग देश के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में अधिक फैला हुआ है। क्षय रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पूरे देश में एक राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है जिसके अन्तर्गत इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए रोगियों का पता लगाने तथा उनका उपचार करने और शिशुओं को बी० सी० जी० का टीका लगाने जैसे उपाय समान रूप से किये जा रहे हैं।

बिहार और मध्य प्रदेश में जलशोथ रोग का महामारी के रूप में फैलना

2504. श्री एन० के० शेजवलकर :

श्री सतीश अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश और बिहार में जलशोथ रोग महामारी के रूप में फैल गया है ;

(ख) क्या इस रोग का मुख्य कारण सरसों के तेल में मिलावट होना है ; और

(ग) क्या इस रोग का अचानक फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है और यदि हां, तो इस बारे में उनके निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) मध्य प्रदेश और बिहार में महामारी के रूप में ड्राप्सी रोग के फैलने के बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) ड्राप्सी मुख्यतया आर्जिमोन मेक्सिकेना बीज की मिलावट वाले सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से होता है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हैदराबाद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान से एक पोषण दल मध्य प्रदेश के रोगग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा था। इस दल ने रोगग्रस्त घरों से खाद्य सरसों के तेल के नमूने लिए थे और उनके विश्लेषणों से पता चला कि इनमें से अधिकांश नमूनों में अत्यधिक मात्रा में सेंग्विनराइन-मिलावटी आर्जिमोन तेल में मौजूद एक विषैला ऐल्केलाइड-पाया गया था।

परिवार नियोजन नीति पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन दल का प्रतिवेदन

2505. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन सम्बन्धी नीति के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन दल से सरकार को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) परिवार नियोजन नीति के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को कोई अध्ययन नहीं बनाया गया था।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय नौवहन निगम को हुई लाभ-हानि

2506. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम, मुगल लाईन लि०, कोचीन शिपयार्ड लि० को वर्ष 1977-78 से अब तक कितना निवल लाभ/हानि हुई है ;

(ख) प्रत्येक मामले में हानि के कारण क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में पिछली हानि को पूरा करने और भविष्य में हानि को होने से रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) से (ग) भारतीय नौवहन निगम, मुगल लाईन लि० और कोचीन शिपयार्ड की स्थिति का विवरण संलग्न है ।

विवरण

कम्पनी का नाम	निवलघाटा / वर्ष घाटा	घाटे के कारण	पिछले घाटे को समाप्त करने और भविष्य में घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई
1	2	3	4
	(रु० करोड़ में)		
भारतीय नौवहन निगम	1977-78 14.74 1978-79 37 01 1979-80 1 85	पिछले 4/5 वर्षों में विश्व भर में नौवहन उद्योग में मंदी के कारण निगम बुनियादी तौर से लाभ नहीं कमा सका ।	भारतीय नौवहन निगम ने स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं । उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :— (क) निगम के प्रबन्ध ढांचे का पुर्नगठन किया गया और लाईनर और बल्क व्यापार सम्बन्धी दो लाभ-केन्द्र बनाए गए । (ख) परिचालनात्मक खर्च कम किए गए । (ग) विश्व भर में नौवहन मंदी का मुकाबला करने और बढ़ती हुई जिम्मेदारियां निभाने के लिए श्रम-संसाधन जुटाए गए । (घ) प्रशासनिक खर्च में जहां संभव हुआ, कमी की गई । इन उपायों से अच्छे

1	2	3	4
			परिणाम निकले और 1979-80 में निगम को बहुत कम घाटा हुआ। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय भाड़ा मार्केट में सुधार आ रहा है, इसलिए यह आशा है कि भाड़ा मार्केट पर निर्भर करते हुए आगामी कुछ वर्षों में घाटा नहीं होगा और पिछले घाटे भी समाप्त हो जाएंगे।
	(रु० करोड़ में)		
मुगल लाइन लि०	1977-78 9.79 1978-79 7.40 1979-80 0·93	विचाराधीन अवधि में नौवहन को विश्वभर में मंदी के कारण कम्पनियों को घाटा हुआ और मुगल लाइन लि० को भी घाटा हुआ। मुगल लाइन लि० एशिया गल्फ पत्तनों को हज और कोंकण यात्री सेवाएं और यात्री एवं माल सेवाएं चला रहा है। इन सेवाओं से घाटा हो रहा है। जहाज खरीदने के लिए कम्पनी को भारी धनराशि उधार लेनी पड़ी। इस पर ब्याज की भारी रकम हो गई जो 1977-78 में 590.25 लाख रुपये, 1978-79 में 579.59 लाख रुपये और 1979-80 में 544.19 लाख रुपये हैं।	
	(रु० करोड़ में)		
कोचीन शिप-यार्ड लि०	1977-78 5.15 1978-79 2.75 1979-80 7.89	(1) 1971 में बनाई गई मौजूदा मूल्य नीति के अधीन पर्याप्त सहायता का न मिलना। (2) स्वदेश में बनी कुछ महत्वपूर्ण मशीनों के, जैसे 150 टन की क्रेन आदि चालू करने में	शिपयार्ड की वित्तीय समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने और दीर्घ-कालिक समाधान के लिए सरकार द्वारा बनाई गई समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं। एक नई मूल्य नीति भी बनाई जा रही है।

1	2	3	4
		विलम्ब के कारण पहले जहाज की निर्माण अवधि में वृद्धि ।	
		(3) सरकार द्वारा दी गई पूंजी पर उत्पादन के प्रारम्भ में ब्याज चुकाना ।	

बादलपुर को अंतिम गंतव्य (टर्मिनल) बनाना

2507. **श्री ए०टी०पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बादलपुर (जिला थाणे, महाराष्ट्र) को कुछ गाड़ियों के लिए अंतिम गंतव्य (टर्मिनल) बनाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) चार जोड़ी गाड़ियां पहले से ही बादलपुर स्टेशन पर समाप्त होती है/से शुरू होती है। टर्मिनल सुविधाओं की समीक्षा की गई है और इनमें उपयुक्त वृद्धि की जा रही है ।

चेतक एक्सप्रेस में चित्तौड़गढ़ से एक सवारी डिब्बा जोड़ा जाना

2508. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) पश्चिम रेलवे के सबसे बड़े जंकशनों में से एक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां से दिल्ली और जयपुर के लिए चेतक एक्सप्रेस ही एकमात्र गाड़ी है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त गाड़ी में चित्तौड़गढ़ से कोई अतिरिक्त सवारी डिब्बा न लगाए जाने के कारण बहुत से यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यात्री यातायात को देखते हुए चित्तौड़गढ़ पश्चिम रेलवे का एक सबसे बड़ा जंकशन नहीं है ।

(ख) और (ग) जी हां । नियमित आधार पर एक अतिरिक्त डिब्बे के कर्षण के लिए 15/16 चेतक एक्सप्रेस में स्थान न होने के कारण इस गाड़ी के साथ चित्तौड़गढ़ से दिल्ली के लिए एक अतिरिक्त डिब्बा लगाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

विदेश जाने वाले डाक्टर

2509. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रतिवर्ष कितने चिकित्सा-स्नातक तैयार होते हैं और कितने डाक्टर प्रतिवर्ष विदेशों में जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1976-77 से 1978-79 की अवधि के दौरान 38043 चिकित्सा स्नातक पास हुये थे ।

भारत सरकार उच्च शिक्षा अथवा नौकरी के लिए विदेशों में जाने वाले डाक्टरों की संख्या का रिकार्ड नहीं रखती तथापि वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के भारतीय विदेश अनुभाग (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) के राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज किए गए डाक्टरों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	कुल	वापिस आये
1-1-79 को	4389	2267
1-1-80 को	4510	2301

जयपुर-सवाई माधोपुर रेल लाइन

2510. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर से टोंक होकर सवाई माधोपुर तक रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जयपुर और सवाई माधोपुर पहले से ही मीटर लाइन से सम्बद्ध है । तथापि, इन स्थानों को टोंक के रास्ते जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गत तीन महीनों के दौरान गाड़ियों के पटरियों से उतरने सहित रेल दुर्घटना

2511. **श्री जी० एम० बनातवाला** :

श्री राम अवध :

श्री अमर सिंह राठवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्ति मरे अथवा जख्मी हुए और रेलवे को हुआ नुकसान रुपयों में कितना है ;

(ख) इन दुर्घटनाओं का सामान्य कारण क्या है, की गई जाँच का विवरण क्या है, क्या किसी प्रकार की तोड़-फोड़ की गतिविधि पाई गई अथवा उसका सन्देह हुआ ; और

(ग) गत तीन महीनों के दौरान रेलवे के प्रत्येक मण्डलों में रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने सहित रेल दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अगस्त से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान हुई गाड़ी दुर्घटनाओं में 86 व्यक्ति मारे गये और 270 घायल हुए। इन दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत का अनुमान लगभग 2,50,00,000 रु० लगाया गया है।

(ख) प्रत्यक्ष कारणों सहित इन दुर्घटनाओं के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) रेल कर्मचारियों की गलती	77
(2) रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती	26
(3) उपस्करों की खराबी	72
(4) सांयोगिक	25
(5) जिन कारणों का पता नहीं लगाया जा सका	1
(6) जिन कारणों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है	60
जोड़	261

रेल सुरक्षा आयुक्तों द्वारा, जो कि पर्यटन एवं नगर विमानन मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सांविधिक प्राधिकारी हैं, 11 गाड़ी दुर्घटनाओं की जांच की गयी है, जबकि शेष दुर्घटनाओं की जाँच, दुर्घटना के स्वरूप के अनुसार विभिन्न स्तरों पर सम्बन्धित रेल प्रशासनों द्वारा की गई है।

अगस्त से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि में हुई गाड़ी दुर्घटनाओं में से कोई भी दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण नहीं हुई है।

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान हुई गाड़ी दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को भारतीय रेल अधिनियम, 1980 के अधीन अभी तक किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है। क्षतिपूर्ति का निर्णय दावा आयुक्तों द्वारा किया जाएगा जिनके पास दुर्घटना की तारीख से तीन महीने के अन्दर दावे के आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठोस कारणों के आधार पर दावा आयुक्त दुर्घटना की तारीख से एक वर्ष के भीतर भी किसी समय दावे का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं।

विदेश मंत्री की विदेश यात्रा

2512. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री पी० एम० सईद : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले सत्र की समाप्ति के बाद उन्होंने कितने देशों की यात्रा की है ;

(ख) उन यात्राओं का क्या उद्देश्य था ;

(ग) उक्त यात्राओं के फलस्वरूप क्या-क्या समझौते किए गए और/अथवा क्या लाभ प्राप्त हुए ; और

(घ) इन यात्राओं पर कुल कितना व्यय किया गया ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) संसद के पिछले सत्र की समाप्ति के बाद मैंने क्रमश: निम्नलिखित देशों की यात्रा की थी :

बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमरिका, वेनेजुएला, क्यूबा, मैक्सिको, युगोस्लाविया, आस्ट्रिया तथा लेबनान ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(घ) इन यात्राओं पर कुल 3,38,100 रु० (लगभग) खर्च हुए थे ।

विवरण

लोक सभा के तीसरे सत्र के बाद विदेश मंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राओं के उद्देश्य तथा इन यात्राओं के बाद हुए करारों तथा/अथवा इन यात्राओं से हुए लाभ को दर्शाता हुआ विवरण

क्रम सं०	जिस देश की यात्रा की	यात्रा का उद्देश्य	यात्रा की समाप्ति पर हुए करार और/अथवा हुआ लाभ
1.	2.	3.	4.
1.	बंगलादेश (16-8-80 से 18-8-80)	यह यात्रा बंगलादेश के विदेश मन्त्री के निमन्त्रण पर थी। बंगलादेश के नेताओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय मामलों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मामलों पर विशेष रूप से विचार विनिमय किया गया था।	इस यात्रा से भारत-बंगलादेश सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला और दोनों पक्षों को एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह समझने में सहायता मिली।
2.	संयुक्त राज्य अमरीका (21-8-80 से 25-8-80)	आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में भाग लेने के लिए।	सार्वभौम वार्ता आदि पर भारत के विचारों को प्रस्तुत करना।
3.	वेनेजुएला (26-8-80 से 27-8-80)	वेनेजुएला की यात्रा प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य वेनेजुएला के राष्ट्रपति लुइस हेरेरो केम्पिस के लिए प्रधान मन्त्री का एक संदेश ले जाना और वेनेजुएला के नेताओं के साथ तेल के मामले पर विचार-विमर्श करना था।	भारत की तेल की जरुरतों के बारे में बातचीत की गई।

1	2	3	4
4.	संयुक्त राज्य अमरीका (20-9-80 से 4-10-80 तथा 9-10-80)	न्ययार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 35वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए ।	विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मामलों इस पर विश्व संस्था में भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया ।
5.	क्यूबा (5-10-80 से 7-10-80)	द्विपक्षीय बातचीत ।	इन देशों के साथ भारत के आर्थिक तथा वाणिज्यिक सम्बन्धों सहित द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था । इन यात्राओं से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक मसलों पर एक ओर भारत के विचारों और दूसरी ओर क्यूबा तथा मैक्सिको के विचारों को अच्छी तरह समझने में मदद मिली । इन देशों के साथ भारत के व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धों के बारे में भी लाभप्रद विचार-विमर्श किया गया ।
6.	मैक्सिको (7-10-80 से 9-10-80)	द्विपक्षीय बातचीत तथा लेटिन अमरीकी देशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों की क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने के लिए (ऐसे सम्मेलन इस मंत्रालय के लिए एक नियमित बात है और इनका आयोजन हमारे राजदूतों को भारत सरकार की नीति को स्पष्ट करना तथा उनसे सम्बन्धित देशों के बारे में और उसके साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में स्पष्ट मूल्यांकन प्राप्त करना) ।	
7.	युगोस्लाविया (1-11-80 से 3-11-80)	गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के एक ग्रुप की बैठक में भाग लेने के लिए जिसका उद्देश्य ईरान-इराक के संघर्ष को समाप्त कराने के लिए सम्भव उपायों पर विचार विमर्श करना था । ये बैठकें न्यूयार्क में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के समन्वय ब्यूरो की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में थी ।	जैसाकि आपको याद होगा कि इराक ने गुट-निरपेक्ष सद्भावना समिति में अल्जीरिया के शामिल किये जाने पर आपत्ति की थी जबकि ईरान ने अल्जीरिया की उपस्थिति के लिए जोर दिया था । ईरान और इराक की सरकारों

1	2	3	4
			को एक अपील जारी की थी कि गुट-निरपेक्ष देशों की सद्भावना समिति के गठन तथा कार्य संचालन पर वे सहमत हो जाएं।
8.	आस्ट्रिया (5-11-80 से 7-11-80)	11 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए, जिसे उत्तर-दक्षिण समस्याओं के संदर्भ में अगले वर्ष एक शिखर-सम्मेलन आयोजित करने के बारे में विचार-विमर्श करना तथा अन्तिम निर्णय लेना।	प्रारम्भिक विचार विमर्श हुआ और सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया गया कि शिखर वार्ता हो।
9.	लेबनान (9-11-80)	फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष श्री यासेर अराफात तथा लेबनान के विदेश मन्त्री के साथ विचार-विनिमय करना।	आमतौर पर अरबों और विशेष तौर पर फिलिस्तीनियों के साथ भारत के सम्बन्धों और ईरान-ईराक संघर्ष का हल खोजने में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया था।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जहाज बनाने के प्रस्तावित कारखाने

2513. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या नौहवन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जहाज बनाने के कितने कारखानों के निर्माण का विचार है ;

(ख) आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार हल्दिया, पश्चिम बंगाल में जहाज बनाने के एक कारखाने के निर्माण के बारे में अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी जैसा कि बबेजा समिति ने सिफारिश की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ग) परादीप (उड़ीसा) और हजीरा (उड़ीसा) में जहाज निर्माण के लिए शिप-यार्डों की स्थापना के बारे में विचार किया जा रहा है। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन शिपयार्डों के निर्माण के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थलों का जिसमें हल्दिया भी शामिल है, तकनीकी और आर्थिक दोनों दृष्टियों से मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा एक तकनीकी व आर्थिक कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर परामर्शकों से प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। परामर्शकों ने हल्दिया को यहां शिपयार्ड स्थापित करने के लिये उचित स्थल नहीं समझा। इसलिए अन्य स्थलों के साथ-साथ हल्दिया में शिपयार्ड बनाये जाने के संबंध में विचार नहीं किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना

2514. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) वास्तविक और वित्तीय दृष्टि से इस योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

लम्बी दूरी वाली गाड़ियों में खान-पान सुविधाओं की व्यवस्था करना

2515. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी डाक-गाड़ियों व एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें खान-पान सेवाओं की उनकी अपनी व्यवस्था है ;

(ख) उन डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के क्या नाम हैं जिनमें ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ग) क्या सरकार लम्बी दूरी वाली सभी गाड़ियों में खान-पान सेवा संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जिन डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में चल खान-पान सेवाओं की व्यवस्था है उनकी एक सूचि अनुबन्ध 'क' में दी गयी है।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०— 1516/80)

(ग) और (घ) गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों का भोजन, चाय, काफी आदि की मांग मुख्यतः मार्गवर्ती स्टेशनों पर उपलब्ध स्थैतिक खानपान स्थापनाओं द्वारा पूरी की जाती है। केवल कुछ लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियों में, जल खान पानसेवाओं की व्यवस्था की गयी है। सभी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में, विशेषकर उन मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों में जहां यात्रियों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए स्थैतिक खान-पान यूनिटों की प्रचुर सुविधाएं हैं, चल खान-पान सेवाओं की व्यवस्था करना न तो आवश्यक है और न ही सरकार की ऐसी नीति है।

उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों में मस्तिष्क ज्वर के कारण मौतें

2516. श्री अशफाक हुसैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया जिलों और पश्चिम बिहार के

गोपालगंज, सिवान, छपरा और वैशाली जिलों में सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में मस्तिष्क ज्वर से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र की सहायता मांगी थी ; और

(ग) क्या सरकार पर्याप्त उपाय करेगी जिससे यह रोग दोबारा न फैले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, और देवरिया जिलों से सितम्बर, और अक्तूबर के महीनों में मस्तिष्कशोथ (इन्सफलाइटिस) के कारण हुई मौतों की संख्या की सूचना विवरण में दी गई है।

जहां तक बिहार राज्य के गोपालगंज, छपरा और वैशाली जिलों का सम्बन्ध है, इस अवधि में इन जिलों में किसी के मरने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सिवान जिले में जुलाई से अक्तूबर, 1980 की अवधि में मस्तिष्कशोथ से 3 मौतें होने की सूचना मिली।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मदद मांगी थी किन्तु बिहार सरकार से इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) मस्तिष्कशोथ भारत के बहुत से भागों में स्थानिकमारी के रूप में फैला है तथा समय-समय पर इसका प्रकोप अनेक राज्यों में होता रहता है। इस रोग को रोकने तथा रुग्णता दर तथा इससे होने वाली मौतों को कम करने के लिए उपाय बरते गए हैं जिनमें नीचे लिखे उपाय भी शामिल हैं :—

1. मस्तिष्कशोथ के निवारण निदान तथा उपचार के लिए विस्तृत तकनीकी अनुदेश स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को जारी किए गए तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इन्हें दोहराया गया ;

2. रोगियों का शीघ्रता से पता लगाने उनका उपचार करने तथा इनकी सूचना देने के उपाय किए हैं।

3. रोग प्रभावित राज्यों से ऐसे मामले होने पर सूचना प्राप्त करने के लिए भारत सरकार निरन्तर सम्पर्क बनाए रखती है।

4. राज्यों की सहायता के लिए ट्रापिकल स्कूल आंव मेडिसिन, कलकत्ता, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली, राष्ट्रीय वाइरस संस्थान और केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद जैसे विशेषज्ञ संस्थानों से रोगियों का उचित निदान करने के लिए जांच पड़ताल करने तथा तकनीकी सहायता और सलाह देने के लिए यथावश्यक दल भेजे जाते हैं।

5. रोगवाहकों की संख्या को कम करने हेतु रोग प्रवाभित क्षेत्रों में विशेष छिड़काव करने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं।

6. विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से जापानी मस्तिष्कशोथ वैक्सीन की एक सीमित मात्रा आयात की गई और जब कभी आवश्यक होता है तो रोग प्रभावित राज्यों को इस स्टाक में से इसे भेज दिया जाता है।

विवरण

जिला	मौतों की संख्या	
	सितम्बर, 1980 महीने में	अक्तूबर, 1980 महीने में
गोरखपुर	37	129
बस्ती	9	21
देवरिया	36	158

रलों की उन्नत परिचालन कार्यकुशलता

2517. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल के यातायात में इस गिरावट के कारणों के बारे में कोई उच्च स्तरीय अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) रेलों की परिचालन कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए क्या अन्य दीर्घ-कालीन उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माल यातायात की ढुलाई में गिरावट के कारणों का समय-समय पर क्षेत्रीय रेलों तथा बोर्ड द्वारा विश्लेषण किया जाता है। माल यातायात की ढुलाई को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारणों में से कुछ मुख्य कारण, आसाम में अशांति, पूर्वी क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती जिससे विन्यास यार्डों और कारखानों में कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है और जिसके परिणामस्वरूप इस्पात कारखानों को कच्चे माल की कम मांग रही है, बेलाडिला की खानों में श्रमिक आन्दोलन जिससे निर्यात के लिए लौह अयस्क की ढुलाई पर प्रभावित हुई है, पूर्वी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने बन्द होना जिससे पेट्रोल तेल और स्नेहक की ढुलाई पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, सूखे के कारण लम्बी दूरी के लिए पंजाब और हरियाणा से खाद्यान्न की अधिक ढुलाई, गन्ने की ढुलाई

के लिए मांग में अत्यधिक कमी, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण-पूर्वी रेलों पर बाढ़ तथा पटरियों की टूट-फूट और कई रेलों पर कर्मचारी आन्दोलन आदि है। इसमें से अधिकांश कारण रेलों के नियन्त्रण के बाहर है।

(ख) सम्पत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के अलावा, अतिरिक्त चल-स्टाक खरीदने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। परिचालनिक कार्य कुशलता में और सुधार करने के लिए लाइन क्षमता में वृद्धि करने और कर्षण आदि में सुधार के कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं।

लैपरो स्कोपिक ट्यूबेक्टोमी के क्षेत्र में सफलता

2518. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लैपरोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी के क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्यक्रम को महिलाओं से भारी समर्थन मिला है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के संवर्धन के लिए स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे है ;

(घ) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों में कितने डाक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ङ) भविष्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) लैपरोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी के लिए देश में इस्तेमाल में लाई जा रही सर्जिकल तकनीकों में से एक है जिसे करने के लिये उपयुक्त परिस्थितियों और उच्च प्रशिक्षण तथा निपुणता की जरूरत होती है। महिला नसबंदी के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न तकनीकों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) कुछ राज्यों में लैपरोस्कोपिक नसबंदी आपरेशन के कार्य में वृद्धि हो रही है और यह लोकप्रिय प्रतीत होती है।

(ग) सरकार अन्य तरीकों के मुकाबले नसबंदी की किसी एक विशेष तकनीक को बढ़ावा देना नहीं चाहती। महिला नसबंदी आपरेशन के लिए किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल आपरेशन करने वाले सर्जन की कुशलता, जानकारी और अनुभव तथा उन भौतिक परिस्थितियों

पर निर्भर करता है जिसके अन्तर्गत वह आपरेशन करता/करती है। सरकार सफल और प्रभावकारी सभी तकनीकों को समझती है।

(घ) लेपरोस्कोपिक तकनीकों का सुरक्षित ढंग से पालन करने तथा इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले मंहगे और आधुनिकतम उपकरणों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक कुल 26 दलों को प्रशिक्षित किया है अर्थात् आंध्र प्रदेश (1), असम (1), गुजरात (3), हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू व कश्मीर (1), कर्नाटक (1),केरल (1), मध्य प्रदेश (1), महाराष्ट्र (3), उड़ीसा (1), पंजाब (1), राजस्थान (1), तमिलनाडु (2), उत्तर प्रदेश (4), पश्चिम बंगाल (1), गोआ दमन और दीव (1) और पांडिचेरी (1) इसके अलावा कुछेक प्राइवेट और सरकारी डाक्टरों ने इस सरकारी कार्यक्रम के बाहर स्वतन्त्र रूप से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा।

(ङ) सभी राज्यों की आवश्यकता के लिये प्रशिक्षण चल रहा है।

कोयले की कमी के कारण जोधपुर डिवीजन में बन्द की गई रेलगाड़ियां

2519. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के जोधपुर डिवीजन में कौन-कौन सी रेलगाड़ियां कोयले की कमी के कारण नवम्बर के प्रथम सप्ताह में बन्द कर दी गई थीं ;

(ख) क्या यह सच है कि कोयले की कम सप्लाई के कारण ये रेलगाड़ियां लम्बे समय तक बन्द रही ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे का इस बारे में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नवम्बर, 1980 के पहले सप्ताह में नं. 239/अप/240 डाउन, 1 जे. पी. जे०/2 जे. पी. जे. और 1 बी० एम० एफ/2 बी०एम०एफ. सवारी गाड़ियां 2-11-80 से 1/2 जे बी, 1/2 जे. एम. 1/2एस.के1/2 एस. पी. तथा 1/2 बी. जे. गाड़ियां, 5-11-80 से रद्द की गयी थी। 30-11-80 को इनमें से 5 जोड़ी गाड़ियां रद्द थीं।

(ग) रेलों केपास भाप कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोयला उत्पादक प्राधिकारियों और कोयला विभाग के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है।

हज यात्रियों के लिए सरकार की सिफारिशें

2520. **श्री जैनुल बशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाटरी निकाल कर नामों का चयन करने के अतिरिक्त सरकार द्वारा हज यात्रियों के नामों की सिफारिश की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सिफारिशें करने के क्या आधार हैं ;

(ग) क्या हज यात्रा पर जाने वाले बहुत से आवेदक इस प्रक्रिया से निराश हो जाते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सिफारिश को समाप्त करने और हज यात्रियों के चयन के लिये लाटरी द्वारा नाम निकालने की पद्धति को जारी रखने का है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) हज पर जाने के इच्छुक यात्री अपने आवेदन-पत्र हज समिति, बम्बई को प्रस्तुत करते हैं, जोकि विभिन्न राज्यों के लिए पिछली जनगणना में उल्लिखित उनकी मुस्लिम आबादी के आधार पर निश्चित कुल कोटे से (सरकार द्वारा वर्ष के लिए अनुमोदित) सीटें निर्धारित करती है। फिर राज्य-वार आधार पर कुर्रा (लाटरी) निकाला जाता है। इसके अलावा, हज ड्यूटी पर नियुक्त किए जाने वाले सरकारी अधिकारियों, हज चिकित्सा मिशन और हज सद्भावना शिष्टमंडल के सदस्यों के लिये कुछ सीटों का कोटा सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। इस कोटे में से कुछ सीटें अनुकम्पा के आधार पर बूढ़े व्यक्तियों और उन सुपात्र लोगों को आवंटित की जाती हैं जो पहले हज पर न जा सके हों और कुर्रा में जिन के आवेदन अस्वीकार हो गए हों।

(ग) जी नहीं। इसके विपरीत इस प्रक्रिया से कुर्रा में असफल रहने वाले कुछ इच्छुक यात्रियों की निराशा कम हो जाती है।

(घ) जी, नहीं।

रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई

2521. **श्री जैनुल बशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1980 से 15 नवम्बर, 1980 तक रेलवे को विभिन्न स्रोतों से कितना कोयला ढोने के लिए कहा गया था ;

(ख) रेलवे ने कितने कोयले की ढुलाई की है ;

(ग) उसमें यदि कोई कमी आई है तो कितनी ; और

(घ) इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) विभिन्न कोयला कम्पनियों से प्राप्त होने वाले दैनिक औसत मांग पत्रों में प्रतिदिन औसतन 10700 माल डिब्बों की मांग की गयी है। (यह माल डिब्बों की उनकी आवश्यकताओं का

अनुमान-मात्र है और इनमें पुनरावृत्ति का तत्व भी शामिल है)। वास्तविक लदान प्रतिदिन औसतन 2520 माल डिब्बे रहा है और कोयला साइडिंगों में प्रतिदिन 900 माल डिब्बे अधिक समय तक रुके रहते रहे हैं। कोयला खानों से प्रतिदिन कुछ माल डिब्बे खाली भी लौटते रहे हैं। कोयले के लदान में और सुधार करने के उपाय किये जा रहे हैं।

धनबाद क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या, बंगाल विहार में बिजली की सप्लाई में बार-बार अवरोध जिसका रेलवे यार्डों और कारखानों और गाड़ियों के चालन पर बुरा प्रभाव पड़ा, इस्पात कारखानों और बिजलीघरों में माल डिब्बों का अधिक देर तक रुके रहना कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनका कोयले के लदान पर बुरा असर पड़ा है।

दमा के प्रभाव को रोकने के लिए अमरीका द्वारा यांत्रिक उपाय का निर्माण किया जाना

2522. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों द्वारा दमा के प्रभाव को रोकने के लिए यांत्रिक उपकरण का निर्माण अमरीका में किया जायेगा ;

(ख) क्या एक अमरीकी फर्म ने भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम से इस उपकरण के निर्माण की जानकारी खरीदी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस उपकरण का निर्माण भारत में करना संभव है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान ने एक उपकरण तैयार किया है जो दमा, ऐलर्जी से होने वाले नासिकाशोथ अथवा सांस के साथ लिए गए कणों से पैदा होने वाले किसी अन्य रोग के लिए फायदेमंद है। जनवरी, 1980 में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने अमेरिका के एक डाक्टर को अमेरिका में इस उपकरण का निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिया था। इस उपकरण का निर्माण पिछले छः वर्षों से भारत में भी किया जा रहा है।

विदेश मंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया गया भाषण

2523. **प्रो० मधुदण्डवते :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अगस्त, 1980 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के ग्यारहवें विशेष अधिवेशन में मंत्री महोदय ने कहा था कि विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील देशों को दीर्घकालिक और आश्वासित आधार पर संसाधनों का व्यापक अन्तरण किया जाना चाहिए था और विश्व बैंक आई० एम० एफ० और जी० ए० टी० टी० जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थायें पुनर्गठित की जानी चाहिए थी ;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के ढांचे में क्या परिवर्तन सुझाये गये थे ; और

(ग) ऐसे संरचनात्मक परिवर्तनों और संसाधनों के व्यापक अन्तरण के लिए प्रतिबंधों के प्रति विकसित राष्ट्रों की प्रतिक्रिया क्या थी ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति की खामियों का उल्लेख करते हुए यह कहा था कि निर्णय की प्रक्रिया में विकासशील देशों की कारगर भागीदारी बढ़ायी जानी चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त और आई. एम. एफ., आई. बी. आर डी. जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का और जी. ए. टी. टी. का संगठन भी एक व्यापक आधार ग्रहण कर सके और गिनी चुनी विकसित मंडियों की अर्थ-व्यवस्थाओं का एकान्तिक अधिकार बन कर न रह जाए । हमने यह भी सुझाव दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के सोने की बिक्री तथा एस. डी. आर. आवंटन तथा विकसित वित्त और विकास सहायता के स्वयमेव विस्तार के साधनों के बीच सम्पर्क जैसी रियायती सहायता के बजटइतर स्वरूपों पर भी तत्काल विचार किये जाने की आवश्यकता है। यह भी सुझाव दिया था कि मण्डी की शर्तों पर कोष एकत्र करके रियायती शर्तों पर विकासशील देशों की कोष-संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोनों के बीच एक सम्पर्क सूत्र के रूप में एक ब्याज सहायता योजना भी शुरू की जानी चाहिए । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों की उच्चतर ऋण शाखाओं में विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों से संबंधित शर्तों के स्वरूप के संबंध में भी सुझाव दिया था अगर अभाव वाले विकासशील देशों पर शर्तें लागू करने में कुछ तर्कों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो अधिशेष विकासशील देशों पर भी इसी तरह की चौकसी बरती जानी चाहिए, सिर्फ विनिमय दर वाली सरकारों पर ही नहीं बल्कि अधिक सामान्य आर्थिक नीतियों पर भी जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व के प्रबंधों के साथ राष्ट्रीय नीतियों की संगति पर निगाह रखी जा सके और उसका सुनिश्चय हो सके ।

(ग) विशेष अधिवेशन जहां से सुझाव दिए गए थे इन पर विचार किसी सहमत निर्णय तक नहीं पहुंच सका था क्योंकि विकसित देशों ने इन मामलों को और इससे सम्बद्ध अनेक मामलों को प्रस्तावित सार्वभौम वार्ता दौर में शामिल करना स्वीकार नहीं किया था ।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के लिए अधिक डाक्टरों और नर्सों की नियुक्ति

2524. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के बहिरंग रोगी विभाग में गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न डाक्टरों द्वारा औसतन कितने रोगी देखे गये थे ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनकी संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ग) उक्त अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के लिए और अधिक डाक्टरों और नर्सों का नियुक्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वर्ष 1979 के दौरान प्रत्येक डाक्टर ने जितने रोगियों का इलाज किया उनकी औसत संख्या लगभग 10,0000 है ।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोगियों की संख्या में केवल नाममात्र वृद्धि हुई है । कार्यभार के आधार पर जब कभी आवश्यकता होती है । तो अतिरिक्त डाक्टर और नर्सें नियुक्त कर ली जाती हैं ।

सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० के भूतपूर्व चेयरमैन एवं प्रबन्ध-निदेशक का स्थानान्तरण

2525. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों के बाद सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० के भूतपूर्व चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक का कलकत्ता से कोचीन स्थानान्तरण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्थानान्तरण किस तारीख को किया गया था ;

(ग) कोचीन को स्थानान्तरित होने के बाद वह कितनी बार दिल्ली और कलकत्ता गये, किस किस तारीख को गये और प्रत्येक दौर का प्रयोजना क्या था—क्या वे दौरे सरकारी थे अथवा निजी थे और उनकी संख्या कितनी है ;

(घ) क्या उनके दौर सक्षम अधिकारी की मंजूरी से किये गये थे और क्या किये गये काम के बारे में दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ; और

(ङ) क्या वह अपने सरकारी तथा निजी दौरों के समय कलकत्ता और दिल्ली में भारी खर्च वाले होटलों में ठहरते थे और वह किन व्यक्तियों से मिले थे ;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को उनके अनुरोध पर 18-11-1977 से कार्यभार से शुरू कर दिया था और उनकी सेवाएं उनके मूल कार्यालय अर्थात भारतीय नौवहन निगम को प्रत्यर्पित कर दी । इस कम्पनी ने वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें स्थानांतरित करके 27-7-78 को कोचीन में अपने

प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया। उन्होंने कोचीन में 22-8-78 को अपना कार्यभार संभाला।

(ग) कोचीन को स्थानान्तरण के बाद 31-8-78 और 30-9-80 के बीच उन्होंने 12 बार दिल्ली और कलकत्ते का दौरा किया। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये सभी दौरे सरकारी काम के लिए थे।

(घ) सभी सरकारी दौरे सक्षम अधिकारी की अनुमति से किए गए। उन्हें जो कार्य सौंपा गया है इसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा अपने दौरे की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जानी थी।

(ङ) सरकारी दौरे के दौरान अपने विभिन्न अधिकारियों के ठहरने के लिए भारतीय नौवहन निगम ने स्वीकृत होटलों की एक सूचि बना रखी है। सरकारी दोरे करते समय दिल्ली और कलकत्ता में ऐसे होटलों में उनका ठहरना भारतीय नौवहन निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है।

भारतीय नौवहन निगम को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वह निजी कार्य के लिए कब दिल्ली/कलकत्ता गए और वहां वे किन-किन व्यक्तियों से मिले।

विवरण

क्रम सं०	दौरे की अवधि	जिस नगर का दौरा किया	दौरे का उद्देश्य
1	2	3	4
1.	31-8-78 से 10-9-78	कोचीन/कलकत्ता/ वरास्ता मद्रास/ बम्बई	कलकत्ता से क्षेत्रीय निदेशक के अनुरोध पर कलकत्ता/बम्बई चर्चा करने के लिए गए।
2.	27-10-78 से 9-12-78	कोचीन से कलकत्ता/और वापस	अपने परिवार को कलकत्ता से कोचीन लाने के लिए छुट्टी पर गए- निगम निगम की सेवा शर्तों के अनुसार यह सरकारी ट्रिप माना गया है।
3.	17-1-79 से 22-1-79	कोचीन/कलकत्ता वरास्ता बम्बई	17-1-79 और 18-1-79 को बम्बई में कार्यकारी निदेशक (बी० एण्ड टी०) और कार्यकारी निदेशक (एल० एण्ड पी० एस०) से मिलने के लिए गए।
4.	26 2-79 से 4-3-79	कोचीन/कलकत्ता	कलकत्ता में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के वित्तीय सलाहकार और लागत लेखा अधिकारी श्री पी० जी० विश्वास के विरुद्ध विभागीय जांच के मामले में गवाही देने के लिए विभागीय जांच आयोग के सामने पेश होने के लिए।

1	2	3	4
5.	29-4-79 से 9-5-79	कोचीन/मद्रास /दिल्ली/कलकत्ता/ मद्रास/कोचीन-वैयक्तिक कार्य के लिए छुट्टी पर 29-4-79 से 2-5-79 तक दिल्ली रुके ।	कलकत्ता में 4 और 5 मई, 1979 को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के अतिरिक्त प्रशासन अधिकारी श्री पी० के० मुखर्जी के विरुद्ध विभागीय जांच के मामले में गवाही देने के लिए ।
6.	20-5-76 से 25-5-79	कोचीन/कलकत्ता वरास्ता मद्रास	भारतीय नौवहन निगम के मुख्यालय के कहने पर 22-5-79 को कुछ जांच कार्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों के सम्मुख पेश होने के लिए ।
7.	26-7-79 से 27-7-79	कोचीन/कलकत्ता वरास्ता मद्रास	25 और 26 जून, 1979 को विभागीय जांच आयुक्त श्री आर० एम० सुहूरी के सम्मुख गवाही देने के लिए ।
8.	12-8-79 से 17-8-79	कोचीन/कलकत्ता और वापस वरास्ता मद्रास	भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा तथा अनुमोदित केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के कार्यालय में कागजात का निरीक्षण करने के लिए ।
9.	9-9-79 से 17-9-79 तक	कोचीन/कलकत्ता/वरास्ता बम्बई और वापस वरास्ता मद्रास	भाडा सम्बन्धी मामलों पर कार्यकारी निदेशक (एल० एण्ड पी० एस०) के साथ विचार-विमर्श करने के लिए/भारतीय नौवहन निगम के उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा यथा अनुमोदित कलकत्ता में सी० बी० आई० जांच कार्य के बारे में ।

1	2	3	4
10.	2-10-79 से 7-10-79	कोचीन से कलकत्ता और वापस वरास्ता मद्रास	कलकत्ता में 4 अक्तूबर को प्रातः 10.30 बजे सी० वी० आई० के जांच कार्य के सम्बंध में जो 5 अक्तूबर की शाम तक चलता रहा।
11.	3-2-80 से 8-2-80	कोचीन से कलकत्ता और वापस वरास्ता मद्रास	कलकत्ता में चाय के व्यापारियों के साथ विचार विमर्श के लिए जो भारतीय नौवहन निगम के जहाजों द्वारा कोचीन के रास्ते जहाजों से चाय भेजते हैं।
12.	12-9-80 से 19-9-80 तक	कोचीन से कलकत्ता और वापस वरास्ता मद्रास	कलकत्ता स्थित कर्मीदल द्वारा कोचीन पत्तन पर आने वाले जहाजों में उत्पन्न की गई समस्याओं पर क्षेत्रीय निदेशक, कलकत्ता और अन्य अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के लिए।

भिन्न-भिन्न रेलों की आय

2526. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न रेलों की गत तीन वर्षों के दौरान सकल और निवल आय कितनी थी ;

(ख) प्रत्येक रेलवे में गत तीन वर्षों के दौरान नई रेल लाइनें डालने और यात्री सुविधाओं के लिए कितनी राशि दी गई है और गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) पश्चिम रेलवे की मीटर लाइन पर नई लाइनें डालने और यात्री सुविधाओं पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च की गई ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अनुबन्ध-I के रूप में एक विवरण संलग्न है ।

(ग्रथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1517/80)

(ख) अनुबन्ध-II और III के रूप में दो विवरण संलग्न हैं ।

(ग्रथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 1517/80)

(ग, सूचना नीचे दी गयी है :—

वर्ष	नयी लाइनें	(करोड़ रुपयों में) यात्री सुविधाएं
1977-78	कुछ नहीं	0.06
1978-79	,,	0.11
1979-80	,,	0.27

खुले व छत वाले माल डिब्बों की संख्या

2527. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खुले और छत वाले माल डिब्बों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने मीटर गेज के हैं और कितने ब्राड-गेज के हैं ।

(ग) उनमें से कितने पश्चिम रेलवे के मीटर गेज पर और अजमेर-रतलाम सेक्शन के बीच चलते हैं ; और

(घ) इस समय पश्चिम रेलवे पर मीटर गेज के अजमेर-रतलाम स्टेशन पर सीमेंट की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की आवश्यकता कितनी है, और आगामी दो वर्षों में अनुमानत: कितनी आवश्यकता होगी ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चौपहियों के हिसाब से भारतीय रेलों के पास 2,32,847.5 खुले और 2,91,785.0 बन्द माल-डिब्बे हैं।

(ख) मीटर और बड़ी लाइन के स्टाक का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
खुले	2,02,031.5	30,816
बन्द	2,11,779.0	80.006
जोड़	4,13,810.5	1,10,822

(ग) किसी खंड या किसी क्षेत्र में माल डिब्बों की संख्या यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर बदलती रहती है। विगत 6 महीनों में पश्चिम रेलवे की मीटर लाइन पर चलने वाले माल-डिब्बों की दैनिक औसत संख्या 26,634 थी और इसी अवधि में अजमेर-रतलाम खंड पर इनकी दैनिक औसत संख्या 1797 रही थी।

(घ) इस समय पश्चिम रेलवे के अजमेर-रतलाम मीटर लाइन खंड पर सीमेंट के परिवहन के लिए माल-डिब्बों की दैनिक आवश्यकता लगभग 180 माल-डिब्बे है। आगामी दो वर्षों में मीटर लाइन के लगभग 60 माल-डिब्बों की अतिरिक्त आवश्यकता होने की सम्भावना है।

गत चार वर्षों के दौरान निर्मित माल डिब्बे

2528. **श्री वी० आर० नहाटा :**

श्री दिग्विजय सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान, वर्ष-वार मीटर गेज और बड़ी लाइन के कितने-कितने माल-डिब्बों का निर्माण किया गया और चालू वर्ष का लक्ष्य क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न रेलों को, गेज-वार कितने-कितने माल डिब्बों का आबंटन किया गया ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गेज-वार कितने-कितने माल डिब्बों को उपयुक्त न होने के कारण काम में नहीं लिया गया ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक रेलवे ने परिवहन के लिए कितने-कितने माल की पारस्परिक बुकिंग अर्थात् स्वयं से संबंधित तथा अन्य रेलों से संबंधित बुकिंग की और प्रत्येक रेलवे द्वारा कितने माल की ढुलाई की गई ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विगत तीन वर्षों में निर्मित माल-डिब्बों के आमानवर और वर्ष-वार ब्यौरे तथा चालू वर्ष के लक्ष्य नीचे की तालिका में दिये गए हैं :—

(चौपहियों के हिसाब से आंकड़े)

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन	जोड़
वास्तविक उत्पादन				
1977-78	10,167	1,791	208	12,166
1978-79	9,403	2,255	304	12,022
1979-80	9,269	1,348	210	10,827
लक्ष्य				
1980-81	11,370	1,430	200	1,000

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलों में लाइन पर चलाये गये और नाकारा घोषित किये गये माल-डिब्बों की आमानवर, वर्ष-वार संख्या नीचे तालिकाओं में दी गयी है :—

(चौपहियों के हिसाब से आंकड़े)

लाइन पर चलाये गये माल डिब्बों की संख्या

वर्ष	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन	जोड़
1977-78	10,178	1,642	42	11,862
1978-79	7,465	1,554	466	9,485
1979-80	10,302	1,975	192	12,469

नाकारा घोषित किये गये माल-डिब्बों की संख्या

1977-78	2,185	1,472	314	3,971
1978-79	2,420	1,494	60	3,974
1979-80	2,535	1,434	161	4,130

(घ) उसी रेलवे पर समाप्त होने वाले और अन्य रेलों के लिए बुक किए गये गाड़ी-भार से सम्बन्धित प्रत्येक रेलवे पर परिवहन के लिए बुक किए माल की मात्रा के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, विगत तीन वर्षों के साथ-साथ चालू वर्ष के प्रथम सात महीनों, अर्थात् अप्रैल से अक्तूबर 1980 तक की अवधि, का दैनिक औसत लदान भी नीचे दिया गया है :—

रेलवे	1977-78		1978-79		1979-80		1980-81 (अप्रैल-अक्तूबर)	
	ब०ला०	मी०ला०	ब०ला०	मी०ला०	ब०ला०	मी०ला०	ब०ला०	मी०ला०
मध्य	2509	15	2515	14	2415	13	2313	12
पूर्व	6820	—	6045	—	5634	—	5430	—
उत्तर	2209	665	2109	558	2177	573	1961	496
पूर्वोत्तर	—	1192	—	1140	—	1008	—	747
पूर्वोत्तर सीमा	154	80	120	669	133	583	118	479
दक्षिण	1116	824	937	757	888	682	905	655
दक्षिण मध्य	11557	650	1734	602	1717	602	1615	522
दक्षिण पूर्व	9152	—	8737	—	8384	—	7974	—
पश्चिम	1669	1699	1753	1649	1754	1582	1803	1571

नांगल राया से केन्द्रीय सचिवालय तक अपर्याप्त बस सेवा

2529. डा० बसंत कुमार पंडित : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नांगल राया से केन्द्रीय सचिवालय तक प्रातः 9 से 11 बजे के

बीच अपर्याप्त बस सेवा के बारे में नांगल राया से आने वाले यात्रियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यात्रियों ने यह सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है कि वहां से कितने यात्री बसों में चढ़ते हैं और उनके लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और उसका क्या परिणाम निकला ;

(घ) क्या दिल्ली स्थित कार्यालयों को रेवाड़ी और गुड़गांव से रेलगाड़ियों में आने वाले लोग नांगल राया से केन्द्रीय सचिवालय के लिए बस पकड़ने के लिए दिल्ली कैंट स्टेशन पर उतरते हैं और उन्हें घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और रूट नं० 720 तथा 740 की कोई बस वहां नहीं रुकती है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रातः 9 से 11 बजे के बीच नांगल राया के सचिवालय के लिए बसें चलाने का है और यदि हां, तो कब ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नांगल राया से प्रातः 9.00 बजे के बाद केन्द्रीय सचिवालय के लिए कम बसें चलाए जाने के बारे में अभिवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि सर्वेक्षण किए जाने पर यह पता चला है कि नांगल राया से केन्द्रीय सचिवालय जाने वालों के लिए 720, 740 रूट की मौजूदा सेवाएं पर्याप्त हैं । अक्तूबर, 1980 से जनकपुरी से नांगल राया और केन्द्रीय सचिवालय होते हुए दिल्ली गेट तक 703 और 704 के दो नये रूट शुरू किए गए हैं ।

(घ) यह सच नहीं है कि नांगल राया बस स्टाप पर यात्रियों को घंटों बस की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इस रूट पर यह बस हर 20 मिनट/40 मिनट के बाद चलाई जाती है ।

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम नांगल राया से केन्द्रीय सचिवालय को 720 और 740 रूट की दो स्पैशल बसें क्रमशः प्रातः 7.40 बजे और 8.30 बजे पहले से ही चला रहा है । यात्रियों की गणना करने से यह पता चला कि फिलहाल और बसें चलाने की कोई जरूरत नहीं है ।

गुड़गांव और दिल्ली के बीच रेल सेवा

2530. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रातः 7 से 10 बजे के बीच गुड़गांव से दिल्ली के लिए रेलगाड़ियों में चढ़ने वाले

यात्रियों और दैनिक यात्रियों की संख्या तथा उनके लिए अपेक्षित स्थान (सीटों) के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि गुड़गांव स्टेशन से चढ़ने वाले यात्रियों को खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है और उन्हें डिब्बों की छत पर यात्रा करनी पड़ती है और यदि हां, तो हालत में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रातः 9 बजे से 13.00 बजे तक गुड़गांव से दिल्ली के लिए कोई रेल सेवा नहीं है और यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सुबह के किसी विशेष समय पर गुड़गांव से दिल्ली तक यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का पता लगाने के लिए रेलवे द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । बहरहाल, प्रतिदिन औसतन लगभग 4,800 यात्री गुड़गांव से दिल्ली आते हैं । अप्रैल, 1980 के दौरान की गयी यात्री गणना के अनुसार, सुबह के समय गुड़गांव से आने वाली चार सवारी गाड़ियों, अर्थात् 214 डाउन, 2 आर. डी., 2 डी. एफ. और 4 डी. एफ. में दूसरे दर्जे के डिब्बों में उपलब्ध स्थान का लगभग 120 प्रतिशत से 160 प्रतिशत तक उपयोग हुआ । 2 डी.एफ. दैनिक यात्री गाड़ी सबसे अधिक लोकप्रिय पाई गयी है जिसमें अधिकतम 15 सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं और वर्तमान कर्षण के अन्तर्गत इसके डिब्बों की संख्या में और अधिक वृद्धि करना व्यावहारिक नहीं है । इसके अलावा, दिल्ली में अपेक्षित टर्मिनल सुविधाओं के अभाव में तथा इस खण्ड पर फालतू लाइन क्षमता न होने के कारण, एक अतिरिक्त शटल गाड़ी चलाना भी व्यावहारिक नहीं है ।

(ग) 09.40 और 13.06 बजे के बीच, गुड़गाँव से दिल्ली के लिए तीन गाड़ियां, अर्थात् 100 डाउन, 2 डी. बी. और 216 डाउन, चलती हैं ।

वैगन निर्माताओं के साथ मंत्री की बैठक

2531. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1980 के प्रथम सप्ताह में उन्होंने रेल वैगन निर्माताओं की एक बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आगामी पांच वर्षों की आवश्यकताओं और वर्तमान कमी का निर्धारण किया गया था ; और

(ग) मांग की पूर्ति के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई, क्या सरकार ने मूल्य संरचना जो उत्पादन बढ़ाने के लिए रुकावट बनी हुई है, युक्तियुक्त निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी हाँ। योजना आयोग द्वारा स्थापित रेलों के कार्यकारी दल ने छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान माल डिब्बों की आवश्यकताओं का हिसाब लगा लिया है। 1980-85 के लिए चौपहियों के हिसाब से कुल 1,10,000 माल डिब्बों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

(ग) माल डिब्बा निर्माताओं से अनुरोध किया गया है कि वे आगामी वर्षों में उत्पादन बढ़ाने की योजना बनायें। साथ ही उच्च स्तर पर उत्पादन करने के लिए साधन-सामग्री की भी योजना बनायी जा रही है।

वैगन इण्डिया लिमिटेड के परामर्श से जो कि माल-डिब्बा निर्माताओं की ओर से रेल मंत्रालय के साथ वार्ता के लिए प्राधिकृत एक संयुक्त सेक्टर संगठन हैं, मान दण्ड निर्धारित करके मूल्य ढांचे को युक्तियुक्त बनाया गया है।

बम्बई-कोल्हापुर लाइन

2532. **श्री आर० एस० माने** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में मीराज होते हुए बम्बई से कोल्हापुर तक की रेल लाइन शामिल की जायेगी जिसके लिए लोगों की काफी पुरानी मांग है ; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

रेल मन्त्रात्रय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बम्बई-कोल्हापुर लाइन पर स्थित बम्बई-पुणे खण्ड पहले से ही मध्य रेलवे में है। समय-समय पर कुछ मांगे पुणे-कोल्हापुर खंड के मध्य रेलवे में अन्तरण के लिए और कुछ यथा स्थिति बनाये रखने के लिए प्राप्त हुई हैं। फिलहाल यथा-स्थिति बनाये रखने का प्रस्ताव है।

मैडिकल स्टोर्स डिपो, मद्रास के कन्टीन कर्मचारी

:

2533. **श्री थाई० एम० करूणानिधि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मैडिकल स्टोर्स डिपो, मद्रास के कन्टीन कर्मचारियों के बारे में 17 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4598 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैडिकल स्टोर्स डिपो, मद्रास के कन्टीन कर्मचारियों पर अधिसूचना संख्या 6(2)23/77/वैल्फेयर दिनाँक 11 दिसम्बर, 1979 को लागू करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार तथा निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रगति क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है और यह कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) इस मामले की जाँच कर ली गई है। 11 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 6(2)23/77/कल्याण के उपबंधों के अनुसार केवल वे कर्मचारी इसके अन्तर्गत आते हैं जो उन ऐसी विभागीय/सहकारी केन्टीनों और टिफिन कक्षों में कार्य करते हैं, जो सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठान में विभागीय केन्टीनों के संबंध में भारत सरकार के प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार खोले गए हैं।

चूंकि मैडिकल स्टोर डिपो मद्रास की कैन्टीन उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है इसलिए मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास की कैंटीन के स्टाफ को तब तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान नहीं समझा जा सकता जब तक यह कैंटीन भारत सरकार के प्रतिमानों के अनुसार कार्य नहीं करती है।

भद्रक रेलवे स्टेशन

2534. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक गैर-सरकारी पार्टी ने दक्षिण पूर्व रेलवे के भद्रक रेलवे स्टेशन को नीलाम किया है ; और

(ख) यदि हां तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

संसद भवन में रेलवे खानपान सेवा

2535. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या संसद भवन तथा संसदीय सौध में रेलवे खानपान सेवा के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता हालांकि वे प्रातः पहले आते हैं तथा शाम को देरी से जाते हैं ;

(ख) क्या रेलवे खान-पान सेवा के कर्मचारियों को भी समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) रेलवे खानपाल सेवा के कर्मचारियों से निर्धारित कार्य-घंटों के बाद नियमानुसार समयोपरि भत्ता दिये बिना कितने घंटों तक कार्य लिया जा सकता है ; और

(ङ) यदि मंजूर हो गया तो समयोपरि भत्ते का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) खान-पान सेवा से सम्बन्धित रेल कर्मचारियों को उनके काम के निर्धारित घंटों से अधिक समय तक किये गये काम के लिए वर्तमान नियमों के अनुसार समयोपरि भत्ता दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) पर्यवेक्षी कर्मचारी समयोपरि भत्ता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं । जब अन्य रेल कर्मचारियों को, जिनमें खान-पान सेवा में नियोजित कर्मचारी भी शामिल हैं, उनके काम के निर्धारित घंटों के बाद काम के लिए रोका जाता है, तब वे समयोपरि के भुगतान के पात्र होते हैं । कार्यभार और सम्बद्ध औसत अवधि में प्रारम्भिक और/या पूरक काम को करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय के आधार पर किये गये वर्गीकरण के अनुसार, उनकी ड्यूटी के निर्धारित घंटे अलग-अलग होते है । चलती गाड़ियों में खान-पान सेवाओं में नियोजित कर्मचारियों के मामले में, जिन्हें कि दैनिक रोस्टर के आधार पर नियोजित नहीं किया जा सकता, काम के घंटों की गणना करते समय उस समय का पूरा लाभ दिया जाता है जबकि वे अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और उनकी यात्रा में लगने वाले उस समय का 25 प्रतिशत लाभ भी उन्हें दिया जाता है जबकि वे आराम कर रहे होते हैं ।

(ङ) सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा समयोपरि जर्नल प्रस्तुत करने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान की मंजूरी दे देने के बाद, आम तौर पर अगले ही महीने कर्मचारियों को देय समयोपरि भत्ते का भुगतान कर दिया जाता है ।

तिरुर रेलवे स्टेशन

2536. **श्री इ० के० इम्बीचीबाबा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : तिरुर के लोगों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के प्रति उत्तर में तिरुर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : तिरुर स्टेशन पर वर्तमान सुविधाओं में सुधार/अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना एक अनुमोदित कार्य है और पहले से ही रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल है । इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(क) दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार ।

(ख) दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय और महिला प्रतीक्षालय के लिए प्रसाधन सुविधाओं की व्यवस्था तथा ऊंचे दर्जे के वर्तमान प्रतीक्षालय में सुधार ।

(ग) शाकाहारी भोजनालय के लिए रसोई की व्यवस्था ।

(घ) प्रांगण और सामने के बरामदे के लिए प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की छत तथा लाइन लगाने के लिए अवरोधकों की व्यवस्था ।

इन निर्माण कार्यों को पूरा हो जाने पर इस स्टेशन पर होने वाले यातायात के लिए उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त रहेंगी ।

हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन

2537. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार हिमाचल प्रदेश में किन रेल लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करना चाहती है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : इस समय हिमाचल प्रदेश में नंगल से तलबाड़ा तक एक बड़ी रेल लाइन बनाने और कालका से परवाणू तक दूसरी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण चल रहा है । इन नई लाइनों के निर्माण के बारे में निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच के पश्चात ही किया जायेगा बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो और योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी जाये ।

पश्चिम जर्मनी में राजनीतिक शरण लेने वाले भारतीय राष्ट्रिक

2538. **श्री जी० एम० बनातवाला** :
श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1980 से अब तक कितने भारतीय राष्ट्रिकों ने पश्चिम जर्मनी में राजनीतिक शरण ली है ;

(ख) क्या पिछले आंकड़ों की तुलना में इस संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) फरवरी, 1980 से जून 1980 के बीच

(अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) कितने भारतीय राष्ट्रिकों ने जर्मन संघीय गणराज्य में राजनीतिक शरण ली है उनकी संख्या 2,997 है ।

(ख) पिछले आंकड़ों से मिलाकर देखें तो इसमें स्पष्ट वृद्धि नजर आती है क्योंकि 1978 के पूरे वर्ष में वहां राजनीतिक शरण लेने वालों की संख्या 4,174 थी और 1979 के पूरे वर्ष में 3810 ।

(ग) जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार तो कारण नहीं बताती, लेकिन आमतौर से यह कहा जाता है कि इसकी असली वजह यह है कि लोग जर्मन संघीय गणराज्य में रह कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना चाहते हैं ।

(घ) जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने जुलाई 1980 से जर्मन संघीय गणराज्य में प्रवेश के लिए वीजा पद्धति फिर से शुरू कर दी है । सरकार स्थिति पर निगाह रख रही है ।

नैमित्तिक श्रम प्रणाली

2539. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे ने 1 दिसम्बर, 1979 से शालीमार में सामान और पार्सलों के चढ़ाने-उतराने के ठेके विभागीय तौर से नैमित्तिक श्रमिकों को देना पुनः आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1979 से सितम्बर, 1980 के दौरान रेलवे द्वारा सरदारों और श्रमिकों को दिए गए भुगतान का महीने वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) शालीमार में दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा सरदारों और श्रमिकों को किस मजूरी दर से भुगतान किया जाता रहा है/किया जा रहा है ; और

(घ) क्या यह सच है कि हावड़ा गुड्स और रामकिस्तपुर में सामान चढ़ाने-उतराने संबंधी ठेकेदारों द्वारा सकान चढ़ाने-उतारने वाले श्रमिकों को 7 रु० प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से मजूरी दी जाती रही है/दी जा रही है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) शालीमार में सम्हलाई कार्य सम्हालने के लिए अब तक श्रमिक-सरदारों के माध्यम से दक्षिण-पूर्व रेल प्रशासन द्वारा दैनिक-दर के श्रमिकों को काम पर लगाया जा रहा है और विभागीय रूप से नैमित्तिक श्रमिकों का नियोजन नहीं किया जाता ।

(ख) दिसम्बर, 1979 से सितम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान किया गया महीने-वार भुगतान इस प्रकार है :—

दिसम्बर, 1979	—	48,398.60 रुपये
जनवरी, 1980	—	47,863.50 रुपये
फरवरी, 1980	—	46,101.50 रुपये
मार्च, 1980	—	53,034.50 रुपये
अप्रैल, 1980	—	52,857.50 रुपये
मई, 1980	—	53,100.00 रुपये
जून, 1980,	—	50,842.00 रुपये
जुलाई, 1980	—	53,859.00 रुपये
अगस्त, 1980	—	52,167.00 रुपये
सितम्बर, 1980	—	50,622.00 रुपये

(ग) सरदारों को 10.50 रुपये प्रतिदिन तथा श्रमिकों को 9.50 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जाता है।

(घ) जी हां।

पश्चिम जर्मन बर्लिन अन्तर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह के लिए चयन

2540. **श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने गत दो वर्षों में पश्चिम जर्मन बर्लिन अन्तर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह में किसी नाटक को मंचित करने के लिए किसी नाटक मण्डली को आर्थिक सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो नाटक मण्डलियों के नाम क्या हैं और किस आधार पर उनका चयन किया गया था ; और

(ग) क्या तमिलनाडु की किसी नाटक मण्डली के नाम पर विचार किया गया था ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पुणे स्थित थियेटर अकादमी के अनुरोध पर जिसे बर्लिनर फेस्ट-स्पीयेल, जी० एम० बी० एच०, बर्लिन अक्तूबर, 1980 के ड्रामाफेस्टीवल में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया था, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद से 32 विमान किराये (जो कि 64 सैलानी टिकटों के बराबर होते हैं) 64 सदस्यीय दल के लिए दिए थे। इसके संयोजकों ने उक्त अकादमी के लिए सिर्फ स्थानीय सत्कार की व्यवस्था ही की थी।

चूंकि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद से सिर्फ उक्त थियेटर अकादमी ने ही सहायता के लिए अनुरोध किया था, इसलिए किसी अन्य नाटक कम्पनी पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आक्सीजन और नाइट्रस आक्साइड की कमी

2541. **श्री एन०ई० होरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह बताया गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जीवन रक्षक आक्सीजन और नाइट्रस आक्साइड चेतनाशून्यकारी औषधियों की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो अस्पताल में इनकी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि लगभग छः महीने से चिकित्सा गैस की सप्लाई असन्तोषजनक रही है। विशेष रूप से अगस्त से अक्तुबर, 1980 तक इनकी भारी कमी बनी रहने की रिपोर्ट मिली है। यह सूचित किया गया है कि पहली नवम्बर, 1980 से आक्सीजन की सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

रेलगाड़ियों के टकराने की सभी घटनाओं के कारण

2542. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में रेल गाड़ियों के टकराने की सभी घटनाओं के कारणों के रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि 70 प्रतिशत दुर्घटनाओं में चालकों की आयु 50 वर्ष से अधिक थी ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने रेल इंजन चालकों और सिगनल तथा लोको विभागों में परिचालन कार्य पर लगे हुए अन्य कर्मचारियों, जोकि रेलों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, के समय-समय पर होने वाले रात्रि दृष्टि परीक्षण को और कड़ा बनाने और परीक्षणों को रेल चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा कड़ाई से लागू कराये जाने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हो, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) कर्मचारियों की गलती के कारण बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई ऐसा दीर्घकालिक विश्लेषण नहीं किया गया है ।

(ख) रात की विनाई की जांच और यह जांच कितनी-कितनी अवधि के बाद की जाय, इसके लिए निर्धारित वर्तमान मानक पर्याप्त समझे जाते हैं और उनकी समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) अल्ट्रासानिक पूला डिटेक्टर, रेल-पथ परिपथन, धुरा गणक' ग्रेनल अन्तर्पाशन स्वचल चेतावनी प्रणाली और गर्म वक्षा संसूचक जैसी नयी संरक्षा युक्तियों को उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है ।

रेलवे बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

2543. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में विभिन्न रेलवे जोनों से आये हुए संयुक्त निदेशक और उससे ऊपर पदों के कितने अधिकारी पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ख) रेलवे बोर्ड के ढांचे को नया रूप देने के लिए 3 वर्ष की सामान्य कार्यविधि के समाप्त होने पर उन्हें रेलवे जोनों में वापस क्यों नहीं भेजा गया ; और

(ग) उन्हें बोर्ड के कार्यालय में कब तक रहने दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तेंतीस ।

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड में रेल अधिकारियों के कार्यकाल की अवधि सामान्यत: चार वर्ष होती है । सामान्य कार्यकाल के बाद उन्हें रेलों पर वापस भेजने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

लाजपत नगर, नई दिल्ली में अस्पताल में एक्स-रे मशीन

2544. श्री रामसिंह शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाजपत नगर, नई दिल्ली के अस्पताल में कुल कितनी एक्स-रे मशीनें हैं ;

(ख) उनका मूल्य कितना है ;

(ग) क्या मशीनें काम दे रही हैं, यदि नहीं, तो कितने समय से बेकार पड़ी हैं और

(घ) लोक हित में उनकी मरम्मत कब तक हो जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रन्जन लास्कर): (क) एक एक्स-रे मशीन ।

(ख) लगभग 2 लाख रुपये ।

(ग) यह एक्स-रे मशीन काम कर रही है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

2545. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे पेंशनरों को मंहगाई भत्ते के जरिए क्या लाभ दिए गए हैं और किस आधार पर ; और

(ख) मूल्य सूचकांक में 8 अंकों की प्रत्येक वृद्धि पर रेलवे पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने में क्या अड़चन है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, रेलवे पेंशनरों को, केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की तरह, उनकी पेंशन के 5% की दर से राहत दी जाती है, जो अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपयोगकर्ता मूल्य सूचकांक के 16 अंक तक बढ़ने पर 12 मास के औसत वेतन पर कम से कम 5 रुपये और अधिक से अधिक 25 रुपये प्रतिमास होता है ।

रेल मंत्रालय को वेतन आयोग द्वारा स्वीकार की गयी सिफारिशों से विचलित होने के मामले में एकपक्षीय निर्गम लेने का कोई अधिकार नहीं है।

रेल कर्मचारियों द्वारा धीमे काम करने की तरकीब अपनाया जाना

2546. **श्री के० पी० सिंहदेव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियों द्वारा धीमे काम करने की तरकीब अपनाये जाने से बिहार के कुछ कोयला क्षेत्रों में कोयले के लादने-उतारने का काम धीमा पड़ गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में माल तथा यात्री गाड़यां देर से चल रही हैं और बिजलीघरों को की जाने वाली सप्लाई पर भी उसका बुरा असर पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो रेल कर्मचारियों के इस विघटन कारी रवैये के क्या कारण हैं ; और

(घ) सप्लाई को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) कोयले के लदान में गिरावट विशेषकर बिहार कोयला क्षेत्रों में, विभिन्न विपरीत कारणों के फलस्वरूप आये हैं जैसे प्रतिदिन 4 से 7 घंटे तक की अवधि के लिए बिजली की सप्लाई में व्यवधान, कुछ कोयला खानों, कोयला धुलाई कारखानों का असंतोष जनक कार्य निष्पादन, उन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा समय-समय पर रेल कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा धीरे-धीरे काम करने के हथकंडे अपनाना ।

रेल मर्मचारी छोटी-छोटी बातों पर धीरे-धीरे काम करने के हथकंडे अपनाते है जिससे सामान्य यातायात में व्यवधान पड़ता है । सरकार की नीति रेल कर्मचारियों की शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और नियमों की परिधि तथा वित्तीय नियन्त्रण के अंतर्गत उपयुक्त निवारक उपाय करने की है ।

रेल प्रशासन सामरिक क्षेत्रों के लिए कोयले की सामान्य सप्लाई करने के लिए सभी समुचित उपाय कर रहा है ।

एस्टीमेटरों, ड्राफ्टसमैनों और ट्रेसरों को स्थायी बनाया जाना

2547. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारों की संख्या में एस्टीमेटरों, ड्राफ्टसमैनों और ट्रेसरों को काफी लम्बे समय से स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्थायी बनाने का कार्य कब से बन्द कर दिया है और इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस बीच सम्पूर्ण भारतीय रेलवे में कुल टन किलोमीटर और शुद्ध टन किलोमीटर में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो वर्ष 1963 और अक्तूबर, 1980 में भारतीय रेलवे की कुल टन किलोमीटर क्षमता और शुद्ध टन किलोमीटर क्षमता का जोन-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या कुल टन किलोमीटर क्षमता और शुद्धटन किलोमीटर क्षमता के आकड़ों के आधार पर भारतीय रेलवे में ए० ई० एन०, डी० ई० एन० और एम० डी० आर० एम० के पदों में वृद्धि की गई है ;

(ङ) वर्ष 1963 और अक्तूबर, 1980 में भारतीय रेलवे में ए० ई० एन०, डी० ई० एन० और ए० डी० आर० एम० के पदों की संख्या का जोन-वार ब्यौरा क्या है ; और

(च) उसी अवधि में भारतीय रेलवे में एस्टीमेटरों, ड्राफ्टमैनों और ट्रेसरों की संख्या का जोनवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात को वैगनों का आबंटन

2548. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले का लदान करने के लिए गत छः महीने के दौरान गुजरात को आवंटित कोटे से 25% कम बैगन दिए जाने के क्या कारण है; और

(ख) गुजरात के उद्योग को होने वाली हानि को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विभिन्न उद्योगों के लिए कोयले की ढुलाई की मात्रा अलग-अलग होती है जो कोयले की ढुलाई के लिए मालडिब्बों के आबंटन के सम्बन्ध में दी गयी प्राथमिकता पर निर्भर करती है। गुजरात में सीमेंट, भारी उद्योग तथा कपड़ा उद्योगों आदि को उनके द्वारा अपेक्षित कोयले की मात्रा का 50 से 60% तक कोयला प्राप्त होता है जबकि हो सकता है अन्य उद्योगों को कम कोयला मिलरहा हो।

(ख) रेलें इस बात का प्रयास करेंगी कि उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना भी कोयला उपलब्ध है, उस सब की ढुलाई की जाय और इस सम्बन्ध में प्रयत्न किये भी जा रहे हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों से वायु प्रदूषण

2549. श्री अर्जुन सेठी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की कई बसों से प्रदूषण हो रहा है और धुंआ छोड़ने के कारण लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का धुंआ छोड़ने वाली बसों को न चलाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम को इस आशय का अनुदेश देने का विचार है कि चलती बसों में यात्री पायदान पर खड़े न हों ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) निगम द्वारा किए गए बेहतर अनुरक्षण उपायों और पिछले कुछ समय से चलाए गए विशेष

अभियान द्वारा अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अधिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ी नहीं चलाई जांय। प्रातः शेड से बाहर निकलने से पूर्व प्रत्येक गाड़ी की डिपु में जांच की जाती है। विभिन्न स्तरों पर नियमित जांच की जा रही है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

यदि कोई गाड़ी बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती मिले तो पुलिस को उसका चालान करने का अधिकार दिया गया है। जब कभी कोई गाड़ी अचानक रास्ते में खराब हो जाती है और अधिक धुआं छोड़ने लगती है तो निरीक्षण स्टाफ उस गाड़ी को रोक कर उसे तुरन्त ठीक करने के लिए वापिस डिपु भेज देता है लेकिन ऐसा बहुत कम होता है।

यह अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि कन्डक्टर यह सुनिश्चित करे कि कोई यात्री फुटबोर्ड पर यात्रा न करे। मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 82 के अधीन फुटबोर्ड पर यात्रा करना अपराध भी है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खसरे का टीका

2550. **श्री निहाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खसरे का टीका लगाने के लिए देश व्यापी अध्यन आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खसरे का टीका लगाने के लिए की जाने वाली व्यवस्था पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के माध्यम से बेल्जियम से कितने टीके प्राप्त हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) क्या राष्ट्रीय स्तर पर खसरे के टीके लगाए जाने की आवश्यकता है यह निश्चय करने के लिए एक मार्गदर्शी अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन से टीकों के परिवहन, संग्रहण और प्रभावकारिता की जानकारी मिलेगी। इस अध्ययन में 29 मेडिकल कालेज भाग ले रहे हैं। खसरे के टीकों को इन मेडिकल कालेजों के जरिए शहरी और देहाती दोनों इलाकों में उपलब्ध किया जा रहा है। 1980-81 के लिए 50 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(ग) यूनिसेफ ने 1979 में खसरे के टीकों की 30,000 खुराकें सप्लाई की थीं और चालू वर्ष में 30,000 खुराकें सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है।

परिवार नियोजन स्वास्थ्य केन्द्र, भिवानी के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

2551. **श्री एन० ई० होरो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 1980 के दैदिक "ट्रिब्यून" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है, कि परिवार नियोजन सम्बन्धी लक्ष्य पूरा न करने के कारण स्वास्थ्य केन्द्र भिवानी के कर्मचारियों को अगस्त महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने सूचित किया है कि परिवार नियोजन के लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के कारण अगस्त, 1980 में भिवानी जिले में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका गया था । वैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैरू में नियमित लिपिक की तैनाती न हो सकने के कारण वहां के स्टाफ को वेतन के भुगतान में देरी हुई । यह भी बताया गया है कि परिवार नियोजन के लक्ष्यों को पूरा न कर पाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी ने किसी भी कर्मचारी के वेतन को रोकने का कोई आदेश नहीं दिया था ।

27 अक्तूबर, 1980 को हुई दुर्घटना की सुरक्षा आयोग द्वारा जांच

2552. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अक्तूबर, 1980 को वड़ोदा के निकट हुई रेल दुर्घटना की जिसमें नौ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए सुरक्षा आयोग द्वारा जांच की गयी है ;

(ख) क्या सरकार को उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ; और

(ग) उसमें क्या निष्कर्ष दिए गए है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 27-10-80 को इटोला और मियागाम करजन स्टेशनों के बीच हुई दुर्घटना में 11 व्यक्ति मारे गए, 14 को गंभीर चोटें आयीं और 10 मामूली रूप से घायल हुए ।

रेल संरक्षा आयुक्त, बम्बई ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है । उनके अनंतिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना "रेल कर्मचारियो की गलती" की कोटि के अन्तर्गत आती है ।

रेलवे कैन्टीन कर्मचारी

2553. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध रेल मंत्रालय द्वारा दायर की गयी अपील रद्द कर दी है जिसमें रेलवे केन्टीन कर्मचारियों को रेल कर्मचारी घोषित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कलकत्ता उच्च न्यायालय के 16 जुलाई, 1977 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध भारत सरकार तथा अन्य बनाम जग्गा राव तथा अन्य के मामले से संबंधित 1978 की सिविल अपील सं० 368 में सर्वोच्च न्यायालय के 22-10-1980 के निर्णय/आदेश की प्रमाणित सरकारी प्रति अनुरोध करने पर भी अभी तक प्राप्त नही हुई है । उक्त निर्णय/आदेश प्राप्त हो जाने पर उसे कार्यान्वित किए जाने के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा ।

आंध्र प्रदेश में पुनः मलेरिया फैलना

2554. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में मलेरिया के पुनः फैलने की गम्भीर समस्या की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय के समाचारों की जानकारी है कि विद्यमान किस्म के मच्छरों पर डी० डी० टी० आदि का कोई असर नहीं होता ; और

(ग) यदि हां, तो स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न इस खतरे को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं । वास्तव में आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले वर्षों की तुलना में मलेरिया के रोगियों में कमी हुई है जैसा कि नीचे उल्लिखित है :

वर्ष	रोगी
1976	2,71,000
1977	1,14,620
1978	71,723
1979	55,576
1980 (सितम्बर, 1980 तक)	20,828

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में राष्ट्रीय योग संस्थान की स्थापना

2555. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में निकट भविष्य में एक राष्ट्रीय योग संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार के केन्द्र देश के अन्य भागों में भी खोले जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) केन्द्रीय योग अनुसंधान, संस्थान, जिसे केन्द्रीय सरकार से पूर्ण रूप से सहायता मिलती है, के शासी निकाय ने संस्थान को राष्ट्रीय योग संस्थान के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय किया है । प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान का ब्यौरा इस संस्थान द्वारा तैयार किया जा रहा है। सरकार को अभी तक इस संस्थान का दर्जा बढ़ाने पर विचार करने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव नही मिला है ।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड के विरुद्ध शिकायतें

2556. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली परिवहन निगम के बोर्ड के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार दिल्ली परिवहन निगम के बोर्ड, उसके कार्यों, प्रशासन तथा कार्यकरण के पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या इस बोर्ड के उचित कार्यकरण की प्रक्रिया की सामान्य शर्तों की अवहेलना किए जाने के कुछ उदाहरण हाल ही सामने आए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम के बोर्ड, उसके कार्मिकों और उनके अधिकार की सीमाओं के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं ?

नौहवन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसे किसी मामले की सरकार को कोई जानकारी नहीं दी गई ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

उगाण्डा द्वारा दिया गया मुआवजा

2557. **श्री अजीत सिंह दामी** : क्या **विदेश मंत्री** उगान्डा से निकाले गये भारतीयों के दावे के निपटारे के बारे में दिनांक 4 अगस्त, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उगान्डा निवासी भारतीय नागरिकों में उगान्डा स्थित भारतीय उच्चायुक्त के माध्यम से किए गए 1535 दावों में से केवल 1035 दावे सिद्ध हो पाये हैं और उगान्डा सरकार ने मुआवजे के लिए उन पर विचार किया था और उगान्डा सरकार ने केवल 625 मामलों में मुआवजा दिया है ;

(ख) क्या उगान्डा स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने शेष 410 दावों के मामलों में मुआवजा दिलाने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) 410 मामलों में से कितने मामलों में भुगतान किया जा चुका है और शेष मामलों में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां । कम्पाला स्थित भारतीय हाई कमीशन ने दावेदारों की ओर से उगांडा मूल्यांकन समिति के समक्ष जो दावे प्रस्तुत किए थे, उनमें से 1038 दावों की पुष्टि में प्रमाण दिए जा सके थे और उन पर ही मुआवजे के लिए विचार किया गया था । इनमें मुख्यतः इमारतों, संयंत्र और मशीनरी, उगांडा सरकार के स्टाक, बीमा — पालिसी, अवरुद्ध कोष और सामाजिक सुरक्षा कोष से सम्बद्ध दावे ही थे । इस सिलसिले में एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार उगांडा की सरकार को 628 दावों में मुआवजा देना था ।

(ख) और (ग) शेष 410 दावों के मामले में जो मुख्यतः ग्रेचुइटी, पेंशन, वेतन, आप्रवासन जमा की वापसी, आयकर की वापसी, भविष्य निधि, सरकारी विभागों में जमा या उनसे लेनदारियां, माल-बीमा और भाड़े से सम्बद्ध थे, यह निश्चय किया गया था कि इन दावों पर राजनयिक सूत्रों के माध्यम से अथवा स्थापित प्रक्रिया के जरिए विचार किया जाएगा ।

कम्पाला स्थित हमारा हाई कमीशन इन दावों से सम्बद्ध मामलों को उगांडा की सरकार के साथ उठाता रहा है । इस समय उगांडा चुनाव की तैयारी में है । हमारा हाई कमीशन वहां नई सरकार की स्थापना हो जाने के बाद इस मामले को फिर उठाएगा ।

मद्रास पत्तन न्यास में कनिष्ठ इंजीनियर

2558. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास पत्तन न्यास के उन कनिष्ठ इंजीनियरों को बहुत ही कम वेतनमान में श्रेणी-III संवर्ग में रखा गया है जिनके पास स्नातक की डिग्री है ;

(ख) उन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिष्ठानों या अन्य पत्तनों की भांति श्रेणी-II या श्रेणी-I संवर्ग में नहीं रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार मद्रास पत्तन न्यास के कनिष्ठ इंजीनियरों के पदों का श्रेणी-II और श्रेणी-I संवर्ग में उन्नयन करके उनके साथ हो रहे भेद-भाव को समाप्त करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में इंजीनियरिंग ग्रेजुयेटों को शुरू-शुरू में श्रेणी तीन के ग्रेड में रुपये 675-23-744-द०रो०-28-1052 के वेतनमान में भर्ती किया जाता है । यह वेतन क्रम थोड़ा नहीं समझा गया है ।

(ख) अब तक, मद्रास पत्तन में श्रेणी-I या श्रेणी-II के ग्रेडों में इंजीनियरों की सीधी भर्ती की कोई जरूरत नहीं हुई है । मद्रास पत्तन में ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य बड़े पत्तनों में और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भी इन्जीनियरिंग के ग्रेजुएटों को श्रेणी-III में जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

(ग) इस तरह कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अहमदाबाद दिल्ली मीटर गेज रेलवे लाइन पर नई रेलगाड़ियाँ

2559. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-दिल्ली मीटर गेज रेलवे लाइन पर चलाई गई नयी रेलगाड़ियों की संख्या देश में अन्य मुख्य रेलवे लाइनों पर चलाई गई रेलगाड़ियों की तुलना में कम है ;

(ख) क्या उस रेलवे पर भारी यातायात को देखते हुए इस लाइन पर एक नई रेलगाड़ी चलाने का विचार है ;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए रेलवे लाइनों पर सुपर फास्ट गाड़ियां चलाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपयुक्त लाइन पर ऐसी कोई रेलगाड़ी अब तक नहीं चलाई है और क्या उसको उपरोक्त लाइन पर शीघ्र ही चलाया जायगा ?

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) दिल्ली-अहमदाबाद मुख्य लाइन पर, दो राज्यों की राजधानियां स्थित हैं —एक गांधीधाम (जिसके लिए रेल हैड अहमदाबाद है) और दूसरी जयपुर। 1/2 मेल और 3/4 एक्सप्रेस तथा 31/32 जयन्ती जनता एक्सप्रेस तेज रफ्तार वाली गाड़ियां हैं जो अहमदाबाद/जयपुर को दिल्ली से जोड़ती है। जयपुर और दिल्ली के बीच 31-1-77 से चलायी गयी 501/502 पिंक सिटी एक्सप्रेस गाड़ी तेज रफ्तार वाली एक अतिरिक्त गाड़ी है। इसके अलावा, इस मीटर लाइन मार्ग पर 161/162 बीकानेर-रेवाड़ी पैसेंजर, 15/16 उदयपुर-दिल्ली चेतक और 165/166 जयपुर-बीकानेर पैसेंजर गाड़ियां भी चलायी गई हैं। अतः इस खंड पर चलायी गयी गाड़ियों की संख्या इसी प्रकार के अन्य खण्डों पर चलायी गई गाड़ियों की संख्या के अनुरूप है। मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता की कमी और टर्मिनलों पर भारी दबाव के कारण, अहमदाबाद और दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, इन दबावों को ध्यान में रखते हुए, 1-5-79 से नयी दिल्ली और अहमदाबाद के बीच बड़ी लाइन पर सप्ताह में दो बार चलने वाली एक सुपरफास्ट गाड़ी अर्थात्, 181/182 सर्वोदय एक्सप्रेस चलायी गयी है जिससे काफी राहत मिली है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। हमने एक एडजार्नमेन्ट मोशन दिया है···।

अध्यक्ष महोदय : कौन से कानून के अधीन ?

श्री रामविलास पासवान : नियम 56 के अधीन। मैंने एडजार्नमेन्ट मोशन दिया है कि 20 व्यक्ति शराब पीने के कारण मर गये हैं। बागड़ी जी के क्षेत्र में यह घटना घटी है ··।

अध्यक्ष महोदय : तब तो उनको चिन्ता करनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : दूसरे-तीन मजदूर नेता गायब हैं। वे नेगोशियेशन्ज के लिए गये थे तब से गायब हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है···।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मैं आप से चैम्बर में मिला था ··।

अध्यक्ष महोदय : आप ने मेरे से बात की है···।

श्री मनीराम बागड़ी : आप पहले मेरा निवेदन सुन लीजिए। मेरे पास श्री रमेशचन्द्र कालावाड़ी का तार आया है कि 62 आदमी ठेके की शराब पीकर मर गये। इसका मतलब है कि उनकी कातिल सरकार है** अध्यक्ष महोदय, आप खड़े हो गए, पहले आप सुन लीजिए ···।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप ने सारे-का-सारा कह तो दिया है।

श्री मनीराम बागड़ी : होम मिनिस्टर को यहां होना चाहिए था, होम मिनिस्ट्री का कोई आदमी यहां नहीं है (व्यवधान)···।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे सर्वश्री मनीराम बागड़ी तथा राम विलास पासवान से हरियाणा और पंजाब में कुछ स्थानों पर जहरीली तथा नकली शराब पीने से हुई मौतों और अनेक लोगों के अंधे होने के समाचार के बारे में स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है।

शराब का उत्पादन निर्माण, रख-रखाव लाना-लेजाना, खरीदना और बेचना एक राज्य-विषय है, परन्तु शराब पीने से अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों के मरने और अन्धे होने पर हम सबको चिंता होनी लाजमी है। और यह स्वाभाविक है कि मेरी तरह ही सारी सभा भी दुखी है और दुखी होना भी चाहिये। समय-समय पर इस प्रकार के मामलों और मोतों के समाचार प्रायः आते रहते हैं। हम इन मृत्यु के एजेंटों अथवा हत्यारों को यूंही साफ बचकर नहीं जाने दे सकते हैं। उनका पर्दाफाश करना होगा और यह प्रक्रिया बन्द होनी चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर विचार करें और इस प्रकार की दुःखद घटनाओं की पुनर्रावृति रोकने के लिए सम्बन्ध प्राधिकरणों को ठोस और प्रभावी करने की हिदायत दें। इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आना होगा।

इन स्थगन प्रस्तावों पर मेने अपनी सहमति रोक ली है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सूचना भेजी है···।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने सूचना भेज दी है तो ठीक है। मैं इस पर ध्यान दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि इस सभा की भावनाओं का सम्मान करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उचित कदम उठाया था और आवश्यक निर्देश दिये थे तथा उन सभी पुलिस कर्मियों को जो भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों को अन्धा बनाने के लिए उत्तरदायी थे पहले ही मुअतिल कर दिया गया है। यह समाचार आया है कि भागलपुर के बहुत से पुलिस कर्मियों ने रेलगाड़ियां रोकीं हैं और इसलिए इस मामले को लेकर मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी हैं···।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। उचित कार्यवाही की जा रही हैं। क्योंकि यह एक राज्य विषय है, अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो० मधुदण्डवते : पुलिस द्वारा रेलगाड़ियों को रोका जाना तो सबसे बड़ी मुसीबत है, आपदा है···।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है ..।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देने के प्रश्न पर अभी विचार-विमर्श करना है।

श्री चन्द्रजीत यादव : हिंद महासागर में स्थिति गम्भीर होती जा रही है··।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं वेंचलिंगम आयोग के प्रतिवेदन पर बहस करने के लिए इस सत्र में और गत सत्र में नियम 184 के अधीन एक प्रस्ताव की निरन्तर सूचना दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कार्य मन्त्रण समिति में लाइये। (व्यवधान) रही स्थगन प्रस्ताव की बात यह तो राज्य का विषय है। यह कोई यहाँ स्थगन प्रस्ताव लाने का प्रश्न नहीं है यह तो राज्य की विधि और व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसे यहां नहीं ले सकता। और ना इसकी अनुमति देता हूं। मेरी अमुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए। (व्यवधान)*।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर-प्रदेश को 75 हजार मीट्रिक टन गेहूं हर महीने दिया जाता था। अब उसको घटाकर 30 हजार मीट्रिक टन कर दिया गया है। (व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय ; मेरी अनुमति नहीं है।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई-दक्षिण) : मैं आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं···।

अध्यक्ष महोदय : किस मुद्दे पर?

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलितन हीं किया गया।

श्री रतनसिंह राजदा : लगभग 5000 पुलिस कर्मियों ने वर्दी पहनकर मार्च किया ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैं पहले ही सुन चुका हूं । यह राज्य का विषय है मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । यहां पर इसका उचित मंच नहीं है (व्यवधान)* ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये । मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये ।

अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे । (व्यवधान)*

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत, औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 सितम्बर,1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 54 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1500/80)

भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण अधिनियम, 1978 के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ;

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(एक) भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) नियम. 1980, जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 567(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा० सां० नि० 568(ङ), जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिनांक 3 फरवरी, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 172, का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(तीन) भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 26 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 79/एम टी पी/ सीए/ 5 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—1501/80)

लोक लेखा समिति के विवरण

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं निम्नलिखित विवरणों के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रक्षा सेवाओं पर 95वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय-एक में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(2) रक्षा सेवाओं पर 96वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय-एक में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

तमिलनाडु में हरिजन परिवारों को अभी भी बन्धक बनाए जाते रहने का समाचार

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल विहारी वाजपेयी .....उपस्थित नहीं हैं। श्री धनिक लाल मण्डल ।

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझारपुर) : महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :—

"तमिलनाडु में बहुत से हरिजन परिवारों के अभी तक बन्धक बनाये रखने का समाचार।"

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, सरकार को इन समाचारों की जानकारी है जिनमें कहा गया है कि तमिलनाडु में अनेक हरिजन परिवार बंधक हैं। तमिलनाडु में अभी तक हरिजन बंधुआ मजदूर होने के हाल के एक समाचार पर राज्य सरकार को एक पत्र लिखा गया है और उत्तर की प्रतीक्षा है।

2. माननीय सदस्यों को निःसंदेह यह जानकारी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक ढांचे की जड़ों में व्याप्त बंधुआ मजदूरी प्रणाली एक अपकारक प्रथा है। भारत सरकार इसके पूर्ण तथा प्रभावकारी उन्मूलन को सर्वाधिक महत्व देती है। इस उद्देश्य के लिए 25 अक्तूबर, 1975 से बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अध्यादेश 1975 उद्घोषित किया गया था। बाद में यह बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 बन गया। यह भी 20 सूची कार्यक्रम की मदों में से एक है। अधिनियम के अधीन बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उनको मुक्त करने व उनका पुर्नवास करने और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रवर्तन तथा प्रशासन के लिए राज्य सरकार कार्यान्वियन एजेंसी है। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त समाचारों के अनुसार इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, 31 अक्तूबर 1980 तक 1,20,561 बंधुवा मजदूरों का पता लगाया गया और उन्हें मुक्त किया गया जिनमें तमिलनाडु के 27,874 बंधुवा मजदूर शामिल हैं। राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अपने विकास तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के अधीन मुख्य रूप से मुक्त किए गए बंधुवा मजदूरों का पुर्नवास किया जा रहा है। राज्य सरकारों के पुर्नवास प्रयास में सहयोग देने तथा उसे तेज करने के उद्देश्य से छठी योजना के 25 करोड़ रुपये के परिव्यय से भारत सरकार

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन तदनुरूपी सहायता दे रही है।

3. भारत सरकार गहन सर्वेक्षण के माध्यम से बंधुवा मजदूरों का आगे पता लगाने व उनके शीघ्र मुक्ति दिलाने तथा उनके पुनर्वास की प्रक्रिया तेज करने के लिए राज्य सरकारों के साथ निरन्तर सम्पर्क रख रही है। सरकार को यह जानकारी है कि बंधुवा मजदूरों की बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों की है। सरकार यथा सम्भव बंधुवा मजदूरों की शीघ्र पूर्ण मुक्ति के लिए सतत प्रयास जारी रखेगी।

श्री धनिकलाल मण्डल : श्रीमन्, मेरा जो ध्यान-आकर्षण सूचना का प्रस्ताव था वह तमिलनाडु के धर्मपुर जिले के तिरपतूर तालुका कागीराम पट्टी विलेज से संबंधित था और अन्य जगहों से भी संबंधित था, लेकिन खासकरके इसकी ओर ध्यान खींचना था।

महोदय, कागीराम पट्टी में 300 हरिजन परिवारों को बंधुआ मजदूर बनाकर के रखा गया। तिरपतूर तालुका में कोई भी हरिजन सफेद धोती और चप्पल पहन कर नहीं चल सकता है। धर्मपुर और आरकोट जिले में जो भी इस तरह के सामाजिक कार्यकर्त्ता, जैसे सर्वोदय कार्यकर्त्ता और अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ता इस संबंध में पता लगाने के लिए जाते हैं. जांच-पड़ताल करने के लिए जाते हैं, उनको मारा-पीटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और पुलिस उन लोगों का साथ देती है जो इस प्रथा को कायम रखने पर तुले हुए हैं, इससे मेरा संबंध था, लेकिन मंत्री जी का कहीं इस संबंध में जवाब नहीं आया है। यह देखकर के मुझे हैरत भी है और दुःख भी है।

महोदय, इतना ही नहीं सर्वोदय कार्यकर्ताओं को और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीटा गया बल्कि यहां तक बात है कि एक वकील, जिसका नाम भक्त वत्सलम है, जो ऐसे लोगों को मदद पहुंचाते हैं. सहयोग करते हैं, जिन पर पुलिस कार्यवाही करती है, झूठ-मूठ, बड़े लोगों के कहने पर, जमींदार, लैण्डलार्ड और मनी लैण्डर, महाजन और भूमि पतियों के इशारे पर पुलिस उन लोगों पर, इस तरह के मजदूरों पर कार्यवाही करती है, सताती है, उनके कोई एक वकील भक्त वत्सलम साहब हैं जो उनकी मदद करते है. उन पर पुलिस ने कार्यवाही की, उन्हीं वकील साहब पर, उनको मारा-पीटा भी और उन पर कार्यवाही की और सेडीशन का केस, राजद्रोह की दफा लगाकर मुकदमा भक्त वत्सलम पर पुलिस ने चलाया है, क्योंकि वे गरीबों की मदद करते हैं। यह स्थिति है तमिलनाडु की और हमारे मंत्री भाई कह रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए स्टेट एजेंसी है और स्टेट क्या कर रही है यह आपको मैंने अभी वर्णन किया। यही हाल देश के अन्य भागों में भी है, बिहार में भी है इसका कारण क्या है ?

अभी महोदय, मंत्री जी ने यह बताया कि इन्होंने कितने मजदूरों को आइडेंटीफाई किया, बंधुआ मजदूरों को, 120,561, इनका धन्यवाद है। महोदय एक जो कंज़रवेटिव सर्वे है, गांधी पीस फाउंडेशन और इनकी ही एक संस्था है लेबर इंस्टीट्यूशन, गांधी पीस फाउंडेशन और

लेबर इंस्टीट्यूशन की मदद से, दोनों के कोलोबरेशन से एक सर्वे किया गया, बंधुआ मजदूरों का, मजदूरों का कंज़रवेटिव एस्टीमेट जो है वह है लगभग साढ़े 22 लाख, मोर दैन 2 मिलियन, यह है उनका और इनका कितना है एक लाख बीस हजार पांच सौ इकसठ। इससे जाहिर है कि राज्य सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं लेती है। मंत्री जी कह रहे हैं कि आइडेंटीफिकेशन का काम भी राज्य सरकार को ही करना चाहिए, मुक्ति का काम भी राज्य सरकार का है, पुनर्वासित करने का काम भी राज्य सरकार का है, ये केवल उनकी मदद करते हैं और छठी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने बस 25 करोड़ रुपया इसके लिए रखा। जो इतनी विशाल समस्या है, उस विशाल समस्या के निदान के लिए इन्होंने 25 करोड़ रुपया रखा है। यह है ऊंट के मुंह में जीरा। समुद्र में एक बूंद के बराबर है खुद इनकी लेबर इंस्टीट्यूट और गांधी पीस फाउंडेशन ने मिल कर जो सर्वेक्षण किया है उसके हिसाब से साढ़े 22 लाख इनकी संख्या है जबकि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 1 लाख 20 हजार मजदूर अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रही है।

मैं अनेक बार इस सदन में कह चुका हूं कि राज्य सरकारों और प्रशासन का जो बायस है वह हाई कास्ट्स और हाई क्लासिस के प्रति है और उसको दुरुस्त करना होगा। लेकिन ये उस के सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। न हरिजनों को, न आदिवासियों को, न पिछड़े वर्गों को, न महिलाओं और मुसलमानों को ये प्रतिनिधित्व दे रहे है। इनके खिलाफ यह बायस होना चाहिये। ये लोग, क्रास सैक्शन के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आएं, सभी का प्रशासन प्रतिबिम्ब बने पूरे देश का आइना बने तो आप देखगें कि सभी की छवि उस में निखर कर सामने आएगी।

यह स्थिति क्यों बनी ? ग्रामीण अंचलों में जो सामाजिक आर्थिक ढांचे की बनावट है इसकी वजह से यह सारी बात होती है और 35 साल से जो योजनायें इन्होंने चला रखी हैं उन्होंने इस ढांचे को और भी मजबूत किया है, कमजोर नहीं किया है। इनकी योजना का लाभ इन्हीं वर्गों, इन्हीं समुदायों को मिला है। मंत्री महोदय ने स्वयं फरमाया है कि हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से हरिजनों और कमजोर वर्गों के लोगों और खास कर खेतमज दूर की श्रेणी के लोगों की परेशानी बढ़ी है। आपकी योजना का लाभ भी इन्हीं लोगों को, इन्हीं समुदायों के लोगों को मिला है। आपकी खुद की कार्रवाई से वह वर्ग जो इस तरह के अत्याचार, उत्पीड़न, दौहन, दमन, आतंक, जुल्म ढहा रहा है वह कहीं मजबूत तो नहीं हो रहा है, इसको भी आप देखें।

मैं गरीबों की दुखभरी गाथा आपके सामने रख रहा हूं। आप तो खुद मानते हैं और आपने बार बार कहा भी है कि इस देश में जो भी घटना घटती है, उसकी गूंज यहां होनी चाहिए उसकी प्रतिध्वनि यहां होनी चाहिये। मैं गरीबों की गाथा आपको सुना रहा हूं मंत्री महोदय कान खोल कर सुन लें। घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे यह प्रथा और मजबूत होती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ ? सरकार ने जो योजना चलाई उसमें ग्रामीण अंचलों की उपेक्षा की। विल्लेज सैक्टर रुलर सैक्टर की तरफ योजनाओं का ध्यान नहीं गया। 35 साल में बड़े-बड़े शहर सरकार बनाती रही, बड़ी बड़ी कार्रवाई करती रही। सरकार

कह देगी कि उसने बोकारो बनाया, सिंदरी बनाई, यह बनाया, वह बनाया। लेकिन ग्रामीण अंचलों का उसने विकास नहीं किया। गांव आज वैसे के वैसे हैं। महात्मा गांधी अभी लौट कर भारत में आ जाएं तो वह देखेंगे कि उन्होंने जिस तरह के गांवों को देखा था, वे वैसे के वैसे आज भी हैं। क्या यह गांधी जी की सेवा इन्होंने की है गावों में इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है।

ग्रामीण अंचलों में जो थोड़ा बहुत टैक्नौलोजिकल डिवेलेपमेंट की वजह से या दूसरी और वजह से विकास हुआ है उसका भी लाभ गरीबों को वहां कतई नहीं पहुंचा है। जो थोड़ा बहुत विकास खेती में तथा दूसरी चीजों में हुआ है, उसमें खेत मजदूर को गरीब वर्ग को भी हिस्सा मिले, उसको भी उसका शेयर मिले, इसके लिए सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। मैं ग्रामीण अंचल के लोगों के बारे में जानना चाहता हूं कि वहां के लोगों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की जिससे गरीब वर्ग के लोगों की हालत सुधरती ? यहां अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बहुत बात होती है बोंडेड लेबर को खत्म करने की बात होती है, प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स को इम्पलीमेंट करने की बात होती है और मंत्री लोग यहां रोज आश्वासन भी देते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक आप इनका संगठन नहीं बनायेंगे तब तक गरीब लोग यह सारे अधिकार नहीं ले पायेंगे। ग्रामीण अंचल में जो हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, औरत और दूसरे धर्मों के अल्पसंख्यक लोग हैं इनको आज भी अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसलिये क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है ..... ।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिये।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं एक मिनट और लूंगा। और जैसा आप कह रहे हैं सवाल ही कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इनका संगठन बनाने के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

इस देश में सब ने अपना संगठन बनाया हुआ है और नेशनल केक में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिये सब आगे आ जाते हैं। बड़ी बड़ी तनखाह पाने वाले लोग आये दिन हड़ताल करते हैं अपनी कंडीशन आफ सर्विस बेहतर बनाने के लिये। लेकिन इन अभागों के लिए क्या है जो अनआर्गेनाइज्ड लेबर है जिसमें बंधुआ मजदूर हैं ? उनके संगठन के लिये कभी इनका ध्यान नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पंजाब में कहावत है कि पंचों का फैसला सर माथे पर, परनाला यहीं गिरेगा।

श्री धनिक लाल मण्डल : इस घटना के बाद पुलिस ने जोर जुल्म दिखाया और 500 लोगों को गिरफतार कर लिया, और एक को नक्सलवादी के नाम पर गोली से उड़ा दिया। हम बहुत दिल थाम कर रखते हैं नहीं तो यह सदन उड़ जाएगा। इन बेचारों के साथ बड़े अन्याय हो रहे हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि इनकी रीयल वेज घट गयी ? सरकार बड़े पैमाने पर इन लोगों को उठाने के लिए क्या कर रही है ? आप स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बात करते हैं, हरिजन

डैवलपमेंट कारपोरेशन की बात करते हैं, फूड फोर वर्क की बात की, अंत्योदय की बात की। मैं पूछना चाहता हूं कि इसको कब तक आइडेंटिफाई करके आप इस समस्या का हल निकालेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप सारे मेरे साथ सहयोग करेंगे तब तो काम चलेगा । अगर इस तरीके से सवाल करें जिसमें एक सवाल में संसद का 15 मिनट से भी ज्यादा समय लग गया, यह अच्छा नहीं लगता ।

श्री धनिक लाल मंडल : मान्यवर, यह बहुत बड़ा सवाल है, करोड़ों लोगों का सवाल है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा भेजे गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को मैंने देखा हैं । यह तमिलनाडु में बड़ी संख्या में अभी तक बहुत से हरिजन परिवारों को बन्धक बनाए जाने के बारे में है । अतः मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में ही बताया है कि मैंने तमिलनाडु राज्य सरकार से सूचना मांगी है और मैं राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमें कल 12.30 बजे सूचना मिली और हमने तुरन्त——।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं श्रीमन । आप अपने कार्यालय से पूछिये । राज्य सरकार को उत्तर देना चाहिए ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : राज्य सरकारों की यही परिपाटी चली आ रही हैं कि वे सूचना देती ही नहीं है । ऐसा ही..... के मामले में हुआ था ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मन्त्री महोदय को इस प्रकार का आम चलता सा वक्तव्य नहीं देना चाहिए । (व्यवधान) ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मेरा यह कहना है कि गत सत्र में भी मैंने जिक्र किया था कि राज्य सरकार ने सूचना नहीं भेजी । हमने सूचना मांगी है पर राज्य सरकार ने नहीं भेजी है ।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार को यह अनुभव कराने के लिए कहा जाए । (व्यवधान)।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य क्षुब्ध क्यों हैं । कारण मैं नहीं जानता । (व्यवधान) मैने तो यह बात केवल इस बात को बल प्रदान करने के लिए कही थी कि बहुत से मामलों में राज्य सरकारें तत्परता से सूचनाएं नहीं भेजती हैं । वे सूचनाएं भेजती तो हैं परन्तु थोड़ा समय लगाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस सभा को सूचना भेजनी चाहिए और उन्हें उनका उत्तरदायित्व अनुभव कराना चाहिए। मुझे इस प्रकार का विलम्ब पसन्द नहीं है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसीलिए तो मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया है। मैं उनसे सूचना शीघ्र भेजने के लिए फिर से कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्हे बताइये और सभा की अप्रसन्ता का उन्हें आभास कराइये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ठीक है, महोदय। महोदय, माननीय सदस्य ने ऐसे बहुत से प्रश्न उठाए हैं जहां हमें उनका सहयोग चाहिए। एक प्रश्न जो उन्होंने उठाया है वह इस आयोजना के लाभ और इन योजनाओं की उपलब्धी के बारे में है। उनका कहना है कि इन योजनाओं का लाभ तो समाज के धनी-वर्ग को मिला है।

अत: इस सम्बन्ध में हमने योजना तैयार करने का एक नया तरीका निकाला है जिसके अंतर्गत हमने एक विशेष केन्द्रीय सहायता योजना बनाई है ताकि गरीब लोगों के लिए राज्य अधिक निवेश करें। साथ ही हमारी न केवल धनराशि की व्यवस्था करने में ही रुचि है अपितु हम कार्यक्रमों को क्रियान्वित भी करना चाहते हैं। अत: मंत्री के रूप में पहली बार में एक राज्य से दूसरे राज्य का दौरा करता रहा हूं और न केवल मंत्रियों से अपितु अधिकारियों से भी मिलता रहा हूं। मैं प्रत्येक राज्य के अधिकारियों से मिला हूं मैंने उनसे योजना पर चर्चा की है और हमने देखा कि वे किस प्रकार कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे है। मैं स्थान-स्थान पर गया हूं मध्यप्रदेश में मैं विदिशा गया हूं जहां मैंने परियोजना अधिकारी के काम का कार्यवेक्षण किया है। हम इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे है। किन्तु साथ ही 'बधुवा श्रमिक का प्रश्न एक अजीब समस्या है। इसकी पहचान करना बहुत कठिन है। कई मामलों में ऐसा होता है कि जब उनका पता लगता है तो उन्हें नौकरी भी दी जाती है। उन्हे कुछ काम भी दिया जाता है। किन्तु होता यह है कि फिर से वे अपने मूल जमीदार के पास चले जाते हैं। उनकी इस प्रकार जाने और उनके साथ रहने की प्रवृत्ति है। यह बात भी इसमें है। किन्तु, महोदय, यदि हम उन्हे नौकरी देते हैं और उन्हे फिर से बसाते हैं अर्थात उन्हे उचित वेतन और आवास देते हैं तो, मैं समझता हूं वे नहीं जाएंगे। सरकार ने इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लिया है। किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य ने सही कहा है कि राज्य एक एजैन्सी है। मैंने कहा है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राज्य एक एजेंसी है। केंद्रीय सरकार प्रत्येक राज्य में जाकर इस कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं कर सकती है। जहां तक धन का सम्बन्ध है हम सहायता कर सकते हैं और हम सहायता कर रहे हैं। किंतु राज्य सरकार को इसे क्रियान्वित करना है और साथ ही हम इस पर निगरानी रख सकते हैं। हम अपनी ओर से परियोजना का पर्यवेक्षण कर सकते हैं और राज्य सरकारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : आपको स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहायता मिल सकती है। आप उनकी सहायता ले सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं इस पर आ रहा हूं। हम उनकी सहायता कर रहे हैं। आप कृपया मुझे सुनिए। आपने काफी समय लिया है मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए (व्यवधान)। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं के बारे में कहा हैं। हम उन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का स्वागत करते हैं जो इस मामले में सहायता देने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम देश में प्रतियोगिता चाहते हैं। इस सम्बन्ध में किसी को प्रतियोगिता करने से रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरा इस बारे में माननीय सदस्य से निवेदन है। मैं उनका ध्यान अनुसुचित जातियों के विरुद्ध हो रहे हाल के आन्दोलन की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि दो-तीन दिन पहले वोट क्लब पर एक रेंली हुई थी। वे सभी आरक्षण के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे। कई उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति के अधिकारियों की पदोन्नति के विरुद्ध याचिकाएं दायर की गई थी और हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एकनिर्णय दिया है। फिरभी एक उच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध फैसला दिया था अतः इस देश में ऐसा वातावरण बना हुआ है। अतः सामाजिक कार्यकर्त्ता ही हमारी सहायता कर सकता है और एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में मैंने माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में हमारी सहायता करने तथा भाईचारे में काम करने का निवेदन किया था न कि नारेबाजी करने और आरक्षण के प्रश्न पर आन्दोलन करने के लिए कहा था।

अब उन्होंने अनुसूचित जातियों, बंधुवा मजदूरों और अनुसूचित जनजातियों के संगठनों के बारे में कहा है। हमारी उनमें बहुत ही रुचि है। हमने स्वयंसेवी संगठनों से भी निवेदन किया है। और मैं मंत्री होने के अतिरिक्त एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के नाते मैं एक संगठन से भी सम्बद्ध हूं। मैं भी इस कार्य के लिए एक राज्य का दौरा करता हूं और हमारी इनको संगठित करने में रुचि है। साथ ही इस देश में कुछ तत्व भी हैं। उनकी गरीब लोगो की भलाई में रुचि नहीं है, उनकी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा बन्धुआ मजदुरों के कल्याण में रुचि नहीं है क्योंकि इसमें एक निहितस्वार्थ है। उन्हें मजदूर कम मजदूरी पर मिल जाते हैं और कम मजदूरी पर वे काम करा लेते हैं। तमिलनाडु में जैसा कि प्रो० कुरियन ने जिन्होंने 'इकानामिक वीकली' में एक लेख लिखा है, सही कहा है कि मजदूर भारी संख्या में उपलब्ध हैं और तमिलनाडु में मजदूरों की कोई कमी नहीं है। वे वहां आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उन्हें कम मजदूरी मिलती है। उन्होंने यह भी कहा है कि छोटे किसानों की जमीन अपने कब्जे में रखने के लिए जमीदारों की छोटे किसानों की जमीन सम्बंधी नियमों में हेर फेर की प्रवृत्ति भी है। ये समस्याएं हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। अतः अपने मंत्रालय में हमने एक कक्ष अर्थात् अनुसंधान तथा नीति प्रभाग बनाया है। मैंने अपने मंत्रालय में अक्तूबर, 1980 में उनसे कहा है कि वे इस समस्या का अध्ययन कर एक पत्र तैयार करें और अर्थोपाय सुझावें। जब अंतिम प्रतिवेदन आयेगा तब हम उसकी जांच करेंगे। हम राज्य सरकारों से इस पर काम करने के लिए निवेदन करेंगे। उन्होने लगभग 500 व्यक्तियों को सताये जाने के बारे में कहा है। मैंने राज्य सरकार से इसकी जांच करने के लिए कहा है। ज्यों ही इस बारे में राज्य सरकार से सूचना मिलेगी मैं उसे सभा-पटलपर रखूंगा अथवा इस बारे में एक वक्तव्य दूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपसे मिल कर कहा भी था, स्टेट गवर्नमेंटस कभी जवाब नहीं देंगी।

अध्ययक्ष महोदय : तभी तो यह बन्दोवस्त किया है।

श्री रामविलास पासवान : स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में दो तरह की बातें है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के सम्बन्ध में कहेंगे कि यह हमारे जिम्मे से बाहर की बात है। कुछ स्टेट गवर्नमेंटस होम मिनिस्ट्री को कुछ समझती ही नहीं हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर समझते हैं कि हम नामिनेटिड हैं. हम एक व्यक्ति के प्रति वफादार हैं, होम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री क्या बला है। यदि मकवाना साहव कहें—वह कहेंगे नहीं—, तो मैं उन्हें प्रूफ दे सकता हूं।

हरिजन-आदिवासियों और बंधुआ मजदूरों का विषय होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत है। उनका भला कैसे होगा, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। यह नहीं होने वाला है। जब किसी का उत्तरदायित्व तय किया जाए, कोई अपनी जवाब देही को समझे, तभी समस्या का निदान हो सकता है। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 23 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है :—

"23 मानव के पण्य और वलात श्रम का प्रतिषेध—(1) मानव का पण्य और वेट वेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिसिद्ध किया जाता है और इस उपवन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।"

इसके वावजूद यह काम धड़ल्ले से चल रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की रिपोर्ट में शुरू से आखिर तक रिकमेंडेशन्ज दी गई हैं। मकवाना साहव होम के स्टेट मिनिस्टर हैं और उसी कम्युनिटी से आये है। उनका मंत्रालय कहता है कि 1,20,000 बंधुआ मजदूर हैं।

यह इनका कहना है। लेकिन जो वालन्ट्री आर्गेनाइजेंशस हैं जिसमें गवर्नमेंट का भी आ जाता हैं, गांधी पीस फाउण्डेशन भी है, वह जाते हैं और रिपोर्ट ले आते हैं। वे यह बतला देते हैं कि किस-किस प्रदेश में कितने कितने वंधुआ मजदूर हैं और उन्होने बतलाया है कि तामिलनाडु में ढाई लाख बंधुआ मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश में साढ़े पांच लाख है, मध्य प्रदेश में 5 लाख आन्ध्र प्रदेश में सवा तीन लाख, बिहार में पौने दो लाख, कर्नाटक में दो लाख और राजस्थान में 1 लाख बंधुआ मजदूर हैं। और यह अखबार की कटिंग है, सितम्वर महीने का अखवार है, इसमें लिखा है कि गुजरात में पौने दो लाख बंधक मजदूर हैं। इसी तरह से पलामू में जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है,उस एक डिस्ट्रीक्ट में 1 लाख बंधुआ मजदूर हैं। सारी की सारी रिपोर्ट इससे भरी पड़ी है। लेकिन सबसे वड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी के ऊपर उत्तरदायित्व हो, नीयत साफ हो तो यह सारी चीज हो सकती है।

इनके 20 राज्य हैं। बीस राज्यों ने कह दिया कि हमारे यहां बंधुआ मजदूर नहीं हैं और जब कोई ईन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो वहां पर बंधुआ मजदूर निकल

आते हैं, गांवों में निकल आते हैं और हजारों की तादाद में निकल आते हैं। मन्त्री महोदय ने कहा कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है बंधुआ मजदूरों का पता लगाना। लेकिन मैं कहता हूं कि यह बहुत आसान काम है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जिस अफसर को ये डेप्यूट करते हैं इस काम के लिए वह अफसर जरा ऐसा हो कि जिसके दिमाग में गरीब के प्रति, हरिजन और आदिवासी के प्रति, बंधुआ मजदूरों के प्रति दुख दर्द हो।

हिन्दुस्तान अखबार 3-8-80 का देखिए, उसमें ये आंकड़े दिए हैं। उसमें लिखा है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में कुल कृषि मजदूर निकले 3 करोड़ 70 लाख और बंधुआ मजदूर उसमें हैं 21.7 लाख। उसमें हरिजन और आदिवासी 84 परसेंट हैं। यानी जितने बंधुआ मजदूर हैं उनमें 84 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्रसऐन्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के हैं।

कुमारी कमला कुमारी जी यहां इस समय नहीं हैं। वह मन्त्री बन गई हैं। उनकी जो कॉस्टीच्यूएंसी हैं वहां आदिवासी लोग भूख के मारे सवेरे-सवेरे उस कीड़े को जो लाइट के ऊपर पंतगा उड़ता रहता है और गिर कर मर जाता है, उसको बटोरकर ले जाते हैं, और भून कर खाते हैं। यह है वहां की गरीबी की स्थिति और बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में तो यह पूरी की पूरी फाइल रखी हुई है। शेड्यूल्ड कास्ट्र कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने स्थान का नाम तक दिया है कि कहां-कहां, कौन-कौन इलाके हैं जहां उन्हें जबर्दस्ती पकड़ कर ले जाया जाता है। बिहार से हरिजन आदिवासियों को पंजाब में ले जाया जायगा और उसको पकड़ कर घर में बन्द करके रखा जाएगा। वह बांडेड लेबर जो सवेरे-सवेरे अंधेरे में निकलता है। और रात होने पर खेत से आता है, कभी जिसने अपने जीवन में सूर्य को नहीं देखा है, जिसने कभी जीवन के उजाले को नहीं देखा है क्या मकवाना साहब कभी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वह अपने जीवन में सूर्य का दर्शन कर सकें ? आजादी के 32 साल बाद भी आज यह स्थिति है। वही रोना रो रहे हैं कि सरकार कैसे पता लगावे ? सरकार कहती है कि किस तरीके से पता लगे ? मैं कहता हूं कि हम लोगों के पास में नीयत का अभाव हैं। मकवाना साहब को मालूम नहीं है कि चाहे तामिलनाडु हो या कोई और प्रदेश हो, वहां क्या स्थिति है। तामिलनाडु के सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां जितने बंधुआ मजदूरों की हत्याएं की जाती हैं, बिहार में जितने बंधुआ मजदूरों की नक्सलाइट के नाम पर हत्याएं की जाती हैं उन सबके साथ जमीन का मामला और बंधुआ मजदूरी का नाम जुड़ा हुआ है। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या है, बन्धक मजदूर, यानी बाप ने लिया था दस रुपया और बेटा पोता सब उसी पर काम करते जा रहे हैं। हमने ले लिया एक रुपया या कभी बीमारी में एक टेबलेट खिला दिया और अब उसी के एवज में जीवन भर हम से काम लिया जा रहा है। अगर हम अपोज करेंगे तो बड़े-बड़े लोगों की सांठ-गांठ पुलिस से और ऐडमिनिस्ट्रेशन से है, हमको और हमारे परिवार को गोली से उड़ा दिया जाएगा और कह दिया जायगा कि यह नक्सलाइट हैं। नक्सलाइट एक ऐसा हौवा हो गया है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। नक्सलाईट के नाम पर कुकर्म हो रहे है। गरीब आदिवासी हरिजन को खाने का और उसको उसके अधिकार से वंचित करने का यह एक नया तरीका निकल गया है।

इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि स्थिति बहुत भयावह है। गरीब भादों का जो महीना होता है, जुलाई अगस्त का, उसमें भीगता है, जाड़े में हम तोशक तकिया लगाकर सोये रहते हैं और वह ठंड से ठिठुरता हुआ 4 बजे सवेरे हल लेकर खेत पर जाता है और खेत जोतता है। रात में हमारी माँ बहन जब जाड़े से ठिठुरने लगती हैं तो खुद नंगी होकर अपने बच्चे के ऊपर कपड़ा ढक देती हैं ताकि वह जाड़े को बर्दास्त कर सके। गर्मी की चिल चिलाती धूप में वह गरीब अपने खून को पसीने के रूप में बहाकर सारे देश के लिए उत्पादन करता है। एक तरफ उसका खून पसीना बनता है, दूसरी तरफ पैसे वाले उसको लूट करके ले जाते हैं, उसकी हत्या करवा देते हैं। मकवाना साहब बताएंगे कि क्या इस देश में कभी तबदीली आएगी ?

अन्त में मैं मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मन्त्रीजी बतलाएंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था। कि एक तिमाही रिपोर्ट, प्रत्येक तीन महीने में, बंधुआ मजदुरों का पता लगाने के सम्बन्ध में भेजी जाए ? यदि ऐसा निर्देश दिया गया था तो किन-किन राज्य सरकारों ने उसका पालन किया और किन-किन राज्य सरकारों ने पालन नहीं किया ? वह कौन-कौन राज्य हैं जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है और किसने नहीं भेजी है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि 1975 में जो कानून बंधुवा मजदूरों के संबंध में बनाया था उसके तहत 1976 से लेकर अब तक कितने लोगों को सजा दी गई है ?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बंधुवा मजदूरों के पुनर्वास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी नौकरी तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में आपने क्या प्रावधान किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, मैने आरम्भ में बिलम्ब का उल्लेख किया था। महोदय, हमें यह सूचना मिली है कि हमने 2 तारीख को सूचना मांगी थी। लोक सभा सचिवालय से सूचना मिलने पर हमने शीघ्र ही 2 दिसम्बर को राज्य सरकार से सम्बन्ध स्थापित किया और तब अनेक बार टेलीफोन पर सम्बन्ध स्थापित किया और राज्य सरकार के सचिव यहीं पर थे। हमने उनसे भी सम्बन्ध स्थापित किया। किन्तु अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। मैं उन्हें पुनः स्मरण दिलाऊंगा।

माननीय सदस्य ने कहा है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान ने इस देश में 22.4 लाख बंधक मजदूरों का पता लगाया है।

महोदय, यह गैर-सरकारी आंकड़े हैं। किन्तु जैसा कि मैंने पहले बताया है, राज्य सरकार बन्धक मजदूरों का पता लगा रही है और पता लगाने के बाद, उन्हें बसाया जायेगा।

जैसा कि मैंने कहा है अब तक 1,20,561 बंधक मजदूरों का पता लगाया जा चुका है। और भी अनेक हो सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि राज्य सरकार द्वारा जितने बंधक मजदूरों का पता लगाया गया है उससे कहीं अधिक बंधक मजदूर होंगे किंतु उनका पता

लगाना बहुत ही कठिन है और उनका पता चलने के बाद कभी-कभी तो वे मूल जमीदारों के साथ चले जाते हैं। और वे उनके साथ बस जाते हैं।

महोदय, अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि यदि वे बंधक मजदूरों का पता लगाने की स्थिति में हैं तो उनका स्वागत है और वे राज्य सरकार को बता सकते हैं कि बंधक मजदूर वहां पर हैं और वे उनका ध्यान रखें और यदि राज्य सरकार उनका ध्यान नहीं रखती तो उन्हें मुझे सूचित करना चाहिए और तब मैं राज्य सरकार से उन बंधक मजदूरों का ध्यान रखने के लिए कहूंगा।

श्री रामविलास पासवान : आप एक कमेटी बनाएं, स्टेट गवर्नमेंट पर आप क्यों छोड़ते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसलिए कि यह स्टेट का मामला है। हर मामले में हम सेन्टर से कोई कमेटी नहीं बना सकते हैं लेकिन हम जरूर स्टेट गवर्नमेंट्स पर इस मामले में दबाव दे रहे हैं और कहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए।

जहां तक अफसरों की बात कही गई, मैं मानता हूं कि कई अफसर ऐसे भी हैं जिनके दिल में दिलचस्पी नहीं है लेकिन इसके माने यह तो नहीं कि सभी अफसर ऐसे हैं। हमारे पास ऐसे भी अफसर हैं जिनके दिल में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे से भी ज्यादा हमदर्दी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए है हालांकि वे स्वयं हरिजन या ट्राइबल नहीं हैं। जहाँ तक उनके दिलों को चेन्ज करने की बात है यह हम सब मिलकर कर सकते हैं, अकेले सरकार नहीं कर सकती है।

राज्यों की रिपोर्ट के बारे में जो पूछा गया है, मैंने पहले ही बताया कि स्टेट गवर्नमेंटस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट आयेगी वह हाउस के सामने रख दी जाएगी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने तीन प्रश्न पूछे थे, एक का भी जवाब नहीं आया।

मैंने पूछा था क्या केन्द्रीय सरकार ने बंधुवा मजदूरों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों को तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए लिखा है ? यदि लिखा है तो किन राज्य सरकारों का जवाब आया और किनका नहीं आया ? मैंने यह भी पूछा था कि कितने लोगों को सजा दी गई है और छठी योजना में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : 25 करोड़ रुपया छटी योजना में दिया है। आपने कहा कि राज्य सरकार को लिखा था—हां, लिखा था। क्या लिखा था, वह हमने लिखा था और उसका जो जवाब आया वह भी मैंने बताया। मैंने टोटल बताया है, यदि कोई सदस्य चाहें तो मैं इन्डिविज्युअल बता सकता हूं कि इन राज्यों ने आइडेंटिफाई किया है। मैंने पहले ही बताया

यह मामला बहुत गम्भीर है। ऐसा हो सकता है कि इमीडियेटली न हो सके। इसके आंकड़े इस प्रकार हैं: आन्ध्र प्रदेश 12,702; बिहार 4,208; गुजरात 42; कर्नाटक 62,689; केरल 700; मध्य प्रदेश 1,531; उड़ीसा 333; राजस्थान 600; तामिलनाडु 27,874; उत्तर प्रदेश 4,450।

यह राज्य सरकार द्वारा दिये गए आंकड़े हैं। जहां तक इन मजदूरों के पुनर्वास का सम्बंध है, 94740 बंधक मजदूर बसाए जा चुके हैं। तब भी हमने राज्य सरकारों से जानकारी देने/करने के लिए अनुरोध किया है। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये सभी तीनों प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, बंधुआ मजदूरों की समस्या हमारे देश में एक बहुत ही गम्भीर समस्या बन गई है। हमारे पूर्ववक्ताओं ने इस कहानी के बारे में काफी कुछ विस्तार से कहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि बंधुआ मजदूरों की समस्या को समाप्त करना भी 20 सूत्री कार्यक्रम के मुद्दों में से एक है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कई बरसों से 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर आप लोग वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने आज भी कुछ नहीं किया है···(व्यवधान)··मैं यह कहना चाहता हूं कि आज बंधुआ मजदूर राक्षसी बर्बरता और उत्पीड़न से कराह रहे हैं। इसकी कुछ कहानियां अखबारों के माध्यम से हम लोगों के सामने आई हैं। आपको मालूम होगा कि राजस्थान के जिले के कुछ बंधुआ मजदूरों के परिवारों को सोनीपत जिले में हरियाणा में भेजा गया। इन लोगों को ईंट का भट्ठा चलाने वाले लोग लेकर गए थे, यह कह करके कि पांच रुपए रोज आपको मजदूरी देंगे। लेकिन ले जाने के बाद उनके साथ तमाम अत्याचार किया गया, उनको मजदूरी नहीं दी गई। महिलायें पुरुष और उनके बच्चे दिन भर सवेरे से लेकर रात तक काम करते थे और रात को उनके साथ अत्याचार भी होता था—इस तरह से ये तमाम चीजें होती थी। बाद में एक भट्ठे वाले दूसरे भट्ठे वाले को कुछ रुपया लेकर उनको बेच दिया और उसने उनको और भी ज्यादा प्रताड़ित किया। इस प्रकार यह सिलसिला 3 वर्षों तक चलता रहा। बाद में जब पता चला तो उनको छुड़ाया गया। ये सब चीजें अखबारों के माध्यम से हम लोगों की जानकारी में आई, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है, वह इतना नाकफी है, इतना अपर्याप्त है कि हम कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है।

अभी तमिलनाड में सुनने में आया कि वहां पर हरिजन परिवार के लोग सफेद धोती पहनकर नहीं चल सकते हैं, अगर वहां पर चले तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। नक्सलाइट आन्दोलन की बात की जाती है। लोग आज उनके वोटों का फायदा उठा रहे हैं और जो लोग शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनको नक्सलाइट कह कर मार दिया जाता है। मैं स्पष्ट शब्दों में आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की बर्बरता और उत्पीड़न चलता रहा, शोषण की प्रक्रिया चलती रही तो पूरा देश

नक्सलाइट हो जाएगा और इस देश में कोई नौजवान नहीं होगा। जो नक्सलाइट न हो जाये। आज जो लोग लोक तंत्र में आस्था रखते हैं और हम लोग लोकतन्त्र की वकालत करते हैं, उन्हें भी मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि इस व्यवस्था को खत्म करो, क्योंकि यह व्यवस्था शोषण की व्यवस्था है, उत्पीड़न की व्यबस्था है, अत्याचारी व्यवस्था है और बर्बरता की व्यवस्था है। आज तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। खाने को नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है। जो लोग उनकी समस्याओं को उठाते हैं, उनको नक्सलाइट के नाम पर गोलियों से उड़ा दिया जाता है। क्या कभी सरकार ने सोचने की कोशिश की है कि लोग नक्सलाइट क्यों बनते हैं ? मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आज नक्सलाइट्स की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है और हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, करोड़ों लोग है, जिनकी सहानुभूति उनके साथ है। मैं समझता हूं—सरकार में बैठे हुए लोगों के मन में भी उन के प्रति सहानूभूति होगी। जो लोग इस किस्म की गतिविधियों में लगे हुए हैं—उनकी समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

अभी मंडल जी ने जिस वकील का जिक्र किया, जिसने उनकी (नक्सलाइट की) वकालत की थी, उस वकील के खिलाफ भी वहां की पुलिस ने कार्यवाही की है। बजाय इसके कि उनको मुक्त किया जाता, उल्टे राजद्रोह में वकील के खिलाफ मुकद्दमा चलाया गया। लोकतन्त्र में भुखमरी, भ्रष्टाचार और शोषण नहीं चल सकता। लोक-तन्त्र के चलते यदि भुखमरी रहेगी, शोषण रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, अत्याचार होते रहेंगे, तो लोकतन्त्र से लोगों की आस्था समाप्त हो जाएगी। यदि सरकार लोकतन्त्र की रक्षा करना चाहती है तो इन गरीबों को उत्पीड़न से बचाना होगा। पुलिस के प्रशासक मुख्य रूप से सामन्तवादी परिवारों से आते हैं, सामन्तवादी प्रकृति उनके अन्दर कूट-कूट कर भरी होती है तथा घमंडी और अत्याचारी होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक समस्या क्या है। अगर सरकार भी इन गरीब लोगों की तरफ से मुंह मोड़ ले, तो निश्चय है इन लोगों पर अत्याचार होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप निर्देश दें कि इस समस्या को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निबटाना चाहिए।

तामिलनाडु में मनी-लेंडिंग की समस्या बहुत ज्यादा है। जो लोग कर्जा देते हैं वे 200 से 300 प्रतिशत तक सूद वसूल करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस सूद को कम करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं ? आप ने कहा था 20 सूत्री कार्यक्रम के पहले जो कर्ज दिये गये हैं उन्हें माफ कर दिया जाएगा। क्या वजह है कि वे अभी तक माफ नहीं हुए हैं। और उन पर 200 से 300 प्रतिशत तक का सूद लिया जा रहा है ?

केन्द्र सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने राज्य सभा में बताया था कि 22.4 लाख बाण्डेड लेबर इस देश में हैं जिन में 66 प्रतिशत शेडयुल्ड कास्ट्स के हैं और 18.3 प्रतिशत शेडयूल्ड ट्राइब्स के हैं। गांधी पीस फाउण्डेशन ने बतलाया है कि उनकी संख्या 28 लाख के करीब है। लोकसभा में एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें बतलाया गया है कि

आंध्र प्रदेश में, जहां आप की सरकार है, 3 लाख 25 हजार हैं, बिहार में 1.11 लाख, कर्नाटक में 1.93 लाख, मध्य प्रदेश में 4.67 लाख, महाराष्ट्र में 1.05 लाख, राजस्थान में 0.67 लाख तथा यू०पी० में 5.55 लाख हैं। ये सब वे राज्य हैं जिन में आप की पार्टी की सरकारें हैं। इसी तरह से तामिलनाडू में 2.50 लाख हैं। इस प्रकार की स्थिति सारे देश में व्याप्त है।

कांट्रेक्टर्स इन लोगों को खरीद कर बिहार और दूसरे राज्यों में ले जाते हैं। एक दफा सरकार ने राज्यों से पूछा भी था कि क्या आप के यहां ऐसे बाण्डेड लेबर भेजे जाते हैं ? मैं जानना चाहता हूं क्या राज्यों से आपको इसका उत्तर मिला ? यदि नहीं मिला, तो आप कब तक इन बन्धुआ मजदूरों के बारे में पता लगायेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप कब तक इनको शोषण से मुक्त करायेंगे, आपका सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायगा ? इस सम्बन्ध में आप अपना स्पष्ट टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बताइये कि कितने दिनों के अन्दर आप इस काम को समाप्त करेंगे तथा उनको मुक्त करा लेंगे ?

जहां तक उनके आवास की समस्या है, पढ़ाई-लिखाई और रोजगार की समस्या है—इसके बारे में सरकार अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। आप ने कहा है कि 1982 तक आप केवल 27 हजार लोगों को आवास की सुविधा दे पायेंगे—यह बहुत ही कम है। जिस देश में 28 लाख बाण्डेड-लेबर हों, वहां केवल 27 हजार को आवास की सुविधा दें—यह कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं ? कब तक आप इनका पता लगायेंगे और कब तक इनके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले ही बताया है कि यह मामला बहुत कठिन है और ये जो आंकड़े हमारे पास आते हैं ये सब एस्टीमेट्स हैं।...(व्यवधान)।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सामान्य सर्वेक्षण के प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार 22.44 लाख के आंकड़े हैं। यह अनुमानित आंकड़े हैं, प्रारम्भिक अनुमान है। अब उनका पता लगाना बहुत कठिन कार्य है तथा यह कहना कठिन है कि बंधक मजदूरों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की जानी है और यह कार्य श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वह यह कार्य कर रहे हैं और हम इस कार्य में श्रम मंत्रालय की सहायता कर रहे हैं (व्यवधान)।

हम यह कार्य कर रहे हैं। यह कार्य बड़े पैमाने पर भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। जैसाकि एक माननीय सदस्य ने 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत कार्य किया गया था और बाद में वही कार्य कुछ लोगों द्वारा बिगाड़ भी दिया गया था। इस बारे में आप मुझ से अधिक जानते हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ भी कार्य नहीं किया गया था। (व्यवधान) मैं इसे दूसरे शब्दों में अभिव्यक्त करूंगा। (व्यवधान) हमने जो इस दिशा में कार्य किया है सरकार उससे सन्तुष्ट नहीं है। हमने कुछ कार्य तो किया है। किन्तु हम उससे अभी भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि काफी कुछ करना बाकी है। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह सरकार द्वारा दिए गए कार्य से संतुष्ठ नहीं है। हम स्वयं इससे संतुष्ठ

नहीं हैं। अतः सरकार समस्या का पता लगाने और बंधक मजदूरों के पुनर्वास के मामले में हिचकिचाती नहीं है।

महोदय, माननीय सदस्य ने ईंट के भट्टे के मजदूरों के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। अतीत में भी उनकी समस्या थी और सरकार ने कुछ कार्यवाही की थी। अतः ईंट के भट्टे के मजदूरों के कार्य को नियमित करने तथा उनके कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अंतर्राज्य ईंट-भट्टा श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 तथा अक्तूबर, 1980 से उसके नियम बनाये गये। हमने ईंट भट्टे के मालिकों तथा अन्य लोगों के साथ यह मामला उठाया है।

महोदय, सूदखोरों का प्रश्न भी एक समस्या है और भूतकाल में भी उसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाये थे और अब भी हम यह सुनिश्चित करने के लिए वही कदम उठा रहे हैं ताकि इन लोगों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त किया जा सके।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहूंगा और न ही मकवाना जी के इस जवाब पर क्योंकि जवाब को पढ़ने के बाद यह महसूस हुआ है कि जवाब जो दिया गया है वह सिर्फ जवाब के लिए दिया गया है और इस समस्या पर गहराई से सोचने या उसका कोई हल निकालने के लिए शायद नहीं दिया गया है।

जहां तक इस समस्या का सवाल है, यह समस्या कोई नई नहीं है बल्कि हजारों साल से यह समस्या हमारे मुल्क में चल रही है और इसी समस्या के बारे में बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने गोल मेज कान्फ्रेन्स के अन्दर यह बात कही थी कि हिन्दुस्तान की आजादी के माइने तब तक कुछ नहीं होगे जब तक इस देश के करोड़ों लोग, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह से पिछड़े हुए है, इसी तरह से पिछड़े रहेंगे। अंग्रेजों के हिन्दुस्तान से जाने के बाद यह गारण्टी हो कि यहां के करोड़ों लोगों को सामाजिक और आर्थिक आजादी भी मिलेगी। इस बात को उन्होंने कहा था कि यह गारंटी अगर उन लोगों को मिल जाए, तो हिन्दुस्तान से अंग्रेजों को वापस आना चाहिए और दूसरी बार संविधान बनाने का काम जब हिन्दुस्तान के लोगों ने संविधान सभा को सौंपा था, तो बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने फिर यह बात दोहराई थी। कि अगर यहां के लोगों को सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं दी गयी तो जो देश के लोगों को आजादी मिली है वह बिल्कुल अर्थविहीन हो जाएगी। इसके बिना आजादी के कोई मायने नहीं होंगे। इसलिए इस समस्या पर सोच-विचार कर सरकार को चलना चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए।

जो भी सरकारें आयीं उन सभी के नेताओं ने यहां के शोषितों, दलितों से सिवाय वोट लेने के, उनके विकास का कोई काम नहीं किया। सिवाय नारे लगाये। पिछली सरकार ने यह घोषणा की कि हरिजनों और किसानों को साहूकारों के कर्जों से मुक्त कर दिया गया है, अब उन्हें सरकारी एजेंसियों से कर्जा मिलेगा। जब हरिजनों को कर्जों से मुक्त कर दिया गया तो

साहुकारों से उन्हें कर्ज मिलने बंद हो गये। किसी सरकारी एजेन्सी को आपने वहां स्थापित नहीं किया जिससे उनको कर्जा मिलता। अब हरिजन को अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए कर्जे की समस्या सामने आयी जिसकी कि आपने कोई व्यवस्था नहीं की। अब हरिजन जा कर कहां से कर्जा ले। उसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों का इलाज करना है। इसका नतीजा यह हुआ कि आपके कानून के कारण जो पहले उनके देहातों में अच्छे सम्बन्ध थे वे खराब हो गये।

आपने जमीन का कानून बनाया। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन केन्द्रीय सरकार को कम से कम यह गारन्टी देनी चाहिए थी कि 122वी के अन्तर्गत कोई भी गांव का प्रधान या और कोई सरकारी मशीनरी हरिजनों के विरुद्ध मुकद्मे नहीं चला सकेगी। लेकिन मुकद्मे चल रहे हैं और हरिजन उजड़ गये हैं। वे अपनी गाय, जेवर और अन्य चीजें बेच बेच कर मुकद्मे लड़ते हैं। आज भी वे मुकद्मे चल रहे हैं। इसलिए मैं मकवाना साहब से पूछना चाहूंगा कि आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो हरिजनों को जो पट्टे दिए गए हैं, उनके लिए आप कानून बनायें कि किसी भी हरिजन पर मुकद्मा नहीं चलाया जाएगा।

शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स का कमीशन है। उसके बारे में मैं आपसे डिमाण्ड करूंगा कि उसे आप जुडीशल राइट दो। वरना यह कमीशन किस काम का है। किसी नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए या किसी और चीज के लिए यह कुछ नहीं कर सकता है। आप इस कमीशन को जुडीशल राइट दो।

बोण्डेड लेबर की समस्या है। आपने शहरों में वर्किंग क्लास के लिए डिप्टी लेबर कमिश्नरों के आफिस बना रखे हैं। देहात के अन्दर बौण्डेड लेबर को मिनिमम वेज एक्ट के अनुसार तन्ख्वाह नहीं मिलती है। इसके लिए आपको ब्लाक स्तर पर ऐसे दफ्तर खोलने चाहिएं और उनकी यह ड्यूटी होनी चाहिए कि वे उस इलाके के बोण्डेड लेबरस और लेन्डलेस लेबरस की खोज करें कि वे कितने हैं और उनको मिनिमम वेजिज मिलते हैं या नहीं। यह व्यवस्था आपको ब्लाक स्तर पर करनी चाहिए।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि नक्सलाइट्स के नाम पर जितने लोग मारे गये हैं उनमें 99 प्रतिशत हरिजन और आदिवासी लोग हैं। किसी दूसरी ऊंची कौम के लोग नहीं मारे गए। इसका मुख्य कारण उनका एक्सपलाइटेशन है। सामन्ती शोषण है। इस सामन्ती शोषण से पुलिस भी प्रभावित होती है और आपका प्रशासन भी प्रभावित होता है। जो भी वहां बगावत या आजादी की बात करता है उसको ये सामन्ती लोग नक्सलाइट्स के नाम पर मरवा देते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आइन्दा किसी भी हरिजन या आदिवासी को नक्सलाइटिस के नाम पर नहीं मारा जाए।

बोण्डेड लेवर की समस्या का मुख्य कारण आर्थिक है। कुछ हद तक सामाजिक और जातीय कारण भी हैं। ऐसे हरिजनों, आदिवासी और दबे-पिसे लोगों को आर्थिक दृष्टि से मदद करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। जिससे कि उन्हें बेगार पर किसी के घर न जाना पड़े। क्या आप देहातों में उनके रोजगार, रोजी-रोटी के लिए कोई योजना बना रहे हैं ताकि बोण्डेड लेवर की समस्या खत्म हो और जिस प्रकार से शहरों में रोजगार के साधन इन्डस्ट्रीज वगैरह: हैं, दूसरे साधन हैं क्या आप उन्हें देहातों में भी ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि आइन्दा यह बोण्डेड लेवर की समस्या न रहे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं, उससे सहमत हूं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन लोगों को आइडेंटीफाई करके उनको रीहैब्लीटेट करना चाहिए।

गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम बनाया है उसके मुताबिक मार्च, 1982 तक लेबर मिनिस्ट्री का जो टाइम बाउंड प्रोग्राम है, उसमें उन लोगों को मार्च 1982 के पहले-पहले उस काम को खत्म करने का खयाल है।

कई बातें इसमें ऐसी कहीं, जिसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। कमीशन को ज्यूडीशल राइट्स देने के बारे में। इस देश की ज्यूडीशली तो इंडिपेंडेंट है।

श्री धनिकलाल मंडल : स्टेचुटरी राइट तो दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वह कमीशन खुद ही स्टेचुटरी के तहत बना है।

जहां तक बेजेज के बारे में कहा गया कि जहां बेजेज नहीं मिलतीं वहां दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट के जो अफसर हैं वे ब्लाक लेवल तक जाते हैं।

श्री धनिक लाल मंडल : मिनिमम वेलेज को इंफोर्स करने के लिए क्या कोई एजेंसी है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गाइड करती है और स्टेट मशीनरी इंफोर्स करती है। लेवर कोर्ट में उसके केसेस चलते हैं।

जहां तक हरिजनों को नक्सलाइट बनाकर मारने की बात है, उसके बारे में जब तक स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं आती मैं कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 बजकर 10 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 13 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

समिति के लिए चुनाव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संकल्प संख्या 31/1/80-एम दिनांक 24 नवम्बर, 1980 के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन, केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संकल्प संख्या 31/1/80-एम दिनांक 24 नवम्बर, 1980 के पैराग्राफ 1 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन, केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, १९८०

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किन्हीं मामलों में निवारक नजरबन्दी तथा उससे संबद्ध अन्य बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि किन्ही मामलों में निवारक नजरबन्दी तथा उससे सम्बद्ध अन्य बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

मेरे पास ऐसे सदस्यों की सूची है जो इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करना चाहते हैं मैं उनका नाम बारी-बारी से बुलाऊंगा । मैं यह चाहता हूं कि उनमें से कोई भी सदस्य अधिक समय नहीं लेगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, जब आप पीठासीन होते हैं तो मेरा नाम या तो पहला होता है या फिर अन्त में ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल आपके दल ने सबसे अधिक समय लिया था ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अति हानिकर राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । यह विधेयक अराजकता को कानूनी करार देने के प्रयास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । इस विधेयक के अनेक उपबन्ध निरकुंश हैं और इस अवस्था में मैं उनका विश्लेषण नहीं करूंगा । परन्तु श्रीमान, यह विधेयक लोकतंत्र का गला घोटने का एक प्रयास है और इस विधेयक द्वारा विधि के शासन को सर्वथा नकारना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सभ्य देश नजरबन्द व्यक्ति को उसकी नजरबन्दी के कारण बताये बिना नज़रबन्द करने की बात कभी नही सोच सकता । कोई भी सभ्य देश मुकदमा चलाये बिना नजरबन्दी की बात नहीं सोच सकता है । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ऐसा विधेयक लाई है जिसे एक साधारण विधेयक मान लिया गया है । इस विधेयक के उपबन्ध न केवल ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है अपितु उनका अब भी दुरुपयोग किया जा रहा है । इस विधेयक के अधीन अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने की केवल यह वास्तविक आशंका ही नहीं है, बल्कि इस समय भी जब में आपको संबोधित कर रहा हूं इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है । अब भी मुरादाबाद में क्या हो रहा है वह यह है कि इस विधेयक के अधीन अधिकारों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया है जो वह एक अध्यादेश के रूप में है और भारी संख्या में लोगों को नजरबन्द किया जा रहा है और अन्य लोगों के विरुद्ध वारंट अभी अनिर्णीत पड़े हैं । इसलिए मैं यह कह रहा हूं ... (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कहूंगा कि आप संक्षेप में बोलें क्योंकि दस सदस्यों को बोलना है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान आप महसूस करोगे कि मैं इस सभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करता हूं जिससे इस विधेयक का विरोध करने का प्रथम अवसर मिलना चाहिए और आज मिला है । विपक्ष के अधिकांश सदस्यों को आज इसका विरोध करने का नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि 1978 में इस सभा में एक विधेयक पास किया गया था जिसे 44वें संविधान (संशोधन) विधेयक के नाम से पुकारा जाता है । इसके अतिक्ति उन अधिकांश सदस्यों ने जो आज विपक्ष में है, संविधान के अनुच्छेद 22 में ऐसा संशोधन किया कि

जिससे सरकार को मुदकमा चलाये बिना नजरबन्द करने नजरबन्दियों को नजरबन्दी के कारण बताये बिना नजरबन्द करने का अधिकार दिया गया उस समय भी मैंने इस सभा में 44वें (संशोधन) विधेयक के उपबन्धों का विरोध किया था। तथापि जनता सरकार ने अपनी बुद्धिमानी से सरकार को ऐसे अधिकार देना उचित समझा आज शायद वे इसके लिए पछता रहे हों। निःसंदेह उनमें से एक सदस्य ने उस समय भी इसका विरोध किया था, परन्तु जैसा कि मैंने कहा, कि हमारी वही निरन्तर नीति है और हम अराजकता को कानूनी रूप देने के इस सारे प्रयास का तथा विधि शासन को न मान कर लोकतंत्र को समाप्त करने के प्रयास का हम निरन्तर विरोध करते रहे हैं। अतः मैं इस घृणित विधेयक को पुरःस्थापन करने का मैं पूरा विरोध करता हूं। इस विधेयक का अर्थ विधिशासन तथा लोकतंत्र को समाप्त करना है।

श्री जोतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान, लोक सभा में मेरा चौथा कार्यकाल है और यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह मेरा 14वां वर्ष भी है। आप जानते हैं कि यह किस किस्म का कानून है। यह विधिरहित कानून है। यह कानून है ही नहीं। लोगों इस का क्या मतलब है ? जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं जो लोग मानवीय अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रता में विस्वास रखते हैं वे आज क्या महसूस करते हैं ? श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कार्यपालिका की बात अंतिम होनी चाहिए। इस कानून का यही आशय है। संसद पूर्ण रूप से असंगत बन जायेगी। और इस कानून का विपक्ष तथा विरोधी दलों को दबाने के लिए प्रयोग किया जाएगा और मेरे मित्रों मैं आपको बताता हूं कि आपको भी माफ नहीं किया जाएगा। श्री चन्द्रशेखर को जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति के सदस्य तथा अध्यक्ष थे माफ नहीं किया गया था। (व्यवधान)।

प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि उनका उसके दल से संबन्ध था और उस आदमी को भी माफ नहीं किया गया था। इसी प्रकार श्री रामधन को भी माफ नहीं किया गया था जिसने वास्तव में 1969 में जिस समय कांग्रेस दल स्वर्गीय श्री गिरी के चुनाव से पूर्व विभाजित हो गया था, अच्छा कार्य किया था। इसी प्रकार श्री मोहनलाल घारिया को भी माफ नहीं किया गया था जो न केवल मंत्री थे बल्कि उस क्षेत्र के प्रमुख कांग्रेस नेता भी थे। इसलिए आपस में से अधिकांश को माफ नहीं किया जाएगा यदि आप वैसा नहीं करते जैसा आपको करने के लिए कहा जाता है।

एक माननीय सदस्य : वे उसके लिए तैयार हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके अतिरिक्त इरादा सभी आन्दोलनों, अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक आन्दोलन, मजदूर संघ के अधिकार, किसान आन्दोलन अध्यापक आन्दोलन और अपने कानूनी अधिकारों को मांगने के सभी आन्दोलनों को दबाना है। आपने देखा है कि धनबाद में हमारे मित्र श्री ए० के० राय के साथ क्या हुआ है। और उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कारण बताया गया था ? पिछली गतिविधियों के लिए उसे अब नजरन्बद किया गया है शब्द 'निवारक'

नजरबन्दी है। 'निवारक' नजरबन्दी का अर्थ यह है कि आप किसी व्यक्ति को भविष्य में कुछ करने से रोकने के लिए उसे नजरबन्द करें। यहां टिप्पणी में जो जिला मैजिस्ट्रेट ने लिखी यह लिखा है 'नजरबन्दी उसकी पिछली गतिविधियों के कारण हैं।' वे ही नहीं बल्कि श्री चटर्जी तथा कुछ अन्य लोग भी उसी तरह से नजरबन्दी किए गए थे।

श्रीमान मुरादाबाद में जो हो रहा है उससे आंख खुल जानी चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमान मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसी नियम के अन्तर्गत ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : नियम 3761 श्रीमान संसदीय परम्पराओं के बारे में मेरा ज्ञान बहुत अधिक नहीं है। मैं एक नया सदस्य हूं। परन्तु श्रीमान, मुझे विश्वास है कि इस अवस्था में··· ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संगतता क्या है ? (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय करना मेरा काम है। मैं निर्णय करूंगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इस विशेष उपबंध के अन्तर्गत भी नियम 384··· ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बताइये कि उनके भाषण में कौन से नियम का उल्लंघन किया गया है।

श्री आरिफ महोम्मद खां : मैं नियम 376 व 389 का उल्लेख कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जो भी श्री ज्योतिर्मय बसु कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। इस समय केवल संवैधानिक वैधता के आधार पर विरोध किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वह विधेयक के गुणावगुण पर विचार नही कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल इस सभा में कल न केवल विपक्ष अपितु, सत्ताधारी दल के सदस्यों ने भी इस अध्यादेश के दुरुपयोग के विरुद्ध कई आरोप लगाये थे। उन लोगों को शांत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है जो मुरादाबाद तथा अन्य क्षेत्रों में पीड़ित लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं। जिन्होंने जो मुरादाबाद तथा अन्य क्षेत्रों में आपने देख लिया है कि लोग कैसे नजर बन्द किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के तथा सभा की जानकारी के लिए मैं नियम 72 को पढ़ रहा हूं ।

"यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतरवाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा ।" यह संक्षिप्त विवरण होना चाहिए । कृपया नियम का पालन कीजिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस कानून का सदैव उल्लंघन किया जाता है न कि पालन । मुरादाबाद हाल का उदाहरण है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वह विधायी सक्षमता से ऊपर नहीं जा सकता है, वह मुरादाबाद नहीं जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे बता चुका हूं और नियम को उद्धृत कर चुका हूं । वह इसका पालन करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नजर बन्दी कानून अनुच्छेद 19, 20 तथा 22 के अनुरूप होना चाहिए । अब सक्षमता आ रही है ।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बड़ागरा) : विधायी सक्षमता पर पूरी चर्चा हो सकती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नजर बन्दी कानून अनुच्छेद 19, 21 तथा 22 के अनुरूप होना चाहिए । किसी सदस्य ने अनुच्छेद 14 का भी उल्लेख किया है । हम 1950 के स्व० नेता श्री गोपालन के मामले को लेते हैं । उस समय यह कहा गया था कि निवारक नजरबन्दी अधिनियम केवल अनुच्छेद 22 के अनुरूप होना चाहिए परन्तु अब इसे अनुच्छेद 19, 21 तथा 22 के अनुरूप भी होना चाहिए । जहां तक मैं समझता हूं यह उनके अनुरूप नहीं है ।

इसी प्रकार इसे यथार्थरूप में तथा प्रक्रिया की दृष्टि से उचित होना चाहिए जबकि इसमें ऐसी बात नहीं है ।

कार्यपालिका के अनुमान के आधार पर नजरबन्दी सदैव अनुचित हैं जिससे मैं अनुभव कर चुका हूं और प्रत्येक सदस्य मेरे से सहमत होगा ।

1950 में जब गोपालन का मामला बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष आया तो औचित्य को भापने का स्तर जो आज लेना चाहिए उसकी अपेक्षा बहुत पीछे था । नागरिक स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों के मामले में विश्व पर्याप्तरूप से आगे बढ़ चुका है । आज इन दो बातों

पर सभी देशों में 1950 की अपेक्षा बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्री आयोग ने कहा है कि शांतिकाल में निवारक नजरबन्दी अधिनियम सामान्य विधिशासन के अनुरूप नहीं है । यदि ज्ञानी जी असामान्य विधिशासन चाहते हैं, यदि वह इस देश में जंगली का कानून लागू करना चाहते हैं तो वह इस तरह का विधेयक निश्चित रूप से ला सकते हैं और वह यही चाहते हैं । हमारी प्रणाली विधिशासन पर आधारित मानी जाती है । इस कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को तीन माह के लिए परामर्शदात्री मंडल की स्वीकृति के बिना नजरबन्दी किया जा सकता है । ज्ञानी जी, तीन महीने ही क्यों ? कार्यपालिका के व्यक्तिभी, और वे व्यक्ति जो परामर्शदात्री मंडल में हैं, क्या वे इस बात को भूल गये हैं कि चित्त बसु के साथ कैसा वर्ताव किया गया था उसे कैसे मारा-पीटा गया, 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

उच्चतम न्यायालय ने अधिकांश मामलों से परामर्शदात्री मंडल की स्वीकृति की अवहेलना की है । परामर्शदात्री मंडल मेरे समक्ष बैठे सफेद पगड़ी धारी कार्यपालिका के लिए न्यायपालिका का जेब संस्करण है । तथ्य तथा परिस्थितियां इतनी जटिल हैं कि वकील अनिवार्य है परन्तु इस विधेयक में इसका निषेध है ।

यह राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश असंशोधित अनुच्छेद 22 पर आधारित है । अनुच्छेद 22 में इस प्रकार कहा गया है—

1. "कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराए बिना हवालत में निरुद्ध नहीं किया जाएगा और अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रति रक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा ।

2. प्रत्येक व्यक्ति, जो बन्दी किया गया है और हवालत में निरुद्ध किया गया है, बन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसे बन्दीकरण से चौबीस घंटे की कालावधि में निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा । तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि से आगे दंडाधिकारी के प्राधिकार के बिना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा ।"

यह बहुत संगत बात है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं और वे भारत की संविधान समिति की अवहेलना कर रहे हैं ।

मेरी और कोई ज्यादा बात कहने की इच्छा नहीं है परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने 71 में पांचवी लोक सभा में इसी सदन में क्या कहा था और व्यवहार में उन्होंने क्या किया और उन्होंने अपने राजनैतिक लाभ और वंश या परिवार या गुट्ट के लाभ के लिए किस तरह से मीसा का प्रयोग किया । यह आंख-खोलने वाला कार्य होना चाहिए । विधान ऐसे खंडों के अन्तर्गत 1975 से 1977 तक आपात काल रहा और उन्होंने देश के 1½ लाख व्यक्तियों को जेल में डाल दिया । यदि आप शाह आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन करें तो आपके

हृदय से खून बह उठेगा। अब वे राष्ट्रपति शासन प्रणाली का और साथ-साथ सुरक्षा अधिनियम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जी० नरसिंहा रेड्डी : मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा। सक्षेप वक्तव्य का क्या अर्थ है ? क्या यह संक्षेप वक्तव्य है ? क्या नियम 72 के अनुसार क्या यह एक संक्षेप वक्तव्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसे पूरा करेंगे। वह इसे पूरा करने वाले हैं।

श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी : वह पांचवी लोक सभा के इतिहास का बखान कर रहे हैं। वह पांचवी लोक सभा की बातें शुरू नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया पूरा कीजिए ? अन्य वक्ता भी हैं। (व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय वसु : अन्ततः कार्यपालिका को वह सुनना ही पड़ेगा जो पुलिस कहती है। वे निवारक नजर बन्दी आदेश के खाली गट्ठे लायेंगे और कार्यपालिका को कहा जाएगा और इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जायेगा। हमारे पास अनेक मामले और दस्तावेजी सबूत है।

मैं यह कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमें स्व० महा न्याय विद श्री निरेन डे के इस तर्क को नहीं भूलना चाहिये कि ऐसे कानून के अन्तर्गत आपको जीने का अधिकार नहीं है और आप यह न भूल जाइये कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय में श्री ए० एन० राय एक मुख्य न्यायाधीश था मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं। मुझे इस बात पर बड़ी शर्म है। कि वह पश्चिम बंगाल से आए हैं जो इस तर्क का समर्थन कर रहे हैं मैं इस विधेयक का पूर्णतः एवं पूरी शक्ति से विरोध करता हूं।

श्री चित्तवसु (बारसाट) : मैं पूरी शक्ति से इस घातक विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं। मैं नियम 72 के अधीन जो सीमाएं हैं उन्हें जानता हूं। अतः मैं संक्षेप में कहूंगा।

इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के विरोध में मैं मुख्यतः इन आधारों पर विरोध करता हूं कि यह विधेयक घातक, घृणित और अराजक कानून है क्योंकि इससे कार्यपालिका को क्रूर और अनैतिक अधिकार मिलते हैं। यह अलोकतांत्रिक और अनैतिक भी है। यह हमारी जनता की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक आघात है।

इस विधेयक का उद्देश्य बिना विचारण के अनिश्चित काल तक निवारक नजरबन्दी की व्यवस्था करना है। क्या यह सही नहीं है ? यदि आप विधेयक को पढ़ें तो देखेंगे कि इसमें तीन महीने तक बिना विचारण के नजरबंदी की व्यवस्था है। यदि आप विधेयक के उपबन्धों को पढ़ने की कृपा करें तो आप देखेंगे कि विधेयक में अनिश्चित काल तक बिना विचारण के नजरबंदी की व्यवस्था है।

यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सत्ताधारी दल का राजनीतिक उद्देश्य राजनीतिक विपक्ष को चुप कराना राजनीतिक असहमति को शान्त कराना तथा जनता के लोकप्रिय और लोकतांत्रिक आन्दोलन को कुचलना है चाहे वह आन्दोलन मजदूर वर्ग या किसानों अथवा विद्यार्थियों या जनता के लोकतांत्रिक वर्ग द्वारा ही चलाया गया हो। विधेयक का यही प्रमुख उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए जिसमें आप भी शामिल हैं, एक चेतावनी है। यह आपात स्थिति लाने की दिशा में एक कदम है। यह एक व्यक्ति की शक्ति को दृढ़ बनाने तथा सल्तनत और तानाशाही शासन स्थापित करने की दिशा में भी एक कदम है। इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के विरोध में ये मुख्य आधार हैं।

जैसाकि जिक्र किया गया है इससे अनुच्छेद 19, 21 और 22 का उल्लंघन होता है। मैं इसे सिद्ध करना चाहता हूं। अनुच्छेद 22 में यह व्यवस्था है कि नजरबंद किए गए व्यक्ति को नजरबंदी के कारण बताये जाने चाहिए। विधेयक में व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को .... गिरफ्तार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कैसे इस बात की गारण्टी लेते हैं कि यह विधेयक कानून बन जायेगा ? आपको केवल पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करना है। आप विधेयक के बारे में विस्तार से क्यों जाते हैं ?

श्री चित्त बसु : मेरा तर्क यह है कि इससे अनुच्छेद 22 का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि नजरबंदी के कारण बताये जाने चाहिए। किन्तु यहां विधेयक में कहा गया है कि नजरबन्द किये गए व्यक्ति को कारण न बताये जाएं। विधेयक का उद्देश्य रिहाई के बाद फिर भी नजरबन्दी की व्यवस्था करना है। अतः इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक नजरबन्द करना है।

आप जानते हैं कि इस सभा के सदस्य श्री ए० के० राय द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष है और अभी उच्चतम न्यायालय ने उसमें निर्णय भी नहीं दिया है। न्यायालय ने अभी तक स्वयं अध्यादेश की संवैधानिक वैधता नहीं दी है जिसे यहां एक विधेयक के रूप में पेश किया गया है। ये हैं संवैधानिक कारण जिनके आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं।

इससे आपातकालीन दिनों के 'मीसा' को फिर से जीवित करना है। यदि आप जानना चाहें तो आप देखेंगे कि भूल 'मीसा', निवारक निरोध अधिनियम से अधिक कठोर है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मूल 'मीसा' से अधिक कठोर है और वस्तुतः यह आपातकालीन अवधि के 'मीसा' की प्रतिलिपि है। अतः जैसा कि मैंने कहा है यह आपात स्थिति प्रख्यापित करने की दिशा में एक कदम है और वे इसके लिए आधार बना रहे हैं।

जैसाकि मैंने संक्षेप में कहा है। इसका एक दूसरा गूढ़ अभिप्रायः रहस्यमय उद्देश्य एक

व्यक्ति की वैयक्तिक शक्ति को दृढ़ करना तथा सरकार की संसदीय मंत्रिमण्डलीय पद्धति, जो हमारे संविधान का मर्म है, बदलकर संविधान को नष्ट करना है। यही इसका उद्देश्य है।

इस संदर्भ में मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे निर्णय लें कि क्या इस अवस्था में इस घातक, चूणित, अराजक, अनैतिक तथा जन-विरोधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, आपके माध्यम से मैं उन्हें चेतावनी दे सकता हूं कि बाहर लोग इन निम्न स्तर की चीजो का समर्थन नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल में पहले ही इस घातक विधेयक को वापस लेने की माँग के समर्थन में पूर्ण सफल बंद रहा है। बिहार में बंद रहा हैं। समस्त देश में लोकतांत्रिक लोग इस अराजक कानून का विरोध कर रहे हैं। माननीय सदस्यों से मेरा फिर अनुरोध है कि वे इसका यहां विरोध करें और जो आन्दोलन हो रहा है उसमें भाग लें ताकि इस सरकार के शरारतपूर्ण रवैये अथवा उसकी नीतियों को यहां और बाहर विफल किया जा सके।

श्री निरेन घोष (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश प्रख्यापित होने के बाद देश यह महसूस करता है कि बिना औपचारिक घोषणा के आपातस्थिति घोषित की गई है। यह विधेयक न केवल सिद्धान्ततः बुरा है और इससे संविधान का उल्लंघन होता है किन्तु भावना से यह विधेयक फासिस्ट किस्म का हैं और लोकतंत्र को पूर्णतः नष्ट करने की दिशा में एक दुष्ट प्रयास है। इस प्रकार के विधेयक को पास करना आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त द्वारा अपनी सरकार को दी गई इस गोपनीय रिपोर्ट के सम्बन्ध एक बहाना है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है और जिसमें कहा गया है कि इस देश में अन्ततः सेना सत्ता सम्भाल लेगी।

यही नहीं, यह कुख्यात 'मीसा' है। जब लोक सभा के चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि यदि वह निर्वाचित हुई। और यदि वह सत्ता में आईं तो निवारक निरोध कानून नहीं बनाया जायेगा। इस बारे में प्रधानमन्त्री ने मतदाताओं को जो वचन दिया था वे उससे विमुख हो गई हैं। इस प्रकार का कानून बनाने की वे कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं।

निवारक निरोध कानून के लम्बे इतिहास में केवल एक ही अन्तराविधि थी जब कोई ऐसा कानून नहीं था। जब 1969 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की अल्पमत सरकार चल रही थी तो उस समय यह कानून व्ययगत हो गया क्योंकि वह इसे पास न कर पायीं। उस अवधि को छोड़कर सत्ताधारी दल ने हमेशा ही निवारक निरोध कानून को कानून पुस्तिका में रखा है। मेरा अपना अनुभव बताता है कि इसका मुख्य प्रयोजन विपक्ष को कुचलना है। 1975 में जो कुछ हुआ हम उसे भुला नहीं सकते हैं जब स्वयं कांग्रेस दल में एक विद्रोह हो गया था। उस समय कुख्यात 'मीसा' का स्वयं अपने ही दल के कई सदस्यों को जिसमें कांग्रेस संसदीय समिति के सचिव भी शामिल थे, गिरफ्तार करने और नजर बंद करने के लिए प्रयोग किया गया था। अब भी उन्हें भय है कि उनके दल में विभाजन न हो जाये। अतः इसके विरुद्ध निगरानी रखने के लिए वे इस विधेयक को न केवल विपक्ष के विरुद्ध, लोकतांत्रिक आन्दोलन के विरुद्ध तथा मजदूर वर्ग के विरुद्ध किन्तु

स्वयं अपने ही विरुद्ध लाये हैं। मैं कहता हूं कि कतिपय राज्य सरकारों ने पहले ही कहा है कि वे इसका कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है तो आपको इसके कुछ आधार देने चाहिए। किन्तु यहां कोई आधार नहीं दिये गये हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा तब खतरे में पड़ सकती है यदि कोई बाहरी हमला हो या समस्त देश में आन्तरिक उपद्रव हो। इस प्रकार का हम देश में कुछ नहीं देखते हैं अतः इसी की आड़ में आप इस अराजक कानून तथा काले कानून को लाये हैं जिसके बारे में आपने हमेशा यह वचन दिया था कि आप ऐसा कानून नहीं बनायेंगे। श्री ए० के० राय और चटर्जी के मामलों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इसका पहले ही प्रयोग किया जा चुका है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं। जब आप इस प्रकार के विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए सभा की अनुमति ले रहे हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए आप के द्वारा अनुमति लेने तथा इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने से राष्ट्रीय सुरक्षा स्वयं खतरे में पड़ गई है। इसका विरोध हो रहा है और देशव्यापी विरोध हो रहा है और देश में अधिकाधिक विरोध होगा। आप इस विधेयक को पुर.स्थापित कर देश के अन्दर अस्थिरता और असुरक्षा की स्थिति पैदा कर रहे हैं।

इस सभा पर यह थोपा जा रहा है। जब सत्र शीघ्र ही बुलाया जा रहा था तो इस प्रकार के अध्यादेश के प्रख्यापित करने की क्या आवश्यकता थी ? जहां कहीं भी अल्पसमुदाय है जैसे मुरादाबाद में है, जहां कहीं भी विरोध होता है, और मांगें उठायी जाती हैं। इन शक्तियों का उन्हें दबाने के लिए प्रयोग होता है।

मैं सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस अथवा विश्व के किसी भी सभ्य देश में नहीं है। इस विधेयक को पुरःस्थापित कर आप विश्व के समक्ष यह सिद्ध कर रहे हैं कि भारत असभ्य हो गया है और यह अपना शासन चलाने के योग्य नहीं है। यही आप समस्त विश्व के समक्ष सिद्ध कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इस संसद को ऐसा कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि .....।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु आपको विरोध करने का अधिकार है।

श्री निरेन घोष : क्योंकि सत्ताधारी दल को यहां 42.3 प्रतिशत मतों के आधार पर अधिक स्थान मिले हैं। जहां तक लोगों का संबंध है वे बहुमत में हैं। सारे देश में जनमत करायें और लोगों का निर्णय लिया जाये कि क्या वे इस प्रकार का कानून चाहते हैं या नहीं। आप लोगों की इच्छाओं का निरादर कर रहे हैं तथा उनके विरुद्ध जा रहे हैं। लोग इसका उचित उत्तर देंगे। इसे चुनौती दी जायेगी। आपका दल शासन नहीं कर सकेगा। अस्थिरता और असुरक्षा होगी। यह डर है कि आपात स्थिति पहले ही घोषित हो गई है। हम लोकतंत्र के धुंधले प्रकाश में हैं, अंधेरा हम पर छा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस संवैधानिक उपबन्ध के अन्तर्गत का जनमत कराना चाहते हैं ? **(व्यवधान)**।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। मैं ऐसा विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक लोकतन्त्र के मूल सिद्धांतों और सभ्य व्यवहार के मूलभूत सिद्धांतों तथा मापदंडों के विरुद्ध जाता है। यह देखकर मुझे वास्तव में आघात पहुंचा है कि सत्तारूढ़ दल के मेरे साथी प्रसन्न हैं जिन्होंने शर्म से सिर झुकाये होते। मैं उन्हें एक बात का स्मरण करा सकता हूं। पशुओं का मांस जो बाजार में बेचा जाता है उसे स्वयं पशु द्वारा बाजार में लाया जाता है। कांग्रेस (आई) के सदस्य, जो अब चिल्ला रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, को यह महसूस करना चाहिए कि वे दिन अभी उनके आगे हैं जब इस कठोर कानून के दर्द को महसूस करेंगे जैसा कि आपात काल के दौरान हुआ (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : चीन के बारे में क्या है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अब चीन के बारे में बात न करो। मैं यहां आपके नरक के बारे में बात कर रहा हूं।

मैं माननीय गृहमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि भारत में जो अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त है वह कांग्रेस के उपहार नहीं हैं बल्कि वे साम्राज्यवादीविरोधी संघर्ष के परिणाम हैं! सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने हमारे देश में अपने मूलभूत मानवीय अधिकारों की स्थापना करने के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। शर्म की बात है कि स्वतंत्रता के बाद आप ऐसे किसी कानूनों के बिना देश में शासन करने में असफल हो चुके हैं, या तो आपको भारत रक्षा नियमों की आवश्यकता है या आपको निवारक नजरबन्दी कानून की आवश्यकता पड़ती है।

मुझे एक बात पर अवश्य जोर देना चाहिए। अब इसके पीछे क्या दलीलें हैं? इसी सभा में आप कह चुके हैं कि आपको लोगों का विश्वास प्राप्त है। आपका यहां पर दो-तिहाई बहुमत है और आपके पास पर्याप्त कानून हैं। आप मुझे बतायें कि इस विधेयक को लाने के लिये आपको किसने प्रोत्साहित किया? जबकि आपको शक्ति है। आप कहते हैं कि आप विपक्ष की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, कभी-कभी आप कहते हैं कि विपक्ष नगण्य है। यदि लोग आपके नेता के पीछे है और यदि आपका नेता इतना शक्तिशाली है तो आपको इस कठोर तथा गैर-जिम्मेवार कानून की किस लिये आवश्यकता है? मैं आपको एक बात बता सकता हूं। इस कहावत में कुछ सच्चाई है, सत्ता भ्रष्ट बना देती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट बना देती है।' आप इस गैर-जिम्मेवार शक्ति किसे प्रदान कर रहे हो? पुलिस को और नौकर शाहों को। दिल्ली से आपको यह मालूम नहीं हो सकेगा कि देश में क्या हो रहा है। यह गैर-जिम्मेवार किस्म की सरकार पूर्ण भ्रष्टाचार, तथा अदक्षता की ओर ले जाएगी और आपको मैं बता सकता हूं कि अन्तोगत्वा यह आपके विनाश की ओर ले जायेगी। आने वाले दिनों में आपको यह मालूम हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस चेतावनी के साथ मैं पूर्ण शक्ति से विधेयक इसका विरोध करता हूं और जिस समय गृह मंत्री महोदय इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए इस सभा की अनुमति लेंगे तो सभा से इसे अस्वीकार करने का निवेदन करूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमान्, मैं इस काले विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं क्योंकि यह एक कठोर विधेयक है, यह एक हानिकर विधेयक है, यह एक जंगली विधेयक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार सत्तारूढ़ दल के कुछ राजनीतिज्ञों की केवल निर्दयता पाशविकता तथा निष्ठुरता दिखाने के लिए इस विधेयक को लायी है: वे अपनी पाशविकता दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने आपात काल के दिनों में दिखाई थी। उन्होंने इस देश के लोगों पर अपराध किये थे। और फिर अपराध करना चाहते हैं। आज वे हंस रहे हैं और इस विधेयक को उचित ठहराने का प्रयास कर रहे है, इस बात को न सोचें-समझें कि इसके क्या परिणाम होंगे। मैं इस सदन को इस सदन के माध्यम से राष्ट्र को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहती है जो अन्तोगत्वा इस सारे लोकतंत्र तथा इस सारे लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर देगी। मुझे मालूम है कि सत्तारूढ़ दल के सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग के दिमागों में पाशविकता का कुछ तत्व है जिसको वे दिखाना चाहते हैं। इसलिये वे इस विधेयक को लाये हैं ; इसलिये वे इस कानून को पास करना चाहते हैं।

वे पुलिस को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करना चाहते हैं हमें मालूम है कि पुलिस ने बिहार में कुछ व्यक्तियों को अंधा करके कैसे अपनी निर्दयता दिखाई है। क्या आप उन्हें यह अधिकार देना चाहते हैं ताकि ऐसी घटना फिर घटे, ताकि बहुत लोग मारे जाएं ? कारण बताने के लिये कोई अवसर नही होना चाहिए। आपके इरादे के पीछे ये मूलभूत उद्देश्य है जिन्हें आप इस विधेयक के माध्यम से दिखाना चाहते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार वास्तव में केवल लोगों की स्वतन्त्रता, प्रैस की स्वतन्त्रता तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता को दबाने में रुचि लेती है। इसीलिये वे इस विधेयक को लाये हैं ; इसलिये वे इसे कानून बनाना चाहते हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि श्री ए० के० राय की गिरफ्तारी के क्या कारण थे। उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था ? अब उन्हें रिहा कर दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ लगाये गये आरोप पूर्णतः गलत, झूठे तथा शरारत पूर्ण थे। इसीलिये उच्चन्यायालय ने यह फैसला दिया कि उनकी गिरफ्तारी को खत्म किया जाना चाहिए और उन्हें रिहा कर देना चाहिए। अन्ततः उन्हें रिहा कर दिया गया।

वास्तव में, यह विधेयक अपने राजनैतिक विरोधियों को दबाने के लिए लाया गया है। यह उनका उद्देश्य है। वे नहीं चाहते हैं कि यहां लोकतंत्र कार्य करता रहे ; वे नहीं चाहते कि कोई नागरिकों के लिए आवाज उठाए। इसीलिए वह विधेयक लाया गया है।

मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के विधेयकों को अवश्य पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए और मैं इसे फाड़ता हूं और इसे फेंक देता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक जो यहां पेश किया गया है, इसका मैं संविधान की धारा 22 के आधार पर जोरदार विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक जनतंत्र पर करारी चोट करने वाला है। यह विधेयक संविधान की मूलभूत भावनाओं का उल्लेख करने वाला है, यह विधेयक जंगली विधेयक है। यह विधेयक वहशी लोगों द्वारा बनाया हुआ विधेयक है, यह विधेयक काला विधेयक है। संविधान निर्माता जहां कहीं भी हों, उनकी आत्मा आपके इस काले कारनामे को देखकर रोती होंगी। उन्होंने इस बात की अपेक्षा नहीं की थी कि जनतंत्र में जनतंत्र का नाम लेने वाले लोग जनतंत्र की इस प्रकार हत्या करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री क्या आपका आत्मा में विश्वास है ?

श्री रामावतार शास्त्री : कृपया मुझे अपना प्रश्न बढ़ाने दो।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका इसमें विश्वास है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह एक मुहावरा है।

श्री रामावतार शास्त्री : चाहे मैं विश्वास करूं या न करूं यह तो आपके अनुसार है। मैं आत्मा में विश्वास करता हूं।

इस विधेयक को हम राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक कहने के लिए तैयार नहीं है। यह है भी नहीं। यह विधेयक इंदिरा सुरक्षा विधेयक है। इंदिरा गांधी की सुरक्षा करने के लिए है। अब उनके पांव थरथरा रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, हिम्मत घबरा रही है, इसलिए ऐसे जंगली जन विरोधी कानून का सहारा लेकर हिन्दुस्तान के जनतंत्र पर वह चोट करने के लिए आगे आ रहे हैं। यह है इसका मतलब। इसका गलत इस्तेमाल बराबर हुआ है, आगे भी होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी मंशा शुद्ध है। इसको हम देख भी चुके हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री ए. के. राय को आप जेल में रख चुके हैं। एक एम०एल०ए० अभी भी जेल में बन्द हैं। अगर खलास हो गए हैं। तो जनता ने चोट मारी थी और जगन्नाथ मिश्र को जेल का फाटक खोलना पड़ा था। बड़ा शानदार बिहार बन्द हुआ है अभी। मैं जबाबदेही के साथ कहना चाहता हूं कि इस बन्द को असफल बनाने के लिए आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कुछ विरोधी दलों के नेताओं को जेल में डालने वाले थे। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। जन उभार को देखकर आपको पीछे जाना पड़ा।

यह जो कानून आप बना रहे हैं इसका हिंदुस्तान के तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। संगठित मजदूर आन्दोलन, केवल कांग्रेस की चापलूसी करने वाले मजदूर नेताओं को छोड़ कर

बाकी सब इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के पीछे चलने वाले मजदूर भी इसका विरोध कर रहे हैं। आगे देखिए क्या क्या होने वाला है।

इस तरह के विधेयकों का गलत इस्तेमाल होता रहा है। मैं 1948 की एक घटना का जिक्र करके समाप्त करना चहता हूं। उस समय बिहार के मुख्य मंत्री डा० श्री कृष्ण सिंह थे और हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय मुझे 1948 से 1950 तक बिहार सिक्योरिटी में टीनेन्स एक्ट में जेल में रखा गया था। ग्राउन्ड क्या दिया गया था, कारण क्या बताये गए थे, मैं वही सुनाना चाहता हूं। इसी से समझ लीजिए कि आपकी सरकार की मंशा क्या है। क्या कहा गया है काशी विद्यापीठ के एक भूतपूर्व छात्र और समाचार पत्र जनशिक्त के सम्पादक तथा भारतीय कम्यूनिष्ट दल भारतीय के एक सदस्य को बनारस से निकाल दिया गया था।

मैं बनारस में, 1941 में वहां से निकाला गया था, तो यह क्या ग्राउन्ड हो सकता है, और इसी ग्राउन्ड पर मुझ 2 साल जेल में रखा गया। तो हम समझ सकते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल आप कैसे करेंगे।

अगर आपकी हिम्मत है तो* को जेलखाने में डालो जिनके आदेश से भागलपुर के कैदियों को अंधा बनाया गया। उन्होंने पुलिस वालों की मीटिंग करके पुलिसवालों से कहा कि तुम जिस तरह भी चाहो क्राइम को रोको, पुलिस वालों ने वैसा ही किया। (व्यवधान) इसके गुनाहगार* है। (व्यवधान) उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए और जेलखाने में डाल देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को देखने के लिए कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा कि क्या उन्होंने कोई बात अपमानजनक या असंसदीय कही है।

श्री जगदीश टाईटलर : उन्होंने कहा* जेलखाने में डाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत का अध्ययन करूंगा। यदि मुझे कोई बात गलत मिलती है तो मैं उचित कार्यवाही करूंगा। इस संबंध में मैं सभा को विश्वास दिलाऊंगा। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये।

श्री ए० के० राय : आप अपनी बात पर अड़े हो। मैं जानता हूं कि आप सदैव संक्षेप में बोलेंगे।

श्री आरिफ महोम्मद खां (कानपुर) : इस बीच सारी बात प्रेस को मालूम हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : श्री खां एक प्रक्रिया है। हमारे देखे बिना यह प्रेस को नहीं जाएगा। हमारी आज्ञा के बिना यह प्रेस को नहीं जाएगा।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमान, वे लांछन लगा रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : यदि आप बिहार का समाचार-पत्र पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि क्या समाचार है ? (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर ध्यान देंगे । श्री ए० के० राय (व्यवधान) । शास्त्री जी यह क्या है ? आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं । कृपया बैठ जाइए । मैंने श्री ए० के० राय को पुकारा है ।

श्री ए० के० राय : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान कृपया सदस्यों से बातचीत करनी बन्द कीजिए और मेरी बात सुनिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री जी से भी निवेदन कीजिए । वे बहुत पुराने मित्र हैं ।

श्री ए० के० राय : उपाध्यक्ष श्रीमान, सौभाग्यपूर्ण रूप से या दुर्भाग्य पूर्ण रूप से मैं विधेयक की अवांछनीयता का प्रतीक हूं ।

श्रीमान, मुझे उस समय भारी संख्या में पुलिस वालों द्वारा गिरफ्तार किया गया था जब मैं अपने कार्यालय में बैठा था जो मुझे कोई कारण बताये बिना जेल ले गई । मुझे अभी भी मालूम नहीं है कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था । बिना कोई कारण बताये मुझे दो दिन के बाद रिहा कर दिया गया था ।

बाद में मैंने यह समाचार पत्रों में पढ़ा कि मुख्य मंत्री ने यह राय व्यक्त की थी कि मेरी नजरबन्दी के लिए कोई वैध कारण नहीं था । (व्यवधान) इसका अर्थ है कि इस विधेयक, इस अधिनियम में दुरुपयोग करने के लिए उपबंध है और ऐसी गुंजाइश है ताकि इसे स्वयं मुख्य मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया जाए ।

इसलिए श्रीमान, इस सम्मानित सभा को ऐसा कोई विधेयक या अधिनियम पारित नहीं करना चाहिए जो किसी प्रदेश की उच्चतम राजनैतिक नेता को कठघरे में खड़ा कर देता है ।

महोदय, पुरःस्थापना के स्तर पर मैं आप से सहमत हूं कि केवल विधायी क्षमता अथवा सांविधानिक कमजोरी की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए किन्तु यह तो केवल बातों को देखने का एक तकनीकी ढंग है । विधानों वांछनीयता और सांविधानिक औचित्य पर भी विचार किया जाना चाहिए और यही कारण है कि इस विधेयक की परिधि और आधार भाग उलझते जा रहे हैं ।

श्रीमान्, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि यह उस विशेष उपलब्ध का उल्लंघन करता है जिसे संविधान में रखा गया था । यह संविधान के अनुच्छेद 22 की भावना का भी उल्लंघन करता है जिसके द्वारा इतने अधिक संक्षरणों के साथ-साथ किसी मामले में नागरिकों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की गुंजाइश भी रखी गयी है ।

मैं इस विधेयक का इस लिए भी विरोध करता हूं क्योंकि इसके द्वारा अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे इस विशेष उपबन्ध का लाभ उठाते हुए राष्ट्रपति के बारे में भावना को भी विकृत किया गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि आवश्यक है। यह न्यायोचित नहीं है। ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायोचित न हो किन्तु इसका अभिप्राय यह तो नहीं है कि यह निरंकुश है। राष्ट्रपति ऐसे ही कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है अथवा मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को नजरबन्द नहीं कर सकता है।

महोदय, डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि अध्यादेश खराब है और अध्यादेश के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को नजरबन्द करना और भी खराब है। आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि संविधान सभा में किसी न किसी तरह इस बात के बारे में संदेह किया गया था कि अध्यादेश का किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के नजरबन्द करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा करना एक नियमित बात हो जाये। उस समय श्री पोकर साहब नामक एक माननीय सदस्य थे जो एक अध्यादेश प्रख्यापित करने की क्षमता तथा समर्थता के बारे में एक संशोधन लाये थे जिसमें यह कहा गया है।

> "बशर्ते कि इस प्रकार का अध्यादेश किसी नागरिक को उसके व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित न कर दे जब तक कि किसी सक्षम विधि न्यायालय द्वारा मुकदमे की कार्यवाही के पश्चात उसका दोष सिद्ध न हो जाये।"

यद्यपि इस संशोधन को अस्वीकृत कर दिया गया था, तथापि डा० अम्बेदकर ने सभा को आश्वासन दिया था कि अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

महोदय, यह अधिनियम 1918 के काले रालट एक्ट को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और जब संविधान सभा में अनुच्छेद 22 पर वाद-विवाद हुआ था, उस समय यह अनुच्छेद 15क था तो एक के बाद दूसरे सदस्य ने उठ कर कहा था कि संविधान में इस उपबंध का बाद में दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात आश्वासन दे दिया गया था।

श्रीमान्, मैं एक या दो वाक्यों को उद्धृत करना चाहूंगा जो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहे थे : —

> "इस बात की गारंटी नहीं है कि सभा या प्रादेशिक विधान मंडल के द्वारा 1918 के रालट एक्ट जैसा कोई कानून अधिनियमित नहीं किया जायेगा।

आज हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। महोदय मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का केवल नैतिक आधार पर विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इस विधेयक का इसलिए भी विरोध करता हूं कि इस सम्पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय में भी विचार किया जा रहा है। क्योंकि इस पर सर्वोच्च न्यायालय में विचार किया जा रहा है, कम से कम इस सभा

को समीक्षा करनी चाहिए थी। मैं जानता हूं कि 'शंकर एवं कौन' द्वारा दी गयी व्याख्या को ध्यान में रखते हुए कानूनी तौर से प्रतीक्षा नहीं की जाए और साथ-साथ इस पर विचार किया जायेगा। किन्तु, महोदय, जब तक उसी मामले की सुनवायी सर्वोच्च न्यायालय में की जा रही है, तब तक इस सभा में साथ-साथ इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है और न साथ-साथ ही चर्चा की जानी चाहिए। यदि हम ने इस विधेयक को पारित कर दिया और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया कि यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश असंवैधानिक है, तो इससे सदन की स्थिति बड़ी विषम हो जायेगी। अतः, इस बात को दृष्टिगत रखते हुये इस सारी चीज को कम से कम कुछ समय के लिये तो स्थगित रख दिया जाये। एक बात यह भी है, आप जानते हैं कि अनुसूची 7 के खण्ड 3 के द्वारा 'सार्वजनिक व्यवस्था' को सम्वर्ती सूची में रखा गया है। शासक दल इस विशेष उपबन्ध का सदैव दुरुपयोग करता रहा है। आज यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस (आई०) दल से संबंधित शासन वाली अनेक राज्य सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश का प्रयोग करने से हिचकिचा रही हैं। वे यह कह रही हैं कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगी क्योंकि इससे अनेक जटिलतायें पैदा होती हैं। अतः, श्रीमान्, इस विधान के बन जाने से केन्द्र और राज्य के बीच समूचे संबंधों में और भी जटिलता पैदा हो जायेगी और हमारे समूचे संघीय ढांचे में और भी तनाव पैदा हो जायेगा। इन सभी बातों को देखते हुये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का दृढ़ता से विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

बिना मुकदमा दायर किये किसी को नजरबन्द करना व्यक्ति की स्वतन्त्रता का उल्लंघन है जो मानव जाति के सबसे बड़े संजोये हुये मूल्यों में से एक है। यह स्वतन्त्र और लोकतांत्रिक समाज के स्तम्भों में से एक है।

यह विधेयक स्वरूप से ही कठोर विधेयक है और अविवेक पूर्ण ढंग से इसके लागू किये जाने से लोगों, पर भारी संकट आ पड़ेगा। यह सबसे अधिक दुरुपयोग किये गये और काले मीसा को दूसरे नाम से लाये जाने वाला विधेयक है। इससे हमें विदेशी अंग्रेजी शासन के रालट एक्ट की याद आती है।

'एमनेस्टी इंटरनेशनल', जो मानव अधिकार संगठन है, निवारक नजरबन्दी कानूनों का पूरी तरह विरोध करता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश, श्री कृष्ण अय्यर ने कुछ दिन पूर्व चण्डीगढ़ में कहा। मैं उसे उद्धृत करता हूं :—

> "अतीत के अनुभवों से पता लगता है कि अधिकांशतः सभी निवारक मुकद्दमों को लक्ष्य शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए ही होता है। यदि पुलिस और जनता 'थोड़ा सतर्क' रहे तो इस अध्यादेश की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।"

यह एक निराश हुई सरकार द्वारा उठाए जाने वाला निराशापूर्ण कदम है। विदेशी समाचार पत्रों ने भी कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह भारत सरकार का एक दमनकारी विधेयक है। बार-बार दिये गए इस प्रकार के आश्वासनों के बावजूद भी राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। एक वर्तमान संसद-सदस्य श्री ए० के० राय को नजर बन्द किया गया।

महोदय, आखिर में मुझे यह कहना है कि देश का सामान्य कानून सरकार को शांति और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत भी किसी अपराधी को तुरन्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण प्रारम्भिक चरण पर गिरफ्तार करने की शक्ति उतनी ही व्यापक है जितनी कि निवारक नजरबन्दी कानून के अंतर्गत। गिरफ्तारी केवल उचित संदेह हो जाने पर भी की जा सकती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के उपबन्ध पर्याप्त हैं और काफी स्पष्ट भी है। कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त किए बिना तथा वारन्ट के बिना किसी व्यक्ति को जो अपराध से हस्तक्षेप सम्बन्धित है अथवा जिसके बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या उसके संबंधित होने के बारे में उचित संदेह विद्यमान है, गिरफ्तार कर सकता है।

एक निवारक नजरबन्दी कानून से किसी भी तरह शक्तियां बढ़ती नहीं हैं। किंतु सामान्य कानून मुकद्दमा चलाने तथा प्रमाण की अपेक्षा करता है।

सरकार सामान्य कानून के उपबन्धों को लागू करने से क्यों डरती है, महोदय, यदि सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए जोर देती है, तो इसे इस विधेयक के पारित किये जाने पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं इस विधेयक का संवैधानिकता एवं राजनीतिक तथा नैतिक आधार पर विरोध करता हूं महोदय, यदि आप गृह मंत्री महोदय, द्वारा पेश किये गए उद्देश्यों और कारणों के कथन के पहले दो या तीन वाक्यों को पढ़ने का कष्ट करें तो आपको हम विधेयक के बारे में स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। पहले दो वाक्यों में आप निम्नलिखित बात देखेंगे :—

> "सामुदायिक असामंजस्य/सामाजिक तनाव, उग्रतावादी क्रियाकलाप, औद्योगिक अशांति तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा विभिन्न बातों को लेकर आंदोलन करने को बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में यह आवश्यक समझा गया कि देश में विधि व्यवस्था की स्थिति को निश्चयात्मक और कारगर रूप से सुधारा जाए।"

महोदय, यही उद्देश्य है क्योंकि सरकार आज यह महसूस करती है कि वह इस देश के सामान्य कानून द्वारा साम्प्रदायिक स्थिति का समाधान करने में असफल रही है। सरकार को इस बात का भी डर है। कि इस सामाजिक तनावों को रोक नहीं सकती। इस देश में सामाजिक

तनाव बढ़ते जा रहे हैं। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश की 50% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रहती है और प्रतिदिन इस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में अभूतपूर्व बढ़ते हुए मूल्यों और खराब होती मुद्रा स्फीति से गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों तथा उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अच्छा तथा उचित जीवन स्तर बनाये रखना कठिन तथा लगभग असम्भव सा हो गया है। सरकार इस बात को समझती है, क्योंकि वह आर्थिक मोर्चे पर असफल रही है। तथा यह देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर नियन्त्रण रखने में भी असफल रही है। इसके साथ यह भी डर है कि श्रमजीवी वर्ग असंतोष व्यक्त करेगा, श्रमजीवी वर्ग में असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जायेगा, क्योंकि इस देश में अनेक औद्योगिक घरानो, एकाधिकारी घरानों द्वारा अपनाए गयेमजदूर विरोधी पग उठाये जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनका शोषण भी बढ़ता जा रहा है। अतः मुख्य कारण यह है कि चूंकि स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है कि सामाजिक एवं आर्थिक मोर्चे पर असफल रही है।

अब सरकार लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहती है। यदि मैं इस सभा के माननीय सदस्य श्री ए० के० राय के मामले का उदाहरण दूंगा, जिन्हें नजरबंद किया गया था, तो मैं गलत बात नहीं करूंगा। जब हम यह कहते हैं कि नौकर शाही तथा कार्यपालिका द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, तो बिना किसी कारण के हम सभा के एक माननीय सदस्य को नजरबंद किए जाने का एक ज्वलंत उदाहरण हैं। दो दिन के पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया। मैं यह बात समझ सकता हूं कि उनकी रिहाई के लिए अवश्य ही राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया होगा। और उनकी रिहाई का एक मुख्य कारण यह भी होगा कि यह अभी तक एक अध्यादेश है जिसे अभी संसद के समक्ष पेश किया जाना है और संसद ने अभी इस अध्यादेश पर चर्चा करनी है। यदि इस सभा के एक माननीय सदस्य को नजरबंद किया जाता है; तो संसद में शोर गुल मच जाता है। सरकार तथा संबंधित मुख्यमंत्री पर संसदीय दबाव पड़ता है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय प्रधान मंत्री को भी इस बात के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। जब कि इस विधेयक पर अभी संसद ने विचार करना था, तो माननीय सदस्य को नजरबन्द क्यों किया गया यह बात अनुचित होगी। मैं यह न तो कह रहा हूं कि राजनीतिक लोग मनमानी करेंगे, किन्तु इस देश में पुलिस, कार्यपालिका और नौकरशाही की इस बात के लिये निन्दा की जायेगी। बिहार पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को अन्धा करने तथा गरीब परिवारों, पिछड़े वर्ग के परिवारों, हरिजनों तथा आदिवासी लोगों से जिस ढंग से व्यवहार किया है, उससे माननीय पधान मंत्री को गहरा दुःख हुआ है। अतः लोगों के मन में इस प्रकार की शंका पैदा होना बिल्कुल उचित है।

मेरा यह कहना है कि सरकार को उस भय-मनोविकृति को समझना चाहिए जिसने लोगों को ग्रस लिया है और उन्हें ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से करना चाहिए। जब इन लोगों से निपटने के लिए पहले से ही हमारे पास सामान्य कानून मौजूद हैं तो हमें उस विधेयक की

क्या आवश्यकता है ? हमें इस प्रकार का अभूतपूर्व निवारक नजरबन्दी उपाय क्योंकर करने चाहिए । बिना किसी कारण लोगों को क्यों बन्दी बनाया जाए । सरकार का कहना है कि मंत्रणा समिति में 3 सदस्य होंगे । सभापति न्यायाधीश रहे हो सकते हैं । परन्तु दूसरे दो सदस्य भी यदि वे न्यायाधीश बनने योग्य है तो उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है । इसका अर्थ तो यह हुआ कि जिस किसी व्यक्ति ने भी 7 वर्ष या 8 वर्ष तक कार्य किया हो उसे सलाहकार बोर्ड में ले लिया जायेगा । मुझे भय है कि सरकार इस अधिनियम को राजनीतिक विरोधियों के बिरुद्ध प्रयोग करने का इरादा रखती है । सरकार देश में सही आलोचना को, विरोधी पक्ष की आवाज को दबाना चाहती है । यह सब सत्ताधारी दल तथा लोकतांत्रिक परम्पराओं के हित में नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कहना है कि इस विधेयक को लाते समय सरकार को बड़ी सावधानी बरतनी होगी । परन्तु आप तो सरकार में थे ।

श्री चन्द्रजीत यादव : ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं । कोई भी व्यक्ति जो सरकार में रहा हो, यह स्वीकार करेगा कि हमारे सर्वश्रेष्ट इरादों के बावजूद भी, यदि हम इस तलवार को बन्दरों के हाथ में दिए रखें तो बंदर भी निश्चितरूप से इसका दुरुपयोग करेंगे । जब तक हमारी नौकरशाही जागरूक नहीं हो जाती, जब तक हमारा प्रशासन प्रबुद्ध नहीं हो जाता और जब तक हमारी पुलिस समझदार नहीं हो जाती, तब तक यह खतरा बना ही रहेगा । ऐसा मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं । इस प्रकार के विधान का हमारा इस देश में क्या अनुभव रहा है ? गत कुछ वर्षों का हमारा यह अनुभव रहा है कि इस या उस बहाने से लोगों को बंदी बनाया गया, जैसा कि इस सभा के माननीय सदस्य श्री ए० के० गोपालन को बंदी बनाया गया था और अन्ततः उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया गया तब कहीं उन्हें छोड़ा गया । आज हमें यह भय है कि इस विधान को, राजनीतिक-विरोधियों के विरुद्ध, उन लोगों के विरुद्ध जो सरकार की तर्कसंगत आलोचना करते हैं काम में लाया जायेगा, फिर चाहे वे प्रैस वाले हों, राजनीतिक-दल अथवा बुद्धिजीवी समाज के लोग ही क्यों न हों । इसका प्रयोग उस व्यक्ति के विरुद्ध भी किया जा सकता है जो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध न हो, परन्तु जो सचमुच ही देश की प्रगति और देश में भाई-चारे तथा अच्छे संबंधों को बनाये रखने का हिमायती है ।

नैतिकता के आधार से, राजनीतिक आधार पर तथा संवैधानिक आधार पर भी यह अच्छा कानून नहीं है । राजनीति से प्रेरित होकर सरकार ऐसे लोगों को नियुक्त कर सकती है जो उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश भी न रहे हों । मैं सरकार के संवैधानिक अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं । दुर्भाग्य से अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत भारतीय संविधान में ऐसा उपबंध रखा गया है कि निवारक नजरबंदी के प्रावधान भी किये जा सकते हैं, परन्तु बड़ी ही असामान्य स्थिति में, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा हो, तथा जब कोई व्यक्ति राष्ट्र-हित के विरुद्ध जासूसी कर रहा हो आदि आदि । परन्तु इसके होते तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि यह

कहा जा सकता है कि आपने भाषणों में आप सामाजिक तनाव पैदा कर रहे हैं और इसीलिए उचित न्यायालय में अभियोग चलाए बिना ही आपको जेल भेज दिया जाएगा। वे यह कहकर भी आपको जेल में डाल सकते हैं कि आप मजदूर-वर्ग में अशांति फैला रहे हैं। यदि मजदूर-वर्ग को कुचला जाता है, यदि उनका दमन किया जाता है, यदि देश के औद्योगिक घराने उनका शोषण जारी रखते हैं और कर्मकार यदि श्रमिक-संघ की गतिविधियां अपनाने लगते हैं तथा उत्तेजित हो जाते हैं तो यह कहा जा सकता है कि वे सामाजिक तनाव तथा औद्योगिक आशांति उत्पन्न कर रहे हैं। यहां तक की छात्र और बुद्धिजीवी समुदाय के लोग भी आन्दोलन कर रहे हैं। इनके लिए भी कहा जा सकता है कि वे सामाजिक तनाव पैदा कर रहे हैं। अथवा जनता में अशांति पैदा कर रहे हैं। अतः ऐसे मामलों में इस विधान का दुरुपयोग किया जा सकता है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं गृहमंत्री महोदय से अपील करता हूं कि कृपा करके वे इस विधेयक के पुरःस्थापन पर पुनर्विचार करें। 22 सितम्बर 1980 का राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया था और गत छः सात सप्ताह में ही देख लिया है कि इस तरह से इस अध्यादेश का दुरुपयोग किया गया है। मामलों का जिक्र नहीं करूंगा, परन्तु मुरादाबाद के उन निर्दोष लोगों की एक सूची गृहमंत्री महोदय को दे दी गई है जिनका दंगों से कोई लेना-देना नहीं था परन्तु उन्हें इसके अधीन बंदी बनाया गया है। कुछ मजदूरों को बंदी बनाया गया है और कुछ अन्य लोगों को भी बंदी बनाया गया है। पहले से ही हम अध्यादेश का दुरुपयोग देख रहे हैं। और अधिनियम बन जाने के बाद तो इसका और भी बड़े पैमाने का दुरुपयोग किया जाएगा। अतः मेरा गृहमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस विधेयक के पुरःस्थापन पर पुनर्विचार करें।

यदि गृहमंत्री महोदय वास्तव में ही आज इस समस्या को हल करने के इच्छुक हैं, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा है तो वे सभी प्रतिपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाएं और वे इस प्रश्न पर विचार करके कोई हल निकालें। क्या उन्होंने कुछ समस्याओं पर बैठक नहीं बुलाई है और क्या हमने असम तथा अन्य समस्याओं पर अपना सहयोग नहीं दिया है ? हमने हर हालत में अपना सहयोग दिया था। परन्तु इस प्रकार के विधेयक को एक ऐसे विधेयक जो भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है, जिसके दुरुपयोग की पूर्ण संभावनाएं हैं, विरोध किया जाना चाहिए। अतः मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अब लगभग एक वर्ष पूरा होने वाला है और मैं यह नहीं समझ पा रहा कि मेरे प्रिय मित्र, सज्जन और मिलनसार गृहमंत्री महोदय को नव वर्ष की पूर्व-संध्या पर भारत की जनता के लिए सरकारी काले-कानून को लाने की क्यों सूझी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह गृह मंत्री हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : सम्भवत: यह आगे होने वाली बातों की अग्रदूत छाया है। अभी-अभी मेरे बहुत से मित्रों ने इस क्रूर कदम के परिणामों का वर्णन किया है।

मैं इसे अपने संवैधनिक लोकतन्त्र पर, विधि का शासन की हमारी संकल्पना पर और विरोध करने के हमारे अधिकार पर कुठाराघात समझता हूं और ये वे आधारतत्व हैं जिनके लिए न केवल हम जो कि इस सदन में बैठे हैं लड़े, अपितु महात्मा गांधी के, जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सरदार बल्लभभाई पटेल तथा सुभाष चन्द्र बोस के अधीन समस्त स्वाधीनता संघर्ष चला और राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान निरन्तर हम इस प्रवृति का मुकाबला करते रहे। जवाहरलाल ने जो बात अखिल भारतीय नागरिक स्वतन्त्रता सम्मेलन में कही थी वह आज भी हमारे सामने हैं, "जो लोग ऐसे कानून बनाते हैं वे उसके द्वारा उत्पन्न विरोध की ज्वरीय तरंगों में बह जायेंगे." और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार का हश्र भी इससे भिन्न नहीं होगा। अत: महोदय हमारी मूल नागरिक स्वतन्त्रताओं का हमारे सविधान का, विरोध प्रकट करने के मूल अधिकार का सत्य और भावना तथा स्वरूप और भावना, विधि के शासन की आवश्यकता और उन संवैधानिक आधार जिन पर हमने इस गणतंत्र को खडा किया हैं, उन पर कुठाराघात किया गया है और इस विधेयक को प्रस्तुत करके गृह मन्त्री महोदय ने इन सब बातों की उपेक्षा की है। यह न केवल अनुच्छेन 22 का उल्लंघन करता है अपितु भारतीय संविधान की समग्र भावना और स्वरूप का भी उल्लंघन करता है और इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमें हाल ही में इसके अनुभव हुए हैं, फिर चाहे ये मुरादाबाद में हो या भागलपुर में अथवा और कहीं पर। इस सभा के विशिष्ट सदस्यों को भी इसका अनुभव हुआ है जिन्हें एक दिन पकड़कर दूसरे दिन छोड़ दिया गया, जिसके विरुद्ध इस सदन में आवाज उठाई गई और इससे प्रशासकीय ज्यादतियों को बढ़ावा मिलेगा और पुलिस के हाथों में एक और हथियार आ जाएगा। मैं किसी क्षेत्र-विशेष की पुलिस को या अन्यथा दोषी नही ठहराना चाहता, परन्तु फिर भी यह मुद्दा तो है ही कि यदि आप इस प्रकार की शक्तियां उनके हाथों के दे देतें हैं, यदि आप प्रशासक को ऐसे हथियार से अधिकार से लैस कर देते हैं तो, उनका दुरुपयोग होगा ही और उसमें गलि होगों लोगों की स्वतन्त्रता की और मैं नही चाहता कि ऐसी घटना इस देश में घटित हो। इसलिए मैं यहां इस विधेयक का विरोध करने खड़ा हुआ हूं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं उन्हें एक बार फिर याद दिला देना चाहता हूं। मैं अपने प्रिय मित्र से फिर से कह देता हूं कि जब 1977 के बाद पंजाब में अकाली दल की सरकार ने उनके कुछ मित्रों, मेरे कुछ सहकर्मियों को सताना शुरू किया तो मैंने उसका इस सदन में विरोध किया था। मैंने खडे होकर केवल मात्र विरोध ही प्रकट नहीं किया था अपितु मैं वह प्रथम व्यक्ति था जो उनकी ओर से जनता दल के चैयरमैन श्री चंद्रशेखर से इस बात की मांग करने भी गया था।

जब यहां 44वां संशोधन प्रस्तुत किया गया था तो मैंने लगातार उसका विरोध किया था कि यदि आप निवारन नजरबन्दी जैसे कानून तैयार करते हैं तो वह हमारे गणतंत्र के लिए दुःखद दिन होगा और इसलिए मैं एक बार फिर इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री धनिक लाल मण्डल (भभ्भारपूर) : महोदय, मैं इस बिलका पूरे जोर से, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, सम्पूर्ण रूप से विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल का विरोध संविधान, जनतंत्र के मूल्यों और ह्यूमन राइटस, सिविल लिबर्टीज के आधार पर करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इसका विरोध किया है, कहा है कि इसके पीछे जो मंशा है। वह ताकत को एक हाथ में केन्द्रित करने की है जो जनतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इस के पीछे मंशा है—संविधान को उलट पुलट देने की, जिसको अंग्रेजी में "सबवर्शन" कहते हैं। एक परिवार के शासन को स्थापित कर देना इस का उद्देश्य है। मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए, आप इस देश में जो भी इन्टीचूशन्ज हैं, उन सब को समाप्त करते हुए चले जा रहे हैं, इसमें आप का भी कोई कल्याण नहीं है। जो वर्तमान कांग्रेस है—उस के सम्बन्ध में हम लोगों का मत है कि उनने जनतंत्र को छोड़ दिया है। एक आदमी पर आप निर्भर है और उसके इशारे पर चलते हैं, यह हम लोगों का मालूम है लेकिन आगे आने वाली सन्तान के लिए भी आप देख लीजिए। आप होशियार हो जाइए अभी स।

श्री राम प्यारे पनिका (रौबट्सगंज) : आप भी चौधरी चरण सिंह के सहारे चलते हैं।

श्रीमती कृष्णा शाही (बुलन्दशहर) : आप जनतंत्र की बात कहते हैं। हम लोगों को बिहार में गुण्डा एक्ट में जेल में भेजा गया था।...(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तब गृह मंत्री थे। अब वह गृह मंत्री नहीं हैं। अब वे ऐसा नहीं करेंगे।

श्री राम प्यारे पनिका : इन के ही राज्य में मध्य प्रदेश में हमें मीसा में जेल में बन्द किया था और कैसी कैसी तकलीफें दी थीं।

श्री धनिकलाल मण्डल : श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने मीसा को खत्म ही नहीं किया बल्कि जितने भी इस तरह के कानून स्टेट्यूट बुक में थे, उन सभी को समाप्त किया था।...(व्यवधान)...इस तरह के जितने भी कानून आप के समय में स्टेट्यूट बुक पर लाए गए थे, उन सभी को समाप्त किया था, आप जरा इतिहास उठा कर देख लीजिए। यदि आज हमारे कुछ माननीय सदस्य जो सरकारी पक्ष में बैठें हैं, यह कहते हैं कि उनको गुण्डा एक्ट में भेजा गया था, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं क्योंकि ला एण्ड आर्डर स्टेट का सबजेक्ट है। इन को बिहार में भेजा गया होगा लेकिन मैंने नहीं भेजा। मैंने तो उन तमाम कानूनों को स्टेट्यूट बुक से हटा दिया था।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : आप ने जेल में नहीं भेजा लेकिन आप के श्री कर्पूरी ठाकुर ने भिजवाया और आप उस वक्त उसके लिए ताली बना रहे थे।...(व्यवधान)...।

श्री धनिक लाल मंडल : महोदय, यह कानून इस देश में जो जनतंत्रीय व्यवस्था है, उस को खत्म कर देगा, पारिवारिक राज्य बना देगा, सिविलसर्विसेज को निकम्मा बना देगा, पुलिस को अत्याचारी बना देगा और पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर देने वाला यह कानून है। इसलिए इस कानून का हम लोग विरोध करते हैं।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं इसका विरोध इस आधार पर करता हूं कि यह जनता विरोधी विधेयक है। आजाद साहब यहां पर बैठे हुए हैं और बिहार में जो घटना हुई, उसको जानते होंगे। इस पक्ष की सरकार हो या उस पक्ष की सरकार हो, इस तरह का विधेयक नहीं लाना चाहिए। आप जानते हैं कि जब आप ने एमरजेंसी लगाई थी, तो उसी समय आप की सरकार जानी थी और ज्यों ही आप इसे लागू करेंगे, आप की यह सरकार जानी है। अब अगर आप यह चाहते हैं कि आप की सरकार जाए, तो निश्चित रूप से इस को लागू कर दीजिए।

एक माननीय सदस्य : आप क्या चाहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : मैं तो नहीं चाहता कि आप की सरकार जाए और इसलिए कहता हूं कि इसको लागू मत कीजिए।

बिहार की एक घटना है। बिहार में एक साधू को एमरजेंसी में पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया और उसके बाद जब वह मामला कोर्ट में आया, तो डांटते हुए सेशनजज ने पूछा :

"औ नादान सिपाही, इन्हें क्यों पकड़ लाए, ये तो हैं मंदिर के पुजारी,

सहमते हुए सिपाही ने कहा,

हुजूर इसे सजा देना है लाजमी,

सड़क पर नारायण, नारायण कह रहा था,

हो सकता है जे० पी० का आदमी ।।

जे० पी० से मतलब श्री जय प्रकाश नारायण से था।

इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सब लोग एक नहीं हैं। अब कांग्रेस पार्टी एक नहीं रह गई है, भीतर में दरार पड़ गई है। इसलिए आज सब लोग समझ रहे हैं, स्टेट्स से दिल्ली तक। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप बहुमत से इसे पारित कर दीजिए, लेकिन पारित करने के बाद हम से भी ज्यादा आपको भुगतना पड़ेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। इसलिए

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बिल का चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, यदि मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करके पेश नहीं करते तो सबों को इसका विरोध करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं दूसरे सदस्यों द्वारा दी गई दलीलों को दोहराना नहीं चाहता। इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने का विरोध करने के लिए मैं केवल दो दलीलें देना चाहूंगा। यदि आप खण्ड (एक) और खण्ड 8 (दो) पढ़ें तो आप पाएंगे कि वे एक दूसरे को निष्प्रभावी बनाते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। हमसे बार-बार कहा गया है कि इस विधेयक के खण्ड 8 (एक) में पर्याप्त सुरक्षा साधन है, जिसमें कहा गया है : "जब कोई व्यक्ति किसी निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु निरोध की तारीख से मामूली तौर पर पांच दिन के भीतर, तथा असाधारण परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, दस दिन के भीतर, उससे वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है और समुचित सरकार से उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उसे शीघ्रतम अवसर देगा।" खण्ड 8 (दो) में कहा गया है : "उपधारा 8 (एक) में कोई बात"—जैसा मैंने अभी उल्लेख किया—"प्राधिकारी से यह अपेक्षा न करेगी कि वह ऐसे तथ्य प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझता है।" जो कुछ 8 (एक) में कहा गया है उसे 8 (दो) निष्प्रभावी कर देती है।

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके इरादों के बारे में मुझे कोई भ्रम नहीं है और यह मैं अतीत के अनुभवों के आधार पर कहता हूं। पांचवीं लोक सभा में मैं उन लोगों में से था जिन्होंने यह प्रश्न उठाया था और कहा था कि यदि मीसा को अपना लिया जाता है तो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इसका प्रयोग किए जाने की संभावना है। उस अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वयं इस बात का सदन को आश्वासन दिया था कि राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ मीसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परन्तु यह त्रासदी रही कि उसी सरकार विशेष के अन्तर्गत एक लाख से अधिक लोग आपातकाल के दौरान नजर बन्द किए गए। हम में से कुछकने बंगलौर तथा दूसरे उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर कीं और अन्ततोगत्वा मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास गया। न्यायमूर्ति श्री खन्ना ने अटार्नीजनरल से एक सवाल पूछा : मानलीजिए, मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार कुछ नजरबन्द लोग जेल अधिकारियों द्वारा मार दिए जाते हैं तो क्या उनके सम्बन्धियों को न्यायालय के सामने जाने और न्यायिक न्याय मांगने की अनुमति दी जाएगी, इसके सम्बन्ध में अटार्नीजनरल ने उत्तर दिया ; नहीं श्रीमान जी, उस अधिकार को भी ले लिया गया है। इस बात से सरकार के गलत इरादों की पुष्टि हो जाती है। इस तरह की सरकार को हम इस तरह की क्रूर शक्तियां देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वह इन शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए बाध्य है और लोगों की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाएंगी और उस आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

जैलसिंह : उपाध्यक्ष जी, सारे मेंबर साहिबान ने इंट्रोडक्शन पर ही इतनी लम्बी तकरीर की, हालांकि सिर्फ इसके आब्जेक्ट पर दो-दो शब्द कहके वे कह सकते थे कि हम विरुद्ध है। लेकिन आप बड़े दयालु हैं और आपकी मेहरबानी भी है, आप कंट्रोल भी खूब करते हैं। आपने बड़ी कृपा करके उनको समय दे दिया और काफी बहस हो चुकी है। लेकिन अब मेरी यह प्रार्थना है कि जब क्लाज बाई क्लाज कंसिड्रशन आए तो आप मेम्बर्ज का ध्यान रखेंगे कि कहीं वे यही बातें रिपीट न करते रहें ?

श्री राम विलास पासवान : जवाब भी वही न दीजिएगा।

जैलसिंह : आपने सब कुछ कह लिया, अब तो आप शांति से सुने। एक राय से इख्तलाफ रखना या दूसरी राय रखना कोई दुश्मनी या नफरत की बात नहीं होती। आपने जोर-जोर से अपनी बात कहली है, अब आप सुनिए भी।

जो बातें कहीं गई हैं उन पर मैं संक्षेप में ही प्रार्थना करूंगा। एक बड़ी बात जो हर एक मैम्बर ने कही वह यह थी कि यह बिल संवैधानिक नहीं है, कांस्टीट्यूशनल नहीं है। बसुजी ने आर्टिकल 22 का हवाला भी दिया लेकिन 22 (2) तक ही वह पढ़ते रहे और आगे (3) पर आकर खामोश हो गए। मैं चाहता था कि वह आगे (3) भी पढ़ लेते। उसमें यह लिखा हुआ है :

"धारा 22 (3) खण्ड (1) और (2) में भी कोई बात—

(क) जो व्यक्ति तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है। उसको, अथवा

(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उप बन्धित करने वाली किसी निधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध किया गया हो, उसको लागू न होगी।

(ग) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन महीने से अधिक कालावधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि—"

सारा मैं पढ़ना नहीं चाहता। जब पूरी बहस होगी उस वक्त मैं देखूंगा कि क्या-क्या चीज सामने आती है और उसे देखकर जवाब दूंगा।

यह कहा गया है कि विधान निर्माताओं ने इस विधान को डैमो-क्रेटिक बनाया है। इस विधान की हमने तो दो बार कसम खाई है और आप सब मैम्बर्ज ने एक-एक बार ही यहां कसम खाई है। हम विधान के मुताबिक चलते हैं। इसके खिलाफ कोई भी बात करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। विधान बनाने वाले उस वक्त के ला मिनिस्टर डा- बी. आर. अम्बेडकर ने इसी क्लाज पर जब बहस हो रही थी तो कहा था :

"देश की वर्तमान परिस्थितियों में कार्यपालिका को एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक हो सकता है जो इस देश की रक्षा सेवाओं अथवा समवर्ती सूची में उल्लखित सरकारी

आदेश से दखलंदाजी कर रहा हो। इस तरह के मामले में, मैं नहीं समझता कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता की आवश्यकता को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखा जाए।" (व्यवधान)।

आप तकरीबन बारह आनरेबल मैम्बर बोले हैं। इस तरह से कोई नहीं बोला। मैं अकेला ही बात कर रहा हूं। अब अकेले की बात सुनने में भी घबराहट क्यों होती है (इंटरप्शेंज) मंडल जी आप घबराएं नहीं। आपको बिल्कुल चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

मेरे आपके साथ दो रिश्ते हैं—एक तो यू बिलांग टू बैकवर्ड क्लास, दूसरा यह कि आप होम मिनिस्ट्री में मिनिस्टर आफ स्टेट रहे मकवाना जी की तरह, लेकिन खुदा की कुदरत कि हम मिनिस्टर हो गए।

श्री मधु दण्डवते : खुदा की नहीं प्राइम मिनिस्टर की।

श्री जैलसिंह : तीसरे मैं यह भी समझता हूं कि आप बड़ी गलत जगह पर फंसे हुए हैं, मुझे इस बात की भी हमदर्दी है।

आज जब हमारे श्री बनातवाला जी ने शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि बनातवाला जी जब बोल रहे थे तो यह अपनी खुदकुशी कर रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। कल की तकरीर में उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि लोग बहशयाना हो गए हैं, बेगुनाहों को मार दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। हमारी माइनौरिटी के बारे में उन्होंने और क्या नहीं कहा। जब हम यत्न करने लगे हैं कि आप की रक्षा हो जाए, आपका प्रोटैक्शश हो जाए, देश की सलामती रहे, तो आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं। खैर, मेरा ख्याल है कि बिल की जब आखिरी रीडिंग होगी तो बनातवाला जी अकेले बैठकर हमारे साथ हो जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने और एक हमारे चित बसु, ने हवाला दिया कि ऐसा बिल अमरीका में नहीं, इग्लैंड में नही, माननीय सदस्य श्री नीरेन घोष ने कहा।

श्री जैलसिंह : किसी ने कहा हो, लेकिन उनका नाम प्रोग्रेसिव और फारवर्ड ग्रुपों में गिना जाता है यानी जो कम्युनिस्ट माइन्डेड हो या कम्युनिस्ट हो। उन्होंने किसी भी सोशलिस्ट मुल्क का नाम नहीं लिया कि वहां ऐसा बिल नहीं है। दुनियां में बहुत से मुल्क हैं।

अब आपको यहां बैठकर यह बातें करनी अच्छी लगती हैं, मुंह में, राम बगल में छुरी। आप हमको तो उपदेश देते हो कि हिन्दुस्तान में समाजवाद आना चाहिए, फिर ठेकेदारी को खत्म करना है। जो गद्दारों का खून है, सरमायेदारों का खून है, कभी पवित्र नहीं हो सकता है पवित्र नहीं हो सकता, इनको वोट का हक भी नही होना चाहिए (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सारे गरीब लोगों को गिरफ्तार किया गया था। (व्यवधान)।

डिप्टी स्वीकर साहब, अगर आपके पास वक्त है तो इनको और दे दो, लेकिन इनको कहो कि सब से सुनें। अगर मैं गलत बात कहूंगा, वह मैं वापस ले लूंगा।

एक माननीय सदस्य : यह वापस लीजिए।

श्री जैल सिंह : क्योंकि हमारा इरादा गलत बात कहने का नहीं, मैं तो यही समझता हूं। कल श्री जेठमलानी जी ने अपनी तकरीर में कहा था—

"एक पिता, एक उसके हम बारिक,
तू मेरा गुरहारि।"

उनको एक शब्द और भी याद होगा भक्त कबीर का—

"सन्ता मानो दूतां जानों, यह मेरी कोतवारी।"

यह मेरी कोतवारी जो है, इसका महत्व है कि अमन, शान्ति, शरीफ सन्त महापुरुषों की पूजा करना और बदमाशों को सजा देना।

अब जब तक एक एक थाने में ऐसी शक्ति उनको नहीं दूंगा कि वह शरीफ आदमी की इज्जत बचा सकें, अमन-पसन्द शहरियों को प्रोटेक्शन दे सकें, माइनौरिटी को बचा सकें हरिजनों और बीकर सैक्शन को बचा सकें और बदमाशो व गुंडों को दबा सकें तब तक निशाना पूरा नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : श्री ए.के. राय को क्यों पकड़ा।

प्रो० मधु दण्डवते : जयप्रकाश नारायण को सीमा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

श्री जैलसिंह : माननीय सदस्य मीसा की बात करते हैं। थोड़े दिन हुए कि किसी मैम्बर ने मुझे कहा था कि आपको याद रखना चाहिए कि आप सरदार पटेल की कुर्सी पर बैठे हैं। मैंने याद रखा है कि पहली बार सरदार पटेल ने ही यह बिल यहां पर पेश किया। जब इस बिल पर विचार होगा, तो मैं बताऊंगा कि सरदार पटेल ने क्या कहा था, डा० श्यामप्रसाद मुकर्जी ने क्या कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था और आपोजीशन ने क्या कहा था। (व्यवधान)। मैं अपने आपको सरदार पटेल के साथ कम्पेयर नहीं करता हूं। लेकिन हर समझदार आदमी का फर्ज है कि उसके पास जो भी ड्यूटी हो, उसको वह पूरा करे। अगर वह चपरासी बने, तो वह चपरासी बनकर दिखाए और अगर मिनिस्टर बने, तो मिनिस्टर बनकर दिखाए —उसके पास जो भी पोर्टफोलियो हो, वह उसके काम को निहायत अच्छी तरह से करे। माननीय सदस्य एवं औपोजीशन ग्रुप के लीडर हैं। वह हमें कई बातें दिल से नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहना पड़ता है।

श्री ज्योतिर्मयबसु ने एक कागज लहराया और कहा कि यह शाह कमीशन की रिपोर्ट है। एक दूसरे मैम्बर ने कहा, कि इस बिल को लाने से इस सरकार का पतन हो जायेगा। (व्यवधान)। फिर तो इन लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि वे तो हमारा पतन चाहते ही है। (व्यवधान)।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने शाह कमीशन की बात कही। सब जानते हैं कि शाह कमीशन क्या था और किस वक्त बनाया गया था। उसकी प्रोसीडिंग्ज लाउडस्पीकर पर सुनाई जाती थीं। उस वक्त क्या नहीं दिया गया? लेकिन माननीय सदस्य ने साथ ही कह दिया कि यह कानून एक व्यक्ति और एक परिवार को ताकत देने के लिए बनाया जा रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य इस तरह से क्यों उठते हैं? क्या सीटों पर कांटे लगे हुए हैं? एक शाह कमीशन नहीं, उस जैसे कई और कमीशन भी बने। हमें उन कमीशनों के सामने ले जाया गया। हमारी गिरफ्तारियां भी की गई। लेकिन वह कमजोर सरकार थी, वह जेल में रख नहीं सकी। वह सरकार भी यह बिल लाना चाहती थी। पेश होने के बाद भी पास नहीं करवा सकी क्योंकि उसकी पार्टी में ताकत नहीं थी, कोपरेशन नहीं था। लेकिन यह वक्त की जरूरत है। मैं आप से कहना चाहता हूं, यह काला बिल नहीं है। यह अत्यन्त स्पष्ट विधेयक है। यह बिल देश की तरक्की के रास्ते खोलने वाला है। यह बिल हिन्दुस्तान की आजादी की रखवाली करने वाला है। यह बिल हिन्दुस्तान की एकता की गारंटी है।...(व्यवधान) ... ये लोग बैठे-बैठे बोले जा रहे है। इसी वक्त एक्सरसाइज हो जायेगी। आप जीतते हैं या हारते हैं पता चल जायेगा। यह बिल इस देश की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए और लोगों को इन्साफ दिलाने के लिए हम लाए हैं। अगर यह बिल आज नहीं लाते तो आने वाला जमाना हमें कमजोर भी कहेगा और बेसमझ भी कहेगा क्योंकि मैं जानता हूं, इतिहास बताएगा कि इस बिल का आना क्यों जरूरी था। जो आज मूल्य में हालात हैं, जिस तरफ मुल्क जा रहा है, जिस तरह बदमाश, गुंडे और मिसक्रिएंट एलीमेंट्स इस देश की एफिश्येंसी को हर जगह तोड़ना चाहते हैं, हर जगह जाति-पांत का झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, देश से अलग होने के नारे लगते हैं, इन सारी बातों को रोकने के लिए यह बिल निहायत जरूरी है।

मैं समझता हूं कि ज्योतिर्मय बसु को तो विरोध करना ही था। वह कर लेते, लेकिन इस बात का प्रमाण शाह कमीशन से दिया, जिस शाह कमीशन की धज्जियां उड़ गई हैं, उनकी रिपोर्ट को हिन्दुस्तान की जनता ने गन्दे नाले में फेंक दिया है। आप कहते हैं एक व्यक्ति... (व्यवधान) ..रामावतार जी, नाम कैसा है, अवतार भी है और राम भी है और मुझे मालूम है कि आपने कुर्बानी भी की है, तो सब कहां चला गया? आप प्रेम से सुनिए। एक व्यक्ति, एक परिवार का जिक्र करते हैं। मैं कहता हूं कि आप के बस की क्या बात रह गई? एक व्यक्ति को हिन्दुस्तान के लोगों ने ताकत दी है, आप नहीं छीन सकते। यह ताकत उनके हाथ में जनता ने दी है और अब यह बिल भी पहले आर्डिनेंस की शक्ल में लागू होने के बाद इंदिरा गांधीजी के उम्मीदवार तीन मुख्य मंत्री हमारे एलेक्शन लड़े हैं और मुखालिफों की जमानत जब्त करा कर

आए हैं जब कि सब ने मिलकर एक-एक कैंडीडेट खड़े किए थे। कोई यह तो कह सकता है कि उसने उसकी मदद न की हो लेकिन हमारे कैंडीडेट की किसी अपोजीशन ने मदद नहीं की। उसके बावजूद तमाम पार्टियों ने एक कैंडीडेट खड़ा कर के आजमा करके देख लिया, हम जीत करके आए हैं और यह आर्डिनेंस उस वक्त लागू था। आप कहते हैं जनता हमारे खिलाफ है ·· (व्यवधान)।

श्री निरेन घोष (दमदम) : इस पर जनमत संग्रह कराइये। इस सम्बन्ध में जनमत संग्रह होना चाहिए और उसके परिणाम देखने चाहिए। हम एक खुली चुनौती दे रहे हैं।

श्री जैल सिंह : आप सदन में बैठने वाली पार्टियों के नेता हैं, आप को क्यों घबड़ाहट होती है। मैं जानता हूं मेरी बातों से आपको कंविस नहीं होना है और आपकी बातों से हम नहीं कंविस होने वाले हैं। वह तो एक मन बनाकर बैठे हैं। बातें सुनानी हैं, सुना लेंगे, हम सुन लगे। लेकिन इस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सुनाइए। जितने-जितने परसेंटेज के साथ आप यहां बैठे हैं, उतने-उतने परसेंटेज आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं।

हमारे आनरेबल मेम्बर दंडवते जी ने कहा कि मीसा का उपयोग क्यों किया जायेगा, कैसे किया जायेगा, हम सरकार के इरादों को जानते हैं, पहले भी हमारे साथ वायदा किया गया था लेकिन फिर मीसा में हमको जेल में जाना पड़ा, यह बिल पोलिटिकल पार्टीज के खिलाफ आ रहा है, सरकार के गन्दे इरादे को हम जानते हैं —यहां तक वे कह गए। खैर, यह उनकी मर्जी है, मेरा खयाल था प्रोफेसर कहेंगे सब कुछ लेकिन मीठी बात कहेंगे। खैर, मैं सस्ती से कोई जवाब देना नहीं चाहता। दंडवते जी और दूसरे दोस्तों को डर है कि इस बिल के मातहत उनको जेल में भेज दिया जायेगा लेकिन हम यह गलती नहीं करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : पिछले गृह मंत्री का मैं विश्वास नहीं करता हूं। वर्तमान गृह मंत्री का भी मुझे विश्वास नहीं कि वे हमें जेल नहीं भेजेंगे।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, दंडवते जी मेरा आदर कर सकते हैं, मैं उनका आदर कर सकता हूं लेकिन मैं उनके रहमो करम से होम मिनिस्टर नहीं हूं। (व्यवधान) मैंने यह इसलिए कहा कि हमने पिछली बार जेलों में रखकर आप लोगों की बहुत खिदमत की, बहुत मुद्दत तक खिदमत करनी पड़ी और उस खिदमत मे, जो जेलों में बैठे थे वे जनता को प्यारे हो गए और हम कुछ पीछे हट गए इसलिए हम वह गलती क्यों करेंगे ? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि पोलिटिकल पार्टी का कोई मेम्बर है तो उसको लाइसेन्स मिल गया कि लूट भी ले और एडल्ट्रेशन भी कर ले—यह नहीं होगा। यह जब बात आ जाए तो फिर जरा बचकर रहना। (व्यवधान)।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जो कुछ आप कह रहे हैं, यदि उसके प्रति आप गंभीर हैं कि आप कालेबाजारियों तथा ऐसे ही लोगों के खिलाफ लड़ाई करेंगे तो आपको अपने दल के उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जो उस समय निर्धारित किए जाएं।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे रामावतार जी का भाषण सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य हुआ। रामावतार जी इतना गुस्से से और इतना जोर से बोलते रहे जिसकी उनको कतई जरूरत नहीं थी। खैर बिल को इन्ट्रोड्यूस करने के लिए तो कहना ही है और आपसे भी यह जरूर कहना है कि आपको जो कुछ कहना था वह कह लिया, अब अपने मन में गुस्सा न रखें। जो होना है वह हो जायेगा, रुकेगा नहीं। (व्यवधान)।

मि० घोष ने कहा कि यह बिल सेना द्वारा प्रशासन लाने के लिए बनाया जा रहा है। अगर सेना का प्रशासन ही करना है तो फिर हम यह बिल क्यों लायें ? एक तरफ तो आप डरते हैं कि हमको जेल में डाल देंगे। आपको जेल में डाल देंगे तो फिर हमसे राज कौन छीनेगा। हम नहीं डालते, लेकिन यह दलील कुछ बनती नहीं है।

दूसरे, मुझे यह अफसोस हुआ कि उन्होंने, एक एम्बैसडर ने जो रिपोर्ट दी है, उसके हक में बात कही। देश के लिए, वतन के लिए पार्टी कुर्बान की जा सकती है लेकिन आपको तो पार्टी भी कुर्बान नहीं करनी थी फिर भी आपने उन विदेशियों की, जो हिन्दुस्तान का मुंह काला करना चाहते थे, उनकी हिमायत कर दी।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बडागरा) : महोदय, वह एक राजनायिक के खिलाफ महत्वपूर्ण छलभरा वक्तव्य दे रहे हैं। मुझे आशा है, यह सरकार का रुख है (व्यवधान)।

श्री उन्नी कृष्णन और श्री चन्द्रजीत यादव जी मेरे दोनों बड़े प्यारे मित्र हैं और यह नौजवान लड़का बड़ा होशियार है, दिलेरी से काम करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन आपका घनिष्ठ मित्र नहीं है। कृपया यह बताइए।

श्री जैल सिंह : सभी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं।

लेकिन कुछ दोस्ती में फर्क होता है। कुछ दोस्ती ऐसी होती है :

तसव्वर में उनसे मुलाकात हो गई,

नजर को खबर तक न हुई और बात हो गई,

और कुछ दोस्ती ऐसी होती है :

नजर ही नजर में बात हो गई,

रहे दोनों खामोश और बात हो गई,

यह दोस्ती-दोस्ती में फर्क होता है। श्री ज्योतिर्मय बसु से दोस्ती है, श्री मधु दण्डवते से दोस्ती है, लेकिन हमने काम इकट्ठे नहीं किया है। इनके साथ हमने काम किया है। इकट्ठे रहे और इमरजेंसी के जमाने में भी हम इकट्ठे रहे। जब इन लोगों ने एतराज किया कि हमको जेल

में रखा, उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर था और श्री चन्द्रजीत यादव जी आप यहां मिनिस्टर थे और हम इकट्ठे रहे। श्री उन्नीकृष्णन और श्री चन्द्रजीत यादव जी दो पार्टियों में बैठे हैं, बैठे, काम करें, हमको खुशी होगी"।

एक माननीय सदस्य ; इधर आने के लिए कहें।

श्री जैल सिंह : इधर आने के लिए नहीं कहेंगे, यह पार्लियामेंट का कायदा नहीं है। हमको यह नहीं कहना चाहिए, यह तो भोला पासवान ही कह सकता है। कि उधर आ जाओ, हम नहीं कह सकते हैं। जो कोई जाने के लिए तैयार नही है, आवाजें मारने से थोड़े ही आता है। अब आयेगा तो कोशिश होगी, मोहब्बत होगी तो खुद आयेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं···

श्री राम विलास पासवान : मेरा नाम भोला पासवान नहीं।

श्री जैल सिंह : मैं तो एक पासवान वहां देखता हूं और एक पासवान यहां देखता हूं, इसलिए आपका पहला नाम क्या है, वह याद नहीं रहता। एक काली दाढ़ी वाला पासवान है, एक बग्गी दाढ़ी वाला पासवान है। पासवान जी अब मैं इन मित्रों के लिए कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, दुनिया में 95 परसेन्ट वर्किंग क्लास है और पांच परसेन्ट सरमाएदार हैं, निठल्ले है, वे खाली हैं, डैमोक्रेसी को एक्सप्लायट करके राज करते रहते हैं। गरीब आदमियों को इकट्ठा नहीं होने देते हैं। पासवान जैसे आदमी का वह स्थान नहीं है। मैं आवाज नहीं मारता हूं, बुलाता नहीं हूं। एक चीज याद रखिए, मेरी एक बात नोट कर लें ;

हर चीज नहीं मरकज पर एक रोज इधर एक रोज उधर।

दुश्मन को न देख नफरत से, शायद वह मोहब्बत कर बैठे॥

आप तो एक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं हैं। मेरे मन में आपके लिए कुछ नहीं हैं। मगर सिर्फ मुझे इतना ही कहना है, श्री उन्नीकृष्णन और श्री यादव जी से कि हमने कोई नयी बात नहीं की, सिर्फ इसका नाम ही नया है, बाकी तकरीबन वहीं चीजें हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह अत्यन्त स्पष्ट स्वीकारोक्ति है।

श्री जैल सिंह : कन्फैशन, आप क्या समझते हैं, हमने कोई गुनाह किया है ? कोई गुनाह नहीं किया है। जो कुछ किया दुरुस्त किया, मुल्क के हित के लिए किया है।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : यह अच्छा है कि आपने यह बात कही है।

श्री जैल सिंह : आपको बहादुरी दिखानी चाहिए। वतन की इज्जत वतन की एकता और वतन की स्वतंत्रता जब गुण्डों के कारण खतरे में पड़ जाए, गरीब लोग अपनी जान व माल की फिक्र करते हुए, तरसते हुए घूमते फिरें—ऐसे वक्त में मजबूती के साथ संभालना हिम्मत की बात

होती है। मैं यह कहना चाहता हूं-आज टेम्पोरेरिली सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए भले ही आप इसकी मुखालिफत करें लेकिन दिल से आप भी इसकी जरूरत को महसूस करते हैं। आज वे लोग ही इसको बुरा कहेंगे जो प्रैक्टिकली कभी भी स्वीपर से जा कर नहीं मिले, झोंपड़ी वाले से जा कर नहीं मिले, उससे नहीं मिले जो मशीन चलाता है, कारखाना चलाता है जिसके कपड़े काले हो गये हैं, जो मजदूर से, खेतों में काम करने वाले से, क्लर्क से, स्टूडेन्ट्स से, गरीब आदमियों से नहीं मिले। आपने उनकी आवाज को नहीं सुना है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं- आपके पास खामोश लोगों की बातों को सुनने के लिए भी कान होने चाहिए। मैं उन खामोश लोगों की बातें सुनकर यह कह रहा हूं कि यह बिल हिन्दुस्तान की जनता की आवाज है और उन के कहने पर ही यहां आ रहा है।

अब कॉन्स्टीचूशनली, आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, आपकी तसल्ली कैसे हो ? रामावतार जी आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि यह बिल "इन्दिरा सुरक्षा" बिल है। अगर आपकी यह बात मान भी लूं तो भी यह बात है कि यह बिल इण्डिया का रखवाला बिल है, क्योंकि इण्डिया ने इंदिरा को चुना है, आपको क्यों नहीं चुन दिया ? क्या किसी ने कोई कसर उनके खिलाफ छोड़ी थी ? ट्रेडीशनल कांग्रेस भी हमारे खिलाफ थी, फिर भी जनता हमारे साथ रही। रामावतार जी मेम्बरों को याद दिलाते हैं- आगे-आगे देखिए, होता है क्या। आप ठीक ही कहते हैं— अब आप सब भाईयों को बतलाइए कि आगे-आगे क्या होता है ...।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह तो आपके दल वालों के लिए कहा था।

श्री जैलसिंह मेरे एक दोस्त ने हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा—होम मिस्टर साहब, यह काला बिल आपको पेश नहीं करना चाहिए था। अब पेश कर ही दिया है, तो वापस ले लेना चाहिये। मैं उस हमदर्दी का मशकूर हूं लेकिन आज उनको कहता हूं कि यह बिल एक दिन हिस्ट्री का हिस्सा बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा और आज इस बिल की जिन लोगों ने मुखालिफत की है, उनको शर्मिन्दगी उठानी पड़ेगी ... (व्यवधान) .।

अब इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आनरेबिल दोस्तों ने, जो बातें कहनी थीं, वे कह ली हैं और मैंने भी अपनी बातें आपके सामने रख दी हैं। मैं आशा करता हूं कि अब वे अपने विरोध को वापस ले लेंगे और इस बिल के इन्ट्रोडयूस होने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं कह रहा हूं कि इस विधेयक का पहले ही दुरुपयोग किया गया है। हमें इस बात की पूरी आशंका है कि इस अधिनियम का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाएगा। हमने माननीय गृह मन्त्री महोदय से इसे वापस लेने का अनुरोध किया है। यदि वह इसे वापस नहीं लेते हैं तो हम अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात श्री चन्द्रजीत यादव तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गये ।

श्री समर मुखर्जी (हावडा) : हमें जेल भेजा गया था । डेढ़ साल से ज्यादा लोग जेलों में मीसा के अन्तर्गत रखे गये थे हमें बड़ा कटु अनुभव हुआ है । यही करण है, हम जानते हैं कि यह विधेयक क्यों लाया जा रहा है और किन के खिलाफ इसे लागू किया जाएगा । यह बिलकुल स्पष्ट है । दुनियां द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया में चलती है । यह विधेयक इतिहास की प्रक्रिया को तेज कर देगा । आप आपतकाल की तरह समूची जनता को अपने खिलाफ एकजुट होने में सहयोग दे रहे हैं । हम इसके विरोध में सदन से बहिगमन कर रहे हैं ।

(तत्पश्चात श्री समर मुखर्जी सदन से बाहर चले गये) (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिए । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों को कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । कृपया व्यवस्था बनाए रखें ।

अब प्रश्न यह है ।

"कि कुछ मामलों में निवारक निरोध का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जैलसिंह मैं विधेयक पुरःस्थपित करता हूं ।

— ——

अध्यादेश के बारे में विवरण

श्री जैलसिंह : महोदय, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये सख्या एल० टी० 1502/80)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला में दूरसंचार सुविधाएं

*श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम (तिरुनेलवेली) : मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लो कमहत्व का निम्नलिखित मामला उठाता हूं ।

तूतीकोरम बन्दरगाह को एक प्रमुख बन्दरगाह के रूप में घोषित किए जाने के बाद, तिरुनेलवली जिले में औद्योगिक विकास अप्रत्याशित गति से हो रहा है । शीघ्र ही, तिरुनेलवली जिले में एक हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा । तूतीकोरन में एक शिपयार्ड स्थापित करने का वायदा किया जा रहा है तो भी, बड़े अफसोस की बात है कि तिरुनेलवली जिले में संचार सुविधाओं की अत्यंत कमी है । तिरुनेलवली जिले के राष्ट्रीय ट्रंक-जालतंत्र से नहीं जोड़ा गया है । तिरुनेलवली और पलायमकोट्टी में हस्तचालित एक्सचेंज कार्य कर रहा है । वहां 2500 टेलीफोन प्रयोक्ता हैं । एस० टी० डी० वहां नहीं है । इस एक्सचेंज के लिए टेलीफोन विभाग द्वारा एक बड़ा भवन पूरा किया गया है । टेलीफोन साजो-सामान के अभाव में यह भवन पिछले दस वर्षों से प्राय: खाली पड़ा हुआ है । आवश्यक मशीनरी इस भवन में स्थापित की जानी चाहिए । तूतीकोरन तिरुनेलवली जिले का औद्योगिक केंद्र है । तूतीकोरन के लिए और ज्यादा एम० टी० डी० सुविधाएं दी जानी चाहिए । शंकरनगर में एक बड़ा सीमेंट कारखाना है । वहां पर चारों ओर अनेक आधुनिक चावल मिलें, स्पिनिंग मिलें, एवं रसायन कारखाने हैं ।

[श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए ।]

जब तिरुनेलवली एक्सचेंज स्वचालित एक्सचेंज हो जाए तो तब शंकरनगर के छोटे टेलीफोन केन्द्र को तिरुनेलवली टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ दिया जाना चाहिए । मैं मुक्कोडल में रह रहा हूं जहां छोटा टेलीफोन एक्सचेंज है । यह तिरुनेलवली से 15 किलोमीटर दूर है । यदि मुक्कोडल टेलीफोन एक्सचेंज को तिरुनेलवली के स्वचालित एक्सचेंज से जोड़ दिया जाता है तो मैं तिरुनेलवली और अन्य राज्य एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ जनता के हितों के बारे में और ज्यादा बेहतर ढंग से विचार करने की स्थिति में होऊंगा । इस समय हमें तिरुनेलवली से डाक्टर से तत्काल सम्पर्क स्थापित करने के लिए भी ट्रंक काल के मिलने में सुबह 8 बजे से शाम तीन बजे तक इन्तजार करना पड़ता है । अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के हित में मैं इस विषय में तुरन्त कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं ।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

(दो) राजस्थान में डाक तार सेवाएं

श्री नवलकिशोर शर्मा (दौसा) : पिछले कुछ दिनों से डाक तार विभाग में व्याप्त अव्यवस्था चरम सीमा तक पहुंच गई है। तारे एवं चिट्ठियां लोगों को समय पर मिल जाएंगी, इसकी कोई गारन्टी नहीं रही है। टेलीफोन और टेलीप्रिंटर सेवाएं भी अस्त-व्यस्त हो रही हैं और आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रंक काल के लिए घण्टों इन्तजार करने के बाद मिलना आम बात है। समाचार पत्रों के टेलीप्रिंटर लाइनें आमतौर पर बन्द पड़ी रहती हैं। टेलीफोन सेवाओं की हालत भी खस्ता है-टेलीफोन आमतौर 'डेड' रहते हैं अथवा गलत लाइन पर मिलते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज के अधिकांश टेलीफोनों से संतोषजनक उत्तर न मिलने के कारण टेलीफोन सुविधा की जगह सर दर्द बनकर रह गया है। तार देने वाले व पाने वालों की स्थिति भी काफी खराब है-आम तौर पर तार काफी विलंब से मिलते हैं। यहां तक कि श्रीराम हाकी प्रतियोगिता में गए कई खेल संवाददाताओं के तार भी समय पर नहीं पहुंच सके कुछ तारे तो 24 घंटे बाद पहुंचे और कुछ तारें तो पहुंची ही नहीं।

इस सारी स्थिति का कारण अधिकारियों की लापरवाही-कर्मचारियों में कार्यकुशलता की कमी के अलावा-अधिकारियों द्वारा ओवर टाइम कम करने की आड़ में ओवर टाइम बन्द करना व लम्बे अर्से तक कार्य के अनुपात में कर्मचारियों की भर्ती न करना आदि मुख्य कारण है। इनका अविलंब निराकरण किया जाना चाहिए ताकि डाक तार-टेलीफोन सेवाएं सुचारू रूप से कार्य करें और आम आदमी को हो रही परेशानी न उठानी पड़े।

मैं संचार मंत्री महोदय का ध्यान डाक तार टेलीफोन सेवाओं में खासतौर पर राजस्थान की सेवाओं में निरन्तर गिरावट की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे इस संबन्ध में एक वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

(तीन) आकाशवाणी और दूरदर्शन का कार्यकरण

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आकाशवाणी तथा दूरदर्शन जन संचार के बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय माध्यम हैं। उन्हें ऐसे तरीके से काम करना चाहिए कि लोगों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और विषयों की जानकारी तथा शिक्षा मिले। इसके अतिरिक्त उन्हें लोगों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देने में भी सहायता करनी चाहिए। यद्यपि वे सरकार के नियंत्रण में काम कर रहे हैं फिर भी उन्हें लोगों को जानकारी तथा संदेश देने में रचनात्मक और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, चाहे यह जानकारी अथवा सन्देश सरकार से, विपक्ष से या समाज के अन्य किसी वर्ग से सम्बद्ध हो।

मैं आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यचालन को कुछ समय से देखता आ रहा हूं और मैंने देखा है कि लोकमहत्व के विषयों पर संसद में तथा संसद से बाहर विपक्ष के दृष्टिकोण को समाचार बलेटिनों एवं "संसद समीक्षा" में बड़ी खूबी से विकृत रूप से तथा तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है। विपक्ष के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, विशेषाधिकार प्रस्तावों स्थगन प्रस्तावों तथा संसदीय वाद-विवाद के माध्यम से व्यक्त किये गये विचारों को या तो बिल्कुल भी पेश नहीं किया जाता है और यदि पेश किया जाता है तो सरसरी तौर पर ही पेश किया जाता है। मंत्रालय वस्तुतः सत्ताधारी दल के ही दृष्टिकोण का प्रचार करता है। मैं इन माध्यमों से सरकार की नीतियों तथा उपलब्धियों का प्रचार करने के सरकार के अधिकार को चुनौती नहीं देता हूं किन्तु संसदीय लोकतंत्र में यह स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है कि विपक्ष के दृष्टिकोण को पेश न किया जाये अथवा तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाये।

मैंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में यह भी देखा है कि वे मुरादाबाद और देश के अन्य भागों में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को किस प्रकार से पेश करते रहे हैं। इस प्रकार से पेश करने से सौहार्दपूर्ण वातावरण तथा साम्प्रदायिक एकता बनाने में सहायता नहीं मिलती है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को केवल सत्ताधारी दल के प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। यह एक गम्भीर प्रवृत्ति है जिसमें तुरन्त सुधार किया जाना चाहिए। आपके माध्यम से सभा का तथा सरकार का ध्यान तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए आकर्षित कर रहा हूं।

सभापति महोदय : श्री जनार्दन पुजारी-अनुपस्थित। श्री सत्यगोपाल मिश्र।

(चार) पश्चिम बंगाल में लच्छी के धागे की कमी

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : पश्चिम बंगाल में हजारों बुनकर अट्टी-सूत की कमी के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इसी कारण इस राज्य का हथकरघा उद्योग भी बड़े संकट में है।

वास्तव में पश्चिम बंगाल अट्टी-सूत के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर नहीं है। राज्य की प्रति माह अट्टी-सूत की कुल आवश्यकता 15,000 गांठ है। इसमें से 2,500 गांठों की हथकरघा एपेक्स-सहकारी समिति जैसी सरकारी एजेन्सियों की आवश्यकता है, तथा नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के लिए 800 गांठों की आवश्यकता है। किन्तु प्रति माह केवल 300 गांठें ही स्थानीय रूप से उपलब्ध होती हैं सूत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार तथा देश के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र पर निर्भर करना पड़ता है। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने अट्टी-सूत की एक वितरण पद्धति बनाई है। किन्तु इस वितरण पद्धति से पश्चिम बंगाल को लाभ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु उद्योगों के माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय वाणिज्य मंत्री को एक पत्र लिखा है किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अट्टी-सूत के उपलब्ध न होने से बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है।

(क) निहितस्वार्थ वाले व्यक्ति इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। और अट्टी-सूत की कीमतें बढ़ रही हैं।

(ख) गरीब बुनकर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं।

(ग) इस समस्या के कारण राज्य में नियंत्रित कपड़े के उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है।

इन परिस्थितियों में उन लोगों को जो गरीब हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। नियंत्रित कपड़े के उत्पादन की कमी के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। स्थिति इतनी गम्भीर है कि यदि केन्द्रीय सरकार उचित दर पर अट्टी-सूत की सप्लाई करने का प्रबन्ध कर उनकी रक्षा करने के लिए आगे नहीं आती है तो उन हजारों बुनकरों को जो हथकरघा उद्योग पर निर्भर करते हैं, स्पष्टतः भुखमरी का सामना करना पड़ेगा।

(पांच) केरल में और अधिक रेल लाइनों तथा एक रेल-डिब्बा कारखाने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, नई रेल लाइनों और उपक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा केरल की उपेक्षा किये जाने की भावना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी सभा में यह कहा गया है कि प्रति एक लाख आबादी पर रेल लाइनों का अखिल भारतीय औसत 11.1 किलोमीटर है जबकि केरल में केवल 4.8 किलोमीटर है। देश की कुल 65,000 किलोमीटर रेल लाइनों में से केरल में केवल 900 किलोमीटर रेल लाइनें हैं। केरल में कोई महत्वपूर्ण रेलवे प्रतिष्ठान नहीं है यहां तक कि कोई कार्यशाला भी नहीं है। केवल केरल ही ऐसा राज्य है जहां एक भी रेलवे उपक्रम नहीं है।

अब रेल मंत्रालय का एक रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए यहां प्रबन्धक, इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। केरल ऐसा राज्य है जहाँ देश में बेरोजगारी की विकट समस्या है। यदि केरल में प्रस्तावित कोच फैक्ट्री स्थापित की जाती है तो इसके कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध है, कुशल तथा अकुशल मजदूर और अन्य मूलभूत सुविधाएं तथा आवश्यक बुनियादी ढांचा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। केरल के मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में रेल मंत्री को लिखा है।

इन परिस्थितियों में मेरा रेल मंत्री से निवेदन है कि वह केरल के दावे पर सहृदयता से विचार करें और केरल में प्रस्तावित कोच फेक्ट्री की स्थापना के बारे में निर्णय लें।

(छः) कच्चे काजू के आयात में बिचोलियों को हटाना

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : मैं सरकार का ध्यान केरल के काजू के निजी क्षेत्र के उत्पादकों के एक प्रभावी वर्ग से समर्थित एक सशक्त लाबी के निरन्तर प्रयास की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनका उद्देश्य कच्चे काजुओं के आयात के माध्यम में परिवर्तन कराना है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर काजुओं का भारतीय काजू निगम के माध्यम से निर्यात 1970 में आरम्भ किया गया था। इस व्यवस्था से पूर्व देश में भारी प्रतियोगिता थी जिसका परिणाम यह हुआ कि कई एकक बरबाद हो गये और हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गये। इस तीव्र प्रतियोगिता से इस उद्योग को बचाने के लिये कच्चे काजू का समान आधार पर आयात और वितरण की व्यवस्था आरम्भ की गई। प्रत्येक फैक्ट्री को उसमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या के आधार पर आयातित कच्चे काजुओं का वितरण किया गया। भारतीय काजू निगम द्वारा कच्चे काजू के नियतन की पात्रता के लिए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य सांविधिक लाभ देने की पूर्व शर्तें भी थीं। इन संरक्षणों का उद्देश्य इस उद्योग में स्थिरता सुनिश्चित करना था तथा मजदूरों के वैद्य हितों की रक्षा करना था। आयात के माध्यम में परिवर्तन करने से इन नियंत्रणों और विनियमों की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा इससे पुरानी विनाशकारी प्रतियोगिता फिर से पैदा हो जायेगी जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। केरल काजू विकास निगम ने जो देश में समस्त काजू परिष्करण उद्योग में सबसे बड़ा अकेला एकक है तथा जो 34 कारखानों का संचालन करता है जिसमें 36,000 मजदूर काम करते हैं। आयात माध्यम में परिवर्तन करने के प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया है।

यद्यपि सरकार की नीति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है तथापि हाल की कतिपय घटनाओं से काजू मजदूरों तथा लोगों के मन में काजू आयात करने की व्यवस्था के बारे में कुछ शंकाएं पैदा हुई हैं। चालू वर्ष में काजू विकास निगम द्वारा किये जाने वाले काजू आयात में भारी कमी तथा विशेष अनुमति आदि प्राप्त कर कतिपय निजी परिष्करण कर्त्ताओं द्वारा काजू का आयात करने में सफल होने से यह आशंका दृढ़ हो गई है। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि वे आयात की व्यवस्था में परिवर्तन करने की मांग को अस्वीकृत करें तथा इसकी बजाय कच्चे काजू के आयात में अधिकाधिक वृद्धि करने की दृष्टि से काजू निगम की गतिविधियों को दृढ़ करें और इसमें सुधार करें।

(सात) कुछ और जातियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करना

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं।

समूचे देश से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग बराबर यह मांग करते आ रहे हैं कि सेवाओं तथा अन्य आर्थिक और शैक्षिक रियायतों में आरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक उपबन्धों का सही रूप में कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। ऐसे भी अनेक दुर्भाग्यपुर्ण व्यक्ति हैं जो वास्तव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के सदस्य हैं, किन्तु उन्हें इस रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप वे इस प्रकार की रियायतों की मांग भी नहीं कर सकते हैं।

देश के अनेक भागों में 'धोबियों' को अनुसूचित जाति नहीं माना जाता, यद्यपि उनका भी गन्दगी वाला कार्य है। अंदमान के वाल्मीकी तथा केरल के चिरमारों को भी अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माना जाता है। अकेले आसाम के बागानों में काम करने वाले 40 लाख से अधिक अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी उनकी सूची में समिलित नहीं किया गया है। देश के अन्य भागों में भी यही स्थिति है।

इससे भी अधिक बात यह है कि यद्यपि कुछ जातियां प्रभावशाली और समृद्ध है, जिन्हें कभी भी सामाजिक कलंक अथवा घृणा का शिकार नहीं होना पड़ा और उन पर कभी अत्याचार नहीं हुआ, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचि में है और अनेक राज्यों में इन दलित जातियों के अधिकारों और रियायतों को हड़प रही हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचि में संशोधन करने के लिये संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति 1978 में बनाई गई थी। इस समिति ने अपना लगभग तीन चौथाई कार्य पूरा कर लिया था और इसे संसद के 1979 के शरदकालीन सत्र में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था परन्तु 1979 में संसद के भंग हो जाने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी।

उस समिति के भूतपूर्व सभापति होने के नाते मैं प्रति वाद के भय के बिना यह कह सकता हूं कि लगभग एक करोड़ वास्तविक अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के लोगों को इस सूची में सम्मिलित नही किया गया है। अतः मैं सदन तथा गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इन गरीब लोगों के साथ लम्बी अवधि से किये जा रहे अन्याय को समाप्त करने के लिये इन सूचियों में संशोधन करने के लिये एक नई संयुक्त समिति की स्थापना की जाये जिसे यह निदेश दिया जाये कि वह पहली समिति के निष्कर्षों से लाभ उठाये और अपना प्रतिवेदन 1981 में संसद के वर्षाकालीन सत्र के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तुत करदे।

(आठ) गोरखपुर स्थित भारतीय उर्वरक निगम की उर्वरक फेक्टरी का आधुनिकीकरण

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : सभापति महोदय, भारतीय उर्वरक निगम द्वारा स्थापित गोरखपुर में खाद के कारखाने के नवीनीकरण के सम्बन्ध में निम्न निवेदन है।

यह खाद का कारखाना गोरखपुर में काफी दिनों से बना हुआ है और कार्य कर रहा है। किन्तु इस समय जब कि देश में उर्वरक की अधिक आवश्यकता है, इस कारखाने की उत्पादन-क्षमता कम हो गई है और दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। मान्यवर, आपको विदित है कि यह कारखाना उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इस क्षेत्र के अनेक जिले पटेल आयोग के आधार पर पिछड़े हुए हैं, जिनका विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु उक्त कारखाने की वर्तमान स्थिति को देखने से प्रतीत हो रहा है कि यदि शीघ्र ही इसके नवीनीकारण के लिए कदम नहीं उठाया गया, तो पूर्वांचल का काफी नुकसान हो जायेगा। इसका कारण यह है कि यदि शीघ्र ही उप कारखाने का नवीनीकरण न किया गया, तो उसके लिए जो भूमि ली गई है और उस पर जो खर्च किया गया है, वह सब बेकार हो जायेगा। फलस्वरूप उत्पादन में बढ़ोत्तरी और बेकारी की समस्या जटिल हो जाएगी, जैसी कि सिन्दरी कारखाने की हालत हुई है। नया कारखाना लगाने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी की व्यवस्था नये तरीके से करनी पड़ती है। लेकिन यह कारखाना कार्य-रूप में है, केवल पुराने उपकरणों को ही ठीक करना है। इसलिए कम पूंजी में ही इसे नया रूप प्रदान किया जा सकता है।

अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अविलम्ब इसके नवीनीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 1980—जारी

सभापति महोदय : अब सभा 3 दिसम्बर, 1980 को श्री भीष्म नरायण सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

भारतीय साम्यवादी दल के श्री सूर्यनारायण सिंह अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और वह छः मिनट का समय ले चुके हैं। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : सभापति महोदय, पब्लिक प्रेमिसिस (एविक्शन आफ अनएथाराइज्ड आकुपेंट्स) एमैंडमैंट बिल के संबन्ध में चर्चा करते हुए कल मैंने कहा था कि सहकारी प्रतिष्ठानों में, जहां हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, क्वार्टरों का बहुत अभाव है। इसलिए बढ़े हुए मकान-भाड़े की वजह से उन लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना

पड़ता है । अगर नये क्वार्टर बनते हैं, तो होड़ लग जाती है कि किस तरह उन पर कब्जा किया जाये । जब हम सरकारी स्थान या मकान के खाली करने पर विचार करते हैं, तब इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में अनएथोराइज्ड आकुपेशन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है ।

मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योगों की ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा । इसके साथ ही वैकेशन की कार्यवाही रीजनेबल अपरचूनिटी दिये बगैर जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्थिति बिगड़ जाने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

एक माननीय सदस्य कल चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली और दिल्ली जैसे बड़े-बड़े शहरों में हजारों की संख्या में लोग फुटपाथ पर फल और सब्जी वगैरह बेचने के काम करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा स्थान तक नहीं किया गया है, जहां उन्हें बटोर कर कोई रोजगार चलाने की व्यवस्था हो । ऐसे लोगों को हटा कर फुटपाथ को साफ करवाने के बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं । लेकिन लाखों की संख्या में जो लोग भूख से अपनी जिन्दगी की हिफाजत करने के लिए और अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए कम पैसे से छोटा-मोटा रोजगार करते हैं, यदि उनका रोजगार छिन गया, तो उनकी क्या हालत होगी ? मेरा सुझाव है कि जो लोग सरकार की जमीन पर झुग्गी-झोपड़ी आदि बनाने के लिए मजबूर हो गये हैं, उनकी वहां से हटाने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सरकार को किसी बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े । इसी तरह फुटपाथ पर रोजगार करने वाले गरीब लोगों के रोजगार करने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही उन्हें वहां से हटाने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए ।

मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं, सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक और गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और शीघ्रातिशीघ्र ऐसे कदम उठायेगी, जिससे लाखों लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, कोई भी विधेयक या कानून बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई मंशा होती है, कोई उद्देश्य होता है । यह जो पब्लिक प्रेमिजेज एविक्शन आफ अनएथोराइज्ड आक्यूमेंट्स ऐक्ट 1971 में बनाया गया, जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया, बाद में देखा गया कि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है । उद्देश्य यह था कि सरकारी जमीनों के ऊपर जो अधिकृत रूप से लोग दखल और कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद वे वहां से हटते नहीं हैं और सरकार को उसमें काफी घाटा लगता है । इसलिये उन्हें हटाया जाये नोटिस जारी किया जाता है लेकिन बेदखली प्रक्रिया में काफी विलम्ब होता है । तब सरकार ने यह सोचा कि इसमें संशोधन करना आवश्यक है । इसी उद्देश्य से मंत्री महोदय ने इस विधेयक को उपस्थापित किया है और उसका मैं समर्थन करती हूं ।

मेरा यह कहना है कि सरकार की यह मंशा कभी नहीं रहती है कि गरीब लोगों को स्थान न मिले या उनके रहने की व्यवस्था न हो । सरकार के सामने बहुत सारी योजनायें हैं, बीस

सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी हाउसिंग का प्रोग्राम है. हडको है और चीजें हैं जिससे गरीब लोगों के निवास की व्यवस्था की जाती है, उनके बसने बसाने में हर तरह की मदद की जाती है। लेकिन लोगों की एक प्रवृत्ति हो जाती हैं लैंड ग्रैब करने की, लोग समझते हैं कि सरकार की जमीन है, माले मुफ्त, दिले बेरहम। पहले क्या होता है, आप ने भी देखा होगा और हम लोगों ने पटना में भी देखा है, स्टेशन के सामने अस्पतालों के सामने जो जमीनें ऐसी रहती हैं उसके ऊपर पहले वह यह कहते हैं कि थोड़ी सी दुकान खोलने के लिए दे दीजिए या रहने के लिए दे दीजिए। उसके बाद झुग्गी-झोपड़ी बन जाती है और कहते हैं कि गरीब हैं। उनके लिए व्यवस्था भी की जाती हैं लेकिन वे दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं, वहीं पर रहते है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उन गरीब लोगों का दादागीरी करने वालों के द्वारा कुछ एक्सप्लायटेशन भी होता है। कुछ लोग उसका पैसा उनसे वसूल करके अपना फायदा उठाते हैं। सरकार को उससे फायदा नहीं होता है।

यह जो विधेयक उपस्थापित हुआ था राज्य सभा में, उसके बाद से यह देखा गया कि यह ज्यादा कारगर नहीं हो सका। इसमें तीन बातें होती हैं। एक तो जहां तहां लोग जमीन दखल करते हैं, क्राइम बढ़ते हैं और अनप्लान्ड टाउन का ग्रोथ होता है जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। तीसरे, गरीब लोगों का एक्सप्लायटेशन होता है। इन तीन बातों को रोकने के लिए यह विधेयक बहुत माकूल है। यह सोचा गया कि छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको पास न करके एक काम्प्रीहेंसिव बिल इसका संशोधन करते हुए लाया जाय। जो सरकारी जमीन खाली रहती है उसमें सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए दूकानदारों को भी बसाया जाता है, गरीब लोगों को भी जमीन दी जाती है। इसको प्लांड ढंग से करने के लिए इस विधेयक का पास करना आवश्यक है। टाउन प्लानिंग में इससे सहायता मिलेगी और एक्सप्लायटेशन और क्राइम भी रोका जा सकेगा।

लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं मंत्री महोदय से कि जो जमीन सरकार एक्वायर करती है, बहुत दिनों तक उस जमीन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खाली जमीन पड़ी रहती है तो उसमें लोग इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। समाज में जो असामाजिक तत्व होते हैं वह जाकर उस पर बैठ जाते हैं। तो जो योजनाएं सरकार की हों उन योजनाओं को जमीन एक्वायर करने के बाद शीघ्र पूरा करना चाहिए।

हम जब किसी के सामने कोई एग्जाम्पल रखते है तो पहले हम को वह स्वयं करना चाहिए। जो भूतपूर्व बड़े-बड़े एग्जीक्यूटिव कौंसिलर हैं या एम पीज हैं, मिनिस्टर्स हैं वे लोग भी जो सरकारी मकानों में आ कर रह रहे हैं उनको भी मंत्री महोदय को या सरकार को देखना चाहिए। जब उनको उसमें रहने का हक नहीं है तो वह उसमें नहीं रहे। जब हम इस उदाहरण को पेश करेंगे तभी दुनिया के सामने इस चीज को रख सकेंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं इसलिए कि 1971 का जो ऐक्ट है उसको प्रभावकारी बनाने के लिए इसे लाना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधनकारी विधेयक एक सरल विधेयक दिखाई देता है और मेरा विचार है कि सही ढंग से सोचने वाला कोई भी व्यक्ति इस विधेयक की भावना का विरोध नहीं करेगा क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि सरकारी भूमि पर कोई अप्राधिकृत रूप से कब्जा करे। किन्तु मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि इस समस्या से सम्बन्धित अन्य समस्याएं भी हैं किन्तु वे समस्याएं क्या हैं ?

पहली समस्या यह है कि हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जिनका कोई घर-बार नहीं है। शहरों में भी हमें ऐसे अनेक बेघर और निस्सहाय लोग मिलेंगे। आप देखेंगे कि ठिठुरती रातों में भी अपने बच्चों को सीने से चिपकाये कैसे खुले मैदान में सोती हैं पश्चिम बंगाल में लाखों शरणार्थी ऐसे हैं जिनका घर-बार भी था और आय का साधन भी था परन्तु उन्हें अपना घर-बार छोड़कर वहां पर आश्रय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। आज भी ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने शहरों में या तो राज्य सरकार की अथवा केन्द्रीय सरकार की भूमि पर अवैध तथा अप्राधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है किन्तु आप इस समस्या को कैसे सुलझा रहे हैं ? यह एक मानवीय समस्या है क्योंकि यह हमारे देश के ही निवासियों की समस्या है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के अनुचित और अवैध कब्जे को रोका जाये परन्तु साथ ही सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि यह उनके लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था भी करें। कुछ ऐसे बेईमान लोग हो सकते हैं जो जनता की तकलीफो से अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य बता रहे थे, किन्तु वह तो इस गाथा का लेशमात्र ही है। वास्तविक कहानी तो यह है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे देशवासी जहां भी उन्हें कुछ खुला स्थान मिलता है, वहां पर छोटा सा-घर बनाने को बाध्य होते हैं और कष्टमय जीवन बिताते हैं। हमें उन पर दया करनी चाहिए और उनके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए।

संशोधन कारी विधेयक में संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली के कुछ उपबन्ध हैं इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि जिस व्यक्ति की बेदखली की जानी है उसे सुनवाई का भी कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है। यह हम अपने देशवासियों के साथ ऐसा करेंगे ? इस एकतरफा अधिकार प्रयोग ऐसे किया जा सकता है कि जिन व्यक्तियों के पास सिर छुपाने के लिए थोड़ा सा भी स्थान हो, उन्हें उससे बेदखल कर गलियो में छोड़दिया जाये और उनके अन्य समस्याएं उठ खड़ी हों। हमने यह देखा है कि आपात काल के दौरान किस प्रकार बिना सोचे समझे और यन्त्रवत तरीके से लोगों को अप्राधिकृत कब्जे से बेदखल करने के कारण एक राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो गई थी और देश के लाखों व्यक्तियों को अनेक कष्ट सहने पड़े थे जिसके लिए वर्तमान सरकार को भी यह कहना पड़ा था कि उससे गलती हुई थी और उन्हें अधिक सहनशीलता, अधिक सूझबूझ के साथ कार्य करना चाहिए था और उनका यह कर्तव्य था कि वह उनके लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करती।

मुझे इस उद्देश्य के प्रति आपकी निष्ठा में संदेह नहीं है किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अथवा कागजात से यह विश्वास हो जाये

कि इन व्यक्तियों को वास्तव में आश्रय की आवश्यकता है तो उन्हें हटाने से पहले उनके लिए आपको वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए और तभी उन्हें हटाया जाना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बसे लाखों शरणार्थियों की हालत की ओर खींचना चाहता हूं। राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपयों की मांग की है और कहा है कि वह उनके लिए आवास की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। मेरे निर्वाचन स्थान में अनेक शरणार्थी बस्तियां हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय वहां जाकर देखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 33 वर्ष पश्चात भी हमारे लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं। उनके पास कोई रहने का स्थान नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं और उनके सिर पर बेदखली की तलवार हर समय लटकी रहती है। उन्हें किसी दिन भी उनके स्थान से बेदखल किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि आप समस्या के इस पक्ष को देखें और आप पश्चिम बंगाल की सरकार की मांग को स्वीकार कर लें और शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए उनके लिए कुछ धनराशि की व्यवस्था करें और अनधिकृत बस्तियों को नियमित करें। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि ऋणों की व्यवस्था करें ताकि वे भी अपना कोई आश्रय बना सकें और इस देश में नागरिकों की तरह से रह सकें।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह एक भी ऐसे परिवार की बेदखली न करें जिसके पास आवास अथवा आश्रय की व्यवस्था नहीं है। इस समस्या का समाधान यान्त्रिक अथवा कानूनी रवैया अपनाने से नहीं किया जा सकता। उससे तो समस्याएं और भी उभरेंगी। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप मेरी इस मांग को स्वीकार कर लें और इस समूची समस्या पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरी बात को पूर्ण धैर्य के साथ सुना है। मैं जब अपनी बात कह रहा था तो वह हंस रहे थे और मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें अपनी बात समझाने में सफल हो सका हूं। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : क्या आप सभापति महोदय को भूल गए हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय आप तो हमेशा बात समझते हैं। आपका रवैया ठीक है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मैं लाखों लोगों की समस्या और उन्हें आश्रय देने के सम्बन्ध में श्री चक्रवर्ती द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं। महोदय, यदि हम इस अधिनियम के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि यह 1958 का 32वां अधिनियम था। इसे संवैधानिक उपबन्धों के विरुद्ध और पक्षपातपूर्ण घोषित किया गया था और इसे 1967 में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था।

महोदय, उसके पश्चात, 1971 में एक नया विधेयक संख्या 89 पुरःस्थापित किया गया था। उस समय के कार्यवाही-वृतान्त को देखने से पता चला कि आज जो विचार व्यक्त किए

गए हैं, उस समय भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए थे। उदाहरण के तौर पर, श्री वीरेन्द्र दत्त ने 1971 के विधेयक के खण्ड 4 में इन किराएदारों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली पर आपत्ति उठाई थी और उन्होंने उनके लिए वैकल्पिक आवास और आश्रय दिए जाने की जोरदार वकालत की थी। इसी प्रकार श्री डी.एन. तिवारी ने भी हमारे देश में आवास संबंधी कठिनाईयों के बारे में पूछा था। 1971 में इस कार्यवाही-वृतान्त में एक टिपण्णी भी की गई थी कि अनेक सरकारी अधिकारी भूतपूर्ण संसद सदस्य अभी तक रह रहे हैं।

महोदय, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़ने से कि इसके पैरा 2 से यह पता चलता है कि इन संगठनों को परिसरों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के सबध में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। अतः ऐसे संगठनों के व्यक्तियों को इनके क्षेत्राधिकार में लाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

क्या मैं मन्त्री महोदय, से पूछ सकता हूं कि वे कठिनाईयां क्या है ? इससे कितने लोग प्रभावित होगे ? ऐसा क्यो है ? यह विधेयक इस पर चुप है।

परन्तु महोदय, एक दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि यहां 6 से अधिक वर्गों का उल्लेख किया गया है जिनके पास बेदखली का अधिकार होगा। मैं संघ-शासित क्षेत्र दिल्ली और दिल्ली नगर निगम के सम्बन्ध में खण्ड 3 का उल्लेख कर रहा हूं। अन्य संघशासित क्षेत्रों का क्या होगा ? क्या वहाँ बेदखली की समस्या नहीं है ? मैं इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इनमें से कोई विधेयकों के प्रारूप में अनके त्रुटियाँ है। इस संदर्भ में आप कृपया इस विधेयक के पृष्ठ 9 पर दिए गए पैरा 4 को देखें। इसमें लिखा है "इस अवसर का लाभ उठाते हुए अधिनियम की धारा 18 में भी समुचित संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उपधारा (3) में नियम बनाये जाने के सूत्र ···के अनुरूप बनाया जा सके"। मैंने कई बार अपनी निजी राय दी है कि जिस नियम को भी प्रकाशित किया जाना हो उसे पहले इस सभा में प्रारूप रूप में लाया जाए ताकि सभा को नियमों के प्रारूप की छानबीन करने का अवसर मिल सके, क्योंकि कई बार इन नियमों से ऐसी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई निर्धन लोग गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं। मैं अपने भाषणों में यह बार-बार कहूंगा कि सभा में विधेयक प्रारूप की शक्ल में लाया जाए।

सभापति महोदय : परन्तु आपको किसी ने नहीं सुना है।

श्री जोवियर अराकल : अगले विधेयक में मैं इस बारे में कहूंगा। इस सम्बन्ध में आप अन्य संघशासित क्षेत्रों की समस्याओं का सामना कैसे करेंगे ? क्या सरकार ने इस मामले पर भी विचार किया है ?

मंत्री महोदय इस विधेयक के अंतर्गत बड़े पत्तन न्यास क्षेत्र को लाये हैं, इसके लिए मैं उन्हे बधाई देता हूं। उस अधिनियम की धारा 130 बहुत सीमित है। मेरा विचार यह है

कि राष्ट्र के सभी प्रमुख बन्दरगाह क्षेत्रों को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि पुलिस और प्रशासकीय शक्ति का उन क्षेत्रों पर सीधा नियन्त्रण हो सके। यह हमारे राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इन क्षेत्रों का प्रशासन और निरीक्षण केन्द्रित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इन प्रमुख बन्दरगाह क्षेत्रों की समस्याएं और भी गंभीर रुप धारण कर लेंगी। यह मेरा सुझाव है।

इन संशोधनों का अध्ययन करने से मुझे ऐसा कोई खण्ड नहीं मिला जो इन अधिकारियों से संबंधित हो जो इन अप्राधिकृत लोगों से सांठगांठ करके वहां ठहर जाते है। इनमें से कई अप्राधिकृत अधिभोगियों को प्रवेश की अनुमति कुछ अधिकारियों द्वारा दी जाती है। मैं अधिकारियों की श्रेणी पर नहीं जाता परन्तु उनमें से कई हैं। हमें उन्हे भी दण्डित करने के लिए उपबन्ध करना चाहिए। मुझे कानून का थोड़ा बहुत ज्ञान है। हमारे खण्ड का प्रारुप अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया है। वह खण्ड विधेयक के पृष्ठ 9, पैरा 3 (ख) पर है। "इसमें लिखा है" अप्राधिकृत अधिभोगी को हेतुक दर्शित करने के पश्चात् उसे वैयक्तिक सुनवाई की अवधि को घटाते हुए ..... । मैं अब पृष्ठ 4 पर खण्ड 5 ख (1) का उल्लेख करता हूं। इसमें यह उल्लेख है, "परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को विहित रीति से तामील की गई सूचना के माध्यम से यह कारण दर्शित करने का युक्ति युक्त अवसर न दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न परित किया जाए।" इस पर हमने सभा में विस्तार से चर्चा की है। इस आदेश से जो प्रभावित होंगे उन्हें उचित अवसर दिया जाना चाहिए। यदि इस खण्ड के अनुसार सूचना दी जाती है तो यह सूचना कैसे दी जाएगी और कब दी जाएगी। इस संबंध में विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। मान लीजिए एक अधिभोगी सात दिन के लिए बाहर गया है। इसमें 7 दिन निर्धारित किए गए हैं। वह आठ या दस दिनों के बाद वापस आता है। (एक माननीय सदस्य: वह बाहर है,) न केवल बाहर है बल्कि उसका घर भी गिरा दिया जाएगा इसमें कुछ भी नहीं हो सकेगा। हमें ऐसी स्थिति की कल्पना करनी चाहिए। शब्द चयन एक गम्भीर मामला है। यह नैसर्गिक कानून का और कानून के शासन का उल्लंघन करता है। धारा 18 तो थी ही और उसने दिवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इस पर यहां विस्तार से चर्चा हुई थी। मैंने सारी कार्यवाही का यह जानने के लिए अध्ययन किया कि क्या हम एक ऐसे व्यक्ति को अदालत में सुने जाने के अधिकार से वंचित नहीं कर रहे है जो गम्भीर से प्रभावित हुआ है। किसी की सम्पति उसके लिए जीवन की अन्य आवश्यक बस्तुओं के समान महत्वपूर्ण है। संविधान द्वारा पर्याप्त सुरक्षा दी गई है परन्तु ये शब्द उसे वापस ले लेते हैं। यद्यपि मैं इस प्रस्ताव, इस संशोधी विधेयक से सिद्धान्त रूप में सहमत हूं परन्तु मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दो हर उचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सदा के लिए कानुन बन जाएगा और लाखों लोगों शरणार्थियों और अन्य लोगों को प्रभावित करेगा। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। एक अप्राधिकृत अधिभोगी द्वारा हेतुक दर्शाने के बाद वैयाक्तिक सुनवाई न करना एक गम्भीर मामला है। लाखों लोगों के पास घरनहीं हैं। वे कहां जाएगे ? उनका

चार या पांच आश्रितों का परिवार है। यदि यह कोई भूतपूर्व संसद सदस्य या कोई सरकारी अधिकारी है तो हम यह समझ सकते हैं। उसके पास साधन होंगे। परन्तु साधारण लोगों का क्या होगा ? मैं यहीं पर असहमत हूं। हमें उन लोगों को उचित संरक्षण देना चाहिए जो इसके अधिकारी हैं। एक बात और है क्या एक व्यक्ति, जो वहां कई वर्षों से रह रहा है, उस व्यक्ति के समकक्ष समझा जाएगा जो कल ही आकर रहने लगा है, इसमें अवधि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उस विधेयक का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, लाखों लोग प्रभावित होंगे। मैं इस विधेयक से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन समस्याओं को मानवीय दृष्टि कोणसे कानूनी और उचित ढंग से लेना होगा। उन लोगों को वैकल्पिक आवास अवश्य दिए जांए जो इसके हकदार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आदरणीय सभापति जी, हमारे जो पार्लियामैंटरी एफेयर्स मिनिस्टर हैं, जिन में मानवता कूट-कूट कर भरी है, वे अगर इस बिल को थोड़ा सा पढ़ लिये होते, तो अच्छा होता। इस बिल के बारे में विस्तार से तो मैं बाद में कहूंगा लेकिन मैं सब से पहले यही कहता हूं कि जरा इस बिल को आप देखिए क्योंकि आप भी बड़े वकील हैं। इस की धारा 4 में जो लिखा है, उसको पढ़ कर आप को आश्चर्य होगा। इस धारा में यह लिखा हुआ है : मैं पृष्ठ 3 पर खण्ड 4, उप खण्ड (ख) का उल्लेख करता हूं। उसमें क्या है ? यदि आप उस व्यक्ति को सूचना देना चाहते हैं जो अप्राधिकृत अधिभोगी है तो वह सूचना क्या है ?

4(ख) "सभी संबंधित व्यक्तियों से, अर्थात उन सभी व्यक्तियों से जो उस सरकारी स्थान का अधिभोग कर रहे हैं या जिनके अधिभोग में वह हो या जो हित का दावा करते हैं, यह अपेक्षा की जाएगी कि वे : —

(i) प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, उस तारीख को या उसके पूर्व दर्शित करें जो सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी तारीख हो जो उसके जारी किए जाने की तारीज के पूर्व 7 दिन पहले की तारीख न हो,

एक सूचना जारी की जाती है और यह सातवें दिन जारी की जाती है। ऐसे आदमी का क्या होगा। अतः कृपया एक शब्द 'सूचना के प्राप्त होने के दिन से' जोड़ दिया जाए। कृपया भगवान के लिए ऐसा कर दीजिए। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं। क्योंकि डागा प्रतिदिन बोलता है और वह प्रत्येक वाद-विवाद में भाग लेना चाहता है। परन्तु इसे कृपया समझने का कष्ट करें। (व्यवधान)।

आप पहली जुलाई को सूचना जारी करते हैं और 7 जुलाई को सूचना की तामील की जाती है। आप कहते हैं यह सातवां दिन है। अब क्या हुआ है ? न्यायालय एकदम यही कहेगा कि सूचना में अधिभोगी को अवश्य ही 5 या 6 दिनों की सूचना दी जानी चाहिए। आप सूचना के जारी होने की तारीख देखें। आप जानते हैं। तामील करने वाले अपना कार्य कैसे कर रहे

हैं ? यह सातवें दिन जाएगा और उसी दिन सूचना तामील की जाएगी। अतः इन शब्दों को जोड़ा जाना चाहिए।

तब मैं सामान्य बात करता हूं। अर्थात् जारी होने की तारीख से 7 दिन बाद। अपने अधिकारी को इसे पुनः बनाने के लिए कहिए। यह 'जारी होने की तारीख से' शब्द नहीं होने चाहिए बल्कि यह 'प्राप्ति की तारीख से' शब्द होने चाहिए।

अब एक और रुचिपूर्ण बात है। पृष्ठ 4 पर खण्ड 5क को देखें। धारा 5क (1) में कहा गया है। "5क (1) कोई व्यक्ति—

(क) किसी भवन या अन्य संरचना या फिक्सचर का परिनिर्माण या स्थापना या निर्माण नहीं करेगा।

(ख) न तो कोई माल प्रदर्शित करेगा और न फैलाएगा ;

(ग) न तो कोई पशु या अन्य जीव जन्तु लाएगा और न रखेगा,——"

अब एक व्यक्ति के पास कुत्ता है और वह उसे लाता है। उसे अनुमति लेनी होगी। अगर मेरे पास कोई बिल्ली है, तो मुझे अपने मंत्री महोदय से या मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी कि मैं बिल्ली लाना चाहता हूं। अतः उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति न तो कोई पशु या अन्य जीव जन्तु लाएगा और न रखेगा। इसलिए यदि मैं पालतू कुत्ता लाता हूं तो मुझे अनुमति लेनी होगी। यह क्या नियम हुआ ? (व्यवधान)।

आपके पास यदि कोई पालतू कुत्ता है तो आप नहीं ला सकते। यह क्या है ? मैं नहीं समझता कि मुझसे पूछा जाएगा कि ...नहीं, नहीं (व्यवधान)।

जी, हां, ठीक है। (व्यवधान)।

यह बिल्ली, कुत्ता और अन्य कोई चीज। तब तीसरी चीज क्या है ? आप उसी दिन उसे साक्ष्य के साथ आने को कहते हैं, ठीक हैं, वह साक्ष्य के साथ आता है। खण्ड 4 में आप कहते हैं :

"सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसे साक्ष्य सहित, जिसे वे दर्शित कारण के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, और यदि वे वैयक्तिक सुनवाई चाहते हैं ऐसी सुनवाई के लिए भी सम्पदा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगे।"

मान लीजिए कि वह व्यक्ति अनपढ़ हैं। उस अधिकारी के सामने आता है जो एक विशाल भवन में एक बड़ी-सी कुर्सी पर विराजमान हैं। तब वह गरीब व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पायेगा और उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। आपको इस प्रकार के शब्दों का "यदि वह ऐसी सुनवाई की इच्छा जाहिर करें। कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक उसकी बात

सुनी नहीं जाती तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। आप मंत्री महोदय को दोष क्यों दे रहे हैं ? यह नौकरशाही ही है जिन्होंने इस प्रकार के उपबन्ध की व्यवस्था की है। यहां पर यह कहा गया है कि "यदि वह ऐसी सुनवाई की इच्छा जाहिर करे।"

आप कहते हैं क्या बात है ? वह कहता है कि मैंने कमरा बना लिया है। वह कहता है चले जाओ बाहर। वह जानता ही नहीं है कि मुझे कुछ कहने की इजाजत है या नहीं। आप कहते हैं कि वह इच्छा जाहिर करे कि श्रीमान को मैं सुनाना चाहता हूं तब तो उसको सुना जाएगा, नहीं तो उसको कह दिया जाएगा कि बाहर जाओ। अब उसको पता ही नहीं होता है कि उसको यह भी राइट है कि वह इच्छा जाहिर करे कि उसको सुना भी जा सकता है। होता है यह कि उस कमरे में आकर जो उसको सुनाना होता है उसको भी वह भूल जाता है।

बात असल में यह है कि यह बिल सेठी जी का बनाया हुआ है और अपनी गोद में यह आ गया है। इस लड़के को आपने सम्भाला है—

सभापति महोदय : लड़का कहां से आ गया ?

श्री मूलचन्द डागा : गोद आया हुआ है।

इसमें आप नोटिस की बात भी कहते हैं। नोटिस कैसे सर्व किया जायेगा ? आपने कहा है कि मकान पर चपका कर दिया जायगा। वह कर दिया गया। लेकिन फिर आप क्यों गोद लेते हैं दूसरी बात ? आप क्लाज पांच में आगे चल कर कहते है :

5क (1) परन्तु इस उप धारा के अधीन कोई आदेश। तब तक जारी नही किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को विहित रीति से तामील की गई सूचना के माध्यम से—यह विहित रीति क्या है ? यदि इसे घर पर चिपकाया जाता है तो क्या वह उचित तामील मानी जाएगी।

आपका जो ला है उसको मेहरबानी करके आप देखें। प्रेसक्राइब करने की बात भी आप एक जगह कह रहे हैं। आप नोटिस को सर्व करने की बात कहते हैं। आप कहते हैं कि रूल आप बनाएंगे इसके बारे में। जब रूल बनाएंगे तब मालूम होगा कि कैसे नोटिस सर्व होगा।

अब आप अपील की बात को देखें। समय आप घटाते चले जा रहे हैं। पार्लियामेंट जिस तेजी से चलती है वह भी आपके सामने हैं। इस एक्ट में पन्द्रह दिन का जो समय था उसको भी आपने बारह दिन कर दिया है। समय को घटाते चले जा रहे हैं। सब जगह आपने समय घटा दिया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं यह कहता हूं कि 14 दिन का नोटिस ही दिया जाए, इसका क्या परपज है ? क्या आपका काम 14 दिन में ही हो जाएगा ? जहां आपने 15 दिन रखे हैं, वहां 12 दिन रख दिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें क्योंकि विधेयक को आज ही पूरा करना है।

श्री मूलचन्द डागा : आपको इस बिल को जल्दी पारित करा देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह जानना चाहिए कि हम शरदकालीन सत्र में ही अधिकतम कार्य कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं चाहता हूं कि आप इस बिल को एक दो दिन के लिए देख लें और इस बिल में जो 12 दिन और 10 दिन का समय अपील करने का देते हैं, यह पासिबल नहीं है। मान लीजिए, आपका जो मकसद है अपील कोर्ट में जाने का, वहां पर कितना समय नियमित कर दिया है और अपील में जाने का क्या तरीका है और जाने के बाद क्या उसको कोर्ट-फीस देनी पड़ेगी ?

मेरी अपनी पूंजी ले ली, गाय, भैंस, सामान सब बेच दिया, कितना उसका अपील में पैसा लगेगा ? एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में आज 2 करोड़ 50 लाख आदमी बिना घर के हैं, यह आपके आंकड़े कहते हैं। आज हालत यह है कि पक्षी अपना घोसला बना सकता है, लेकिन आदमी को अधिकार नहीं है जमीन पर रहने का क्योंकि अरबन सीलिंग एक्ट इन्होंने लाग नहीं किया। एक आदमी एक एकड़ की जमीन पर रह सकता है, दूसरे को अपने रहने का घोसला बनाने का भी अधिकार नहीं है। यह समाजवाद है, यह लोकतन्त्र है।

एक आदमी यहां मजदूरी में, लाचारी के साथ गन्दी नाली पर अपना झोंपड़ा, मकान बनाकर बैठता है, वह क्यों बैठता है, यह प्राबलम किसने खड़ी की है ? यह हमने की हैं, लाखों करोड़ों लोग गांव से बेकारी और अपनी भूख को मिटाने के लिए यहां आते है और आने हैं। जब उनको हटाने की कार्यवाही होती है तो उनको के बाद अपना मकान खड़ा करते आल्टरनेटिव जगह देनी चाहिए। लेकिन यह नहीं होता है। इसमें लिखा है कि जो चाहो, पुलिस फोर्स काम मे लेकर उसको हटा दो। इस तरह से इस एक्ट का पारित करने का मतलब ठीक है: एक तरफ तो 20-सूत्री प्रोग्राम लाते हैं, करोड़ों लोगों को जमीन देना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं दूसरी तरफ ऐसा होता है।

आप इसको सोचिए कि इस कानून को लागू करने से पहले जो आदमी कई वर्षों से टिका हुआ है, रहता है, उसको आल्टरनेटिव जगह दे दें या उसे रेगुलराइज करने का तरीका निकाले, नहीं तो यह होगा कि जो बड़े-बड़े लोग है—

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने इस विधेयक पर अपना दिमाग लगाया होता तो आपने इस विधेयक को अच्छी तरह समझा होता क्योंकि आपको मुझसे अधिक जानकारी है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डागा साहब की तरह कानूनदान तो नहीं हूं, लेकिन एक राजनैतिक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं व्यवहार में जो कुछ देखता हूं,

उसी की तरफ में आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। इस सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक को पास कर दिया जायेगा, यह मैं जानता हूं, लेकिन इसको अमल में लाने में जो कठिनाई होती है या हो रही है, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

सरकार का नियम एक होना चाहिए, लेकिन उसके द्वारा एक मापदंड नहीं अपनाया जाता है। दिल्ली का ही उदाहरण लीजिए। मुझे ऐसी खबर है कि अगर को ई० एल० डी० सी० रिटायर होता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो उसको फौरन सरकारी मकान से हटा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी रिटायर होते हैं, तो सरकार उनको मामूली किराये पर-400 रुपये के किराये पर-बड़े बड़े मकानों में रहने देती है और उन्हें एक एक, डेढ़ डेढ़ साल तक नहीं निकालती है। इसीलिए मैंने कहा है कि सरकार के यहां दो स्टैंडर्ड हैं।

यह मामला दिल्ली में बड़े पैमाने पर है। मेरी जानकारी है कि लोकसभा के जो रिटायर हुए अफसर हैं, वे इसी तरह के मकानों में बैठे हुए हैं। और जगहों में भी ऐसे लोग हैं। गोल मार्केट और गोल डाकखाना एरिया में ये लोग मकानों पर कब्जा किए हुए है और दूसरों से ज्यादा पैसा लेकर धन कमाते हैं। आपको इन बातों का पता लगाना चाहिए। अगर यह बात सही हो, तो आपको फौरन कार्यवाही करनी चाहिए। साधारण कर्मचारियों को तो आप अपने नियम के मुताबिक हटा देते हैं, बड़ों को कैसे रहने देते हैं ?

मैं एक साधारण कर्मचारी का उदाहरण देता हूं। इत्तिफाक से वह मेरे ही क्षेत्र का कर्मचारी है। उसका नाम राम बहादुर है और वह चपरासी का काम करता है आर्केयालाजिकल डिपार्टमेंट में। एस्टेट डिपार्टमेंट ने उसको एक मकान दिया। बाद में एस्टेट डिपार्टमेंट ने समझा कि उसको गलत ढंग से मकान दिया गया है, क्योंकि वह उसके लिए हकदार नहीं है। उसको वहां से हटा दिया। वह तो ठीक किया, लेकिन जब तक वह मकान में रहा, तब तक के लिए उस गरीब चपरासी से पैनल रेंट वसूल किया गया। गलती उसकी नहीं है। उसे आवंटन करने की गलती किसी अधिकारी ने की और सजा उस बेचारे को मिली। मैंने यह उदाहरण दिया है, क्योंकि वह बेचारा मेरे पास रोज आता है। मैं एस्टेट डिपार्टमेंट को टेलीफोन खटखटाता रहता हूं। मैंने आवेदनपत्र पर भी लिख दिया कि यह न्याय कैसे हो रहा है।

ये बातें दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे हो रही हैं। सरकार गरीबों को उजाड़ कर मीलों दूर भेज देती है और उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रहती है। उन्हें सरकारी जमीनों से हटाने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जनतंत्र में सब को खाना, कपड़ा और मकान पाने का अधिकार है। सरकार उन्हें मकान दे दे और अपनी जमीन खाली करा ले, किसी को विरोध नहीं होगा, लेकिन सरकार ऐसा न कर के उन बेचारों को दर दर का भिखारी बना देती है।

मैं पटना की भी एक मिसाल देना चाहता हूं। पटना में एक कौशलनगर है, जिसका नाम बिहार के एक पिछले राज्यपाल के नाम पर रखा गया है। वे भारत सरकार के मकान नहीं हैं, बिहार सरकार के हैं। उस कालोनी को बेघरों को घर देने के नाम पर बनाया गया है। जो गरीब हरिजन उन मकानों के अधिकारी हैं, उनको तो मकान मिलता नहीं है। अनधिकृत लोग वहां पर बैठे हुए हैं। सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें आपके कुछ राजनैतिक समर्थक भी हैं—हमारे समर्थक भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं। अगर किसी ने गलत ढंग से किसी मकान पर कब्जा कर लिया है, तो उनको हटा देना चाहिए।

दानापुर कैन्टूनमैंट एरिया में लोग 70, 80 और 100 बरसों से रहते हैं, लेकिन उन मकानों के संबंध में उनके नाम नहीं लिखे जाते हैं सरकार कहती है कि वह तो हमारी सम्पत्ति है। जब पुश्त दर पुश्त से लोग उसमें रह रहे हैं तो आपकी सम्पत्ति कैसे हुई? आप उन का नाम नहीं चढ़ाते, अगर वह कोई आलटरेशन करना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं तो उन की इजाजत नहीं देते। तो यह कैसी बात है? यह बात उचित नहीं लगती। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

सामर्थ्यवान लोग, भूतपूर्व विधायक और ऐसे लोग मंत्री जी जानते हैं पटना में सरकारी मकानों पर कब्जा आज से नहीं वर्षों से किए बैठे हैं। छज्जू बाग की तरफ आप चले जाइए, पता चल जाएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। न वह एम एल ए हैं, न एम एल सी हैं, न कुछ हैं लेकिन कब्जा किए बैठे हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो उनके लिए इस तरह की व्यवस्था और गरीब अगर कहीं सरकारी जमीन पर बैठा है तो उसको झट निकालने की व्यवस्था यह कहां तक उचित है? बड़े बड़े व्यापारी आप की जमीनों पर यहां बैठे हैं, अभी श्रीमती कृष्णा साही जी कह रही थीं, बड़े बड़े लोग जो इस तरह मकानों में बैठे हैं उनको आप नहीं निकाल पाते और झुग्गी झोंपड़ी वाले को निकाल कर फेंक देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड एक ही रखिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों में अपंतोष होना स्वाभाविक है। इसीलिए यह समस्या, हल नहीं होती। पटना में श्रीकृष्ण नगर में, श्रीकृष्णपुरी में चले जाइए वहां आप पाएंगे बड़े-बड़े सामाजिक नेता और राजनैतिक नेता मकानों पर कब्जा कर लिए सरकार ने उनको दे दिया या नहीं तब भी कब्जा किए हुए हैं। यह क्या बात है?

मेरा निवेदन है, दिल्ली हो, पटना हो, बम्बई हो या कलकत्ता हो, अगर यह आपका कानून है तो इसको हृदयहीनता के साथ लागू मत कीजिए, सहृदयता के साथ लागू कीजिए और गरीब के ऊपर ध्यान दीजिए। जो धन्ना सेठ और बड़े बड़े लोग हैं उनको जरूर बेरहमी के साथ निकालिए। यह करेंगे तब तो आपका कानून ठीक से कार्यान्वित हो सकेगा, नहीं तो तरह तरह की दिक्कत होगी। लोग आन्दोलन करेंगे, ला ऐंड आर्डर का सवाल होगा, फिर आपको परेशानी होगी। यही मुझे आप से निवेदन करना था और एक तरह से दोस्ती की चेतावनी भी देनी थी कि इधर आप का ध्यान रहना चाहिए।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को लाने का जो उद्देश्य है वह अपने आप में एक अच्छा काम है। केन्द्रीय सरकार की बहुत सी भूमि पर बहुत से मकानों पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है। एक बहुत लम्बा चौड़ा प्रोसीजर, एलैबोरेट प्रोसीजर, होने के कारण कई दफा अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानकारी है कि एक संसद सदस्य को एक मकान एलाट हुआ, उस मकान का कब्जा लेने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए इस बिल के उद्देश्य के बारे में तो दो राय नहीं हो सकती। एक नहीं अनेक लोग कानून के नाम पर इस तरह के अनधिकृत कब्जों को रखने की चेष्टा करते हैं और ज्यादातर एक बात और होती है, मैं शास्त्री जी की इस बात से सहमत हूं कि जो असरदार या बड़े-बड़े सरमायेदार लोग होते हैं वही इसका फायदा उठाते हैं, गरीब को तो इसका कोई फायदा उठाने का मौका भी नहीं मिलता, इसलिए जहां तक इस कानून का ताल्लुक है इस कानून के मकसद से मैं सहमति व्यक्त करता हूं।

लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं इस मौके का फायदा उठाते हुए कि इस देश की हाउसिंग समस्या का समाधान करने के लिए मंत्री जी को कारगर कदम उठाना चाहिए। आज सब से बड़ा सवाल यह है कि इस देश के शहरों में गन्दी बस्तियां और स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। खाली शहर की बात ही नहीं है, अब तो एक और नयी बात होने लगी है दुर्भाग्य से हमारे नेशनल हाइवेज और दूसरे हाइवेज पर भी कच्ची दुकानें और झोपड़ियां बेतहाशा नये तरीके से, अनधिकृत तरीके से बनती जा रही हैं। और वह गन्दगी का एक बहुत बुरा दृश्य उत्पन्न करते हैं। कृषि की जमीनों पर हजारों मकान अनधिकृत तरीके से बनते जा रहे हैं। कोआपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर खरीद-फरोख्त करके बहुत बड़ा काला धन पैदा किया जा रहा है। मेरी मान्यता है कि सरकार को उस काले धन पर अंकुश लगाने के लिए भी इस बात की जरूरत है कि जो कृषि की जमीन की खरीद-फरोख्त होती है, गरीब से वह जमीन ली जाती है, सस्ते दामों पर ली जाती है और उसके बाद उस जमीन के प्लाट काटकर लाखों रुपया कमाया जा रहा है और सरकार इस बारे में कान में तेल डालकर सो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह स्टेट्स का सवाल है, यह सही है लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए उनको राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह से जो कृषि की जमीनों पर सड़कों के सहारे अनधिकृत तौर पर कब्जे होते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, दुकानें बनती जा रही हैं और करोड़ों रुपया होशियार लोग कमा रहे हैं, ब्लैक-मनी अर्जित होता जा रहा है उसको रोका जाए। इस सम्बन्ध में कारगर कदम उठाने के लिए हम मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका समाधान होना ही चाहिए।

साथ ही साथ आपने शहरों के लिए तो हडको या दूसरे माध्यमों से मकान बनाने के बारे में सोचा है, विचारा है लेकिन क्या आपने गांवों और कस्बों के गरीब लोगों के ऊपर कोई भी ध्यान

दिया है ? मैं मंत्री जी से खास तौर से कहना चाहता हूं कि बीससूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने गरीबों को जमीनें तो दी थीं उन जमीनों पर कुछ लोगों को कब्जा मिला और कुछ को नहीं मिला, इस बात को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन उनको मकान बनाने के लिए कुछ असिस्टेंस का प्रावधान कीजिएगा या नहीं ? क्योंकि हर आदमी इस देश में इतनी बात का तो अधिकारी है कि वह सर्दी में और गर्मी में एक छप्पर के नीचे अपना सिर ढक सके। इसलिए इस बारे में आपको सोचना विचारना चाहिए।

साथ ही इस समस्या के समाधान के लिए मैं बहुत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, डागाजी के आंकड़े देकर यह सिद्ध किया और बताया कि इस देश में करोड़ों लोग बेघर हैं और उन लोगो की तादाद घटने के बजाए बढ़ती जा रही है, इसके पीछे सारी समस्या यह है कि आबादी की बढ़ोतरी के साथ साथ यह समस्या भी बढ़ती जा रही है। मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि बेघर वालों के लिए घर की समस्या का समाधान करने के लिए कोई निश्चित राष्ट्रीय नीति बनाकर कम से कम छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ समाधान निकाला जाना चाहिए कि जितने बेघर लोग है उनकी तादाद अगर घटे नहीं तो बढ़े भी नहीं। मैं जानता हूं इस तादाद का घटाना बड़ा मुश्किल काम है लेकिन इस तादाद को आप इस लेविल पर भी रख सकें तो मेरी ऐसी मान्यता है कि आप शायद एक बड़ा काम कर सकेंगे।

मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुए और एक बात यह कहते हुए कि हम विधेयक तो पास कर देते हैं लेकिन उस पर अमल कितना होता है यह भी देखने की जरूरत होती है, मैं इसका समर्थन करता हूं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं कि कुछ बड़े निहित स्वार्थी लोगों ने बरसों से अनधिकृत कब्जे कायम कर रखे हैं। क्या मंत्री जी कोई ऐसा आश्वासन देंगे कि एक निश्चित अवधि के अन्दर ऐसे जो अनधिकृत कब्जे हैं उनको वे दूर कर सकेंगे, हटा सकेंगे। हम पावर आपको दे रहे हैं, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल भी आप करेंगे या नहीं ? इसलिए इस बारे में मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

रामसिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मेरी ऐसी मान्यता है कि मूल अधिनियम में जो अभाव थे उनको दूर करने के लिए यह सफल प्रयास है। मूल अधिनियम में 'प्रेमिसिज' की व्याख्या बड़ी सीमित थी और अब माननीय मंत्री जी ने 'प्रेमिसिज' की व्याख्या को स्पष्ट किया है तथा उसमें सरकारी भवनों और सरकारी सम्पदाओं को शामिल किया है जिनके बारे में सरकारी नियन्त्रण होते हुए भी सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती थी। इस विधेयक के द्वारा अब सरकार को वह शक्ति मिलेगी, सरकार में क्षमता आएगी कि वह उसके बारे में आगे कार्यवाही कर सके। जैसे पोर्ट ट्रस्ट के बारे में था, यूनीवर्सिटी जैसी आटोनामस बाड़ीज के बारे में था, अन्य सरकारी संस्थाओं के बारे में था, पल्ले

उनके भवनों के संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस मौजूदा अधिनियम से वह अधिकार अब सरकार को मिल जाएगा।

इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा माननीय मंत्री जी ने जो सराहनीय कार्य किया है, वह यह है कि इससे पहले सरकारी भूमि, सरकारी भवन या सरकारी सम्पदा पर यदि किसी व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य कर लिया है, तो उसको रोकने के लिए मूल अधिनियम में सरकार को कोई अधिकार नहीं था और न उस निर्माण कार्य को तोड़ने या हटाने का या उस निर्माण कार्य के एवज में जो डेमेजेज हुए है उनको लागू करने का अधिकार था। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से नम्र शब्दों में एक निवेदन करना चाहूंगा—मुझे भय है कि यह अधिनियम किसी सक्षम न्यायालय में जाने के बाद—इसकी धारा 4 स्ट्रक-डाउन न हो जाय। इसका कारण यह है कि किसी भी नियम का इन्टरप्रेटेशन आफ लाज करते समय फण्डामेन्टल राइट्स में जो अधिकार एक नागरिक को मिले हुए हैं उनको दृष्टि में रखते हुए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि आप निर्णय देते हैं तो उस व्यक्ति को जब तक आप सूचना नहीं देंगे, तब तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। यह कानून में सर्व-मान्य सिद्धान्त है। इसकी धारा 4 में आपने कहा है कि यदि चाहें तो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई कर सकते हैं, वरना नहीं। इसके अनुसार नोटिस के तामील के लिए जो मौका दिया है, उसमें व्यक्तिगत तामील होना लाजमी नहीं है—यह इसमें बहुत बड़ी कमी है। न्यायालय में जाकर इस मुद्दे पर कभी भी आपको नीचा देखना पड़ सकता है, यह धारा स्ट्रक-डाउन हो सकती है। आप जानते हैं कि किसी सम्मन की तामील के लिए बहुत से मोड़ दिए हुए होते हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में 1976 में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि व्यक्तिगत तामील हो। यदि पोस्टल रजिस्टर्ड ए० डी० से भी भेज देंगे तो उसे तामील माना जाएगा। आप ऐसा संशोधन इसमें भी क्यों नहीं करते हैं जिससे इस एक्ट को कानूनी तरीके से चुनौती न दी जा सके।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि इसमें पहले नोटिस का जो 10 दिन का समय था उसको 7 दिन कर दिया गया है, अपील में 15 दिन को घटाकर 12 दिन किया है और उसको निकालने के लिए पहले जो 30 दिन का अवसर था उसको कम करके 15 दिन कर दिया है, मैं समझता हूं कि इससे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। अपील में तीन दिन घटाने से क्या फर्क पड़ेगा, इसको 15 दिन की बजाय 12 दिन क्यों कर रहे हैं, इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। इसी तरह से नोटिस को 10 दिन के स्थान पर 7 दिन किया गया है, इसका भी कोई कारण नहीं दिया गया है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से गौर करे। एक तो व्यक्तिगत सर्विस के बारे में कि उसको नोटिस की तामील जरूर होनी चाहिए। यह बहुत लाजमी मुद्दा है, मैंने आज तक, 25 साल तक मुझे वकालत करते हुए हो गए, नहीं देखा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आप कोई निर्णय दें और तामील के लिए कोई प्रावधान ही न करें। वह तो ऐसा कानून हो जायगा, जिसको किसी भी समय अदालत में चुनौती देने पर स्ट्रक-डाउन किया जा सकेगा।

इस कानून को किसी भी समय किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। आपको इस खण्ड संख्या 4 के संदर्भ में विशेष सावधानी बरतनी होगी।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा—मैं मानता हूं कि इसमें आपके सीमित अधिकार हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी देखना है कि इसमें जो नियम आप बनाने जा रहे हैं और जिनके बारे में सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने यह अपेक्षा की है कि आप उनको पार्लियामेंट में रखेंगे और जैसे किसी अधिनियम के तेहत नियम बनते हैं, वैसे ही बनायेंगे।

मैं यह भी चाहूंगा कि जो नियम आप बनायें वे निश्चत हों। विशेषकर आवंटन के नाम पर आपने अब तक जो नियम बनाये हैं वे बहुत शिथिल हैं। सरकारी सम्पदा और सरकारी भवनों के बारे में आवंटन के नियम निश्चित होने चाहिए। 28 नवम्बर के इण्डियन एक्सप्रेस में निकला है कि आपके बहुत से अफसर ऐसे हैं जिनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, दिल्ली में या दिल्ली से बाहर उनके पास खुद के कई लाख के मकान हैं, जिसमें वे रह सकते हैं, लेकिन वे उनमें खुद न रह कर दूसरों को किरायों पर दे देते हैं और सरकारी मकान अपनी रिहाइश के लिए एलाट कराते हैं। इसी सम्बन्ध में एक सवाल का जवाब देते हुए मन्त्री महोदय ने कहा है—

"आरम्भ में उन अधिकारियों को, जिनके कार्य स्थान पर अथवा उसके निकट अपने मकान है, सरकारी आवास के आवंटन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गए थे। इस संबंध में 'अपात्रता' का नियम 1 फरवरी, 1950 से लागू किया गया था। यह मई, 1966 तक लागू रहा किन्तु तब इस नियम को वापस लेने का निर्णय किया गया। और तब वे अधिकारी भी जिनके अपने मकान थे, सामान्य किराए पर सामान्य पूल आवास से आवंटन के पात्र बन गए। राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श तन्त्र) की रिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा एक निर्णय किया गया और सितम्बर, 1975 में इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए कि केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जिनके कार्यस्थान पर अथवा स्थानीय अथवा समीप की नगर सीमाओं के भीतर अपने मकान हैं, सरकारी आवास के आवंटन के पात्र नहीं होंगे और ऐसे कर्मचारी, जिन्हें सरकारी आवास मिले हुए है उन्हें दिसम्बर, 1975 के अन्त तक सरकारी मकान खाली करने होंगे, ऐसा न करने पर तब तक उन्हें उस पर तब तक बाजार दर से लाइसेंसफीस देनी होगी। जब तक वह सरकारी आवास रखेंगे।"

"इस निर्णय के कार्यान्वयन् के परिणामस्वरूप उन कठिनाईयों के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए जो उन अधिकारियों द्वारा अनुभव की गई जिनके अपने मकान थे। सरकार ने इन अधिकारियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों पर विचार किया और निर्णय किया कि उस समय जो प्रतिबन्ध लागू थे, उनमें 1 जून, 1977 से संशोधन किया जाना चाहिए और उन अधिकारियों को, जिनके अपने मकान हैं, सामान्य शर्तों पर सरकारी आवास के लिए पात्र बनाया जाना चाहिए बशर्ते कि उनके निजी मकान से उनकी प्रतिमास आय 1000 रुपये से अधिक न हो .. ..।"

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आप का जवाब है, इसके मुताबिक अब भी उनको छूट देते हैं। जो व्यक्ति 1 हजार या दो हजार की रेंज का व्यक्ति है और जिस को एक हजार रुपया किराया आता है उसके लिए आप कहते हैं कि आवंटन के नियमों के अनुसार उसको एलाटमेन्ट हो सकती है। इसका असर यह पड़ता है कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, उसको मकान नहीं मिलता। इन अफसरों को आप कन्सेशनल रेट पर जमीन एलाट करते हैं, उसके बाद मकान बनाने के लिये लोन देते हैं, लोन रिकवरी इंस्टालमेन्ट में करते हैं, उसके बावजूद भी उसको सरकारी मकान देते हैं। लेकिन गरीब आदमी है, बाहर से आकर यदि उसको किसी तरह से नौकरी मिलती है तो एलिजिबिल होते हुए भी इनके कारण उसकी एलीजिबिलिटी पीछे पड़ जाती है। नियम बनाते समय मैं चाहता हूं कि आप इस बात को भी ध्यान में रखें।

हमारे संविधान के जो डायरैक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं उनमें कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है, आप से कल्याणकारी राज्य स्थापित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। हाउसिंग मंत्रालय में आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे जिस से ज्यादा से ज्यादा लोगों को मकान दे सकें। आपका महकमा मानवीय दृष्टिकोण को लेकर चलता है, 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" आप के महकमे का उद्देश्य है और हमारे दोनों मंत्री—सिंह साहब और आरिफ साहब—उस मानवीय दृष्टिकोण को अपने ध्यान में रखते हुए इस विधेयक पर विचार करेंगे।

इन-शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

संसदीय कार्य और निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं माननीय सदस्यों विशेषकर सर्वश्री शमन्ना, डागा, सूर्य नारायण सिंह, श्रीमती कृष्णा साही, श्री चक्रवर्ती श्री अशोकल, श्री रामावतार शास्त्री, श्री नवलकिशोर शर्मा तथा श्री रामसिंह यादव का आभारी हूं कि इन्होंने इस विषय पर हुई बहस में भाग लिया। मैं इन सभी का अत्यन्त आभारी हूं। उन्होंने जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं उनसे मैं यही समझ पाया हूं कि हमें आवास की समस्या सुलझाने में मानवीय रवैया अपनाना चाहिए। यह बात सही है। किन्तु वास्तव में यह विधेयक जोकि इस महान सभा के सामने मैंने प्रस्तुत किया है, वह सरकारी भूमि विशेषकर केन्द्रीय सरकार की भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों की बेदखली के सम्बन्ध में है 1971 का अधिनियम है ही और यह अधिकार देने वाला उपबन्ध है जिसे मैं इस महान सदन के समक्ष लाया हूं। इसमें संदेह नहीं कि हम प्रमुख पत्तन आदि को इसके अन्तर्गत लाने के लिए "सरकारी स्थानों" की परिभाषा को विशद कर रहे हैं। इससे सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों को हटाने में जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें कम करने में मदद मिलेगी। राज्य के अधिकारियों को इस विधेयक के माध्यम से प्रदत्त अतिरिक्त शक्तियों का प्रमुख उद्देश्य जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के उचित उपयोग तथा भागीदारों से बकाया राशि वसूल करने का है। इस विधेयक का उद्देश्य बेदखली की प्रक्रिया को पूरा करने में अनुभव किए गए विलम्ब को भी कम करना है। बिलम्ब के कारण अनेक बुराईयां पैदा हो जाती हैं और मैं उनका यहां उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

श्री शमन्नाजी ने दो बातें उठाई हैं— बंगलौर शहर में तथा छावनी में सरकारी भूमि का अतिक्रमण। उनकी दूसरी बात संशोधन करने वाले विधेयक का बिलम्ब से लाया जाना है पहली बात के बारे में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि अप्राधिकृत अधिभोगी अधिनियम राज्य सरकार की भूमि के अधिक्रमण, अथवा उसके अन्य अप्राधिकृत अधिभोग अथवा उस पर निर्माण के सम्बद्ध में लागू नहीं किया जा सकता है। यह अधिनियम तो केवल केन्द्रीय सरकार तथा अधिनियम में परिभाषित निकायों के सरकारी स्थानों पर ही लागू होगा। उनकी दूसरी बात के बारे में सरकार द्वारा स्थापित एक हमारी समीक्षा समिति है और हमें उसके प्रत्येक ब्यौरे की जांच करनी पड़ी है ताकि हम एक व्यापक संशोधन ला सकें। अतः इस में कुछ समय लग गया। इसके अतिरिक्त हमें वित्त मन्त्रालय और अन्य मन्त्रालय से परामर्श करना होता है। जैसा कि आप जानते हैं यह आम प्रक्रिया है और विलम्ब का यही कारण था और कोई और कारण नहीं था।

श्री भगत-यद्यपि वह सदन में उपस्थित नहीं हैं — सर्व श्री सूर्य नारायण सिंह और श्री चक्रवर्ती ने इस विधेयक का समर्थन किया है और उनके सुझावों को मैंने नोट कर लिया है। यह बहुत ही सही सुझाव है कि बेदखली के बाद बेदखल किए गए व्यक्तियों का क्या होगा। यह सही है और आप जानते हैं कि अभी हाल में इस महान सदन में एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में यह सरकार सर्वदा मानवीय रवैया अपनायेगी चाहे किसी कालोनी अथवा क्षेत्र का अप्राधिकृत कब्जा ही क्यों न हो। आप जानते हैं कि अप्राधिकृत कालोनियां हैं जो दिल्ली में भी हैं— यमुना-पार क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में भी है। एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि इस समस्या के समाधान में सरकार मानवीय रवैय आपनायेगी।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आप वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के बाद बेदखली क्यों नही करते हैं ?

श्री भीष्म नाराणय सिंह : आप जानते हैं कि झुग्गी-झोंपड़ी हटाओ योजना का कार्यन्वियन किया गया था···।

श्री समर मुखर्जी : पहले वैकल्पिक आवास का निर्माण करो और तब उन्हें बेदखल करो।

श्री भीष्म नारायण सिंह : उस समय मार्च, 1977 तक लगभग 2 लाख प्लाट और टैनमेंट आवंटित किए गए। अभी हाल में भी हमने यह सिद्धान्त रूप से निर्णय किया है कि झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को आवासीय क्षेत्रों में पुनर्वास सम्बधी सुविधाएं दी जाएंगी।

हाल ही में हमने भी इसके बारे में निश्चय किया है। यह एक कठिन समस्या है। श्री डागा और श्री शमन्ना ने भी अपने भाषण में इस कठिनाई का जिक्र किया है। यह सही है।

श्री समर मुखर्जी : उस व्यक्ति की क्या स्थिति है जो वहां रह रहा है और जिसे आप वहां से हटाकर उसके आय के साधन से उसे वंचित कर रहे हैं ? उसे उसके आय के साधन से वंचित कर रहे हैं और उसके परिवार को निश्चित रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : आपका सुझाव मान लिया गया है। अतः मैं यह प्रयत्न कर रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को स्वतः हटाया न जाए। यह एक मानवीय समस्या है। केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी व्यक्ति को स्वतः हटाया न जाए। यह गलत बात है। मैं चाहता हूं कि आप सभी उस वास्तविक निणय को स्वीकार करें जो हमने लिया है।

श्री अराकल ने कुछ बातें उठाई हैं। उन्हें इस बारे में कुछ संदेह है। यह अधिनियम दिल्ली के अलावा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, यह सही नहीं है। यह सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा। इसे लागू करना राज्य सरकारों का अपना अधिकार है। श्रीमती कृष्णा साही ने सुझाव दिया है कि एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती है। इस समस्या का समाधान करते हुए हमारा मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए।

श्री शास्त्री जी ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को निकालने के सम्बन्ध में निम्नतम और अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बीच भेद-भाव के बारे में कहा है। आवंटन नियम बड़े अथवा छोटे सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसमें जो समय लगता तथा अन्य बातों के बारे में श्री डागा ने सुझाव दिए हैं। वास्तव में एक समिति ने इस बारे में विस्तार से विचार किया था। मूल अधिनियम के क्रियान्वयन का हमारा जो भी अनुभव रहा उसे यहां भी आवश्यक समझा गया।

अतः मैं इस विधेयक को गैर-विवादास्पद समझता हूं और इसे सभा के प्रत्येक वर्ग का व्यापक समर्थन प्राप्त है। श्री रामसिंह यादव चाहते हैं कि सरकारी स्थान अधिनियम की परिभाषा का उसमें विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्तशासी निकायों को शामिल करने के लिए विस्तार किया जाए।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : यह उसमें है।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की क्या स्थिति है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।

मैं उन सदस्यों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक में गहरी रुचि दिखाई है। अब मैं अपने मित्र श्री मूलचन्द डागा और श्री शमन्ना से निवेदन करता हूं कि वे

अपने संशोधनों को वापस ले लें। यह विधेयक ऐसा पेचीदा विधेयक नहीं है जिसे राज्यों को परिचालित करने अथवा प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता हो।

उपाध्यक्ष महोदय : यह श्री मूलचन्द डागा की रोज की ही मांग है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं सभा से सिफारीश करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शमन्ना, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं इसे वापस ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा क्या आप अपना संशोधन संख्या 2 वापस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां। मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की सभा की अनुमति है ?

संशोधन संख्या 2 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव सभा में विचारार्थ रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड वार विचार आरम्भ करेंगे। चूंकि खण्ड 2 से 13 में कोई संशोधन नहीं हैं। अतः मैं उन्हें एक साथ रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 13 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गये। खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री भीष्म नारायण सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कार्य सूची में अगली मद को लेगी जो श्री प्रणव कुमार मुखर्जी के नाम में है।

वाणिज्य और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जूट की वस्तुओं का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, विनिर्माण, उत्पादन और वितरण जारी रखना सुनिश्चित करके जनसाधारण के हित साधन के लिए जूट कम्पनियों के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट जूट कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, माननीय सदस्यों को मालूम है कि जहां तक जूट का सम्बन्ध है, यह क्षेत्र, जहां तक पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस समय जूट उद्योग में 2·5 लाख से अधिक व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के इसके महत्व के अतिरिक्त इसे देश के उद्योगों की आवश्यकता भी पूरी करनी होती है। इस विधेयक में पांच जूट एककों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव है जिन्हें 1977 के बाद की अवधि में सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। उन्हें अपने हाथ में लेने तथा भारत सरकार के अधिकृत प्रतिनिधियों के प्रबन्ध के अधीन इसे रखने से पूर्व औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत इनकी जांच की गई थी और कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के विचार भी लिए गये थे। इन एककों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने तथा इनका प्रबन्ध करने के बाद यह मालूम हुआ कि इन एककों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना आवश्यक है। आधुनिकीकरण के लिए धनराशि की व्यवस्था करते हुए यह मालूम हुआ कि धनराशि की व्यवस्था वित्तीय संस्थानों से की जानी है। इन संस्थानों ने कहा कि वे और अधिक धन राशि का निवेश करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इन एककों का वास्तविक मूल्य नगण्य है और उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को बिना ब्याज के पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इतनी ही रकम का अनुदान वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया जा सके और इन एककों को पूर्णतः पुनर्जीवित किया जा सके।

अब सरकार के समक्ष प्रश्न यह है कि यदि वे और धनराशि निवेश करें तथा ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करें तो स्वभावतः वे चाहेंगे कि उनका पूरा नियंत्रण इन पर हो। अब तक सरकार किसी एकक को औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपने हाथ में लेती है अतः केवल प्रबन्ध ही सरकार अपने हाथ में लेती है। इसका स्वामित्व सरकार को प्राप्त नहीं होता है और सरकार के लिए यह बुद्धिमता की बात नहीं होगी कि वह एक ऐसी जगह निवेश करे जो उसके स्वामित्व में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं कल भी अपना भाषण जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हां आप अपना भाषण कल जारी रखें।

6 01 बजे म० प०

तद्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 1980/14 अग्रहायण, 1902 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।